Friday, 30 August, 1968

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th

LOK SABHA DEBATES

[पांचवा सत्र
Fifth Session]

Preservation 17-7-84
Fumigated On 24.1.84
Parliament Library

(खंड 20 में अंक 21 से 28 तक हैं
Vol. XX contains Nos. 21—28)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया। *Price: One Rupee*

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 28, शुक्रवार, 30 अगस्त, 1968/8 भाद्र, 1890 (शक)

No. 28 Friday, August 30, 1968/Bhadra 8, 1890 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. NOS.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
782.	स्कूलों से सम्बद्ध फार्म Farms Attached to Schools	1-5
783.	राजनैतिक दलों के लिए चन्दे Donations to Political Parties	5-10
784.	अशोक होटल का घूमने वाला बुर्ज Revolving Tower of Ashoka Hotel	10-14
785.	दिल्ली में बिक्री कर का ढांचा Sales Tax Structure in Delhi	14-15
787.	राष्ट्रीय एकता परिषद् National Integration Council	15-17
788.	काश्मीर के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र को वापिस लेना Taking back of Pakistan-Occupied area of Kashmir	17-19

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या Short Notice Question No.		
16.	बलिया में पुलिस द्वारा गोलीबारी Firing by Police in Balia	19-23

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
781.	सत्र न्यायालयों के लिए नियुक्तियाँ Appointments to a Court of Sessions	23-24

*किसी नाम पर अंकित + यह चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
786.	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 का कटाव	Erosion of National Highway No. 31	24
789.	वित्त आयोग	Finance Commission	24-25
790.	स्वतन्त्र तमिलनाड राज्य	Independent Tamilnad State	25
791.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महासंघ का ज्ञापन	Memorandum from Central Government Employees' Confederation	25
792.	उच्च न्यायालयों में अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of more Judges in High Courts	26
793.	न्यायालयों में हिन्दी में कार्य	Hindi in Courts	26
794.	राष्ट्रीय दक्षता (फिटनेस) दल का कार्यक्रम	National Fitness Corps Programme	27
795.	डोडा जिले में कुछ स्थानों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास	Development of some places as Tourist Centres in Doda District	27-28
796.	राजनैतिक बन्दी	Political Prisoners	28
797.	राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को वरिष्ठता के आधार पर विशेष वेतन वाले पदों का दिया जाना	Giving of special pay posts to State Civil Service Officers according to seniority	28
798.	सांस्कृतिक शिष्ट मण्डलों का आदान-प्रदान	Exchange of Cultural Delegations	28-29
799.	"लिंक" तथा 'पैट्रियाट" को विदेशी सहायता	Foreign Assistance to Link and Patriot	29
800.	धर्म के आधार पर भारतीय वैज्ञानिक को सुरक्षा वाले क्षेत्र से निकाला जाना	Indian Scientist turned out from a Security Zone because of Religion	29-30
801.	दिल्ली में यमुना नदी पर पुल	Bridges over Jumna in Delhi	30
802.	जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली	Jamia Millia Islamia University, Delhi	30
803.	जापान में स्थगित भुगतान के आधार पर भारत के लिए जहाज बनाना	Building of Ships for India in Japan on Deferred Payment	30-31

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
804.	सरकारी कर्मचारियों की संख्या	Number of Government Employees	31
805.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति	National Education Policy	31-32
806.	आसाम में दूर-संचार व्यवस्था में तोड़-फोड़	Sabotage of Telecommunication Link in Assam	32
807.	जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश का विलय	Merger of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh	32
808.	दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला	Admissions in Delhi University	32-33
809.	देश में शान्ति तथा व्यवस्था की स्थिति	Law and Order in the Country	33
810.	फ्रांस की हड़ताल के समान भारत में हड़ताल	Strike in India on lines of strike in France	33-34

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

6582.	करोली रोड, राजस्थान के लिए केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to Karoli Road, Rajasthan	34
6583.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार, नई दिल्ली	Central Government Employeees' Consumer Co-operative Store, New Delhi	34-35
6584.	संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में गवेषणा अधिकारियों की नियुक्ति	Appointment of Research Officers in U. P. S. C.s' Office	35-36
6585.	इन्दिरा मार्केट, दिल्ली की चार दीवारी का निर्माण	Construction of Boundary Wall around Indra Market, Delhi	36
6586.	इन्दिरा मार्केट, दिल्ली	Indra Market, Delhi	36-37
6587.	इन्दिरा मार्केट, दिल्ली	Indra Market, Delhi	37
6588.	इन्दिरा मार्केट, आर्यपुरा, दिल्ली से अनधिकृत डेरी का हटाया जाना	Removal of an Unauthorised Dairy in Indra Market, Aryapura, Delhi	37-38
6589.	जमियत-उल-उलेमा-ए-हिन्द	Jamait-ul-Ulema Hind	38

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. NoS.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6590.	नेशनल बौटनिक गार्डन, लखनऊ के निदेशक की नियुक्ति	Appointment of Director of National Botanic Gardens, Lucknow	38-39
6591.	नेशनल बौटनिक गार्डन्स, लखनऊ में वैज्ञानिक	Scientists in National Botanic Gardens, Lucknow	39-40
6592.	उत्तराखंड की सुरक्षा	Security of Uttarakhand	40
6593.	इण्डियन एसोसियेशन फार कल्टिवेशन आफ साइन्स	Indian Association for Cultivation of Science	40
6594.	संघ राज्य क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकतायें	Financial Requirements of Union Territories	40-41
6595.	तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली	Tis Hazari Courts	41
6596.	दिल्ली के कटरों में सुविधाओं की कमी	Lack of amenties of Katras in Delhi	41
6597.	नेशनल एरोनाटिकल लेबोरेटरी, बंगलौर	National Aeronautical Laboratory, Banglaore	41-42
6598.	नेशनल एरोनाटिकल लेबोरेट ी, बंगलौर	National Aeronautical Laboratory, Banglore	42-43
6599.	बिहार औद्योगिक क्षेत्र में अमरीकी गुप्तचर विभाग की कार्यवाहियाँ	CIA Activities in Bihar Industrial Belt	43
6600.	जम्मू तथा काश्मीर मिलिशिया के मुख्य कार्यालय के गुलाम रसूल की गतिविधियां	Activities of Ghulam Rasool of J&K Militia Headquarters	43-44
6601.	रेडियो पीकिंग द्वारा प्रसारण	Radio Peking Broadcast	44
6602.	छिपे हुए नागा विद्रोहियों द्वारा आक्रमण्	Attack by Underground Naga Hostiles	44-45
6603.	मनीपुर के माओ उपमंडल में नागाओं में मुठभेड़	Encounter between Nagas in Mao Sub-Division of Manipur	45
6604.	सामान्य चुनावों में विदेशी धन का उपयोग	Use of Foreign Money in General Elections	45
6605.	न्यायाधीशों की नियुक्ति	Appointment of Judges	45-46

अता० प्र० संख्या

U. S, Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6606.	पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय नागरिक	Indian Citizens Abducted by Pakistanis	46
6607.	पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी	Arrest of Pakistani Nationals	46-47
6608.	बनस्कंठा (गुजरात) में हरिजन लड़के की मृत्यु	Harijan Boy's Death in Banaskantha (Gujarat)	47
6609.	मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले में खुदाई में पाई गई वस्तुएं	Finds Discovered in Ujjain District	47
6610.	राजधानी में पकड़ी गयी जाली फाइलें	Forged Files Detected in Capital	47-48
6611.	दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अगली कक्षा में चढ़ाया जाना	Promotion of Failed Students in Delhi University	48
6612.	सड़कों के निर्माण के लिये मध्य प्रदेश सरकार को अनुदान	Grants to Madhya Pradesh Government for Construction of Roads	48
6613.	कूच-बिहार में फैरी-नाव दुर्घटना	Ferry Boat Disaster in Cooch-Behar	49
6614.	अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये विदेशों में अध्ययन के लिये छात्र वृत्तियाँ	Foreign Scholarships for Scheduled Tribes Scholars	49
6615.	अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा तथा भारतीय इंजीनियर सेवा	All-India Medical Service and Indian Service of Engineers	49
6616.	भारत में चीन-समर्थक प्रसारण	Pro-Chinese Broadcast in India	49-50
6617.	हल्दिया पत्तन	Haldia Port	50
6618.	पादरी फेरर	Father Ferrer	50
6619.	कूच बिहार में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश	Trespassing of Pakistanis in Cooch Behar	50-51
6620.	मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Chief Ministers' Conference	51
6621.	केरल गैर-सरकारी वन अर्जन विधेयक	Kerala Private Forests Acquisition Bill	51

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6622.	न्यायाधीशों के अन्तर्राज्यीय स्थानान्तरण	Inter-State Transfer of Judges	52
6623.	अवैतनिक दण्डाधिकारी	Honorary Magistrates	52
6624.	दण्ड विधियों में संशोधन करने वाला विधेयक	Bill to Amend Criminal Laws	52-53
6625.	सोफिया में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डैमोक्रेटिक यूथ समारोह	World Federation of Democratic Youth of Sofia	53
6626.	पटना के निकट गंगा पर पुल	Bridge over Ganga near Patna	53
6627.	जवाहर ज्योति	Jawahar Jyoti	54
6628.	भूतपूर्व नरेशों को निजी थैलियाँ	Privy Purses	54
6629.	खेलों को स्कूलों तथा कालिजों में अनिवार्य विषय बनाना	Compulsory Sports for Schools and Colleges	54-55
6630.	उत्तर प्रदेश के पुलिसमैनों द्वारा दिल्ली में पुलिसमैनों की गिरफ्तारी	Arrests of Policemen in Delhi by U.P. Policemen	55-56
6631.	भूतपूर्व असैनिक उड्डयन महानिदेशक की सेवावृद्धि	Grant of extension to the former D. G. C. A.	56
6632.	संयुक्त सलाहकार व्यवस्था	Joint Consultative Machinery	56-57
6633.	त्रि-भाषी सूत्र	Three-language formula	57
6634.	पश्चिमी बंगाल सरकार के कर्मचारियों को मुअत्तली के आदेश	Suspension Orders Issued on Employees of West Bengal Government	57-58
6635.	पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को छुट्टी के लाभ	Leave benefit to West Bengal Government employees	58
6636.	दिल्ली विश्वविद्यालय में अमरीकी प्रभाव	American Penetration in Delhi University	58
6637.	दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला (एम० एस० सी० पाठ्यक्रम)	Admission in Delhi University (M.Sc. Courses)	58-59

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6638.	झुग्गी झोपड़ी योजना	Jhuggi-Jhopri Scheme	59
6639.	सरकारी कार्यालयों में हिन्दी में कामकाज	Conducting work in Hindi in Government offices	59-60
6640.	शिक्षा मंत्रालय में हिन्दी में सरकारी कामकाज	Official work in Hindi in the Education Ministry	60
6641.	पब्लिक स्कूलों को सहायता	Assistance to Public Schools	60
6642.	अखिल भारतीय खेलकूद परिषद्	All India Council of Sports	61
6643.	समुद्री भाड़ा	Ocean Freight	61
6644.	हिन्दी स्टेनोग्राफर	Hindi Stenographers	61
6645.	हिन्दी और अंग्रेजी में सरकारी प्रकाशन	Government publications in Hindi and English	62
6646.	केरल में माओ के इश्तहार	Mao Posters in Kerala	62-63
6647.	पश्चिमी एशियाई देशों को भारतीय लड़कियों को बेचने का व्यापार करने वाला गिरोह	Gang engaged in sale of Indian Girls in West Asian countries	63
6648.	उत्तर प्रदेश में चल रहे औद्योगिक उपक्रम	Industrial Undertakings Functioning in U. P.	63
6649.	तेलंगाना में सशस्त्र संघर्ष का पुनः शुरू किया जाना	Revival of Armed Struggle in Telangana	64
6650.	भारतीय सिविल सेवा (आई० सी० एस०) के अधिकारी	I. C. S. Officers	64
6651.	केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा की गई जाँच	Enquiries made by C. B. I.	64-65
6652.	उत्तर प्रदेश रोडवेज, गोरखपुर क्षेत्र के कर्मचारियों की जमानतें	Securities of Employees of Gorakhpur Area of U. P. Roadways	65
6653.	सलाहकार समितियाँ	Advisory Committees	65-66
6654.	गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित शिष्ट मंडलों, मंत्रियों तथा सरकारी कर्मचारियों का विदेशों का दौरा	Visits abroad by Delegations, Ministers and Officials sponsored by Ministry of Home Affairs	66

तारांकित प्रश्न संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6655.	पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रतिनिधि मंडलों का विदेशों का दौरा	Visit abroad by Delegations sponsored by Ministry of Tourism and Civil Aviation	66
6656.	दिल्ली में सड़कें	Roads in Delhi	66-67
6657.	दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति	Law and Order situation in Delhi	67
6658.	विधेयकों का हिन्दी में पेश किया जाना	Introduction of Bills in Hindi	67
6659.	गाजीपुर में पुलिस की ज्यादतियां	Police excesses in Ghazipur	67-68
6660.	नेफा में सड़कों का विकास	Road development in NEFA	68
6661.	पर्यटकों से शिकायतें	Complaints from Tourists	68
6662.	छापामार युद्ध का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे साम्यवादी	Communists Training in Guerilla Warfare	68-69
6663.	उड़ीसा के गांव पर आन्ध्र प्रदेश सरकार का दावा	Andhra Pradesh Government's claims to a village in Orissa	69
6664.	कास्टेशिया	Castasia	69-70
6665.	उत्तर प्रदेश में बंथला-चितौड़ी-रठौल सड़क	Banthala-Chitauri-Rataul Road in U. P.	70
6667.	अलीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रशिक्षक	Teachers in Aligarh University	70
6668.	पिछड़ी जातियों की लीग	Backward Classes Leauge	71
6669.	बानरस विश्वविद्यालय में एम० बी० बी० एस० का अल्पावधि पाठ्यक्रम	Short M. B. B. S. Course at Banaras University	71
6670.	शिक्षा के बारे में दीर्घकालीन योजना	Long Term Scheme on Education	71
6671.	शौलमारी आश्रम	Shaulmari Ashram	72
6672.	नई दिल्ली में शहीदी गेट के लिये योजना	Plan for a Martyrs' Gate in New Delhi	72
6673.	गांधी शताब्दी समारोह	Gandhi Cetenary Celebrations	72
6674.	मैथिली भाषी का संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना	Maithili in Eighth Scheduled to the Constitution.	72-73

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6675.	केन्द्रीय सड़क-परिवहन निगम	Central Road Transport Corporation	73-74
6676.	राष्ट्रीय दक्षता दल	National Fitness Corps	74
6677.	राष्ट्रीय दक्षता दल प्रमाण पत्र	National Fitness Corps Certificates	74-75
6678.	राजधानी में चोरी के मामले	Burglaries in the Capital	75
6679.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा दिया गया रजत जयन्ती पुरस्कार	Silver Jubilee Award given by CSIR	75
6680.	भारत पूर्वी-पाकिस्तान सीमा पर अपराध	Crime on India-East Pak. Borders	75-76
6681.	राँची और पटना में लाठी चार्ज	Lathi Charge at Ranchi and Patna	76
6682.	राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध अम्बाला जनसंघ शाखा की शिकायत	Ambala Jan Sangh Units Complaint against R. S. S.	76-77
6683.	ऋण से जहाज खरीदना	Purchase of Ships on Credit	77
6684.	विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists	77
6685.	भारतीय फुटबाल का स्तर	Standard of Indian Football	77-78
6686.	गृह-कार्य मंत्रालय में हिन्दी अधिकारी	Hindi Officer in the Ministry of Home Affairs	78
6687.	वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावलि आयोग तथा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय	Commission for Scientific and Technical Terminology and Central Hindi Directorate	78-79
6688.	वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावलि आयोग और केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय में नियुक्तियाँ	Recuritment in S. T. T. C. and Hindi Directorate	79
6689.	तकनीकी सहायकों के पद	Posts of Technical Assistants	79-80
6690.	अलीगढ़ विश्वविद्यालय में मैडिकल तथा इंजीनियरी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का दाखिला	Students admitted to Medical and Engineering Courses in Aligarh	80

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6691. रीवा विश्वविद्यालय की स्थापना	Constitution of Rewa University	80
6692. कुछ संघ राज्य क्षेत्रों को पूरे राज्य का दर्जा दिये जाने की माँग	Demand for Granting Full-fledged State-hood to certain Union Territories	80-81
6693. पाँडिचेरी में भारत में बनी तथा विदेशी मदिरा की तस्करी	Smuggling in Indian-Made and Foreign Liquor from Pondicherry	81
6694. दिल्ली में अपराधों की स्थिति	Crime Situation in Delhi	81-82
6695. जनपथ होटल (नई दिल्ली) के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति	Appointment of Managing Director of Janpath Hotel, New Delhi	82
6696. अनुभाग अधिकारियों के पदों पर विभागीय पदोन्नतियाँ	Departmental Promotion of Section Officers	82-83
6697. अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नति	Promotion as Section Officers	83-84
6698. बिहार में दंगे	Riots in Bihar	84
6699. कर्मचारियों के आचरण के नियम	Rules of Conduct for Employees	84
6700. बिहार में जेलर तथा सहायक जेलर	Jailors and Assistant Jailors in Bihar	84-85
6701. जेल नियमावली	Jail Manuals	85-86
6702. बिहार में पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना	Police Firing in Bihar	86
6703. शाँति द्वीप	Island of Peace	86
6704. उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट सेकेन्डरी टैक्नीकल सर्टिफिकेट कोर्स के लिये दाखिला	Admission to Government Secondary Technical Certificate Course in U.P.	86-87

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6705.	कानपुर तथा लखनऊ स्थित तकनीकी संस्थाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों का प्रवेश	Admission of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Technical Institute at Kanpur and Lucknow	87
6707.	कोचीन में दूसरा जहाज निर्माण कारखाना	Second Shipyard at Cochin	87-88
6708.	शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्	National Council of Educational Research and Training	88
6709.	अखिल भारतीय खेलकूद-परिषद्	All India Council of sports	89
6710.	नई दिल्ली के एक होटल में फोर्ड प्रतिष्ठान सलाहकार की मृत्यु	Death of Ford Foundation Adviser in New Delhi Hotel	89
6711.	एयरलाइन्ज के टिकटों में मूल्य कम करने के कारण विदेशी मुद्रा की हानि	Loss of foreign exchange due to cut Price Business in Airlines Tickets	89-90
6712.	दिल्ली विश्वविद्यालय की हिन्दी की एम० लिट् परीक्षा	M. Litt. Examination in Hindi of Delhi University	90
6713.	उच्च शिक्षा सम्बन्धी संस्थायें	Institutes for advanced studies	90
6714.	सीमावर्ती क्षेत्रों की भाषाओं का अध्ययन	Study of languages of border areas	90-91
6715.	बंगलौर तथा मद्रास की फर्मों तथा कम्पनियों के विरुद्ध केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा जाँच	C. B. I. enquiry against Banglore and Madras firms and companies	91
6716.	निकोबारद्वीपसमूह से खोपरे का निर्यात	Export of Copra from Nicobar Islands	91-92
6717.	विदेशी राष्ट्रजनों के विरुद्ध केन्द्रीय जाँच विभाग द्वारा जाँच	C. B. I. investigation against foreign nationals	92-93
6718.	नागाओं का चीन जाना	Nagas going to China.	93

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6719. वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावलि आयोग	Scienttific and Technical Terminology Commission	93-94
6720. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से संबंध रखने वाले मंत्री	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Ministers	94
6721. दिल्ली-मद्रास विमान सेवा	Delhi-Madras Air Service	94
6722. आंध्र प्रदेश में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centres in Andhra Pradesh	94-95
6723. राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षक	National Discipline Scheme Instructors	95
6724. भारत के तटवर्ती समुद्र में तेल के लिये अनुसंधान	Research for Oil in India's Coastal Sea	95
6725. देश में कला और तकनीकी कालेज	Arts and Technical Colleges in the Country	95-96
6726. चौथी योजना में शिक्षा पर धन का नियतन	Allocation for Education in Fourth Plan	96
6727. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित छात्रों के लिये विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां	Overseas Scholarships to Scheduled Castes and Scheduled Tribes	96-97
6728. जनरल सेंट्रल सर्विस	General Central Service	98
6729. औद्योगिक प्रबन्ध पूल सेवा	Industrial Management Pool Service	98
6730. सीमा सुरक्षा बल में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती	Recruitment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes to Border Security Force	99
6731. फौजदारी मामलों की जांच-पड़ताल	Investigation of Criminal Cases	99-100
6732. फतेहनगर की रिहायशी बस्ती के लिये सुविधायें	Amenities to Residential Colony of Fateh Nagar	100-101
6733. बेरोजगार इंजीनियर	Unemployed Engineers	101
6734. अशोक होटल तथा जनपथ होटल	Ashoka and Janpath Hotels	101

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6735.	सरकारी उपक्रमों में उच्च प्रबन्धक पद	Top Management Posts in Public Undertakings	101-102
6736.	नौवहन कम्पनियों द्वारा सुराख करने वाले रिगों की सर्विसिंग	Servicing of Drill Rigs by Shipping Companies	102
6737.	विमान भाड़े तथा होटलों के बिलों का स्टर्लिंग तथा पौंडों में भुगतान	Payment of Air Fares and Hotel Bills in Sterling and Pounds	102-103
6738,	न्यायाधीशों का स्थानान्तरण	Transfer of Judges	103-104
6739.	दिल्ली और हिमाचल प्रदेश न्यायिक तथा सिविल सेवाएं (न्यायिक शाखा)	Delhi and Himachal Pradesh Judicial and Civil Services (Judicial Branch)	104-105
6740.	उच्चतम न्यायालय का उच्च-न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण	Administrative Control of Supreme Court over High Courts	105
6741.	1971 की जनगणना	1971 Census	105-106
6742.	भारत में विदेशियों द्वारा भूमि की खरीद	Foreigners Buying Land in India	106-107
6743.	मोटर गाड़ियों की चोरियां	Thefts of Motor Vehicles	107
6744.	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणासी के वित्तीय सलाहकार द्वारा सोने का तस्कर व्यापार	Gold Smuggling by the Financial Adviser D. L. W., Varanasi	107
6745.	दिल्ली में अपहरण के मामले	Kidnapping in Delhi	107-108
6746.	सेवाओं में भरती संबंधी प्रतिबंध हटाने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष का वक्तव्य	Statement of Chairman, A. R. C. removal of restrictions on recuritment to Services.	108
6747.	हायर सैकंडरी तथा बी० ए० की परीक्षाएँ	Higher Secondary and B.A. Examinations	108-109
6748.	बड़े पत्तनों के लिये महा प्रबन्धकों के पद बनाना	Creation of Posts of General Managers at Major Ports	109

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6749.	भारत विरोधी प्रचार सामग्री वाली पुस्तकें	Books Carrying Anti-Indian Propaganda	109-110
6750.	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी की परीक्षा	N. D. A. Examination	110-111
6751.	मनीपुर के कर्मचारियों को विशेष प्रतिकर भत्ता	Grant of Special Compensatory Allowance to Manipur Government employees	111
6752.	मनीपुर के लिए राज्य का दर्जा	Statehood for Manipur.	111-112
6753.	मनीपुर के स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रम	Pay scales in Manipur schools	112
6754.	भारत में चार खंडों का बनाया जाना	Formation of Four Zones in India.	112
6755.	भ्रष्टाचार और अनैतिकता के उन्मूलन का अभियान	Campaign to eradicate corruption and immorality	112-113
6756.	अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी की प्रगति	Progress of Hindi in non-Hindi States	113
6757.	प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा	Education in Primary Schools	113-114
6758.	होटल और मोटल	Hotels and Motels	114
6759.	मध्य प्रदेश सीमा पर गिरफ्तारियाँ	Arrests on M. P. border	114
6760.	मध्य प्रदेश के प्रति केन्द्रीय सरकार का असहयोगपूर्ण रवैया	Non-co-operative attitude of Centre towards Madhya Pradesh	114-115
6761.	मध्य प्रदेश को सांस्कृतिक विकास के लिये अनुदान	Grant to Madhya Pradesh for Cultural Development	115
6762.	मध्य प्रदेश में पर्यटक सुविधायें	Tourist facilities in Madhya Pradesh	115-116
6763.	हिमाचल प्रदेश को दिये गये अनुदान तथा ऋण	Grants and loans given to Himachal Pradesh	116
6764.	पश्चिमी बंगाल में मध्यावधि चुनाव	Mid-term elections in West Bengal	116-117

अता० प्र० संख्या U. S. Q. NOS. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
6765. एयर इण्डिया के अधिकारियों का विदेशों को भेजा जाना	Posting of Air India officers abroad	117
6766. गुजरात और बड़ौदा विश्व-विद्यालयों को अनुदान	Grants to Gujrat and Baroda Universities	118
6767. 1962 के आम चुनावों में बिहार तथा पश्चिम बंगाल की विधान सभाओं के लिये ईसाइयों का निर्वाचन	Election of Christians to Bihar and West Bengal Legislative Assembly in 1962 General Elections	118-119
6768. बिहार सिविल सेवा तथा कनिष्ट सिविल सेवा में आदिम जातियों के व्यक्ति	Tribes in Bihar Civil Servies and Junior Civil Services	119
6769. छिपे नागा विद्रोहियों की केन्द्रीय सेवाओं की प्रथम श्रेणी में भर्ती	Recruitment of Naga Underground Hostiles to Class I Central Services	119-120
6770. दिल्ली में विषाक्त शराब के मामले	Liquor Poisoning Cases in Delhi	120
6771. सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का अपनाया जाना	Adoption of Hindi in Government Offices	120
6772. ईसाई धर्म प्रचारकों की भारत विरोधी कार्यवाहियाँ	Anti-Indian Activities of Christian Missionaries	120-121
6773. दिल्ली में अनधिकृत निर्माण सम्बन्धी फाइलें	Files Regarding Unauthorised Construction in Delhi	121
6774. साम्यवादी देशों द्वारा दिया गया धन	Funds Provided by Communist Countries	121
6775. सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति और सेवा में वृद्धि	Re-Employmnt and Extension of Service of Retiring Officers	121-122
6776. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	Council of Scientific and Industrial Research	122
6777. अनुसंधान एवं सामाजिक विज्ञान परिषद्	Council ForResearch and Social Sciences	122-123
6778. उद्योगों में ईंधन व्यवस्था	Fuel Practices in Industries	123

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. NoS.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6779.	वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावलि आयोग	Commisson for Scentific and Technical Terminology	123-124
6780.	बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये त्रिपुरा सरकार का अनुरोध	Tripura request for Flood Relief	124
6781.	पश्चिम बंगाल में बर्दवान विश्वविद्यालय का बंद होना	Closure of Burdwan University in West Bengal	124-125
6782.	दिल्ली के लिये नया विश्वविद्यालय	New University for Delhi	125
6783.	साक्षरता अभियान	Literacy Campaign	125-126
6784.	भारत में विदेशी धर्मप्रचारकों का बसना	Settling of Foreign Missionaries in India	126
6785.	दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति का पीटा जाना	Beating up of man at Delhi Railway Station	126-127
6786.	कारनिकोबार द्वीपसमूहों के लिये आदिवासी पास	Tribal Pass for Car-Nicobar Group of Islands	127
6787.	सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Road Transport	127
6788.	राँची में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में प्रतिवेदन	Report on Ranchi Riots	128
6789.	भारतीय ऐतिहासिक अध्ययन संस्था	Indian Institute of Historical Studies	128
6790.	बिहार में विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये आयोग	Commission for University Education in Bihar	128-129
6791.	बिहार में 'खान डिप्लोमा' के विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल	Strike by Mining Diploma students in Bihar	129-130
6792.	तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद्	All India Council for Technical Education	130
6793.	इंडियन एयर लाइन्स और एयर इन्डिया के स्नातक इंजीनियरों के वेतन-मान	Pay Scales of Graduate Engineers of I. A. C. and A. I.	130-131
6794.	एयर इन्डिया द्वारा इंजीनियरों की भर्ती	Recruitment of Engineers by Air India	131

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6795.	दक्षिण में गोवर्धन के निकट खुदाई	Excavation near Goverdhan in South	131-132
6796.	दिल्ली के निकट यमुना नदी में पुश्तों (स्पर) का बह जाना	Washing away of Spurs in Jamuna River near Delhi	132
6797.	कारनिकोबार में सरकारी रसद भंडार	Government Supply Store, Car-Nicobar	132-133
6798.	बांदा के जिला अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Compliants against District authorities of Banda	133
6799.	सरदार पटेल स्मारक निधि का दुरुपयोग	Misuse from Sadar Patel Memorial Fund	133-134
6800.	कच्छ तट पर पाकिस्तानी नौकाओं का पकड़ा जाना	Seizure of Pak Vessels on Kutch Coast	134
6801.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा प्रचार	Publicity by Indian Airlines Corporation	134-135
6802.	राजधानी में स्वतंत्रता दिवस समारोह	Independence Day Celeberations in the Capital	135-136
6803.	एशियाई प्रदेश विज्ञान योजना	Asian Regional Science Scheme	136
6804.	अन्तर्देशीय जल परिवहन	Inland Water Transport	136
6805.	साम्प्रदायिकता फैलाने वाले लेख	Communal Writings	136-137
6806.	अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इंजीनियरी पाठ्यक्रम में दाखिले में कमी करना	Reduction in Admission to Engineering Course in Aligarh University	137-138
6807.	नया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम	New Aligarh Muslim University Act	138
6808.	गैर-हिन्दी भाषा भाषी राज्यों के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियाँ	Scholarship for Students of Non-Hindi Speaking States	138
6809.	अगरपुरा में बम विस्फोट	Bomb Brust at Agarpura	139
6810.	मद्रास नगर पुलिस द्वारा चुराई गई वस्तुओं का पकड़ा जाना	Recovery of stolen Articles by Madras City Police	139

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6811.	नई दिल्ली में वैस्टर्न एक्सटेंशन एरिया, करोलबाग में गोली चलाया जाना	Firing of Shots in Western Extension Area, Karol Bagh (New Delhi)	139-140
6812.	केरल से नारियल जटा से बनी वस्तुओं के लाने ले जाने के लिये जहाजों में स्थान	Shipping Space for moving Coir Goods from Kerala.	140
6813.	लाइबीरिया का जहाज	Liberian Ship	140
6814.	राजस्थान में सड़कों के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Roads in Rajasthan	140-141
6815.	पश्चिम बंगाल से प्रतिनियुक्ति पर त्रिपुरा को कर्मचारी	Deputationists from West Bengal to Tripura	141
6816.	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन में विमान चालकों की कमी	Shortage of Pilots in I. A. C.	141
6817.	दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लेक्चरार	Sheduled Castes and Scheduled Tribes Lecturers in Delhi University	142
6818.	असैनिक विमान चालकों के सेवा निवृत्ति सम्बन्धी नियम	Rules for Retirement of Civil Pilots	142-143
6819.	इण्डियन एसोसियेशन फार कल्टीवेशन आफ साइंस के कर्मचारियों में असंतोष	Discontentment among Employees of Indian Association for Cultivation of Science	143-144
6820.	शर्मा इन्टर कालिज, बुलन्दशहर के प्रिन्सिपल के विरुद्ध शिकायतें	Complaints Against Principal of Sharma Inter College, Bulandshahar	144-145
6821.	राष्ट्रीय राजपथ	National Highways	145-146
6823.	सब्जी मंडी, दिल्ली में नया थाना	New Police Station in Subzi Mandi, Delhi	146
6824.	इन्द्रा मार्किट, दिल्ली में ट्रकों का खड़ा किया जाना	Parking of Truks in Indira Market, Delhi	146
6825.	राजधानी में माओ की लाल पुस्तक का प्रवेश	Infiltration of Mao'sRed Book in the Capital	147

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6826.	काश्मीर में आन्तरिक विद्रोह पैदा करने के लिये पाकिस्तानी तैयारियां	Pak. Preparations for Creating an Internal Insurrection in Kashmir	147
6827.	अन्दमान प्रशासन द्वारा वस्तुओं का खरीदा जाना	Purchase of Goods by Andaman Administration	147-148
6828.	'स्टेट आफ बाम्बे' द्वारा यात्रियों को उतारने में विलम्ब	Delay in Disembarkment of Passengers by 'State of Bombay'	148
6829.	अन्दमान के अधिकारियों द्वारा बेची गई कारें	Cars sold by Andaman Officers	148-149
6830.	अन्दमान द्वीपों में बसे लोगों के लिये अन्यत्र भूमि	Alternate Land for Settlers in Andamans	149-150
6831.	भ्रष्ट आचरण के द्वारा निर्वाचित विधायकों का ऊँचे पदों पर होना	Legislators Elected with Corrupt Practices Holding High Offices	150
6832.	भूतपूर्व रियासतों की राजधानियों में औद्योगिक विकास	Industrial Development in Capitals of Former States	150-151
6833.	दिल्ली पोलीटेक्निक के विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल	Strike by Delhi Polytechnic Students	151
6834.	दिल्ली पोलीटेक्निक	Delhi Polytechnic	151-152
6835.	दिल्ली पोलिटेक्निक के लिये दिल्ली के एक व्यापारी से इस्पात खरीदा जाना	Purchase of Steel for Delhi Polytechnic from a Trader in Delhi	152
6836.	दिल्ली पोलीटेक्निक में कीमती मशीनों को जंग लगना	Rusting of Valuable Machines in Delhi Polytechnics	152
6837.	चण्डीगढ़ में अध्यापकों के वेतन क्रमों में पुनरीक्षण	Revision of Pay-Scale of Teachers in Chandigarh.	152-153
6838.	चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में पदों की वर्गोन्नति	Posts Upgraded in Chandigarh Union Territory Administration	153
6839.	संघ राज्य-क्षेत्रों की भाषा	Language of Union Territories	153

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6840.	सरकारी कर्मचारियों के लिये कल्याण योजनायें	Welfare Schemes for Government Employees	154
6841.	हिन्द महासागर अनुसंधान संस्था को गोआ ले जाना	Shifting of Indian Oceanic Research Institute to Goa	154
6842.	केरल के तटवर्ती क्षेत्र में सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन	Road and Inland Water Transport in Coastal Area of Kerala	154
6843.	एयर फ्रांस द्वारा अन्तर्देशीय उड़ानें	Air France to run Internal Flights	155
6844.	कृत्रिम वर्षा करने का प्रयोग	Artificial Rain-making experiments	155-156
6845.	दिल्ली के 'विश्व-नेता साप्ताहिक में नेताओं पर लगाये गए आरोप	Allegations against Leaders in 'Vishva-Neta', Delhi	156
6846.	मुंगेर (बिहार) में विंद दियार गाँवों के बारे में विवाद	Dispute regarding villages of Vinda Diyara, Monghyr (Bihar)	156-157
6847.	उड़ीसा में हिन्दी की पुस्तकों का वितरण	Distribution of Hindi Books in Orissa	157
6848.	हिन्दी, संस्कृत तथा उड़िया भाषाओं के लिये सहायता	Assistance to Hindi, Sanskrit and Oriya	157
6849.	मद्रास फ्लाइंग क्लब	Madras Flying Club	158
6850.	मद्रास फ्लाइंग क्लब	Madras Flying Club	158-159
6851.	दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियाँ	Satues of National Leaders in Delhi	159
6852.	उत्तर प्रदेश क्रिकेट बोर्ड	Uttar Pradesh Cricket Board	159
6853.	इंण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के लिये विमान	Aircraft for I. A. C.	159-160
6854.	ओरोबिम्ल टाउनशिप	Auroville Township	160-161
6855.	उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सड़कें	Roads in Meerut District (U.P.)	161
6856.	साधन-एवं योग्यता छात्रवृत्तियाँ	Means-cum-Merit Scholarship	161

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6857. स्थानीय निकायों के डाक्टरों को भारतीय डाक्टरी चिकित्सा सेवाओं में शामिल करना	Inclusion of Doctors of Local Bodies ia Indian Medical Health Services	161-162
6858. कास्टेशिया	Castasia	162
6859. चंडीगढ़ में कालेजों के अध्यापक	College Techers in Chandigarh	162
6860. हिन्दी टा पराइटर	Hindi Typewriters	162-163
6861. सरकारी, गैर-सरकारी तथा पब्लिक स्कूलों में उप-समानता	Inequality in Government, Private and Public Schools	163
6862. बिहार सूचना सेवा तथा बिहार भवन नई दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारियों की शिकायतें	Grievances of Employees working in Bihar Information Centre and Bihar Bhavan at New Delhi	163-164
अतारांकित प्रश्न संख्या 1036 के दिनांक 27 जुलाई, 1968 के उत्तर में शुद्धि	Correction to auswer given to U.S.Q. No. 1036 dated 26-7-'68.	164
अतारांकित प्रश्न संख्या 4781 दिनांक 18दिसम्बर 1967 के उत्तर में शुद्धि	Correction to answer given to U.S.Q. No. 4781 dated 18-12-67.	165
नियम 377 के अन्तर्गत विषय	Matter Under Rule 377	165-168
सदस्यों तथा मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	Personal explanations by Members and Minister	168-169
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	169-172
संसदीय समितियों के कार्यवाही सारांश	Parliamentary Committees, Minutes	173
(1) नियम समिति	(i) Rules Committee	
(2) गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	(2) Committee on Private Members Bills and Resolutione	
तारांकित प्रश्न संख्या 361 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S.Q. No. 361 re.sale of spare engines	173-175

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
मद्रास राज्य (नाम परिवर्तन) विधेयक-पुरःस्थापित	Madras State (Alteration of Name) Bill—Introduced	175
सभा का कार्य	Business of the House	175
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचि आदिम जातियों की कल्याण समित के बारे में प्रस्ताव संशोधित रूप में पारित किया गया	Motion re. committee on welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—Adopted, as amended	176-188
डा० राम सुभग सिंह	Dr. Ram Subhag Singh	
श्री रा० ढो० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	
श्री सूरज भान	Shri Suraj Bhan	
श्री रंगा	Shri Ranga	
श्री सिद्दया	Shri Siddayya	
श्री प्र० रं० ठाकुर	Shri P. R. Thakur	
श्री देवराव पाटिल	Shri Deorao Patil.	
श्री मयावन	Shri Mayavan	
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	
श्री जागुश्वर यादव	Shri Jageshwar Yadav	
श्री कार्तिक उराँव	Shri Kartik Oraon	
श्री मोलहू प्रसाद	Shri Molahu Prasad	
श्री बे० ना० कुरील	Shri B. N. Kureel	
श्री दिन्कर देसाई	Shri Dinker Desai	
श्री चक्रपाणी	Shri C. K. Chakrapani	
श्री रामजी राम	Shri Ramji Ram	
श्री शंकरानन्द	Shri B. Shankaranand	
श्री बूटा सिंह	Shri Buta Singh	
श्री काम्बले	Shri Kamble	
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon	
केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांगों के बारे मे प्रस्ताव स्वीकृत	Motion re. Demands of Central Government Employees—Negatived	188-202
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	
श्री श्री डाँगे	Shri S. A. Dange	
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	
श्री सेझियान	Shri Sezhiyan	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री उमानाथ	Shri Umanath	

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
श्री एस० एम जोशी	Shri S. M. Joshi	
श्री अ० सि० सहगल	Shri A. S. Saigal	
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	
श्री सेक्वीरा	Shri Erasmo de Sequeira	
श्री म० ला० सोंधी	Shri M. L. Sondhi	
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	
गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	202
छतीसवां तथा सैंतीसवां	Thirty-sixth andthirty-seventh Reports	
प्रतिवेदन चैकोस्लोवाकिया में आन्दोलन के बारे में संकल्प स्वीकृत	Resolution re. Movement in Czechoslovakia—Adopted	203-211
श्री अशोक मेहता	Shri soka Mehta	
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K.Somani	
श्री शशि भूषण	Shri Shahshi Bhushan	
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	
श्री महाराज सिंह भारती	Shri Mahraj Singh Bharati	
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary	
श्री ब० रा० भगत	Shri B. R. Bhagat	
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	
जम्मू तथा काश्मीर की स्थिति के बारे में संकल्प	Resolution re. Status of Jammu and Kashmir	211
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	
आसाम राज्य के पुनर्गठन के बारे में	Re. Reorganisation of Assam State	212
आधे घंटे की चर्चा के बारे में	Re. Half-an-Hour Discussion	212

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 30 अगस्त, 1968/8 भाद्र, 1890 (शक)
Friday, August 30, 1968/ Bhadra 8, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DY.SPEAKER *in the chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

स्कूलों से सम्बद्ध फार्म

*782. **श्री लोबो प्रभु**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास स्कूलों से सम्बन्ध फार्मों की योजना के बारे में क्या जानकारी है;

(ख) यदि उनकी प्रगति धीमी रही है, तो क्या सरकार अपने खर्च को निकालने के बाद उन अध्यापकों और विद्यार्थियों को, जिन्होंने इन फार्मों पर काफी काम किया है, उपज देने के बारे में विचार करेगी; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह निदेश देने का है कि अध्यापक उपलब्ध रिक्त भूमि का चयन कर लें जिसे कि अधिकारीगण बिना किसी विलम्ब के देंगे?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) से (ग): सही जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

श्री लोबो प्रभु: इससे पूर्व कि मैं मंत्री और मंत्रालय के बारे में कुछ पूछूँ, क्या मैं सभा की ओर से आपको आज अध्यक्ष-पीठ ग्रहण करने के लिये बधाई दे सकता हूँ? क्या मैं व्यक्तिगत रूप से यह कह सकता हूँ कि आपने दोनों पक्षों के मध्य सदैव ही समतापूर्ण संतुलन बनाये रखा है बल्कि विपक्ष को अधिक अवसर दिये हैं?

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप प्रश्न पूछिये।

श्री स० मो० बनर्जी: मेरा सुझाव है कि प्रश्न के इस भाग के लिये उत्तर देने की मंत्री महोदय को आवश्यकता नहीं है।

श्री लोबो प्रभु: इस प्रश्न के लिये जो उत्तर दिया गया है वह वरेण्य है कि इस मंत्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है जो कि कृषि के क्षेत्र में कार्यानुभव के बारे में काफी शिक्षण दे रहा है। मंत्री महोदय जो कि शिक्षा आयोग के एक सदस्य थे, ने कार्यानुभव को हमारी प्रारम्भिक शिक्षा का आधार मानने की जोरदार सिफारिश की थी। मंत्री महोदय को ज्ञात है अथवा ज्ञात होगा कि वर्तमान कार्यानुभव कताई के कार्य से सम्बन्धित था। मैं कह सकता हूँ कि सूत की कताई आजकल केवल कांग्रेसी व्यक्तियों का ही कार्य है। उसका लोगों के जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसका अधिक लाभ भी नहीं है। कृषि का सम्बन्ध हमारे 66 प्रतिशत लोगों से है।

मेरा पहला प्रश्न है कि क्या सरकार कताई को छोड़ कृषि कार्य की ओर ध्यान देने पर विचार करेगी जो कि यदि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं तो शिक्षा के लिये प्रबल कार्य-आधार है; क्या सरकार सारे भारत के लिये कोई पाठ्य पुस्तकें प्रदान करेगी ताकि हमारी उदय होती नई पीढ़ी कृषि-कार्य से भली प्रकार परिचित हो जाये?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): यह प्रश्न स्कूलों से संलग्न कृषि फार्मों से सम्बन्धित सरकारी जानकारी से सम्बन्ध रखता है। मेरे माननीय मित्र ने ठीक कहा है कि अब तक कार्यानुभव का अर्थ प्रायः कताई और बुनाई ही रहा है। हमने सारी समस्या का अध्ययन किया है। प्रथम प्रश्न के बारे में कि कितने स्कूलों के साथ फारम संलग्न हैं, हमने खाद्य व कृषि मंत्रालय, राज्य सरकारों तथा केन्द्र-प्रशासित प्रदेशों से पूछा था कि कितने स्कूलों के साथ फारम संलग्न हैं। मेरे सहयोगी ने उत्तर दिया है कि अभी तक हमें राज्यों तथा विभिन्न संस्थाओं से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। मेरे विचार से यह ठीक है।

मैं अपने माननीय मित्र से सहमत हूँ कि शिक्षा आयोग में, जिसने कि सारी समस्या का अध्ययन किया था, हमने यह आवश्यक समझा था कि माध्यमिक शिक्षको व्यवसायिक बना दिया जाये तथा विशेषकर स्कूलों में कार्यानुभव प्रणाली चालू की जाये; ग्रामों में स्थित स्कूलों में हम फारम बनाना चाहते थे तथा स्थिति अनुसार जहाँ भी सम्भव हो अन्य प्रकार के कार्यानुभव की पद्धति भी वहाँ की बस्तियों में चलाना चाहते थे। सभी राज्य-सरकारों की सलाह से हम इस कार्यक्रम को चौथी पंचवर्षीय योजना में भी शामिल करना चाहते हैं। मेरे विचार से माननीय सदस्य को इससे संतोष होगा।

श्री लोबो प्रभु: मैं संतुष्ट नहीं हूँ। परन्तु मैं अगला प्रश्न लेता हूँ। शिक्षा में मेरी अत्यधिक रुचि होने के नाते, मैं केन्द्रीय सलाहकार मंडल का सदस्य हूँ तथा शिक्षा के लिये सचिव था--- स्कूलों से सम्बद्ध फारमों की असफलता के बारे में मैंने स्वयं कुछ जानकारी प्राप्त की है। एक कारण तो यह है कि कृषि एक खर्च वाला व्यवसाय है जिसके लिये धन, सिंचाई, कुयें, बिजली तथा अनेक ऐसी चीजों की आवश्यकता होती है जो कि अध्यापकगण प्रदान नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में, मैं सुझाव दूंगा कि मंत्रालय यह पता लगाये कि क्या वे लोग किसी अच्छे किसान के साथ साझेदारी नहीं कर सकते तथा उसके फारम को शिक्षार्थियों के प्रशिक्षण व पथ-प्रदर्शन के उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं कर सकते?

मैं यह भी कहूँगा कि आप अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की इन फारमों की उपलब्धियों में रुचि उत्पन्न करें। कुछ भी हो, मनुष्य की प्रवृत्ति है, कुछ निजी हित भी पैदा किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में, मैं कहना चाहूँगा कि पश्चिम अफ्रीका में प्रायः सभी स्कूलों में फारम हैं तथा आत्म-निर्भर हैं। अतः मैं मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा तथा उनसे सहमति चाहूँगा कि ये विचार विभिन्न राज्यों के समक्ष रखे जायें तथा यह तथ्य बताया जाये कि उन्होंने स्कूलों के फारम जोड़ने के बारे में अभी तक कुछ नहीं किया है।

डा० त्रिगुण सेन : मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूँ। वह केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं। हम अक्तूबर मास में मिल रहे हैं तथा इस पहलू पर विचार करेंगे। हमने आपस में इस पर विचार-विमर्श कर लिया है। सभी स्कूलों के लिये फारमी भूमि प्राप्त करना सम्भव नहीं है, क्योंकि खेल के मैदानों, स्कूल भवन आदि तक के लिये भी पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं है। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि हम अध्यापकों तथ विद्यार्थियों पर आस-पास के खेतों में काम करने पर जोर दें। हम इस बारे में भी विचार कर रहे हैं। मैं उनके सुझाव से पूरी तरह सहमत हूँ।

श्री हनुमन्तय्या : क्या सरकार को मालूम है कि मैसूर राज्य में वर्षा 1953 तथा 1954 में विद्यादान तथा भूदान आन्दोलन के नाम में यह प्रणाली सोची तथा लागू की गई थी?

डा० त्रिगुण सेन : जी हाँ। मुझे मालूम है। मैंने इस बारे में पूछ-ताछ की थी। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या सभी स्कूलों के साथ फारम बनाये जा सकते हैं। यह सम्भव नहीं है। कई राज्यों में इसे मार्गदर्शी प्रायोजन के रूप में लिया गया है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : क्या मंत्री महोदय तथा श्री लोबो प्रभु का यही विचार है कि देश में युवक विद्यार्थियों के भाग्य में सदैव केवल कृषक बनना ही लिख दिया जाये? क्या मैं जान सकता हूँ कि जो बच्चे मुश्किल से केवल 14 या 15 वर्ष की आयु के ही हैं, या उनके लिये कृषि शिक्षा उचित रहेगी? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सत्य नहीं है कि जिन प्रारम्भिक स्कूलों में कताई भी आरम्भ की गई है अधिक आधारभूत शिक्षा कताई से अधिक पाक-शास्त्र तथा बर्तन धोने की दी गई थी।

डा० त्रिगुण सेन : इस प्रश्न का उत्तर मेरे मित्र श्री लोबो प्रभु दे चुके हैं।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : यही हो रहा है।

डा० त्रिगुण सेन : हम जानते हैं। हम उसे बदलना चाहते हैं।

Shri Om Prakash Tyagi : May I know whether the hon. Minister is aware that the students and graduates of agriculture Colleges do not do agriculture in villages but want to have some other employment? If it has been enquired, I want to know the discrepancy in the education which does not allow them to be attracted towards doing agriculture and that they want to have employment? What steps have been taken or propose to be taken to remove those reasons?

डा० त्रिगुण सेन : पहले तो माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि कृषि शिक्षा का कार्य खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के हाथ में है। परन्तु मैं मानता हूँ; शिक्षा

आयोग का डाक सदस्य होने के नाते, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश कृषि कालेजों में मैं गया जहाँ कि 40 से अधिक कालेज हैं तथा इन कालेजों से जो स्नातक निकलते हैं वे खेतों में काम करना नहीं चाहते बल्कि दफ्तरों में कुर्सी पर बैठकर नौकरी करना चाहते हैं। हमने इस बारे में काफी विचार-विमर्श किया और खाद्य तथा कृषि मंत्रालय को इस बारे में इस विचार से सूचित किया कि कृषि विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में कृषि शिक्षा की सारी प्रणाली का ही पुनर्गठन किया जाये।

श्री सोनवने: इस मंत्रालय के क्या सुझाव हैं?

डा० त्रिगुण सेन: मैं मंत्रालय के नहीं बल्कि शिक्षा आयोग के सुझावों के बारे में कह रहा हूँ। इसकी रिपोर्ट में कृषि शिक्षा के लिये एक अलग अध्याय है। मैं उनका ध्यान इसी की ओर आकर्षित करता हूँ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार: विशेषकर मुफस्सिल स्कूलों में शिक्षा का सुझाव कृषि की ओर करने के लिये कुछ अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होगी। जब से चौथी योजना का गठन कार्य चल रहा है, क्या मंत्रालय ने योजना आयोग से शिक्षा में कृषि की ओर झुकाव उत्पन्न करने हेतु, चौथी योजना में अतिरिक्त धनराशि का आबंटन करने को कहा है?

डा० त्रिगुण सेन: प्रश्न यह नहीं है कि शिक्षा का झुकाव कृषि की ओर किया जाये, बल्कि प्रश्न यह है कि माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को कार्यानुभव प्रदान किया जाये। कृषि की ओर झुकाव तो उन विद्यार्थियों का किया जायेगा जो कि अधिकतर ग्रामों में स्थित स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं तथा उन्हें वहाँ की बस्ती के अनुसार अन्य धंधे भी दिए जायेंगे।

श्री रा० को० अमीन: मेरे विचार से मंत्री महोदय को ज्ञात है कि जो लोग कृषि संस्थानों में शिक्षा लेते हैं उनमें से अधिकतम, वापस खेतों में कार्य करने नहीं जाते। कम से कम भी अनुमान लगाया जाये तो भी उनमें से 99 प्रतिशत नहीं जाते। अब, इसके साथ ही, पिछले दस वर्षों में, उत्तर प्रदेश में पन्तनगर में कृषि विश्वविद्यालय तथा पंजाब में लुधियाना के कृषि विश्वविद्यालय में ये अनुभव बड़े ही उत्साहवर्द्धक रहे हैं, यदि आरम्भ से ही आप विद्यार्थियों को फार्मों में काम करने पर लगायें। इन संस्थानों की सफलता को देखते हुए, भी हमारे देश के सभी कृषि संस्थानों में यही प्रणाली चलाने में सरकार को क्या कठिनाई होती है, तथा क्या सरकार इस प्रणाली को चलाने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित करेगी ताकि हमारी अर्थ-व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शीघ्रातिशीघ्र हो सके?

डा० त्रिगुण सेन: मेरे माननीय मित्र का प्रश्न स्कूल-शिक्षा से सम्बन्ध नहीं रखता। फिर भी मैं प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ (**व्यवधान**) मुख्य प्रश्न स्कूल स्तर पर कृषि शिक्षा से सम्बन्धित है। परन्तु मेरे माननीय मित्र श्री अमीन द्वारा किया गया प्रश्न स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर कृषि शिक्षा से सम्बन्धित है। उस समस्या पर खाद्य तथा कृषि मंत्रालय विचार करता है जो कि, जसा कि मैंने कहा, कृषि शिक्षा का कार्य संभालता है। उसकी योजना कृषकों की सेवा में वृद्धि करने हेतु प्रत्येक राज्य में एक-एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने की है। यह योजना खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही है।

श्री रा० की० अमीन : क्या इसके लिये कोई समय-सीमा निर्धारित करने की जायेगी ताकि यह कार्य जल्दी से जल्दी हो सके ?

डा० त्रिगुण सेन : उन्हें **खाद्य तथा कृषि** मंत्रालय से मालूम करना होगा।

श्री रणधीर सिंह : मेरे मित्र श्री लोबो प्रभु द्वारा एक अत्यन्त सुन्दर प्रश्न किया गया है। मेरा प्रश्न यह है कि यह देखते हुए कि प्रत्येक ग्राम्य इकाई तथा पंचायत इकाई में ग्रामीण लोगों तथा पंचायतों की सार्वजनिक भूमि का एक बहुत बड़ा खण्ड उपलब्ध है, क्या सरकार सारे देश के हित को देखते हुए इस बात पर विचार करेगी कि प्रत्येक ग्राम्य इकाई से ग्राम पंचायतों की इस भूमि का कुछ प्रतिशत, उदाहरणार्थ 25–30 प्रतिशत का सरकार अधिग्रहण तथा विकास करे ताकि सबसे आधुनिक तथा नवीनतम् कृषि साधनों का उपयोग किया जा सके जिससे कि कृषकों को कृषि क्षेत्र में शैक्षणिक लाभ हो, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि कृषि की ओर एक स्पष्ट और काफी झुकाव दिखाई देता है क्योंकि काफी संख्या में पढ़े-लिखे विद्यार्थी, स्नातक आदि कृषि तथा खेती करने को उद्यत हो रहे हैं ? कृषि उत्पादन तथा कृषि उत्पादन में और आगे प्रगति करने के लिये क्या सरकार इस सम्बन्ध में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर कोई निश्चित योजना है ताकि देश में अधिक से अधिक खाद्य उत्पादन हो तथा, इसके अतिरिक्त बेरोजगारी कम की जा सके तथा विद्यार्थी तथा पढ़े-लिख लोग कृषि को ही अपना प्रथम व्यवसाय बना सकें ?

डा० त्रिगुण सेन : यह एक बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री समर गुह : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या शिक्षा मंत्री जानते हैं कि ग्राम्य तथा नगरीय क्षेत्रों में हमारे 90 प्रतिशत शिक्षा-संस्थानों–स्कूल व कालेजों–में खेल के मैदान तथा मनोरंजन गृह नहीं हैं। मंत्रालय के पास बड़ी संख्या में कार्यक्रम हैं परन्तु विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का यह आधारभूत कारण है जब तक विद्यार्थियों को खेल के मैदान तथा मनोरंजन गृह प्रदान नहीं किए जाते।

डा० त्रिगुण सेन : विद्यार्थियों के मनोरंजनार्थ एक कमरा तो बनाया जा सकता है, परन्तु मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता कि देश में सभी विद्यार्थियों के लिये खेल के मैदान प्रदान कर दिए जायेंगे।

Donations to Political Parties

*783. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the various political parties/leaders are given large amount as donations, particularly during the elections, and neither the accounts of the said amount are maintained nor the names of the persons giving the gifts recorded ;

(b) whether Government are also aware that mainly the black money or the foreign money is given as donations ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to stop the said donations ?

गृह-मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) :

(क) से (ग): कानून के अन्तर्गत सरकार के पास राजनीतिक दलों को दिये गये सभी दानों या इसके सम्बन्ध में रखे गये हिसाब की जांच करने के कोई साधन नहीं हैं। पिछले आम चुनावों में तथा अन्य प्रयोजनों के लिये विदेशी धन के प्रयोग के बारे में गुप्तवार्ता विभाग के प्रतिवेदन की अभी परीक्षा की जा रही है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : In view of role being played by the money in this country, the wise men of the country can, sometimes, feel that our democracy is in danger today. I want to know from the hon. Home Minister that as the Government have set up an all-party Committee of all political leaders and other prominent personalities of the country, to check this political evil-defections whether the Government would appoint a high-powered Committee of such political parties in Parliament, and also of their political leaders and other prominent personalities to check the monetary evils particularly during elections and also to consider ways to check such evils ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह कार्यवाही करने के लिये एक सुझाव है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : The hon-Minister has stated that it is a suggestion for action. Actually, something is necessary to be done in this behalf. It is, however, something else if he does not realise it.

May I know whether Government will ensure that the accounts of money received as donations by different political parties is audited properly and a report thereof published so that it may be known as to how much money is received by each political party ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने कहा है कि इस समय इस सम्बन्ध में कोई कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत यह सब कुछ किया जा सके। इस समय यही कानूनी व्यवस्था है।

श्री प० गोपालन : यह सत्य होते हुए भी कि बाहर के धन प्राप्त होने के बारे में इस सभा में पहले भी कई बार प्रश्न उठ चुका है, तथा ये आश्वासन भी दिए गए थे कि यहाँ राजनैतिक दलों के हाथों में विदेशी धन के आने को रोकने के लिये प्रभावपूर्ण उपाय किए जायेंगे अब भी विदेशी धन राजनैतिक दलों को लगातार प्राप्त हो रहा है और उसे रोका नहीं जा सका है। अभी हाल ही में केरल के मुख्य मंत्री ने यह खेदजनक सूचना दी थी कि केरल कांग्रेस दल के उप-नेता श्री जार्ज थोमस को एक अमरीकी संस्था क्रिश्चन एन्टी-कम्युनिस्ट क्रुसेड की ओर से 50,000 डॉलर की धन-राशि प्राप्त हुई है। यह भी बताया गया था कि श्री जार्ज थोमस..... (**व्यवधान**)। उसका किसी ने भी खण्डन नहीं किया। यहाँ तक कि श्री थोमस ने भी इस सूचना का खण्डन नहीं किया। यह भी रहस्योद्घाटन किया गया कि कांग्रेस दल के नेता श्री जार्ज थोमस किसी अन्य अमरीकी संस्था से वर्ष 1960 से 6,000 डॉलर के मूल्य की धन-राशि प्रतिवर्ष प्राप्त करते आ रहे हैं। यही कारण है कि यह सरकार राजनैतिक दलों के हाथ विदेशी धन के आने को रोकने के लिये कोई उपाय नहीं कर रही है क्योंकि कांग्रेस दल इस विदेशी धन की सबसे बड़ी उपभोक्ता है। अन्त में, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि क्योंकि लगभग एक वर्ष पूर्व गृह-कार्य मंत्री ने सभा को यह विश्वास दिलाया था कि विदेशी धन की आमद के बारे में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो जांच कर रहा है, विशेष रूप से पी० एल० 480 की तरह के धन के बारे में; तो क्या जाँच की गई है तथा वे कौन से दल हैं जो कि इस धन से लाभान्वित हो रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने कुछ आरोपों का हवाला दिया है।

श्री प० गोपालन : ये आरोप नहीं । तथ्य हैं। यह केरल विधान सभा में सिद्ध ो गया है यहाँ तक कि श्री जॉर्ज थोमस ने भी इसका खंडन नहीं किया।

श्री यशवन्तराव चव्हाण: अनेक राजनैतिक दलों के विरुद्ध आरोप के बारे में सरकार अवगत है। (**व्यवधान**) वास्तव में, इन मामलों में, यदि आरोपों पर विश्वास किया जाये—मैं उन पर विश्वास नहीं करता—तो प्राय: प्रत्येक दल ही दोषी मिलेगा तथा एक दूसरे पर पत्थर फेंकना अच्छी बात नहीं।

श्री नम्बियार : यही सही धारणा नहीं है । (**व्यवधान**) :

उपाध्यक्ष महोदय। शान्त-शान्ति । उन्होंने एक तथ्य प्रस्तुत किया है, जोकि वह जानते हैं, कि सभी दल दोषी हैं । (**व्यवधान**) :

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैंने किसी राजनैतिक दल के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्री राजा राम : उन्होंने कहा है कि प्रत्येक राजनैतिक दोषी है । उसकी पार्टी दोषी हो सकती हैं । परन्तु हम दोषी नहीं हैं ।

श्री रंगा : उन्होंने "प्रत्येक दल" नहीं प्रत्युत "प्राय: प्रत्येक दल" कहा है।

श्री राजा राम : हमें तो भारतीय उद्योगपति भी धन नहीं दे रहे हैं, विदेशी उद्योगपतियों की तो बात क्या ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि दलों की ओर से घोषणा ही की जाती है, तो मैं भी अपने दल की ओर से घोषणा कर सकता हूँ कि हम दोषी नहीं हैं। यह कहना बिल्कुल गलत है कि केवल कान्ग्रेस पार्टी ही यह सब कर रही है तथा दूसरे दल नहीं कर रहे हैं। मैं आरोपों के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ : यह उचित समय नहीं है कि मैं भी अपने विचार प्रकट करूँ । मैं यहाँ प्रश्नों के उत्तर में जानकारी देने के लिए हूँ । मैंने कहा है कि हमें इन आरोपों के बारे में मालूम है । एक दूसरे के विरुद्ध भी आरोप लगाए गए हैं। मैं समझता हूँ कि इन आरोपों पर विचार करना अधिक अच्छा नहीं होगा (**व्यवधान**) यदि फिर भी माननीय सदस्य को किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई विशिष्ट जानकारी है तो वह मुझे दे दें और हम उस पर विचार करेंगे । इस समय में इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता ।

श्री एस० कण्डप्पन : वह इस मामले की जाँच करें कि यह सत्य है अथवा नहीं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं जाँच करने को तैयार हूं यदि माननीय सदस्य इन आरोपों की जिम्मेवारी लें । आरोपों पर तभी जाँच हो सकती है जबकि लोग आरोप लगाने की जिम्मेवारी भी लें वरना उन आरोपों पर जाँच नहीं की जा सकती।

माननीय सदस्य ने केन्द्रीय जाँच ब्यूरो की किसी जाँच के बारे में कहा है। यहाँ भी मैं समझता हूँ कि कुछ माननीय सदस्यों को कुछ भ्रम है। केन्द्रीय जांच ब्यरों तथा गुप्त विभाग दो भिन्न संस्थायें हैं। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो पुलिस की जाँच संस्था है। गुप्तचर विभाग एक गुप्तचर संस्था है। भेद कुछ भी हो परन्तु ये दो संस्थायें हैं, कृपया यह बात समझ लें। दूसरे,

गुप्तचर विभाग ने जो भी जाँच की है वह सरकार के विचाराधीन है। मैं कहना चाहूँगा कि अगले सत्र में किसी समय मैं इस बारे में एक वक्तव्य दे सकूंगा।

श्री नन्द कुमार सोमानी : इस निश्चित तथ्य को देखते हुए कि अधिकतर राजनैतिक दलों के पास उपलब्ध धन भारत में पंजीकृत संस्थाओं तथा उन द्वारा प्रदत्त स्रोतों से अन्य स्रोतों से उपलब्ध है; क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार इसे संगत और वांछित समझती है कि भारत के सभी राजनैतिक दलों, उनसे सम्बन्धित सभी कर्मचारी संघों व सहकारिताओं तथा भारत में उनके विभिन्न मित्र संस्थाओं के लेखों की अनिवार्य रूप से परीक्षा की जाये?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : अच्छा, यह एक शैक्षिक सुझाव है। मेरे विचार से, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं भी यहाँ अपना मत प्रकट करने को बाध्य हूँ। सुगठित राजनैतिक दलों के लेखों की इस प्रकार परीक्षा तभी की जा सकती है जबकि वे राजनैतिक दल किसी अधिनियम के अधीन पंजीकृत होने को बाध्य हों। मैं व्यक्तिगत रूप से यह समझता हूँ कि इस प्रकार का कोई कदम उठाना अधिक समझादारी की बात न होगी।

श्री स० कु० तापड़िया : कर्मचारी संघों तथा सहकारिताओं के बारे में क्या विचार है?

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मंत्री महोदय ने कहा है कि इसकी गुप्तचर विभाग जाँच-पड़ताल कर रहा है और मंत्री महोदय के अन्तर्गत विचाराधीन है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इसकी जाँच-पड़ताल गुप्तचर विभाग नहीं कर रहा है परन्तु मैं कर रहा हूँ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यह विदेशी धन राजनीतिक दलों और राजनीतिक व्यक्तियों को कैसे मिला। विदेशी धन को प्राप्त करने के बहुत से साधन हैं, यह रुपयों में मिल सकता है, अथवा उन अखबारों और पत्रिकाओं को समर्थन के रूप में मिल सकता है जो उनकी नीति को इस देश में समर्थन करते हैं अथवा सांस्कृतिक सम्बन्ध द्वारा उनके सब साहित्य को सस्ते मूल्य पर बेचकर और इस प्रकार धन जमाकर राजनीतिक दल के खजाने में दिया जाता है। यह जाँच-पड़ताल कैसे की जा रही है? मैं जान सकता हूँ कि गुप्तचर विभाग अथवा मंत्री महोदय द्वारा नियुक्त की हुई एजेंसी इन सब पहलुओं पर गौर कर रही है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य रिपोर्ट के आधार पर मेरे वक्तव्य को रख रहे हैं मैं वह नहीं कर सकता।

Shri S. M. Joshi : The hon. Minister has just stated that he has got the report of Intelligence Bureau and not of C. B. I. He has also stated that investigation is being carried out for the last many days by him. I agree with all these things. It is correct that it may be delayed. The decision may also be delayed. But I want to know that at least the hon. Minister can say from the report of the Intelligence Bureau the quantum of money received from abroad. We are not asking which party has received it. This may be contained in the report.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जी नहीं; इस समय नहीं, मैं इस समय सूचना नहीं दे सकता।

Shri S. M. Joshi : Mr. Dy. Speaker, I say that it is not a matter of examination. I ask the fact about the money received so that we people may be able to know that we live in Glass Houses, and also to know the size of Glass.

Shri Y. B. Chavan : We are examining the facts. So long the facts are not examined how can we say about it. मैं उसके बारे में नहीं कह सकता ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या वह इसे लाबी में कहने को तैयार हैं ?

श्री नम्बियार : इससे क्या फायदा होगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस समय लाबी में कहने का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : निरन्तर अफवाह और संसद में पूछे जाने वाले विभिन्न प्रश्नों ने लोगों के बीच अविश्वास का वातावरण ही फैलाने में मदद की है। मैं गृह-कार्य मंत्री से जानना चाहती हूँ कि वह कम से कम ऐजेंसियों के नाम तो संसद के सामने रखेंगे जिनके द्वारा यह धन आया है, क्योंकि धन की मात्रा को निर्धारित करने के समान यह बताना भी मुश्किल है कि यह धन, किस दल के पास गया है। निश्चय ही सरकार अपनी एजेंसी द्वारा इसका पता लगा सकती है। क्या मंत्री महोदय कम से कम समय में इसके बारे में बताएँगे ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: मैं कोई भी टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि प्रतिवेदन के जाँच में इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि वे मुझे उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दबाव न डालें।

श्री मनुभाई पटेल : यह सर्वविदित तथ्य है कि कुछ देशों के बड़ी मात्रा में साहित्य हमारे देश में सस्ते मूल्य पर बेचे जा रहे हैं और कुछ राजनीतिक दलों के नाम पर इसको नकदी के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। जब आप अगले सत्र में इस विषय पर वक्तव्य देने जा रहे हैं तो क्या इस विशेष बात को स्पष्ट किया जायेगा कि हमारा देश में कितनी मात्रा में साहित्य आया और किस दल द्वारा इससे कितना धन परिवर्तित किया गया था।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य प्रश्न पूछ रहे हैं और यह चाहते हैं कि मैं उन विषयों पर वक्तव्य दूँ, मैं वचन नहीं दे सकता। मैं प्रतिवेदन की जाँच पर वक्तव्य दूंगा।

श्री क० कृ० नायर : यह मानते हुए कि मंत्री महोदय काँच के मकान में रहने को संतुष्ट हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वह विदेश में निर्माण किए हुए काँच का मकान और स्वदेश में निर्मित काँच के मकान में कोई भेद करेंगे। क्या वह कम से कम ऐसे कदम उठायेंगे जिससे कि विदेशी साधनों से दान का मिलना असम्भव हो जाये क्योंकि उनका ध्येय इस देश के राजनीतिक ढाँचे को बदलना है और राजनीतिक दलों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना है ? यह मानते हुए कि मंत्री महोदय आन्तरिक साधनों से प्राप्त होने वाले दान को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाते तो मैं जानना चाहता हूँ कि वे विदेशी साधनों से आने वाले धन को रोकने को तैयार हैं जिनका ध्येय इस देश के राजनीतिक दलों को पथ-भ्रष्ट करना है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : ठीक ही यही हमारा उद्देश्य और ध्येय है। मैं इस उद्देश्य और ध्येय से सहमत हूँ। विदेशी धन के कार्य को जानने के लिए यह जाँच-कार्य हाथ में लिया गया था।

प्रश्न यह है कि क्या हमारे राजनीतिक जीवन में पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव को दूर किया जा सकता है और हम किस प्रकार ऐसा कर सकते हैं?

अशोक होटल का घूमने वाला बुर्ज

*784. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :** **श्री एस० पी० राममूर्ति :**
श्री मुहम्मद इमाम :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल के घूमने वाले बुर्ज के अग्रेतर निर्माण के बारे में विदेशी विशेषज्ञों से परामर्श किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो ऐसे परामर्श की आवश्यकता किन कारणों से हुई है; और

(ग) इस परामर्श तथा अग्रेतर निर्माण पर कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती जहाँआरा जयपाल सिंह) : (क) और (ख) : जो रिवाल्विंग यंत्र विन्यास जापान से खरीदा जा रहा है उसको सप्लाई करने वाली फर्म के इंजीनियरों की सहायता से उसे स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि यह जापानी फर्म के साथ किए गए (कानट्रेक्ट) समझौते का अंग है।

श्री धीरेन्द्रनाथ देव : नई दिल्ली में एशिया और सुदूर पूर्व के पिछले आर्थिक सम्मेलन से पूर्व यह संकेत किया गया था कि घूमने वाला बुर्ज सम्मेलन से काफी पहले पूर्ण हो जायेगा लेकिन यह पूर्ण नहीं किया जा सका। सभा के भीतर तथा बाहर इस बुर्ज की अत्यधिक लागत तथा इस बुर्ज के निर्माण के निर्णय के तरीके के बारे में बड़ी आलोचना थी। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से भारत सरकार को इस स्तर पर विदेशी विशेषज्ञ से परामर्श करना पड़ रहा है तथा इसका पूर्वानुमान उस समय क्यों नहीं लगाया जा सका जब कि इस घूमने वाले बुर्ज की योजना को अन्तिम रूप दिया गया था ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : जैसा कि उत्तर में बताया गया है किसी भी नए विदेशी विशेषज्ञ से परामर्श नहीं किया जा रहा है। जो जापानी फर्म रिवाल्विंग यंत्र-विन्यास भेजेगा वही अपने इंजीनियरों को भी भेजेगा जब हम इस बुर्ज को यहाँ स्थापित करने के लिए तैयार हो जायेंगे, किसी भी नई विदेशी फर्म से कोई परामर्श नहीं किया गया है।

श्री सु० कु० तापड़िया : हम बाबेल का घूमने वाला बुर्ज बना रहे हैं।

श्री धीरेन्द्रनाथ देव : जापान के साथ इन परामर्शों तथा इस नए निर्माण कार्य में कुल कितनी लागत आयेगी ?

डा० कर्ण सिंह : घूमने वाले बुर्ज में कुल विदेशी मुद्रा लागत 2.27 लाख रुपए की होगी जिसमें वह खर्च भी शामिल है जो यहाँ आने वाले जापानी विशेषज्ञों पर होगा क्योंकि उनको आर्डर दिए जा चुके हैं। वास्तव में उपकरण उनके द्वारा बनाया गया है तथा अब उसको भारत में लाकर स्थापित करना है।

श्री मुहम्मद इमाम : जब अशोक होटल में घूमने वाले बुर्ज की व्यवस्था करने का विचार किया गया था, तो क्या इस बात की जाँच की गयी थी कि इस बुर्ज के निर्माण में कुल कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी तथा क्या यह अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करेगा, इसकी क्षमता कितनी होगी तथा इससे अशोक होटल को कितना लाभ प्राप्त होगा ?

डा० कर्णसिंह : सभा को स्मरण होगा कि यह घूमने वाला बुर्ज अंकटाड सम्मेलन के समक्ष न्यू अशोक अनेक्स (उपभवन) परियोजना का अंग था जो गत वर्ष हुई थी। यह विचार किया गया था कि आवास बहुत अपर्याप्त है तथा दो करोड़ रुपए से अधिक की लागत पर एक नया उपभवन बनाया गया था और इस घूमने वाले बुर्ज को इस नयी परियोजना का अंग समझा गया। जैसा कि आप सबको विदित है कि उपभवन में 150 कमरे हैं। इसमें एक बहुत लम्बा सम्मेलन हाल है जिसमें 2,500 लोग बैठ सकते हैं और जो मेरे विचार से भारत में सबसे बड़ा हाल है। घूमने वाले बुर्ज को भी उस समय इस नई परियोजना का अंग माना गया। विचार यह था, कई बाहर के देशों में ऐसे घूमने वाले बुर्ज हैं और हमने सोचा क्योंकि यह सरकारी क्षेत्र का होटल है इसलिए यह बहुत अच्छा होगा यदि इसमें एक घूमने वाला बुर्ज भी बना दिया जाय।

माननीय सदस्य ने लाभदेयता का प्रश्न भी उठाया है। प्रत्येक मद—सम्मेलन हाल, बुर्ज आदि—के बारे में पृथक-पृथक लाभदेयता का अनुमान लगाना कठिन है किन्तु इस परियोजना को आरम्भ करते समय समग्र रूप से लाभदेयता का ध्यान रखा गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मैं जान सकता हूँ कि :

(क) क्या उनके पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है कि अशोका होटल के प्रबन्ध को अमेरिका के विदेशी प्रबन्धकों को सौंप दिया जाये;

(ख) इस नए सम्मेलन हाल के निर्माण में कितना धन व्यय हुआ है और अब तक इससे कितना लाभ प्राप्त हुआ है ?

डा० कर्ण सिंह : इस प्रबन्ध को किसी विदेशी कम्पनी व विदेशी सहयोगी को सौंपने का प्रश्न नहीं उठता, जैसा कि मैंने पहले बताया है हम न केवल इस होटल के लिए अपितु सरकारी क्षेत्र के दूसरे होटलों के लिए भी विदेशी परामर्श प्राप्त करने की संभावनाओं को खोज रहे हैं, क्योंकि जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि कई महत्वपूर्ण गैर-सरकारी क्षेत्र के होटलों के पास विदेशी विशेषज्ञों को प्राप्त करने की सुविधायें हैं। ये सुविधायें सहयोग के रूप में नहीं हैं और न ही प्रबन्ध संविदा के रूप में है अपितु यह होटल के प्रबन्ध में परामर्श देने के रूप में हैं। और हमने यह महसूस किया कि सरकारी क्षेत्र को क्यों इस सुविधा से वंचित रखा जाय जो कि गैर सरकारी क्षेत्र को सुलभ हैं, हमारी यह इच्छा रही है कि सरकारी क्षेत्र का कार्य गैर-सरकारी क्षेत्र से अधिक नहीं तो उसके जितना अच्छा ही। हम विदेशी परामर्श प्राप्त करने की सम्भावनाओं पर विचार कर रहे हैं, यह अभी प्रारम्भिक अवस्था में हैं, परन्तु इस होटल के प्रबन्ध को किसी विदेशी फर्म अथवा विदेशी कम्पनी को सौंप देने का कोई प्रश्न नहीं है।

जैसा मैंने बताया है कि सम्मेलन हाल सहित नए उपभवन के निर्माण में कुल लागत 2 करोड़ रुपए से अधिक है, मेरे विचार में अभी हमारे लिए यह कहना मुश्किल है कि इससे कितना लाभ हुआ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु: आपको अब तक कितना प्राप्त हुआ है ? आपने इसको कितनी बार बताया है ?

डा० कर्ण सिंह: मेरे पास इसकी सूचना नहीं है। उस रात को एक कव्वाली कार्यक्रम था, मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य वहाँ उपस्थित थे या नहीं, यह बहुत लोकप्रिय था।

श्रीमती सुशीला रोहतगी: क्या सरकार को पता है कि इंगलैण्ड में लंदन में बने हुए रिवाल्विंग टावर पर किया हुआ व्यय एक वर्ष के अन्दर वसूल कर लिया गया था, मैं यह जानना चाहूँगी कि क्या सरकार यह ठीक-ठीक बताने की स्थिति में है कि अशोका होटल के रिवाल्विंग टावर पर कितना व्यय आयेगा और कितने समय के भीतर हम इस धन को वसूल कर सकेंगे ?

डा० कर्ण सिंह: बात दुःख की यह है कि रिवाल्विंग टावर ने अभी घूमना शुरू नहीं किया है। वसूल करने अथवा इसके लाभ का प्रश्न तभी उठ सकता है जब कि यह टावर घूमना शुरू कर दे।

श्री गिरराज शरण सिंह: मंत्री महोदय होटल और नागरिक उड्डयन दोनों के मंत्री हैं। क्या नागरिक उड्डयन की तरफ से उन्होंने होटल वालों से यह शिकायत की कि रिवाल्विंग टावर की सीध पालम हवाई अड्डे की ओर है और इस प्रकार यह नागरिक उड्डयन और असैनिक विमानों के लिए रुकावट है, इस मामले की क्या कार्यवाई की गई है ? (**व्यवधान**)

श्री कर्ण सिंह: इस टावर परियोजना का विचार तब हुआ था जब यह दूसरे मंत्रालय के अधीन था और उन्होंने नागरिक उड्डयन-विभाग से इसके बारे में सलाह ली थी। वास्तव में इसमें देर होने का यह एक कारण है क्योंकि आरम्भ में इस टावर की योजना.....

श्री म० ला० सोधी: यह ठेकेदारों के कारण हुआ था। (**व्यवधान**)

डा० कर्ण सिंह: माननीय सदस्य श्री गिरिराज शरण सिंह ने यह महत्त्वपूर्ण बात उठाई है, शुरू में इसकी ऊँचाई 150 फीट थी। जब यह योजना सौंपी गई तब यह मालूम हुआ कि यह कुछ कम है और शिल्पी दृष्टिकोण से इसको ऊँचा करने में कुछ लाभ होंगे, और 150 फीट की ऊँचाई पर घूमने से केवल हम अशोका होटल की चिमनी ही देख सकेंगे। अतएव यह सोचा गया कि यह कुछ अधिक ऊँचा होना चाहिए ताकि हमें कुछ अच्छे दृश्य दिखाई पड़ें। जब ऊँचाई का प्रश्न उठा तो सफदरगंज की समस्या भी सामने आई जो कि एक रुकावट थी। निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय और नागरिक उड्डयन विभाग के बीच काफी लम्बा पत्र-व्यवहार हुआ था। अन्त में एक समझौते के अधीन इसकी ऊँचाई 227 फीट तक करने का निर्णय किया गया। अतएव जो भी योजना बनाई गई उसमें नागरिक उड्डयन विभाग की पूरी सहमति थी।

श्री फ० गो० सेन: मंत्री महोदय ने बताया है कि रिवाल्विंग टावर ने अभी घूमना शुरू नहीं किया है? क्या वे बता सकते हैं कि यह कार्य कब आरम्भ किया जायेगा और यह कब घूमना शुरू कर देगा?

डा० कर्ण सिंह : मैं इस बात के लिए बड़ा चिन्तित हूँ कि यह टावर यथासम्भव शीघ्र घूमना आरम्भ कर दे। परन्तु इसके पीछे भी एक पृष्ठभूमि है। जैसा कि सदस्यों को मालूम होगा कि सरकारी उपक्रम समिति ने इस नई उपभवन परियोजना के बारे में कुछ टिप्पणी की थी और उन टिप्पणियों के परिणामस्वरूप एक जाँच समिति बिठाई गई थी। उसने 11 सितम्बर को अपना प्रतिवेदन देना है। इसी बीच हम इस टावर परियोजना पर नए सिरे से विचार कर रहे हैं और जब हमको वे दो प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेंगे तो हम उस समय निर्णय लेने की स्थिति में होंगे। मुझे आशा है कि यह 1969 तक घूमना आरम्भ कर देगा।

श्रीस्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करायेंगे कि जापानी तकनीशन और तकनीकी लोगों को तब तक भुगतान नहीं किया जायेगा जब तक कि यह टावर वास्तव में घूमना शुरु नहीं कर देता और यह परियोजना सफल नहीं सिद्ध होती है। क्योंकि साधारणतया भुगतान पहले कर दिया जाता है और काम बनता नहीं है।

डा० कर्ण सिंह : यह जापानी फर्म के प्रति बहुत अन्याय होगा, हमने उन्हें यन्त्र रचना तैयार करने के लिए कहा था। इसका लाभ होना हमारे उत्तरदायित्व पर है न कि जापानियों पर।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मैं तकनीकी सफलता पर बात कर रहा हूँ।

डा० कर्ण सिंह : निश्चय ही; परन्तु उन्हें उपकरणों का निर्माण करके यहाँ भेजना है, हम भुगतान को रोक करके यह आशा नहीं कर सके कि वे लाखों रुपए मूल्य के उपकरणों का निर्माण करके उसे यहाँ भेजें और तब हमारे ठेकेदार उसका निर्माण करें, उससे तो इसके घूमने में वर्षों लग जायेंगे। तब भुगतान को रोकना नितान्त असम्भव है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : जो बहुत से करार किए गए थे उनमें त्रुटियाँ थीं और भुगतान करने के बाद वह चीज काम नहीं करती थी।

श्री वेंगराया नायडू : पहिले ही सरकार ने रिवाल्विंग टावर के निर्माण में लाखों रुपया खर्च कर दिया है। अगर वे देर करेंगे तो यह धन व्यर्थ चला जायेगा। इसके बदले उन्हें भारतीय इंजीनियर से तकनीकी सहायता लेनी चाहिये ताकि वे इसका शीघ्र निर्माण कर सकें। दूसरी बात विदेशी तकनीकी सहायता लेने के सम्बन्ध में है। जब यह पूर्ण हो जायेगा और यह टावर घूमना शुरू कर देगा तो मुझे आशा है कि यह रूसियों की तरह नहीं घूमेगा जैसा कि साम्यवादी लोग यह कर रहे हैं।

श्री नम्बियार : क्या सरकार ने रिवाल्विंग टावर के कार्य आरम्भ होने के बाद इसमें क्रांति लाने की सम्भावना पर विचार किया है। इसको बनाने का क्या तात्पर्य है? क्या इसका उद्देश्य विदेशी अगन्तुकों को आकर्षित करना है अथवा निकट भविष्य में किसी क्रांति का आवाहन करना है।

डा० कर्ण सिंह : माननीय सदस्य क्रांति करने में विशेषज्ञ माने जाते हैं, इसलिए वे इस मामले में सलाह देने की स्थिति में होंगे। वास्तव में बात यह है कि यह रिवाल्विंग टावर पर्यटकों के आकर्षण का एक साधन है परन्तु यह केवल विदेशियों के लिए नहीं है अपितु हमारे अपने लोगों

के लिए भी है। मुझे विश्वास है कि मेरे बहुत से माननीय मित्र इसके पूरा हो जाने के बाद मेरे साथ चाय पीकर इसका घूमना पसन्द करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमें टावर से भूमि में उतर आना चाहिये। अगला प्रश्न !

दिल्ली में बिक्री कर का ढांचा

*785. **श्री सु० कु० तापड़िया : श्री गार्डिलिंगन गौड़ :**

क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में बिक्री-कर की वर्तमान पद्धति में इस आशय का परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है जिससे कि बिक्री के अन्तिम स्थान पर बिक्री-कर लगाने की बजाय-बिक्री-कर बिक्री के प्रथम स्थान पर ही लगाया जा सके;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस योजना को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त आधार पर समस्त देश में समान बिक्री कर प्रणाली लागू करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में लागू की हुई बंगाल वित्तिय (बिक्री-कर) अधिनियम 1941 के धारा 5A के अन्तर्गत उपराज्यपाल को यह बताने का अधिकार है कि वस्तु के बिक्री के किस स्थान में बिक्री-कर लगाया जा सकता है। दिल्ली प्रशासन ने यह बताया है कि वे संघ राज्य क्षेत्र के आय की प्राप्ति के प्रथम स्थान में बिक्री-कर लगाने के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बिक्री-कर राज्य के करारोपण का नियम है। अतएव केन्द्रीय सरकार द्वारा समस्त देश में समान बिक्री-कर लगाने की व्यवस्था बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री सु० कु० तापड़िया: करारोपण विशेषज्ञ और अर्थशास्त्रियों ने यह महसूस किया कि बिक्री-कर प्रथम स्थान पर लगाने से कार्यविधि आसान हो जाएगी और इससे कर की वसूली अच्छी तरह से हो सकेगी और कर से बचने के मौके काफी सीमा तक कम हो जायेंगे, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि उपराज्यपाल को ऐसा करने का अधिकार है और दिल्ली प्रशासन इस पर विचार कर रहा है, चूँकि यह क्षेत्र छोटा है और सम्भवतः दिल्ली प्रशासन क्षेत्र पर इसका परीक्षण किया जा सकता है अगर यह सफल रहा तो सम्भवतः इसे बढ़ाया जा सकता है, क्या मंत्री महोदय बता सकते हैं कि दिल्ली-प्रशासन कब तक इस संबंध में निर्णय लेगा और क्या सरकार उनके शीघ्र निर्णय लेने के कार्य में सहायता करेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : दिल्ली प्रशासन ने वास्तव में सात वस्तुओं के प्रथम स्थान पर बिक्री कर लगाने का प्रयोग किया था परन्तु उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा क्योंकि आय में काफी हानि रही और उन्होंने वस्तुवार हानि का अनुमान लगाया। फिर भी जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रथम स्थान पर बिक्री-कर लगाने का काफी समर्थन है। इसीलिए दिल्ली प्रशासन इस पर विचार कर रहा है कि किस प्रकार उन कमियों और कारणों को दूर किया जाय जिसकी वजह से प्रथम स्थान पर बिक्री-कर लगाने से आय में हानि होती है, यह मेरे लिए कहना मुश्किल होगा कि कब तक इस पर विचार कर लिया जायेगा और कब इस नई प्रणाली पर अमल करना शुरू हो जायेगा।

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Dy. Speaker, Sir, The hon. Minister has just now stated that it is a State subject and it is also correct regarding the Sales-tax that there is a considerable misappopriation in collection, there is corruption and also considerable tax evasion. This happens in every States. At one time Sales-tax was imposed on cloth but the Centre withdrew Sales-tax from everywhere and imposed Excise Duty in accordance with the wishes of States. This has benefitted cloth merchants, purchasers, and the Government. I want to know from the hon. Minister whether the Government has imposed Excise Duty by removing Sales-tax on some more items so that the bribes or some other grievances may be removed.

Shri Vidya Charan Shukla : Whenever any suggestion will be received from the States Government they will be given a sympathetic consideration.

National Integration Council

*787. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : **Shri Bharat Singh Chauhan**:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any directions were issued to various Ministries for implementing the suggestions of the National Integration Council ; and

(b) if so, the steps taken so far and proposed to be taken by the various Ministries in this direction ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (**Shri Vidya Charan Shukla**): (a) The Prime Minister had addressed the Deputy Prime Minister and other Ministers and the Deputy Chairman of the Planning Commission soon after the first meeting of the National Integration Council inviting their attention to the recommendations of the Council with which they were concerned and requesting them to give high priorty to their implementation.

(b) In continuation of the statement laid on the table of the House on the 26th July, 1968 in answer to part (b) of Starred Question No. 131, a revised statement indicating the present position of the action taken on the recommendations is laid on the table. (**Placed in library. See. No. LT—1979/68**)

Shri Bharat Singh Chuhan : Mr. Deputy Speaker, it is my first objection that the statement has only been given in English, a Hindi version of the same should also be given.

Secondly, para two refers that the States have been asked to implement the recommendations. So, I want to know whether you have received any suggestion by the State Governments in this connection and whether they have referred any difficulties in giving it a practical shape.

Shri Vidya Charan Shukla: We have written to the States Governments only few days back, This question has been asked too early. If it is asked in the next session or after some months then most probably we would have been able to inform the reactions and difficulties experienced by them.

Shri Bharat Singh Chauhan : We have not reached at any definition of communalism and the hon. Minister had stated last time that we will have to prepare a dictionary for its definition. So long the definition of communalism is not cleared then how the recommendation of forming the Committee will function. As I have stated that it is useless to form Committee unless a definition is evolved. I want to know the opinion of hon. Minister on this point.

Shri Vidya Charan Shukla. The Committee is not being constituted with a purpose of defining the communalism. The statement is clear that different subjects submitted to the Committee were dismissed. All the State Governments and ministries have been written about it. The Planning Commission has also been informed. The Committee has sent a specific proposal that the law be amended and a Bill for amendment of law was submitted to this House and the House has referred it to the select Committee. The provision regarding to eliminate the poisonous atmosphere created by communalism has been made in it. As such no question of defining the communalism is before the Committee or the House.

Shri mati Laskmi Kanthamma : Mr. Deputy Speaker, it was decided in the National Integration Council.

"साम्प्रदायिक स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए साम्प्रदायिकता पर एक उप-समिति नियुक्त करने का निर्णय किया गया है।"

I want to know whether the Sub-committee has been constituted. If not the time by which it will be set up.

Shri Vidya Charan Shukla : No Sir, it is yet to be constituted.

श्री एस० कन्डप्पन: हमारे विचार में एक बड़ी रुकावट भाषा का प्रश्न है। राष्ट्रीय एकता परिषद के सम्मेलन में भाग लेने वाले हमारे प्रवक्ताओं ने इस विषय पर विचार-विमर्श किया। यद्यपि संविधान में जन्म, वंश, धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव करने की मनाही है, फिर भी दुर्भाग्यवश भाषा के ऊपर भेदभाव करने के बारे में ऐसी मनाही नहीं है। केन्द्रीय प्रशासन में भाषा के ऊपर भेदभाव बहुत किया जाता है। अतएव मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ऐसे क्या ठोस कदम उठा रही है जिससे लोगों को भाषा के ऊपर भेदभाव करने के कारण परेशान न होना पड़े जो कि उनकी जन्म की भाषा है न कि जान-बूझकर ऐसे ही बोली जाती है।

श्री विद्याचरण शुक्ल: जहाँ तक भारत सरकार का सम्बन्ध है इस प्रकार भाषा के ऊपर कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। हमने पिछले अधिवेशन में या इससे पहले इस सभा में यह प्रस्ताव पारित किया था और साथ ही साथ उसमें संशोधन किया गया था जिससे भारत के किसी वर्ग के लोगों की साथ किसी भी प्रकार की भेदभाव की सम्भावना को दूर कर दिया। एक छोटी सी बात पर सन्देह उठा था कि क्या इससे कोई भेदभाव या कठिनाई उठेगी। यह विचाराधीन है और हमें आशा है कि हम यथा शीघ्र इसको सुलझा देंगे।

श्री ई० के० नायनार: जैसा कि यहाँ बताया गया है कि साम्प्रदायिक समस्या और साथ ही साथ भाषा की समस्या नहीं सुलझी है। प्रान्तीयतावाद के प्रश्न पर परिषद ने यह निर्णय किया

है कि सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक समिति या निकाय गठित की जाय। परन्तु मैसूर के मुख्य मंत्री ने खुले रूप से कहा है कि वे इस सुझाव के विरुद्ध हैं। प्रान्तीयता विवादों के प्रति अगर मुख्य मंत्री का यह दृष्टिकोण है तो मैं जान सकता हूं कि वे इस समस्या को कैसे सुलझायेंगे ?

श्री विद्याचरण शुक्ल :—जहाँ तक हम जानते हैं मैसूर के मुख्य मंत्री ने राष्ट्रीय एकता परिषद के सिफारिशों का विरोध नहीं किया है। उन्होंने इसके बारे में कुछ सन्देह व्यक्त किया है। उन्होंने इसका विरोध नहीं किया है।

श्री ई० के० नायनार :—अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने निश्चय ही इसका विरोध किया है। वे चाहते थे कि महाजन आयोग के प्रतिवेदन को लागू किया जाये।

Dr. Govind Dass : Is it not correct that the question of language was considered in that council and whether it is not correct that for the last hundred years it has been regarded in Modern India that one language is necessary for the National integration and accordingly Hindi has been given that place in the Costitution by the constituent assembly.

श्री एस० कन्डप्पन : यह सारा कुछ भ्रांतिजनक है, हमने इसे कभी स्वीकार नहीं किया।

May I know whether any specific plan is under consideration to develop Indian languages along with Hindi and what the Government is doing about the language which has the important place to bring the integerity.

Shri Vidya Charan Shukla : Mr. Deputy Speaker, the question was not discussed at the National Integration Council. But the National points which the hon. Member has raised are attached with our Constitution. Out Constitution is based on that National feelings The place of language in the Constitution is clear to hon. Members and the Indian Government intends to go on according to the Constitutiona position.

Shri Rabi Ray : I agree that the decision of the National Integration Council will not be implemented yet I want to know from the hon.' Minister that Sri Kandappan has asked the question at the time of presenting the Language Bill that some people had felt that discrimination is going on and what the honh. Minister is doing to remove that discremination. My second question is that it was the opinion of the Education Minister that the Public School should be removed and all the children may be sent to Common School but probably the Educaton Minister is reviewing about it and say that the standard of Public School should be raised. But unless the Public Schools. are removed, the feeling of integrity, nationalism and citizenship will not come to the mind of children. What is the opinion of the Government and whether there any decision to close the school or stop the grants ?

Shri Vidya Charan Shukla : I have already stated that there is no discrimination regarding the question of language. Some persons may have to face certain difficulties. We are considering on the way to remove the difficulties and we will try fully. As far as the Public School are concerned, the hon. Education Minister can reply about it.

Shri Rabi Ray : I want to know what is the decision of the Government regarding the closure of the Public Schools and providing grants.

Taking back of Pakistan-occupied area of Kashmir

*788. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the steps being taken by Government for taking back the area of Kashmir occupied by Pakistan forcibly.

(b) whether Government have discussed with the Jammu and Kashmir Government for making Kashmir a part and parcel of India for all purposes by repealing the provisions of Article 370 ; and

(c) if so, the results thereof ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार की यह नीति है कि जम्मू व काश्मीर के उस भाग को, जिस पर पाकिस्तान ने बलपूर्वक तथा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, पुनः प्राप्त करने के लिए शान्तिपूर्ण उपायों का प्रयोग किया जाय।

(ख) और (ग) : जम्मू व काश्मीर राज्य पहले से ही भारत संघ का अविभाज्य अंग है। राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों द्वारा, भारत के संविधान के अधिकाधिक उपबन्धों को जम्मू व काश्मीर पर लागू किया गया है। इस अनुच्छेद को रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

Shri Om Prakash Tyagi : May I know whether the Government of India have made any written protest or have raised any question in the U.N.O. for taking back the area of Jammu and Kashmir, which is about one-half of the whole area, after its illegal occupation by Pakistan and whether it is a fact that many times the Government of India have secretly made proposals to the Pakistan Government for giving to them half of the Kashmir to reconcile with them ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण:—जहाँ तक प्रश्न के पिछले भाग का सम्बन्ध है कभी भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया।

Shri Om Prakash Tyagi : May I know, whether the Government of India have ever made any request in written or direct form to U. N. O. for vacating the aggression, if not, why so?

उपाध्यक्ष महोदय :—मंत्री महोदय इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण :—माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या काश्मीर का आधा भाग पाकिस्तान को सौंपने के बारे में कोई प्रस्ताव किया गया। मैंने उत्तर में कहा था "नहीं।" कभी भी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया गया। जहाँ तक इस सम्बन्ध में सरकार के रवैये का प्रश्न है वह इसे शान्तिपूर्ण तरीकों से हल करना चाहती है।

Shri Om Prakash Tyagi : May I know, whether it is a fact that the Russians made a complaint to Shri N. Sanjiva Reddy, the Speaker of this House, when he visited Russia that the Russians recognised Kashmir as a part of India after her independence, but the Government of India did not integrate Kashmir by repealing the Article 370, then how they (Russians) can help in this matter ? In this context, I want to know whether the Government of India have fixed any time limit to fully integrate Kashmir into India ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय :—अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

कुछ सदस्य खड़े हुए

उपाध्यक्ष महोदय :—बस अब और आगे नहीं। मैं पहले ही दो मिनट अधिक दे चुका हूं।

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Firing by Police in Ballia

S.N.Q. 16. † **Shri Chandrika Prasad** : **Shri Molahu Prasad** :
Shri Kunwar Lal Gupta : **Shri Vishwa Nath Pandey**:
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 8th August, 1968 the police opened fire on the peaceful Jhanda procession of Mahavirji in Ballia ;

(b) the reasons for which the Police resorted to firing and the names of the persons who have been found guilty in this connection ;

(c) the number of persons killed and injured separately, in the said firing ; and

(d) the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Home Affairs (**Shri Y. B. Chavan**) (a) to (d) A statement is placed on the table of the House.

Statement

According to information furnished by the State Government, a customary Mahabiri Jhanda procession was taken out at about 2 p.m. on August 8, 1968. Adequate police and magisterial arrangements had been made to ensure maintenance of law and order. When the procession reached the Bishunipur mosque, the processionists grew violent and resorted to indiscriminate brickbatting at the police and the magistrates on duty. The Sub-Divisional Magistrate, the Deputy Superintendent of Police and a number of policemen received injuries. After repeated warning and a lathi charge had proved ineffective the Sub-Divisional Magistrate ordered firing after giving a warning to the assembly which had been declared illegal. Three rounds were fired. Three persons were injured, of whom one succumbed to his injuries at about mid-night. Thirteen persons were injured in the lathi charge.

The State Government have been advised that a Member of the Board of Revenue should hold an inquiry into the various aspects of the incident.

Shri Chandrika Prasad : A very poor betel-seller has been killed in this firing. His is survived by a child and his wife. I want to know whether any thought has been given to their means of livelihood ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण:—जैसा मैंने बताया जहां तक सहायता अभी देने का सम्बन्ध है हमें स्थानीय प्राधिकारियों से पता करना होगा । मुझे इसके बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

Shri Chandrika Prasad : May I know, whether any paper was distributed in this firing incident to increase the tension between Hindus and Muslims. If so, where that paper was printed and who were behind this distribution of paper ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: माननीय सदस्य तथ्यों की जाँच करने के बारे में मुझसे कह रहे हैं। उन्होंने स्वयं मेरे पास आकर इस मामले में कुछ बड़ी स्तर की जाँच करने के लिए कहा है। मैंने राज्यपाल को लिखा है कि वे राजस्व बोर्ड के किसी वरिष्ठ सदस्य को इस मामले की जाँच करने को कहें। इन सब प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मुझे जाँच प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

Shri Molahu Prasad : This has been stated in this statement that a Member of the Revenue Board has been entrusted with this work of investigation by the State Government. You can well think over it that what investigation will be made by the Member of the Revenue Board in this matter of Police and Magistrate. This has been printed in the 47th issue of "Poorvi Sandesh" of 26th August in relation to this firing incident that :

"Recollections of the old brutalities of the year 1930—firing due to the carelessness on the part of the Superintendent of Police".

On page 4 of this very weekly it has been printed about some other incident that :

"On the night of 15-16 August the cold blooded murder of Ram Kewal Dube, the head of the Hariharpur village, within Police station Haldi, took place nearby the police station."

This happened in the occasion of Janamastmi within the jurisdiction of Haldi Police station. It so happens in all the places of Uttar Pradesh that the Heads of the Police stations collect subscription from the people of the whole area by gathering them together. All the middle men (Dalal) of the policemen go there and the policemen make much money with the help of those middle men. I want to know whether the hon. Minister will give assurance to conduct judicial enquiry into these two incidents.

The second thing is that there is Police Rule in Uttar Pradesh and the condition of that State has become worse. It was printed in the weekly "Vimal" of Monday, 8th July, 1968 that :

"Misdeeds of Police at the D. I. G. level—disorder in the police staff".

After this I want to read out a little from this newspaper :

"After the twenty years of independence the biggest case in the courts of Gorakhpur is the State versus Shri S. N. Sharma, A.D.M.(J) It is quite clear from the facts of the enquiry made by the learned judicial Officer Shri R.K. Gupta as instructed by Allahabad High Court that notorious police officials of that area are feeling that they are the masters by getting this suit admitted in the Law Court ;'

Further it has been said that :—

"Evidence of district judge and district magistrate against the dishonest police offcials of Gorakhpur".

The police have become unruly and are behaving barbarously in the Gorakhpur District since this dispute between Police and Magistracy has started. I would like that there should be judicial enquiry into this affair also so that the matter may be set right and the brutality by the police should end. When in a case A.D. M.(J) of Gorakhpur sentenced six months imprisonment to an Inspector then the matter took such a worst turn that the Magistrate was called by the Policeman and the life of Sri J. N. Sharma fell in danger and he

had to knee before the police, Whether the hon. Minister will conduct a judicial enquiry into it so that the people of Gorakhpur and Ballia may get relief ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रश्न बलिया गोली काण्ड के बारे में है। जैसा मैंने बताया, मैंने राजस्व बोर्ड के एक वरिष्ठ सदस्य को इस मामले की जाँच के लिये कहा है। माननीय सदस्य कुछ दूसरी घटनाओं को भी बीच में ले आए हैं।

Shri Molahu Prasad : The hon. Minister should order a judicial enquiry.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब तक मुझे तथ्यों से अवगत नहीं कराया जायेगा तब तक मैं जाँच करवाने के बारे में आश्वासन कैसे दे सकता हूं क्योंकि आश्वासन देने के बाद कुछ करना पड़ता है।

Shri Kunwar Lal Gupta : Since the President's rule in Uttar Pradesh many incidents of the excesses of police have been brought before the Parliament and these have been in the newspapers as well and it seems that there is Police Raj in Uttar Pradesh. I would like to know from the hon. Minister, because he is also aware of these incidents, whether he has sent any directions to the Governor to set right this Police misbehaviour in the State; if so, what are those and what steps are being taken so that such incidents should not occur in future ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने बिहार और उत्तर प्रदेश के राज्यपालों को विशेष रूप से लिख दिया है। मैंने बिहार और उत्तर प्रदेश से पिछले कुछ सप्ताहों में शिकायतें सुनी हैं। इसलिये, मैंने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को इस विशेष पहलू के बारे में सुझाव देने के लिए तथा इसके सम्बन्ध में उपाय करने के लिए लिख भेजा है।

Shri Vishwa Nath Pandey : The question before the House is a very serious one. This question is not based on casteism or communalism but it is based on law and order The number of Inspector General, Deputy Inspector-General, Superintendents of Police, Deputy Superintendents of Police, Inspectors, Sub-Inspectors, and constables have been increased in Uttar Pradesh but the law and order situation in the State is going from bad to worse, the evident example of which is the Ballia firing incident. In this context, I want to ask that (a) whether the City Kotwal and the Deputy Superintendent Police, Ballia, who took the responsibility to control the procession, will be transferred immediately so that the judicial enquiry can be conducted fairly and those officials should not have any influence over it, and (b) whether the firing was made by the order of D. S. P. or Kotwal or it was fired by some one among the public ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जैसा मैंने बताया, जब तक मुझे जाँच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाती मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता।

Shri Vishwa Nath Pandey : I had asked about the transfer of the police officials. Whether the Kotwal and the D.S. P. will be transferred who were responsible for these incidents and who took the resonsibility to control the procession. Now there is President's rule. So long the Police Officials are there the enquiry cannot be conducted fairly. They will try to put their influence. I want to know whether they will be transferred from there ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण: क्या तबादला करना है ? तबादले के बारे में, मैं वचन नहीं दे सकता।

Shri Jagannath Rao Joshi : After reading the statement laid on the Table it appears that there is something missing. It is written in it :

"कानून तथा व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिस तथा दंडाधिकारी संबंधी व्यवस्था की गई थी। जब जुलूस वाले बिसूनिपुर मस्जिद पहुंचे तो वे उग्र हो गये और ड्यूटी पर पुलिस तथा दंडाधिकारियों पर अन्धाधुन्ध पथराव करने लगे।"

On reaching there the people become violent and resorted to brickbatting at the police and the Magistrates on duty. I fail to understand what was their aim behind it. Why they become furious at the police and Magistrates and why they resorted to brickbatting? So long this is not made clear the actual position cannot be understood.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य को एक बात समझनी चाहिए कि जितनी भी बातें घटी हैं उन सब के लिए मैं साक्षी नहीं हो सकता। लेकिन एक बात निश्चित है कि मैं उन तथ्यों के बारे में एक वक्तव्य दे सकता हूं जो मुझे उपलब्ध हैं। यदि इनके अतिरिक्त भी मुझ से कुछ अपेक्षित किया जाता है तो उसके लिये मुझे जाँच प्रतिवेदन की प्रतीक्षा करनी होगी। उसके बाद ही मैं कुछ और कह सकता हूं। लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि यह सारी बात क्यों आरम्भ हुई।

श्री बलराज मधोक : मंत्री महोदय को कम से कम इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उन्होंने पथराव क्यों किया, क्या उन्होंने यह पथराव अचानक किया ? कुछ अवश्य हुआ होगा जो उनको सभा को बताना चाहिए।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस विषय में कोई निश्चित उत्तर इसलिये नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये जाँच के महत्त्वपूर्ण पहलू हैं। यदि मुझे इसके बारे में इस समय अपना कोई मत बनाना है तो आप मुझे जाँच करवाने के लिये क्यों कह रहे हैं ?

Shri Bibhuti Mishra : The hon. Minister has stated that a senior officer of the Revenue Department has been entrusted with this enquiry. You should see that the officials of the Revenue Department are afraid in complaining against the Police because sometimes they come in contact with the Police. The members of both the sides of the Parliament have no belief on them. The judge is not afraid of Police. I want to know whether this work of investigation will be entrusted to any judge so that there should be an independent enquiry and the people may be contented and you may also get an impartial report ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य के विचारों को समझ रहा हूं। लेकिन मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि मैं विभिन्न प्रकार की कानून और व्यवस्था की घटनाओं में भेद करना चाहता हूं। एक होती हैं साम्प्रदायिक घटनायें और दूसरी गैर-साम्प्रदायिक घटनायें। साम्प्रदायिक घटनाओं में हम चाहते हैं कि प्राधिकारी दृढ़ता से काम लें। इसलिए, मैं एकदम से इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि साम्प्रदायिक किस्म की घटना के बारे में न्यायिक जाँच करवाई जाय। इसलिये, मेरे विचार से यह अधिक अच्छा है कि एक वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जाँच करवाई जाय जो केवल राजस्व अधिकारी मात्र ही नहीं हैं, जैसा कि माननीय सदस्य का विचार है, क्योंकि कई बार उनको पुलिस प्राधिकारियों पर निर्भर होना पड़ता है।

Shri Ram Sewak Yadav : This is a part of our administration.

श्री यशवंतराव चव्हाण : प्रत्येक शासन का अंग है। उस हिसाब से तो जज भी शासन का अंग बन जाता है। आप गलत अर्थ न लगाइए। इसलिये, मैं इस सम्बन्ध में बहुत सावधान होना चाहूंगा।

हमारी वर्तमान नीति यह है कि साम्प्रदायिक घटनाओं के बारे में पुलिस दृढ़ता से सामना करे और यह राष्ट्रीय समस्या भी है। इस मामले में, मैं उस प्रकार औपचारिक रूप से न्यायिक जाँच नहीं करवाना चाहता।

Shri Siv Charan Lal : This much firing by Police was not done even in British rule as has been done under this Government. Firing incidents took place in Gonda, Ballia, Gorakhpur, Bara Banki, Agra, Faizabad etc. This police excesses have crossed the limit. Great atrocities have been done by the Police in the villages of Sophipur and Totalpur. Police have looted the villagers like dacoits. I met the hon. Minister also in this connection.

May I expect that the Superintendent of Police or the Collector will be transferred and an independant enquiry will be conducted ? A fair enquiry cannot be made without the transfer being effected. Therefore, it is necessary to transfer those officials under whose very nose these atrocities took place ;

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता।

Shri Sarjoo Pandey: I went there after two or three days of this incident, I have come to know that many times clashes have taken place at the mosque from where the processsion pass. I had a talk with the District Magistrate also. I have come to know that, the D. M., Ballia, himself is making an enquiry. From the reply of the hon. Minister it appears that some officer of Revenue Department is conducting an enquiry into this matter. Whenever firing takes place there is something behind that, Just the hon. Member stated that some papers were distributed earlier. Many times such clashes have taken place at this spot. I think there should be an enquiry by the Intelligence Bureau in it to know the full facts about it. Only then it can actually be determined. I want to know whether a full investigation will be made through Intelligence Bureau about this incident ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं।

कुछ माननीय सदस्य —खड़े हुए।

उपाध्यक्ष महोदय। हमने इस पर 15 मिनट खर्च कर दिये हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के सदस्यों को अधिक अवसर प्रदान किये हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सत्र न्यायालयों के लिए नियुक्तियां

*781. **श्री देवकी नन्दन पटोदिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि आयोग ने सुझाव दिया है कि सत्र न्यायालय के लिए नियुक्तियाँ राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा की जाये न कि राज्य सरकार द्वारा, जैसा कि इस समय होता है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता में उचित संशोधन करने का विधेयक कब पेश किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) और (ग) : राज्य सरकारों के साथ परामर्श में प्रतिवेदन की परीक्षा करने के बाद सरकार अपनी विचारधारा स्थापित करेगी।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 का कटाव

786. श्री कामेश्वर सिंह : श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान खोगाना सब-डिवीजन में रहीमपुर के निकट राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 से एक मील दूर गंगा नदी द्वारा तेजी से किये जा रहे कटाव की ओर दिलाया गया है।

(ख) यदि हाँ, तो राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) रहीमपुर के निकट मांसी पर गंगा नदी द्वारा किये जा रहे अपने उत्तरी तट का और आगे भूक्षरण को रोकने के लिए उत्तरी-पूर्वी रेलवे ने स्पर के रूप में बचाव निर्माण-कार्य पहले ही निर्माण किये गये हैं। इस परियोजना पर रेलवे, परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय और बिहार सरकार मिल कर खर्च कर रहे हैं। इस वर्ष की बाढ़ से स्परों को कुछ क्षति पहुँची है और आवश्यक मरम्मत रेलवे द्वारा की जा रही है।

***789. श्री मधु लिमये** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र के विकास हेतु वित्त व्यवस्था करने का काम वित्त आयोग को सौंपा जा रहा है।

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त आयोग के अध्यक्ष श्री आर० आर० मोरारका हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्री मोरारका और उनके भाई श्री जी० सी० मोरारका ने बारहखम्बा रोड, नई दिल्ली, पर सिनेमा और होटल बनाने के उद्देश्य से कुछ बंगले खरीदे हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इस क्षेत्र के विकास के लिए वित्त की व्यवस्था करते समय कुछ पक्षपात किये जाने की गुंजाइश है ;

(ङ) क्या यह सच है कि सामान्यतः कोई भी व्यक्ति ऐसी संस्था का अध्यक्ष नहीं बनाया जाता, जिससे उसके व्यक्तिगत हित का सम्बन्ध हो ; और

(च) यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पर किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जाँच आयोग अधिनियम 1952 के अन्तर्गत 29 मार्च, 1965 को एक जाँच आयोग की नियुक्ति की गई थी। अन्य बातों के अतिरिक्त आयोग को दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका के वित्तीय साधनों के बारे में जाँच करने को कहा गया है और यदि इन निकायों के साधन अपर्याप्त हैं तो आयोग को सिफारिश करनी होगी कि क्या इस कमी को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार को और अधिक अनुदान देने चाहिए अथवा इन स्थानीय निकायों के साधनों को बढ़ाया जाना चाहिए।

(ख) जी, हाँ।

(ग) से (च) श्री आर० आर० मोरारका ने बारहखम्बा रोड पर कोई सम्पत्ति नहीं खरीदी है। अपुष्ट समाचारों के अनुसार श्री जी० सी० मोरारका ने नई दिल्ली में कुछ सम्पत्ति खरीदी है, परन्तु 1946 में संयुक्त परिवार के विघटन के बाद दोनों के वित्तीय तथा अन्य हित भिन्न-भिन्न हैं। इसको ध्यान में रखते हुए (घ) से (च) तक के प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

स्वतन्त्र तमिलनाड राज्य

*790. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास की द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की सरकार एक स्वतंत्र तमिलनाड राज्य बनाने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Memorandum from Central Government Employees' Confederation

*791. **Shri Jagannath Rao Joshi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Central Government Employees' Confederation have submitted any memorandum to Government in regard to their pay and dearness allowance ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise.

उच्चन्यायालयों में अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति

*792. **श्री वेगोशंकर शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया है कि वे अपने-अपने उच्च न्यायालय में स्थायी आधार पर अधिक न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ करें, ताकि बढ़ते हुए अनिर्णीत मामलों का निपटारा किया जा सके ;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य सरकारों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) राज्य सरकारों ने अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हाँ, श्रीमान्। केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश तथा मद्रास की राज्य सरकारों को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या पर पुनर्विचार करने एवं जहाँ आवश्यक है उनकी संख्या बढ़ाने के लिये सुझाव भेजने की सलाह दी थी।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों ने सम्बन्धित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या पर पुनर्विचार किया है और फलस्वरूप 1-1-1968 से अब तक इन राज्यों के उच्च न्यायालयों में 25 और अधिक न्यायाधीश नियुक्त किये हैं।

Hindi in Courts

*793. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the steps taken for conducting work of Courts, High Courts and Supreme Court. like arguments, judgments and applications, etc. in Hindi with a view to establish Hindi as national language completely and for the convenience of common people who do not understand English ; and

(b) the extent to which success has been achieved in this respect and date by which the object would be achieved ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) in order to maintain the unified judicial administration of the country, it is necessary that the Supreme Court and the High Courts should have a common language. As at present English is being used in all the High Courts, it is necessary that English should continue to be used in the Supreme Court also. As regards High Courts under Article 348 (2) read with section 7 of the Official Languages Act, 1963, the Governor of a State may, with the previous consent of the President, authorise the use of Hindi or the official language of the State in proceedings in the High Court in that State. The language to be used in the District and Subordinate Courts in a State is solely within the jurisdiction of the State Government and the High Court concerned.

(b) Only in the Allahabad High Court the use of Hindi has been permitted for arguments in Civil and Criminal cases. In the States of Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh Hindi is being largely used for proceedings in the District, Session and subordinates courts, For judgments etc. both Hindi and English are used.

राष्ट्रीय दक्षता (फिटनेस) दल का कार्यक्रम

*794. **श्री दी० चं० शर्मा :** **डा० रानेन सेन :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 वर्ष पुराने राष्ट्रीय दक्षता दल कार्यक्रम को समाप्त करने के केन्द्रीय सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप सात हजार शिक्षकों को, जिनमें दो हजार महिलायें शामिल हैं, उनकी तुरन्त छंटनी किये जाने का खतरा पैदा हो गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्रीय सरकार के इस कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण करने के प्रस्ताव का किन राज्यों ने समर्थन नहीं किया है ; और

(ग) इस कार्यक्रम को चालू रखने तथा शिक्षकों की छंटनी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) राज्यों द्वारा अनुदेशकों के खपाने का मामला विचाराधीन है।

डोडा जिले में कुछ स्थानों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास

*795. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अपने हाल ही के जम्मू तथा काश्मीर के दौरे के दौरान कहा था कि जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजपथ को लोकप्रिय बनाने के लिए जम्मू के डोडा जिले के कुछ स्थानों का पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकास किया जायेगा ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस योजना के लिए पहाड़ों में से जम्मू से डोडा तक 150 मील लम्बी सड़क का निर्माण करना होगा जिस पर बहुत लागत आयेगी ;

(ग) डोडा जिले को पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने पर कितना व्यय किये जाने का विचार है ; और

(घ) सरकार द्वारा जम्मू-श्रीनगर मार्ग पर वर्तमान सुविधाओं में सुधार न करने तथा अधिक डाकबंगले और विश्रामगृह न बनाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) जम्मू के डोडा जिले के अपने हाल के दौरे के दौरान मंत्री महोदय ने कहा था कि उस जिले के रमणीय दृश्यों के क्षेत्रों का पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि डोडा जिले में भदरवाह को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने वाली एक सड़क बनाई जाय। यह सड़क जम्मू से श्रीनगर तक के राष्ट्रीय राजपथ से बिलकुल भिन्न है, और देश के एक भिन्न हिस्से से होकर निकलती है। राष्ट्रीय राजपथ पर डाक बंगलों सहित सुविधाओं में सुधार करने के लिए कदम तो हर हालत में उठाये ही जा रहे हैं। भदरवाह-चम्बा सड़क के निर्माण के

प्रश्न पर इस समय परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में विचार किया जा रहा है, और इसकी वित्तीय व्यवस्थाओं का अभी पूर्णतया परिकलन नहीं किया गया है।

राजनैतिक बन्दी

*796. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजनैतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्त्ताओं को जेलों में राजनैतिक बन्दी नहीं समझा जाता है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण ;

(ग) क्या अनेक राजनैतिक दलों द्वारा सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) अधिकांश राज्यों के जेल नियमों में राजनीतिक बन्दियों के लिए पृथक वर्गीकरण जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। सामान्यतः सभी बन्दियों को उन्हें दोषी ठहराने वाले न्यायालय की सिफारिश पर, जेल में व्यवहार की दृष्टि से दो या तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है।

(ग) केन्द्रीय सरकार को हाल में राजनीतिक दलों से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को वरिष्ठता के आधार पर विशेष वेतन वाले पदों का किया जाना

*797. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार उप-सचिव, निदेशक या ऐसे ही अन्य पद दिये जाते हैं, जिनके लिये विशेष वेतन होता है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का इरादा राज्य सिविल सेवा पर भी इसी नियम को लागू करने की वाँछनीयता पर विचार करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) राज्य सेवायें राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हैं। भारत सरकार यह निर्णय नहीं कर सकती है कि राज्य असैनिक सेवाओं के सदस्यों को राज्य सरकारों के अधीन विभिन्न उच्चतर पदों पर नियुक्ति के लिए क्या मानदण्ड लागू किये जांय।

सांस्कृतिक शिष्ट मंडलों का आदान-प्रदान

*798. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान के करार किये हैं ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने 31 जुलाई, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष में भारत को सांस्कृतिक शिष्टमण्डल भेजे हैं तथा उन देशों के नाम क्या हैं जिनमें भारत से सांस्कृतिक शिष्टमंडल गये थे ; और

(ग) सांस्कृतिक शिष्टमण्डलों के सदस्यों को किस आधार पर चुना जाता है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) टर्की, ईराक, रूमानिया, जापान, इंडोनेशिया, ईरान, पोलैण्ड, संयुक्त अरब गणराज्य, चेकोस्लोवाकिया, सोवियत रूस, युगोस्लाविया, मंगोलिया, नार्वे, ग्रीक, हंगरी, बल्गारिया, अफगानिस्तान और फ्रांस ;

(ख) अफगानिस्तान, भूटान, चेकोस्लोवाकिया, फ्रांस, जर्मन संघ गणराज्य, जर्मन प्रजातान्त्रिक गणराज्य, ग्रीक, हंगरी, लाओस, माडागास्कर, नेपाल, पोलैण्ड, सिक्किम, सोवियत रूस, युगोस्लाविया के प्रतिनिधिमंडल आए थे। अफगानिस्तान, भूटान, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, लिबिया, मंगोलिया, मारीशस, मैक्सिको, नेपाल, पोलैण्ड, रूमानिया, सिक्किम, संयुक्त अरब गणराज्य और सोवियत रूस को प्रतिनिधिमंडल भेजे गये थे।

(ग) प्रदर्शन, प्लास्टिक और साहित्यिक कलाओं के क्षेत्र में चुनाव राष्ट्रीय अकादमियों की सिफारिशों के आधार पर, विख्यात और सुप्रतिष्ठित कलाकारों, लेखकों आदि में से किया जाता है।

Foreign Assistance to Link and Patriot

799. **Shri Sharda Nand** : **Shri Shri Gopal Saboo** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Link and Patriot are receiving assistance from foreign countries;

(b) whether the Central Bureau of Investigation have conducted an enquiry in this regard; and

(c) whether the Central Bureau of Investigation have also confirmed it ?

The Minister of Home Affairs (Shri Yashvant Rao Chavan) : (a) to (c) The report of the Intelligence Bureau regarding the use of foreign money in the last General Elections and for other purposes is under examination.

धर्म के आधार पर भारतीय वैज्ञानिक को सुरक्षा वाले क्षेत्र से निकाला जाना

*800. **श्री घोरेश्वर कलिता** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अगस्त, 1968 के 'लिंक' में 'कारीडोर टाक' स्तम्भ के अन्तर्गत प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारत के एक प्रमुख वैज्ञानिक ने, जिसके पास सरकारी कागजात, जिनमें राष्ट्रीयता का प्रमाण-पत्र और सम्बन्धित राज्य सरकार का स्वीकृति-पत्र भी था, एक विशेष सुरक्षा क्षेत्र में गवेषणा-कर्त्ताओं के एक दल का नेतृत्व किया था ;

(ख) क्या यह सच है कि उसे धर्म के आधार पर निकाल दिया गया और उसके दल के शेष सभी व्यक्तियों को जाने की अनुमति दे दी ;

(ग) यदि हाँ, तो इस घटना से सम्बन्धित वैज्ञानिक का नाम क्या है ; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) राज्य सरकार से तथ्य प्राप्त किये जा रहे हैं।

Bridges Over Jamuna in Delhi

*801. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it a fact that lakhs of people residing in colonies in Delhi beyond Jamuna have to face great difficulty on account of heavy traffic on the Jamuna bridge and common men have to waste much time as a result of traffic jams there ; and

(b) whether Government propose to construct two open bridges along this important bridge with a view to provide traffic facility to lakhs of people and to avoid any possibility of bottleneck in security measures at the time of any foreign aggression ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir. It is a fact that the existing rail-cum-road bridge cannot cope with the heavy traffic passing over it and that traffic jams do occur at times.

(b) Two road bridges, one near the 'C' Power station and the other behind the Humayun's Tomb are at present under construction. The first bridge has been completed except for minor items like laying precast blocks for footpaths etc. The second bridge has also been completed except for finishing items like wearing coat, railings, approach slab. etc. The work on the two bridges is expected to be completed in all respects by the end of this year.

Jamia Millia Islamia University, Delhi

*802. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Education in Hindi being imparted by the Jamia Millia Islamia University, Delhi is not recognised by other Universities and graduates of Jamia Millia Islamia do not receive admission in M.A. Hindi classes ; and

(b) If so the reasons therefor ?

The Minister of State in the ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) The B.A. degree has so far been recognised without any reservation by 30 Indian Universities (including doomed Universities) for admission to M.A. courses. In addition, three universities recognize this degree for admisson to M.A. courses in certain specific subjects.

(b) It is for the universties which are autonomous organisations, to accord mutual recognition to degreees for purposes of admission in their institutions.

जापान में स्थगित भुगतान के आधार पर भारत के लिये जहाज बनाना

803. **श्री अदिचन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के सचिव और उनके वित्तीय सलाहकार से हाल में टोकियो में जापान के जहाज निर्माताओं से भारत के लिये स्थगित भुगतान के आधार पर और लौह अयस्क के बदले में जहाज बनाने के बारे में बातचीत के लिये टोकियो की यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो टोकियो में हुई बातचीत का क्या परिणाम रहा है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक सरकारी दल ने अभी हाल ही में मेसर्स मित्सूबिशी हैवी इन्डस्ट्रीज लि० जापान से विचार-विमर्श के लिए टोकियो की यात्रा की थी। यह कोचीन शिपयार्ड के लिये पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट के तैयार करने और परियोजना में उस फर्म के तकनीकी सहयोग के बारे में थी। इन प्रयोजनों के लिए दल ने फर्म से दो समझौते किये।

Number of Government Employees

*804, **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of **Home Affairs** be peased to State :

(a) the number of employees, Category-wise, Department-wise and Ministry-wise in Central Government, Centrally Administered Areas, Uttar Pradesh Government, Bihar Government, West Bengal Government and their subordinate Offices and in Public Service Commissions ; and

(b) the total number of employees there of who have benefited from the Home Ministry's Office Memorandum No. 9/45/60-Esblishment (D) dated the 20th April, 1961 upto June, 1968 alongwith their names and designations ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Collecting this information Category-wise, Department-wise and Ministry-wise in the Central Government, Centrally Administered Areas and three States will be a laborious process and the time and labour involved will not be commensurate with the public interest served in gathering this material.

(b) The instructions contained in the Ministry of Home Affairs O. M. No. 9/45/60-Establishment (D) dated the 20th April, 1961 are not applicable to the employees under the State Governments, their Subordinate offices and State Public Service Commission. In regard to the offices under the Central Government and Centrally Administered Areas where this O.M. applies information regarding the number of employees who have been benefited from this O.M. would be collected and laid on the table of the House.

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

*805. **श्री एस० आर० दामानी** : **श्री रामचन्द्र उलाका** :
श्री घुलेश्वर मीना : **श्री हिम्मतसिंहका** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश के लिये शिक्षा की एक ही नीति बनाने के उद्देश्य से सरकार क्या विशिष्ट उपाय कर रही है ; और

(ख) क्या समय-समय पर की गयी माँगों को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों का समान वेतन-मान करने के लिए भी कोई नीति बनाई जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) राष्ट्रीय शिक्षानीति पर सरकार ने एक संकल्प पारित किया है और साथ ही यह भी निर्णय किया है कि यह चौथी पंचवर्षीय योजना का आधार होना चाहिए, जो अगले वर्ष प्रारम्भ होगी ।

(ख) राष्ट्रीय नीति में यह निर्धारित है कि अध्यापकों के वेतन, उनकी योग्यताओं तथा जिम्मेदारियों के अनुरूप पर्याप्त और संतोषजनक होने चाहिए ।

आसाम में दूर-संचार व्यवस्था में तोड़-फोड़

*806. **श्री हेम बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तोड़-फोड़ करने वालों ने हाल ही में शिलांग में दस दिन के अन्दर दो बार दूर-संचार व्यवस्था को अस्तव्यस्त किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह प्रश्न राज्य के पुनर्गठन के प्रस्ताव के साथ सम्बद्ध है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) शिलांग में संचार-व्यवस्था जुलाई, 1968 में ताँबे के तार काटने तथा चुराये जाने के कारण दो बार अस्तव्यस्त हुई । इस घटना का सम्बन्ध राज्य के पुनर्गठन के प्रस्ताव से नहीं था । पुलिस द्वारा तुरन्त कार्यवाही की गई थी तथा चोरी की इन घटनाओं के लिये पहले ही दो व्यक्ति दोषी ठहराये जा चुके हैं ।

जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश का विलय

*807. **श्री प्रेमचन्द वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जम्मू और काश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश की जनता दोनों प्रदेशों का विलय किये जाने के इच्छुक हैं ;

(ख) क्या सरकार ने समाचार-पत्रों में छपे इन समाचारों को देखा है जिनमें हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया है ;

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) क्या यह मामला सरकार के पास परामर्श तथा विचार के लिए आया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार के ध्यान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है ।

(ख) हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने कहा है कि यदि जम्मू तथा काश्मीर के लोग इसे चाहते हों तो वे उपस्ताव का स्वागत कर सकते थे ।

(ग) और (घ) कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

Admission in Delhi University

*808 **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that only those students who have obtained more marks than the pass marks in the Higher Secondary Examination are permitted to join Arts, Science and Honours Courses in Delhi University ;

(b) if so, whether the same conditions have been imposed by other Universities as well;

(c) if not, the reasons for the disparity ; and

(d) whether Government propose to introduce uniform conditions for admission into Universities through out the country ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) ; (a) Yes, Sir.

(b) to (d) Neither the Government nor the University Grants Commission have undertaken a comparative study of conditions for admission to different universities. The Universities are autonomous bodies and have full discretion to lay down the requirements for admission on academic and other considerations. For the same reasons, it is not possible to bring about a uniformity in the matter of admissions.

Law and Order in the Country

*809. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that law and order situation in the country is deteriorating ;

(b) the efforts made by Government to find out the causes thereof ; and

(c) whether any special measures have been chalked out for this purpose?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c) : The Government do not feel that law and order situation in the country is deteriorating. However, the Government view with concern the numerous violations of law and order in agitations and in communal incidents. Under the Constitution State governments are entrusted with the responsibility for public order, police and administration of justice. Necessary administrative and legal steps are taken by them to prevent violent agitations and to deal firmly with any manifestation of violence. The Government of India, however, keep in constant touch with State Governments in regard to these matters and provide reasonable assistance whenever sought.

फ्रांस की हड़ताल के समान भारत में हड़ताल

*810. **श्री चेंगलराया नायडू** : **श्री नि० रं० लास्कर** :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को इस बात की निश्चित जानकारी है कि कुछ राजनैतिक दल केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कार्य को ठप्प करने के लिए हाल ही में फ्रांस में हुई पूर्ण हड़ताल जैसी हड़ताल कराने के लिए सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं और कुछ संगठनों को ऐसा करने के लिए कह रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि राजधानी में 5 अगस्त, 1968 को भारी संख्या में प्रदर्शन, विरोध प्रकट करने के लिए सभाएं तथा हड़तालें हुई थीं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के वर्गों द्वारा, 19 सितम्बर, 1968 को एक दिन की हड़ताल करने के लिये दिये गये आह्वान का कुछ राजनीतिक दलों तथा ट्रेड यूनियनों द्वारा समर्थन किया जा रहा है।

(ख) सरकार ने बातचीत का दरवाजा खुला रखा है। वास्तव में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की विशेष माँगों पर कुछ वार्ता पहले ही हो चुकी है। आशा की जाती है कि हड़ताल नहीं होगी। फिर भी, दुर्भाग्यवश यदि हड़ताल होती है तो सरकार प्रभावी रूप से स्थिति से निपटेगी।

(ग) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार 5 अगस्त, 1968 को विभिन्न माँगों के समर्थन में 5 प्रदर्शन, 5 सार्वजनिक सभायें तथा 4 हड़तालें हुई थीं।

Central Assistance to Karoli Road, Rajasthan

6582. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some time back the Central Government had decided to give some financial assistance for Sirmuttra Gangapur City Road, **viz.**, Karoli Road (Rajasthan) ;

(b) if so, the extent of assistance given ;

(c) in case no assistance has been given so far, the reasons therefor ; and

(d) whether Government propose to give it now ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The road in question is a State road and its development is, therefore, primarily the responsibility of the State Government of Rajasthan.

(d) Does not arise.

केन्द्रीय सरकारी उपभोक्ता सहकारी भंडार, नई दिल्ली

6583. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी भण्डार, नई दिल्ली का गठन किया गया है उसमें वर्ष 1962-63 और 1963-64 को छोड़कर हमेशा घाटा होता रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी वर्षवार वित्तीय स्थिति कैसी रही है ;

(ग) केवल उपर्युक्त दो वर्षों को लाभांश घोषित किया गया था ;

(घ) क्या लेखा परीक्षकों ने उन संस्था की समूची वित्तीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुए ऐसे लाभांश घोषित करने पर आपत्ति की है ;

(ङ) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की ा प्रतिक्रिया है तथा उस संस्था के कार्य-संचालन में सुधार करने के प्रस्ताव क्या ,

(च) क्या सरकार का विचार लेखापरीक्षकों की टिप्पणी की एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामस्वामी) : (क) तथा (ख): जी हाँ, वर्ष 1963-64 और 1964-65 को छोड़कर। समिति की वर्षवार वित्तीय स्थिति का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	शुद्ध लाभ	शुद्ध हानि	टिप्पणी
1963-64	1,30,301	—	—
1964-65	1,70,929	—	—
1965-66	—	2,44,394	—
1966-67	—	7,84,111	अस्थायी। खातों की लेखा-परीक्षा हो रही है।

1967-68 खाते तैयार हो रहे हैं।

समिति को 1-7-1963 को बनाया गया था, अतः इसने 1962-63 के सहकार वर्ष में कोई व्यापार नहीं किया।

(ग) वर्ष 1963-64 और 1964-65 के लिये $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत की दर पर लाभांश घोषित किया गया था।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) समिति के मामलों पर तीन स्वतन्त्र एजेंसियों ने विचार किया था और उनकी रिपोर्टों पर वित्त मंत्रालय, सहकार मंत्रालय तथा गृह-कार्य मंत्रालय के तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति ने विचार किया।

उस समिति की समिति में सुधार के लिये सिफारिशें स्टोर के निदेशक बोर्ड ने 30 जुलाई, 1968 की अपनी बैठक में स्वीकार किया। उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही हो रही है।

(च) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है

संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में गवेषणा अधिकारियों की नियुक्ति

6584. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग ने क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा लेना आरम्भ करने सम्बन्धी कार्य के लिए, अपने कार्यालय में कुछ गवेषणा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह नियुक्तियाँ पदों का विज्ञापन दिये बिना की गई थीं ;

(ग) क्या किन्हीं विश्वविद्यालयों या राज्य सरकारों को इन पदों के लिये उचित नाम सुझाने की प्रार्थना की गई थी या उनसे सलाह की गई थी ; और

(घ) इन पदों पर नियुक्ति के लिए उचित और अनुभवी व्यक्तियों का चयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय राज्य में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) 'गवेषणा अधिकारियों' के कोई पद नहीं हैं। हाँ, कुछ मंजूर पदों पर जिनमें वरिष्ठ गवेषणा अधिकारी और गवेषणा सहायक भी है, नियुक्तियाँ की गई हैं।

(ख) तथा (ग): जी, हाँ।

(घ) आयोग द्वारा गठित साक्षात्कार बोर्डों ने चयन किया था। बोर्ड में अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्त सुस्थापित प्रक्रिया के अनुसार विशेषज्ञ सलाहकार थे।

इंदिरा मार्केट, दिल्ली की चार दीवारी का निर्माण

6585. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 10 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10495 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा मार्केट के चारों ओर की दीवार का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सभी ओर इस दीवार के निर्माण कार्य के, जिसमें लोहे के रेलिंग वाले आठ फुट ऊँचे एक प्रवेश द्वार की व्यवस्था है, कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है, ताकि मार्केट में ट्रक प्रवेश न कर सकें ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इंदिरा मार्केट की जी० टी० रोड की ओर ही दीवार बनायी जा रही है। तीन-चौथाई काम पहले ही पूरा हो चुका है।

(ख) शेष कार्य लगभग डेढ़ महीने में पूरा होने की आशा है।

इंदिरा मार्केट, दिल्ली

6586. **श्री जुगल मंडल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री इंदिरा मार्केट दिल्ली के बारे में 10 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10499 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1968 से 30 जुलाई, 1968 तक की अवधि में दिल्ली प्रशासन के प्रवर्तन निदेशालय और दिल्ली नगर निगम ने कितनी बार माल को हटाया ;

(ख) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है क्योंकि सड़क पर इस माल के पड़े रहने के कारण वहाँ के निवासियों को बड़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं ; और

(ग) क्या उक्त चाय की दुकानों (खोखों) तथा रेहड़ी वालों को वहाँ से हटा दिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) चार बार।

(ख) तथा (ग) लाइसेंस वाले रेड़ी वालों के लिये वैकल्पिक स्थानों का चयन कर लिया गया है और एक मी ..म आवंटन कर दिया जायेगा। उसके बाद अनधिकृत रूप से कब्जा करने के विरुद्ध कार्यवाही तेज कर दी जायेगी।

इंदिरा मार्केट, दिल्ली

6587. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री इंदिरा मार्केट, दिल्ली में समाज-विरोधी तत्वों द्वारा सिर उठाने के बारे में 10 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10497 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुलिस ने 11 मई, 1968 से 31 जुलाई, 1968 की अवधि में रात को कितनी बार इसलिये दुकानों की जाँच की कि वे $8\frac{1}{2}$ बजे बन्द कर दी जाती हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि दुकानों का उपयोग भोजन बनाने, कपड़े धोने तथा नहाने के लिए किया जाता है जिससे निवासियों को बहुत असुविधा होती है और यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि इन दुकानों का उपयोग केवल व्यापारिक प्रयोजनों के लिए किया जाये ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ दुकानों का उपयोग निवासियों की बजाय गुंडों तथा समाज-विरोधी तत्वों द्वारा किया जा रहा है जिससे इस क्षेत्र के अन्य निवासियों को बहुत असुविधा हो रही है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली प्रशासन ने इस अवधि में ११ बार दुकानों की जाँच की है।

(ख) इंदिरा मार्केट की दुकानें केवल व्यापार के लिए उपयोग में लायी जाती हैं। दुकानों के कुछ कर्मचारी वहाँ रहते हैं। निवासियों को हुई असुविधा के बारे में सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(ग) तथा (घ) इन्दिरा मार्केट में गुंडागर्दी के बारे में शिकायत मिली है। शिकायत की जाँच करने पर उसे निराधार पाया गया।

दिरा मार्केट, आर्यपुरा, दिल्ली से अनधिकृत डेरी का हटाया जाना

6588. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इंदिरा मार्केट, आर्यपुरा, सब्जीमंडी दिल्ली में एक अनधिकृत डेरी है जिससे वहाँ के निवासियों को बड़ी असुविधा होती है ;

(ख) क्या उसे हटा दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) : इन्दिरा मार्केट

के समीप अपने ग्राहकों की उपस्थिति में श्री बूटाराम द्वारा सुबह व शाम मवेशियों का दूध निकालने के विरुद्ध इन्दिरा मार्केट तथा आर्यपुरा के निवासियों से एक शिकायत जून, 1968 में प्राप्त हुई थी। सड़क पर मवेशियों का दूध निकालना नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 323 (2) के विरुद्ध है तथा नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार उस पर 1-1-68 से 25-8-68 तक 6 बार मुकदमें चलाये गये थे। न्यायालय में अन्तिम मुकदमें की सुनवाई 12 सितम्बर, 1968 है।

Jamait-Ul-Ulema Hind

6589. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Jamait-ul-Ulma Hind was involved in the communal riots of Meerut and Police have arrested one Mufti Abdul Ghalef, Secretary of Jait-ul-Ulema and Municipal Commissioner and Rehmat Najmi, correspondent of Delhi Aljamaiat, newspaper on the charge of instigating riots in Faiz Aam College and attacking the Police party and these arrests have been made on the basis of the C. I. D. report ; and

(b) if so, whether the Jamaiat-ul-Ulema Hind is considered a national organization or a communal one ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) (a) Government have no information that Jamait-Ul-Ulema-I-Hind was involved in the communal disturbances of Meerut which started on the 28th January, 1968. Shri Mufti Abdul Galef and Shri Rahmat Najmi have been arrested in connection with a case arising out of the Meerut distrurbances,

(b) In the absence of any legal definition of communal or national organisations, it is entirely a matter of opinion.

नेशनल बौटनिक गार्डन, लखनऊ के निदेशक की नियुक्ति

6590. **श्री वि० कु० मोडक** : **श्री पी० राममूर्ति** :
श्री सत्यनारायण सिंह : **श्री भगवान दास** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नेशनल बोटेनिक गार्डन, लखनऊ के वर्तमान निदेशक ससे पूर्व उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग में उप-निदेशक की हैसियत से काम कर रहे थे।

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि वर्तमान निदेशक ने 1968 में संयुक्त निदेशक के लिये और इसके बाद उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग में अतिरिक्त निदेशक के पद के लिए इन्टरव्यू दिया, और उनमें अनुत्तीर्ण कर दिया गया ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सेवा में खराब रिकार्ड के कारण उसे अनुत्तीर्ण किया गया और उसके वरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप थे ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसे नेशनल बोटनिक गार्डेन, लखनऊ के निदेशक पद पर किस आधार पर नियुक्त किया गया ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन): (क) डा० एल० बी० सिंह, उत्तर प्रदेश कृषि सेवा के स्थायी आफिसर हैं और क्षेत्रीय उप-निदेशक (उद्यान-विज्ञान, उत्तर प्रदेश के रूप में काम कर रहे थे जब उन्हें फरवरी, 1965 में, विस्तार निदेशालय के कृषि विभाग में संयुक्त प्रायोजना निदेशक के रूप में खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के लिए प्रतिनियुक्ति किया था। वह उपर्युक्त पद पर ही कार्य कहे रहे थे जब उनकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार की विदेश सेवा के सम्बन्ध में 10 अगस्त, 1965 से राष्ट्रीय तिउद्यान (एन० बी० जी०) के निदेशक वनस्पति रूप में हुई थी।

(ख) जी, हाँ। इन दोनों पदों में से किसी के लिए नहीं चुने गये थे।

(ग) लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के लिए यह व्यवहारिक नहीं है कि उम्मीदवार के अस्वीकार करने के कारण को बताएं।

(घ) चुनाव समिति की सिफारिश पर उनकी नियुक्ति की गयी थी और उन्होंने 10 अगस्त, 1965 से कार्य करना शुरू किया था।

नेशनल बौटनिक गार्डन्स, लखनऊ में वैज्ञानिक

1591. **श्री सत्यनारायण सिंह** : **श्री गणेश घोष** :
श्री भगवान दास : **श्री एस्थोस** :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सचिव द्वारा दिये गये विशिष्ट विवरण के अनुसार खाली होने वाला पद उस अधिकारी को मिलना चाहिये जो अतिरिक्त पद पर काम कर रहा है चाहे वह अधिकारी एक भिन्न प्रभाग में हो और उसके द्वारा निम्न श्रेणी में छोड़ा गया पद सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकता है और उसे उस प्रभाग में दिया जा सकता है जिसमें ऊँचा पद रिक्त हो जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि नेशनल बोटेनिक गार्डन, लखनऊ में एक 'सी' वैज्ञानिक को जो सी' वैज्ञानिक के एक अतिरिक्त पद पर ४ अगस्त, 1965 से काम कर रहा है रिक्त स्थायी पद नहीं दिया गया है यद्यपि उस समय से लेकर अब तक कुछ रिक्त पद स्थायी बनाये गये हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, हाँ। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी० एस० आई० आर०) ने जनवरी, 1967 में एक स्पष्टीकरण जारी किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह लिखा गया था कि "ज्यों ही सम्बन्धित अधिकारी को खपाने के लिए नियमित काडर में स्थान रिक्त हो जाए, तो अधिसंख्या निर्मित पद समाप्त कर देना चाहिए। निम्न पद को उस समय तक रक्खा जाए जब तक कि अधिसंख्या पद विद्यमान रहे।" जून, 1967 में यह भी स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि जो पद (नियमित) रिक्त होता है, वह उस अधिकारी को मिलना चाहिए जो अधिसंख्या पद पर कार्य कर रहा हो, चाहे वह किसी अन्य प्रभाग में हो हो। उसके द्वारा छोड़ा गया निचली श्रेणी का पद सामान्य तरीके से भरा जा सकता है और उसका उपयोग उस प्रभाग में किया जा सकता है, जिसमें उच्च पद खाली हुआ हो।"

(ख) जी, हाँ । 6 अगस्त, 1965 से ।

(ग) यह मामला इस वर्ष के शुरू में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के मुख्यालय के नोटिस में ला दिया गया था और राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान, लखनऊ के निदेशक से अनुरोध किया गया था कि उपर्युक्त भाग (क) के अन्तर्गत संदर्भित स्पष्टीकरण के अनुसार सम्बन्धित वैज्ञानिक के मामले को नियमित कर दिया जाए राष्ट्रीय वनस्पति उद्योग के निदेशक ने कुछ बातें उठाई थीं और इस मामले पर उनके साथ व्यवहार चल रहा है।

Security of Uttra Khand

6592. **Shri Ram Swarup Vidyarthi:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to s ate :

(a) whether it is a fact that the Revenue Department is responsible for the security of Uttrakhand hilly area and Kumaon Division of U. P. ;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether it is proposed to entrust the security of Kumaon Division and Uttrakhand hilly areas of Uttar Pradesh to the Ministry of Home Affairs henceforward ; and

(d) if so, when and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (**Shri Vidya Charan Shukla**) : (a) to (d) : Attention is invited to the answer given to Starred Question No. 1336 on the same subject in the Lok Sabha on the 19th April, 1968.

इंडियन एसोसियेशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइन्स

6593. **श्री वीरेश्वर कलिता** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में (आठ ट्रेड यूनियन) के प्रतिनिधियों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन-पत्र दिया है जिसमें, इंडियन एसोसियेशन फार कल्टिवेशन आफ साइंस के कार्यों की उच्च शक्ति प्राप्त समिति से जाँच कराने की माँग की गयी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) प्रधान मंत्री को कार्मिक संघों से ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ। संस्था के कर्मचारियों के संघ तथा कुछ संसद सदस्यों ने एक जाँच समिति स्थापित करने की माँग की थी ।

(ख) इन्डियन एसोसियेशन फार कल्टिवेशन आफ साइंस एक स्वायत्तशासी निकाय है और केन्द्रीय सरकार प्रत्यक्ष रूप से इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती । सरकार संस्था को अनुदान-सहायता देती है अतः यह निर्णय किया गया है कि एक पुरीक्षण समिति, जिसमें विख्यात वैज्ञानिक हों, संस्था के काम को देखें और उसमें सुधार के सुझाव दें ।

संघ राज्य क्षेत्रों की वित्तीय आवश्यकतायें

6594. **श्री हेमराज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 29 अप्रैल, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8871 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल ने संघ राज्य क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं का अध्ययन पूरा कर लिया है और अपनी सिफारिशें कर दी हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Tis Hazari Courts

6595. **Shri Om Praksh Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that lawyers and clients, etc. experience great inconvenience in summer, winter and rainy seasons due to lack of any arrangements for offices for lawyers at Tis Hazari Courts, Delhi ;

(b) if so, whether Government propose to construct a building in the court premises to house temporary offices of lawyers ; and

(c) if not, the reasons thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) A number of chambers have alraedy been constructed for lawyers. Barely half of them have been occupied so far by the lawyers and even in respect of the same, a large amount of rent is in arrears. The question of the construction of any additional accommodation for lawyers would arise only after the lawyers have occupied the remaining vacant chambers and paid rent therefor.

दिल्ली के कटरों में सुविधाओं की कमी

6596. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धन की कमी के कारण दिल्ली नगर निगम, दिल्ली के सभी कटरों में बुनियादी नागरिक सुविधायें देने में भी असमर्थ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इस बारे में क्या कार्यवाही करने का है जिससे वहाँ पर इन बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) और (ख) गन्दी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत अनेक बस्तियां और कटरों में सुधार कार्य करने के लिए निरन्तर धन की व्यवस्था की गयी है। निगम द्वारा उचित योजनायें प्रस्तुत किये जाने पर और धन की व्यवस्था की जायेगी।

नेशनल एरोनाटिकल लेबोरेटरी, बंगलौर

6597. **श्री मधु लिमये** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करोड़ों रुपयों की लागत पर बंगलौर में एक एरोनाटिकल लेबोरेटरी स्थापित की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस प्रयोगशाला में उपकरणों वायुगतिका पर अनुसंधान के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक और धातु विज्ञान पर अनुसंधान किया जा रहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक दुर्घटना के फलस्वरूप पाँच स्क्रीन नष्ट हो गये थे जो 29 या 30 अप्रैल को उस प्रयोगशाला में हुई थी और इस कारण लगभग 20 लाख रुपये की हानि हो गई थी ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस हानि को पूरा करने पर लाखों रुपये खर्च होंगे और लगभग एक वर्ष का समय लगेगा ;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या उपरोक्त दुर्घटना के लिये इस प्रयोगशाला के निदेशक उत्तरदायी हैं ; और

(च) यदि हाँ, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) राष्ट्रीय वैमानिकीय प्रयोगशाला पर 1967-68 तक 6.68 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं।

(ख) राष्ट्रीय वैमानिक प्रयोगशाला के वैज्ञानिक कार्यक्रम का समय-समय पर निर्धारण कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाता है। वायुगतिकी के अनुसंधान कार्य और विशेषकर 4-फुट ट्राइसोनिक विंड ट्यूनल से सम्बन्धित अनुसंधान को प्राथमिकता दी जाती है। इमारतें, सामग्री, प्रणोदन, साधन विनियोग, और नियंत्रण, आँकड़ा पद्धति तथा कम्प्यूटर टेक्नोलाजी तथा गणित विज्ञान जैसे अन्य ऐसे क्षेत्र हैं, जिनके लिए कार्यकारी परिषद् कार्यक्रमों का अनुमोदन करती है।

(ग) और (घ) 4-फुट ट्यूनल अभी तक मेसर्स कनेडियन विकर्स लिमिटेड, योनट्रियल (कनाडा) की निगरानी में है और उसकी सब प्रकार से जोखिम बीमा पालिसी है। जिस दुर्घटना से पर्दों को नुकसान पहुंचा था, वह तब हुई थी, जब सुरंग ठेकेदारों के इंजीनियरों के सीधे पर्यवेक्षण में चलाई जा रही थी। मेसर्स कनेडियन विकर्स ने बीमा कम्पनी से हर्जाने और नुकसान को पूरा करने का दावा कर दिया है जो अनुमानतः लगभग 25,000 डालर होगा। कुछ महीनों में सुरंग के तैयार होने की सम्भावना है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

National Aeronautical Laboratory, Bangalore

6598. **Shri Madhu Limaye.** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that qualifications are not taken into consideration at the time of making appointment against any post in the National Aeronautical Laboratory at Bangalore ;

(b) whether it is also a fact that certain scientists appointed there do not hold the degrees in science ;

(c) whether it is further a fact that a degree in science is essential even for the technical assistant ;

(d) if so, whether a commerce graduate has been appointed againt the post of a echnical assistant in the aforesaid Laboratory ; and

(e) if so, whether Government propose to look into all these cases and take action against the officers found guilty ?

The Minister of Education (Dr. Trigena Sen):

(a) Both qualifications and job requirements are taken into consideration by selection Committees at the time of the selection of candidate.

(b) Yes, Sir.

(c) Not always. Sometimes emphasis is more on specialised experience in specific technical fields vis-a-vis job requirements since Technical Assistants are intended by and large to help the scientists in their work.

(d) Yes, Sir, as a Junior Technical Assistant.

(e) A Committee has been appointed to review the cases of persons who have been appointed against scientific and technical posts but who have no scientific and technical qualifications. The matter is under investigation.

बिहार औद्योगिक क्षेत्र में अमरीका गुप्तचर विभाग की कार्यवाहियां

6599. **श्री जि० मो० विस्वास** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी गुप्तचर विभाग के एजेंटों ने बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में और विशेषकर राँची में अपनी गतिविधियाँ तेज कर दी हैं ;

(ख) क्या यह आरोप लगाया जाता है कि राँची स्थित भारी इंजीनियरी निगम अमरीकी गुप्तचर विभाग का मुख्य निशान है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वे, कई मजदूर संघों और आदिवासी संस्थाओं में काफी सक्रिय हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस कारखाने की रक्षा के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

Activities of Ghulam Rasool of J and K Militia Headqurters

6600. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the J & K Militia Headquarters, there is a file on the subject of "Adverse Activities of Ghulam Rasool" ;

(b) whether it is also a fact that Sri Ghulam Rasool used to sit late in office with Shri Nur Mohammed, an employee of A. A. O. Incharge Militia Pay Accounts Office who was arrested on the charge of furnishing secret information to Pakistan and always used to remain in his company even outside the Office ; and

(c) if so, whether Government propose to hold a thorough inquiry into the suspicious activities of Shri Ghulam Rasool ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Some anonymous complaints were received against Sri Ghulam Rasool which were found useless on an enquiry.

(b) According to the information available Shri Ghulam Rasool is not reported to be associated with such a person named Shri Noor Mohammed.

(c) Does not arise.

Radio Peking Broadcast

6601. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as reported in the Vir Arjan of the 27th July, 1968 that Radio Peking has announced that in Uttar Pradesh revolutionary farmers have forcibly occupied the land of big zamindars and these farmers are Mao supporters ; and

(b) if so, the action taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) The Peking Radio broadcast on July 15, 1968 stated that "at some places in the Indian province of U.P. revolutionary farmers have started the act of forcibly occupying lands against the reactionary ruling group."

(b) According to information received from the State Government the Radio Peking has given a highly exaggerated account about the recent land agitation launced by he C.P.I. However, extremists have come to notice for inciting landless labourers to forcibly occupy 'parti', 'banjar', Gram Samaj and forest land. The activities of the extremists in Uttar Pradesh are being kept under a close watch.

छिपे हुए नागा विद्रोहियों द्वारा आक्रमण

6602. **श्री अंबुचेजियान** : **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 22 जुलाई, 1968 को मनीपुर के उपमण्डल तामेंगलोंग के युद्धविराम क्षेत्र में ग्राम स्वयंसेवकों की एक चौकी पर भूमिगत विद्रोही नागाओं के एक गिरोह ने हमला करके उस गाँव को ध्वस्त कर दिया था ;

(ख) यदि हाँ, तो इस मुठभेड़ का ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितने सुरक्षा सैनिक मारे गये ; और

(घ) क्या कोई नागा विद्रोही गिरफ्तार किये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क), (ख) और (ग) 24 जुलाई, 1968 को मनीपुर के सब-डिवीजन तामेंगलोंग में स्थित थंगल के ग्राम स्वयंसेवकों के चौकी पर एक विद्रोहियों के दल द्वारा, जो नागा हो सकते हैं, गोलाबारी की गई। दोनों ओर से गोलाबारी के बाद ग्राम स्वयंसेवक शस्त्र और गोलाबारूद लेकर पीछे हट गये और विद्रोहियों

ने उस चौकी को ध्वस्त करके उस पर आग लगा दी। इसमें कोई हताहत नहीं हुआ।

पास के चौकी से एक पुलिस दल ने उस स्थान पर जाकर विद्रोहियों को रोकने की कोशिश की।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मनीपुर के माओ उपमंडल में नागाओं में मुठभेड़

6603. श्री **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 जून, 1968 को मनीपुर के माओ उपमण्डल में तादुबी नामक स्थान पर हुई एक मुठभेड़ में पेकिंग समर्थक भूमिगत नागाओं से पृथक हुए नागा नेता जनरल कैटो के दल से सम्बन्धित छः व्यक्तियों को मार डाला गया था, जिनमें एक तथाकथित सैनिक अधिकारी भी शामिल था ;

(ख) यदि हाँ, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) यह सूचना मिली है कि 22/23 जून, 1968 की रात को स्वर्गीय कैटो के साथियों और तथाकथित नागा-लैण्ड संघीय सरकार के बीच एक मुठभेड़ में कैटो दल के पाँच व्यक्ति मारे गये और एक घायल हुआ।

(ग) जाँच करने के लिए तथा स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिये घटनास्थल पर एक पुलिस दल शीघ्रता से भेजा गया।

सामान्य चुनावों में विदेशी धन का उपयोग

6604. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामान्य निर्वाचनों में विदेशी धन के उपयोग सम्बन्धी प्रतिवेदन की जाँच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी निर्णय का स्वरूप क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) गुप्तचर विभाग के प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति

6605. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि-आयोग ने अपने एक प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि किसी राज्य में कुछ प्रतिशत न्यायाधीश अन्य राज्य से लिये जाने चाहिए और यदि हाँ, तो इस बारे में निश्चित सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) क्या राजस्थान विधान सभा के कुछ सदस्यों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वे

इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि राज्यजस्थान की न्यायपालिका में उस राज्य के सक्रिय राजनीतिज्ञों में से अनेक लोगों को नियुक्तियाँ की जा रही हैं, इस सिफारिश को सख्ती से क्रियान्वित किया जाये ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं। राज्य पुनर्गठन आयोग से प्रतिवेदन के पैरा 861 में यह सिफारिश की गई है।

(ख) और (ग) राज्य से बाहर के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना एक विस्तृत प्रश्न है और इस पर हर ओर से विचार करना पड़ेगा। उच्च न्यायालय और अन्य राज्यीय प्राधिकारों द्वारा सिफारिश व्यक्तियों पर भारत के मुख्य न्यायाधिपति के साथ सलाह करके विचार किया जाता है और नियुक्तियाँ कानूनी योग्यताएं और चरित्र के आधार पर बिना उसमें किसी जाँच के अथवा राजनीतिक लगाव के की जाती हैं।

Indian Citizens Abducted by Pakistanis

6606. **Shri Brij Bhushan Lal :** **Shri Onkar Singh :**
Shri J. B. Singh : **Shri T. P. Shah :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pakistani citizens and Pak. Military forces have abducted a large number of Indian citizens from the border areas between India and Pakistan ;

(b) if so, the number of Indian citizens abducted during the last 4 years and the number of Government employees among them ;

(c) the number of persons in the jails of Pakistan Government among the said abducted persons according to the information available with Government so far ; and

(d) the action proposed to be taken by Government for their return ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c) A total of 368 persons have been abudcted by Pakistanis from the border areas in West Bengal, Assam, Tripura and Rajasthan during the period January, 1964, to date. Of the abducted persons, of whom 22 were Government servants, 296 have eturned to India and 63 are reported to be in the custody of Pak. authorities. 9 persons are reported to have died in Pakistan. Information regarding Jammu and Kashmir is awaited and will be placed on the Table of the House.

(d) In all such cases, protests are lodged by the Indian authorities with their Pak counterparts and the return of the persons concerned sought; the matter is also taken up at the diplomatic level, wherever necessary.

Arrest of Pakistani Nationals

6607. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri Brij Bhushan Lal: :**
Shri J. B. Singh : **Shri T. P. Shah:**
Shri Onkar Singh :

Will the Miniter of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Pakistani nationals arrested since January, 1966, so far for the violation of the Indian territorial waters, borders and Air space and the number of violations

of our territorial waters, borders and air space committed by Pakistanis during the said period ;

(b) the number of Pakistani Military officers among them; and

(c) the nature of action taken against them ;

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Number of violations on land is 257, and air space, 89. The number of cases in which Pakistani nationals violated our territorial waters and the number of Pakistani nationals arrested for the violation of our borders and territorial waters is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बन स्कंठा (गुजरात) में हरिजन लड़के की मृत्यु

6608. **श्री कू० मा० कौशिक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के बनस्कंठा जिले में कोडरी गाँव में एक हरिजन लड़के को मार दिया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो अपराधी को दण्ड देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 7 जून, 1968 को ग्राम कोडरम में एक 23 वर्ष का हरिजन लड़का मरा पड़ा पाया गया था। सन्देह है कि मृत्यु लड़के पर उसके मालिक द्वारा की गई गहरी चोटों के कारण हुई थी।

(ख) पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302।34 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया था। 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और मामले की जाँच की जा रही है।

Finds Discovered in Ujjain District

6609. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1787 on the 10th May, 1968 and state:

(a) whether Government have since received the report in regard to finds discovered during the excavations made jointly in District Ujjain (Madya Pradesh) by the Vikram University, Ujjain and Deccan Post-Graduate College and Research Institute, Poona ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Sinch) : (a) Yes, Sir. A summary report has been received.

(b) A brief note is placed on the Table. **(Placed in Library. See. No. L. T. 1980/68).**

Forged Files Detected in Capital

6610. **Shri Nihal Sinch:** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state;

(a) whether it is a fact that about 20 thousand forged files have been detected inthe Capital, as reported in Hindustan Times of the 26th April, 1968 ; and

(b) if so, the number of cases detected against high officials and the action taken againt them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A large number of files in which action may be pending have been found dumped in the New Delhi South Zone of the Municipal Corporation of Delhi. The files are, however, not forged.

(b) The Delhi Municipal Corporation has intimated that certain irregularities/indiscrepancies were committed with regard to these cases by the officials of some of the departments of the Zone, and that Commissioner D. M. C. is looking into the matter.

दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अगली कक्षा में चढ़ाया जाना

6611. **श्री कृ० मा० कौशिक :**
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री चिन्तिबाबू :
श्री एस० पी० राममूर्ति :
श्री रा० की० सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने लगभग 2,500 ऐसे विद्यार्थियों को अगली कक्षा में चढ़ाने का निर्णय किया है जो बी० ए० की कक्षाओं के प्रथम भाग में अनुतीर्ण हुए थे ;

(ख) क्या यह निर्णय शिक्षा के अनुरूप नहीं है; और

(ग) क्या इस नीति के अनुसरण से शिक्षा का स्तर गिर नहीं जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

हाल ही में विश्वविद्यालय अध्यादेश में किए गए संशोधन के अनुसार जो विद्यार्थी 1968 में हुए भाग एक के परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए अथवा वे परीक्षा में नहीं बैठे, उनको अपनी इच्छा के अनुसार अगली कक्षा में जाने दिया जा सकता है और उनको भाग एक व भाग दो परीक्षाओं में निर्धारित पर्चे साथ ही साथ करने होते हैं बशर्ते वे अन्य शर्तों को पूरी करते हों; ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 2,500 के करीब होगी।

(ख) यह निर्णय विश्वविद्यालय के शैक्षिक परिषद द्वारा लिया गया है जिसमें प्रसिद्ध शिक्षाविद शामिल हैं। और विश्वविद्यालय की कार्यकरिणी परिषद् द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।

(ग) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताई गई स्थिति को दृष्टि में रखते हुए ऐसा नहीं होगा।

Grants to Madhya Pradesh Government for Construction of Roads

6612. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the amount grantesd to Madhya Pradesh Government each year during the last ten years with a view to making roads safe from dacoit menace in the docit-infested areas of the State ; and

(b) the mileage of roads completed so far with the said sanctioned amount and the mileage of roads construction of which could not be taken up due to lack of funds ;

The Deputy Ministr in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) ; (a) and (b) The necessary information is being collected in consultation with the State Government and will be laid on the table of the Sabha as soon as possible.

कूच-बिहार में फेरी-नाव दुर्घटना

6613. **श्री बी० चं० शर्मा :** **श्री बेणी शंकर शर्मा :**

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 22 जुलाई, 1968 को कूच-बिहार जिले में टोरसा नदी में हुई फेरी-नाव दुर्घटना में 22 व्यक्ति डूब गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में कराई गई जाँच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ग) : सूचना पश्चिम बंगाल सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों के लिये विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियाँ

6614. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित आदिम जातियों के किन-किन छात्रों को अब तक विदेशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियाँ दी गई हैं;

(ख) यह छात्रवृत्तियाँ किन-किन राज्यों की और से किस-किस वर्ष में दी गयी हैं;

(ग) प्रत्येक छात्र पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ और क्या यह उन विषयों में योग्यता प्राप्त करके वापस लौटे कि जिस के लिये उन्हें छात्रवृत्तियाँ दी गई थी; और

(घ) उन छात्रों के नाम क्या हैं जिन्हें विदेशों में अध्ययन के लिये राज्य तथा केन्द्रीय सरकार दोनों से आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी ?

(क) से (घ): सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1981/68]**

अखिल भारती चिकित्सा सेवा तथा भारतीय इंजीनियर सेवा

6615. **श्री वेदव्रत वर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा तथा एक भारतीय इन्जीनियर सेवा बनाने के लिये राज्य पुनर्गठन आयोग के सुझाव का कुछ राज्य सरकारों ने विरोध किया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार ये सेवाएं बनाने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) :

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

Pro-Chinese Broadcast in India

6616. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received a report to the effect that certain pro-Chinese elements broadcast from within India by the name of Peking Radio;

(b) if so, the details of the inquiry made by Government in this regard; and

(c) the outcome thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) No, Sir.

(b) and (c) ; Do not arise.

हल्दिया पत्तन

6917. **डा० रानेन सेन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया पत्तन परियोजना को पूरा करने के लिए कोई निश्चित तिथि निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो परियोजना को निर्धारित समय में पूरी करने के लिए काम में शीघ्रता लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हाँ। हल्दिया डाक परियोजना जनवरी, 1971 तक पूरी हो जाने के लिये अनुसूचित है।

(ख) काम अनुसूची के अनुसार चल रहा है। तेल जेटी 11 अगस्त, 1968 से काम में लाई जा रही है। हल्दिया गोदी व्यवस्था के अन्दर खाद्यान्न, कोयला, कच्ची धातु, राकफास्फेट भारी उठाने वाले पदार्थ और सामान्य माल इत्यादि के लिये गोदियों का निर्माण प्रगति पर है। इंजन और कोयला तथा धातु लादने के संयंत्रों की सप्लाई के लिये आदेश दिए जा चुके हैं।

Father Ferrer

6618. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : **Shri Ram Gopal Shalwale** :
Shri T. P. Shah : **Shri J. B. Singh** :
Shri Deorao Patil : **Shri D. N. Patodia** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a request has been made to the Central Government to permit Father Ferrer to visit India again and to start missionary work in Gujarat or Andhra Pradesh ; and

(b) If so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c): The request is being considered in consultation with the State Governments concerned.

कूच बिहार में पाकिस्तानियों का अवैध प्रवेश

6619. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 जुलाई, 1968 को लगभग 20 सशस्त्र पाकिस्तानियों

ने कूच बिहार जिले के नेकाहगंज पुलिस स्टेशन के अधीन भोटवान गाँव में अवैध रूप से प्रवेश किया था और एक मकान पर हमला किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)।

(क) जी, हाँ।

(ख) कूच-बिहार के उप-आयुक्त ने पाकिस्तान के समकक्ष अधिकारी को विरोध-पत्र दिया है।

सीमा के इस क्षेत्र में सीमा सुरक्षा दल द्वारा गश्त बढ़ा दी गई है।

मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

6620. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों का निकट भविष्य में कोई सम्मेलन होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हाँ, तो यह सम्मेलन किस विशेष प्रयोजनों के लिये आयोजित किया जा रहा है; और

(ग) क्या इस सम्मेलन में विभिन्न भाषाओं के विकास तथा उपयुक्त पुस्तकों के प्रकाशन के प्रश्न पर भी विचार किए जाने की संभावना है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) 31 दिसम्बर 1968 को राष्ट्रीय विकास परिषद् की समिति, जिसके सब राज्यों के मुख्य मंत्री सदस्य हैं, की एक बैठक केन्द्रीय सहायता के वितरण के सिद्धान्तों और उसके विधि के ऊपर चर्चा करने के लिये बुलाई गई। इस बैठक में राष्ट्रीय एकता समिति के प्रस्ताव के सन्दर्भ में राज्यों के बीच असंतुलन के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल गैर-सरकारी वन अर्जन विधेयक

6621. **श्री वासुदेवन नायर**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल गैर-सरकारी वन अर्जन विधेयक विचार करने तथा स्वीकृति के लिये प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दी है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। राज्य विधान-मंडल में पुरःस्थापित करने से पूर्व भारत सरकार के पास यह विधेयक स्वीकृति के लिए आया था और इस विधेयक की स्वीकृति दी गई थी। राज्य विधान मंडल द्वारा पारित यह विधेयक अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

Inter-State Transfer of Judges

6622. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a proposal made by the Allahabad High Court in which a suggestion for the inter-State transfers of the Judges has been made ;

(b) if so, Government's reaction thereto ; and

(c) the time by which a final decision is likely to be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government of Uttar Pradesh have made this suggestion.

(b) and (c): A similar suggestion made by the States Re-orgaisation Commission was considered in consultation with the Chief Justice of India who was of the view that it would be better to bring a judge from outside at the time of the initial appointment. This is under consideration.

अवैतनिक दण्डाधिकारी

6623. **श्री सीताराम केसरी :** **श्री रा० कृ० सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे संघ राज्य क्षेत्रों तथा राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों की संख्या कितनी है जिन्होंने अवैतनिक दण्डाधिकारियों के पद को समाप्त कर दिया है; और

(ख) क्या अन्य सभी राज्यों में इस पद को समाप्त करने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) आठ संघ राज्य क्षेत्रों और तीन राज्यों में कोई अवैतनिक दण्डाधिकारी नहीं है।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, आसाम, गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर, हरियाणा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मैसूर, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में यह प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी मद्रास राज्य में यह प्रस्ताव विचाराधीन है। शेष राज्यों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है और इस विषय पर निर्णय पूर्णतया संबंधित राज्य सरकारों पर निर्भर है।

दण्ड विधियों में संशोधन करने वाला विधेयक

6624. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साम्प्रदायिक भाषायी और क्षेत्रीय तथा जातीय झगड़ों को रोकने के उद्देश्य से दण्ड विधियों में संशोधन करने वाला एक विधेयक तैयार करने के लिये उनके मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या विधि मंत्रालय ने उनके मंत्रालय की प्रार्थना पर विचार कर लिया है तथा संशोधन विधेयक तैयार कर लिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : 27 अगस्त, 1968 को लोक-सभा में दण्ड व चुनाव विधि संशोधन विधेयक, 1968 पुर:स्थापित किया गया।

सोफिया में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक यूथ समारोह

6625. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साम्यवादी तथा गैर साम्यवादी युवक संगठनों में इस बात पर मतभेद था कि 28 जुलाई, 1968 से सोफिया में वर्ल्ड फैडरेशन आफ यूथ तथा इंटरनेशनल यूनियन आफ स्टूडेंट्स—जो दोनों अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादी आन्दोलन के अंग हैं—द्वारा आयोजित दस दिवसीय समारोह में भाग लेने कौन जाये;

(ख) क्या वाणिज्य मंत्री ने युवक संगठनों को संतुष्ट करने के लिए कोई प्रयत्न किया था; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया।

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) सोफिया समारोह में जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में सम्मिलित होने के लिए कई प्रार्थनाएं आई थीं परन्तु यह निश्चय किया गया था कि केवल उन संस्थाओं को जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी जो सोफिया के इन्टरनेशनल प्रीपेरेटरी कमेटी से प्राप्त नियंत्रण पत्र पेश कर सकेंगे। केवल एक ही संस्था ऐसा नियंत्रण-पत्र पेश कर सकी थी।

(ख) और (ग) : इस सम्बन्ध में कुछ युवक संगठनों के प्रतिनिधि वाणिज्य मंत्री से मिले थे। वाणिज्य मंत्री ने कोई प्रस्ताव नहीं किया था।

पटना के निकट गंगा पर पुल

6626. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने पटना के मुख्य नगर से कुछ मील नीचे की ओर सब्बलपुर के निकट गंगा पर सड़क-पुल बनाने के स्थान की मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र से इस योजना के लिए धन उपलब्ध करने की प्रार्थना की है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस विषय में क्या निर्णय किया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) राज्य सरकार से पता चला है कि जून, 1968 में बिहार की तत्कालीन सरकार ने सब्बलपुर–बंका घाट क्षेत्र में पुल के लिये स्थान मंजूर कर लिया था।

(ख) जी हाँ। प्रस्तावित पुल के लिये राज्य सरकार ने २५ करोड़ रुपए का तदर्थ सहायक अनुदान माँगा है।

(ग) प्रार्थना पर विचार किया जा रहा है।

जवाहर ज्योति

6627. **श्री दि० चं० शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर ज्योति के डिजायन को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब तक प्रतिष्ठापित की जाने की सम्भावना है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

भूतपूर्व नरेशों की थैलियाँ

6628. **श्री दो० चं० शर्मा :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री अंबुचेजियान : **श्री प्र० न० सोलंकी :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व नरेशों को निजी थैलियाँ समाप्त करने के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने के लिए भूतपूर्व नरेशों की सहमति से हाल ही में एक बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) भूतपूर्व भारतीय राज्यों के शासकों ने प्रतिनिधियों के साथ 29 मई, 1968 को अन्तिम बैठक हुई थी।

(ख) शासकों द्वारा यह अभिवेदन किया गया था कि वे सरकार से यह प्रार्थना करेंगे कि निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को समाप्त करने के निर्णय पर पुनर्विचार करें और उन्होंने कहा कि वे सरकार को आगे और टिप्पणी भेजेंगे।

(ग) विधान और संक्रमणकालीन प्रबन्ध के कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

खेलों को स्कूलों तथा कालिजों में अनिवार्य विषय बनाना

6629. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद संस्थाओं की प्रशासन सम्बन्धी सोसायटी ने स्कूलों और कालेजों में खेलों को अनिवार्य विषय बनाने तथा विश्वविद्यालय की डिग्री देते समय खेलों में योग्यता पर विचार करने का प्रस्ताव दिया है;

(ख) स्कूलों और कालेजों में इस समय कितने खेल के मैदान है;

(ग) सरकार का विचार स्कूलों और कालेजों में खेल के मैदानों के बिना किस प्रकार खेलों को लागू करने का है; और

(घ) यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो खेल के और अधिक मैदान बनाने के लिये कितने धन की आवश्यकता होगी?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :

(क) राष्ट्रीय खेल-कूद संस्थान पटियाला को चलाने वाली भूतपूर्व बोर्ड ने जुलाई, 1965 को अपनी बैठक में सरकार से यह सिफारिश की थी कि स्कूलों और कालेजों के पाठ्यक्रम में खेल-कूद को उचित स्थान दिया जाय।

(ख) अभी तक अखिल भारतीय स्तर तक स्कूलों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। विश्वविद्यालय ,नुदन आयोग ने विश्वविद्यालय और कालेजों का एक नमूने के तौर पर सर्वेक्षण किया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा पर बिठाई हुई समिति के प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :—

खेल	ऐसे विश्वविद्यालयों की प्रतिशतता जहाँ मैदान कोर्ट्स हैं।	ऐसे कालेजों की प्रतिशतता जहाँ मैदान कोर्ट्स हैं।
हाकी	83	66
फुटबाल	74	65
क्रिकेट	70	55
बास्केट बाल	78	68
बाली-बाल	87	90
टैनिस	65	66
बैडमिटन	78	85
स्कवॉश	9	12

(ग) ऐसे स्कूलों और कालेजों में जहाँ खेल के मैदान नहीं हैं; वहाँ शारीरिक प्रशिक्षण का वैकल्पिक कार्यक्रम उपलब्ध है, इस वर्ष से विश्वविद्यालयों और कालेजों में आरम्भ किए हुए राष्ट्रीय खेलकूद कार्यक्रम के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों और कालेजों को क्रीड़ा व खेलकूद की सुविधायें उपलब्ध करने के लिये वित्तीय सहायता दी जायेगी।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा पर बिठाई गई समिति के अनुमान में केवल विश्वविद्यालयों और कालेजों में तैरने के तालाब, व्यायाम, खेल-कूद के पैवेलियन, सिंडर ट्रैक के रूप में पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करने के लिये करीब 5,746 लाख रुपए का व्यय आयेगा। स्कूलों के लिए धन की अधिक राशि होगी।

Arrests of Policemen in Delhi By U. P. Policemen

6630. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the U. P. Police with the assistance of the Delhi Police have recently arrested three policemen from Delhi on the charge of docoity and, if so, the details in regard thereto ; and

(b) the steps being taken by Government to check the Government employees of the Police Department from robbing the public in the manner and with a view to maintain discipline amongst them and make them sincere to their duty ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir, U. P. Police arrested 4 Constables of Delhi Police for offences Under section 392/394/395/397 of the I. P. C.

(b) The cases registered against the persons are under investigation by the U. P. Police. Pending further investigations, these 4 persons have been put under suspension.

भूतपूर्व असैनिक उड्डयन महानिदेशक की सेवावृद्धि

6631. **श्री स० मो बनर्जी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असैनिक उड्डयन के भूतपूर्व महानिदेशक की सेवा की कालावधि इसलिए बढ़ा दी गई, क्योंकि उसके लिए विदेश में नौकरी की व्यवस्था की जानी थी;

(ख) यदि हाँ, तो इस सेवा-काल को बढ़ाने और उन्हें विदेश जाने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण है; और

(ग) क्या उस विभाग में अन्य कोई सक्षम अधिकारी उपलब्ध नहीं थे ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : नागर विमानन के महानिदेशक, श्री वी० एम० गुप्त को जो अधिवर्षता की आयु प्राप्त कर लेने पर 18 मार्च, 1968 को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए, 19 मार्च, 1968 से 120 पदन की अस्वीकृति छुट्टी प्रदान की गई। उनकी सेवा की अवधि में कोई वृद्धि प्रदान नहीं की गई है। परन्तु उनको अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की परिषद में भारत के प्रतिनिधि के रूप में पुनर्नियुक्त करने के बारे में विचार किया जा रहा है। नागर विमानन में अभूतपूर्व विस्तार के कारण अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन पर आ पड़ने वाली और अधिक भारी जिम्मेदारियों को दृष्टि में रखते हुए भारत के प्रतिनिधि के पद के स्तर को महानिदेशक के पद के समकक्ष करने का प्रस्ताव है। इसलिये श्री गुप्त जैसे एक वरिष्ठ सेवा निवृत्त अधिकारी को इस पद पर नियुक्ति के बारे में विचार किया जा रहा है।

संयुक्त सलाहकार व्यवस्था

6632. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त सलाहकार व्यवस्था में गतिरोध के कारणों पर विचार करने के लिए मंत्रिमंडल की उपसमिति ने 27 जुलाई, 1968 को इंटक से संबंधित इस व्यवस्था के कुछ प्रतिनिधियों से बातचीत की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उपसमिति ने किसी प्रश्न को अर्थात् मंहगाई के विलय और न्यूनतम मजूरी के प्रश्न को मध्यस्थ निर्णय के लिए भेजने में असमर्थता प्रकट की है ?

गृह कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये संयुक्त परामर्शदायी व्यवस्था को राष्ट्रीय परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाली कर्मचारी-संस्थाओं के कुछ प्रतिनिधियों ने उप प्रधान मंत्री, गृह मंत्री तथा श्रम मंत्री से 27 जुलाई, 1968 को विचार विनिमय किया।

(ख) बैठक में सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया गया था और यह बता दिया गया था कि न्यूनतम मजूरी के लिये माँग विवाचन योग्य नहीं है। मंहगाई भत्ते के वेतन में विलय के विषय में प्रतिनिधियों को सूचित किया गया था कि मामले पर बातचीत की जा सकती है और यह कि बात चीत न होने तक विवाचन समयपूर्व है, किन्तु इसे नियम विरुद्ध घोषित नहीं किया जा रहा है।

त्रि-भाषी सूत्र

6633. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों ने त्रि-भाषी सूत्र स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों ने आपत्ति उठाई है;

(ग) वह आपत्ति किस प्रकार की है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) : त्रि-भाषा सूत्र को, अब मद्रास को छोड़ कर बाकी सभी राज्यों ने सिद्धान्त रूप में मान लिया है।

(ग) मद्रास राज्य सरकार स्कूल स्तर पर हिन्दी पढ़ाना पसन्द नहीं करती है।

(घ) इस विषय पर मतैक्य प्राप्त करने के लिये सरकार का विचार प्रत्येक सम्भव क्षेत्र खोजने का है।

पश्चिमी बंगाल सरकार के कर्मचारियों को मुअत्तिल के आदेश

6634. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्य पश्चिमी बंगाल सरकार के कर्मचारियों की 16 मई, 1968 की हड़ताल के बारे में जारी किए गए मुअत्तिल करने के आदेशों को वापिस ले लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार 16 मई की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की सेवा के क्रम को भंग करने के प्रश्न पर निर्णय का पुनरीक्षण करने का है;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य सरकार कर्मचारी संघों की समन्वय समिति द्वारा राज्यपाल के समक्ष रखी गयी पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार के कर्मचारियों की अन्य माँगों को पूरा करने के लिये सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है, तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) पिछली 16 मई, 1968 को अनुपस्थिति के कारण सेवा में भंग की अवधि को असाधारण छुट्टी में बदलने का निर्णय किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) इस मामले में राज्य सरकार का निर्णय एक प्रेस वक्तव्य में घोषित किया गया था और राज्य सरकार के कर्मचारियों की संस्थाओं की समन्वय समिति को भेज दिया गया था। इस सम्बन्ध में 26 जुलाई, 1968 को लोक सभा में श्री मोहम्मद इस्माइल तथा 4 अन्य द्वारा पूछे गए अतरांकित प्रश्न संख्या 1035 के दिए गए उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारियों को छुट्टी के लाभ

6635. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के खाद्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य सभी विभागों में कर्मचारियों को 16 मई, 1968, जिस दिन सरकारी कर्मचारी काम पर आये थे, से पहले जमा छुट्टी के लाभ देने से इन्कार कर दिया जा रहा हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) जी हाँ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय में अमेरिकी प्रभाव

6636. **श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अगस्त, 1968 के पेट्रियट' में छपे इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों के अध्यापक दिल्ली विश्वविद्यालय में अमरीकी प्रभाव को रोकने के तरीकों पर चर्चा करने के लिये सोमवार को नई दिल्ली में एक बैठक करेंगे?

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में अमरीका का कोई प्रभाव है और यदि हाँ, तो किस हद तक; और

(घ) अपनी शैक्षिक संस्थाओं में इस विदेशी प्रभाव को रोकने के लिये यदि कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, तो क्या;

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) जी हाँ।

(ख) और (ग): सरकार व विश्वविद्यालय के समक्ष ऐसी कोई सूचना नहीं आई है जिनसे यह पता चलता हो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कार्यों में अमेरिका का कोई प्रभाव है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला (एम० एस० सी० पाठ्यक्रम)

6637. **श्री बलराज मधोक**: क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एम०एस० सी० पाठ्यक्रमों में अनेक विद्यार्थी दाखिला नहीं पा सके;

(ख) क्या यह भी सच है कि विद्यार्थियों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये एस० एस० सी० कैमिस्ट्री के अतिरिक्त एम० एस० सी० के शेष अन्य सभी विषयों में स्थानों की वृद्धि कर दी गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो एम०एस० सी० कैमिस्ट्री के स्थानों में वृद्धि न करने के क्या कारण है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

झुग्गी-झोपड़ी योजना

6638. **श्री बलराज मधोक:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन मास से झुग्गी-झोपड़ी योजना स्थगित पड़ी है।

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने झुग्गी-झोपड़ी योजना का पुनरीक्षण करने तथा अग्रेतर कार्यवाही के लिए पथप्रदर्शक सिद्धान्त निर्धारित करने के लिये अगस्त के दूसरे सप्ताह में प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधियों तथा दिल्ली के संसद सदस्यों की एक बैठक बुलाई थी; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या निर्णय किए गए और योजना को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल):

(क) पिछले तीन मास से कोई बड़े पैमाने पर कार्यवाही नहीं की गई परन्तु छोटे पैमाने पर कार्यवाही की गई और विशेषकर नए बने हुए झुग्गी-झोपड़ी को हटाया गया।

(ख) जी, हाँ।

(ग) सभा की कार्यवाही की प्रति संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० -1982/68**]

Conducting work in Hindi in Government Offices

6639. **Shri Sharda Nand:** Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Quesion No. 3869 on the 31st August 1966 and state :

(a) whether the remaining eight Gazetted Officers have since been taught Hindi under the Hindi Teaching Scheme;

(b) if so, whether the said eight persons have started their work in Hindi ;

(c) if not, the reasons therefor ;

(d) whether it is a fact that the Officers, particularly the Officers in administrative wing, are not sent to learn Hindi under the Hindi Teaching Scheme; and

(e) whether Government propose to post Hindi-knowing Officers in place of non-Hindi-

Knowing Officers in non-technical wing so that the Government work could be porperly carried on in pursuance of the orders of the Ministry of Home Affairs ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) Not yet, Sir. Out of the eight Officers, three have been transferred from the Administration Division, one has retired and one is on long leave for over a year.

(b) and (c): At present there are only four officers in the Administration Division who have yet to acquire working knowledge of Hindi. Of these, three are exempt on age considerations.

(d) and (e): No, Sir. Efforts to encourage non-Hindi-knowng Officers to learn Hindi continue.

Official Work in Hindi in the M/Edu.

6640. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of orders, circulars, notices, etc. relating to class I, II, III and IV employees off his Ministry issued in the first half of 1968 and the number of those out of them, issued in Hindi ;

(b) the number of applications; petitions etc. received in Hindi from these employees during the above period and the number of decisions communicated to them in Hindi ;

(c) the total number of letters received by his Minisry in Hindi during the above period;

(d) the number of those out of them replies to which were sent in (i) Hindi and (ii) English respectively; and

(e) the reasons for which replies to many letters received in Hindi were sent in English?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (e) : The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

Assistance to Public Schools

6641. **Shri Sharda Nand** : Will the Minister of **Education** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1093 on the 12th July, 1967 and state :

(a) the nature of assistance other than maintenance grants given by Government to public schools ;

(b) whether the Society named as 'Indian Pubic School Headmasters Conference' is recognised by Government of India ;

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government to ensure admissions in these public schools on the basis of merit ;

(d) the reasons for which Senior Cambridge examination has been treated as equivalent to Higher Secondary examination while there is wide difference in the syllabi of these two examinations ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) to (d): The required information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

अखिल भारतीय खेल-कूद परिषद्

6642. **श्री धोरेश्वर कलिता** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जब से अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् की स्थापना हुई है तब से इसके कार्य-संचालन का पुनर्विलोकन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) क्या इसके कार्य-संचालन में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की जा रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) जी, हां।

(ख) सरकार को संतोष है कि अखिल भारतीय खेलकूद परिषद जब से बनी है तभी से खेलों के विकास के लिए उपयोगी योगदान दे रही है।

(ग) जी, हाँ।

समुद्री भाड़ा

6643. **श्री धोरेश्वर कलिता** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि समुद्री भाड़े में वृद्धि होने से हमारे निर्यात व्यापार को हानि होती है; और

(ख) यदि हाँ, तो भाड़े में कमी कराने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) भाड़ा दर में वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं से सरकार अवगत है। सागर भाड़ा उन कई बातों में से एक है जिनका निर्यात पर असर पड़ता है। उत्पादन, निर्यात करने के लिये देशी माल, विदेशी बाजारों की माँग और निर्यात किए जाने वाले माल को दी जाने वाला मूल्य जैसी अन्य बातें भी हैं जिनका हमारे निर्यात व्यापार पर प्रभाव पड़ता है।

(ख) : जहाजी भाड़ा समस्याओं के लिए सरकार ने एक भाड़ा जाँच ब्यूरो स्थापित किया है। भाड़ा जाँच ब्यूरो भारत के समुद्र पार के व्यापार की भाड़ा दर संरचना पर निरन्तर सतर्कता पूर्वक दृष्टि लगाये रखता है और उसने भाड़ा दरों में कमी पुनरीक्षण प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं। भाड़ा जाँच ब्यूरो स्वयम् और ऊँची भाड़े की दरों की विशिष्ट घटनाओं के बारे में की गयी शिकायतों पर संबद्ध सम्मेलनों से बात-चीत करता है। गत समय में कई मामलों में भाड़ा में कमी प्राप्त करने में इसके प्रयत्न सफल साबित हुए हैं।

Hindi Stenographers

6644. **Shri Ram Gopal Shalwale** : **Shri Brij Bhushan Lal** :
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri S. S. Kothari** :
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Ranjit Singh** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Hindi Stenographers who had been working in the various Ministeries for more than ten years are still temporary ;

(b) whether it is also a fact that the English Stenographers who have completed their ten years service have been declared permanent ; and

(c) if the replies to part (a) and (b) above be in affirmative, the reasons for which Hindi Stenographers have not been declared permanent so far ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c): English Stenograhers (Grade II of the Central Secretarat Stenographers Service) are recruited through the U. P. S. C. and are confirmed after completion of their probationery period subject to suitability and availability of permanent vacancies. There are many Grade II Stenographers who have not yet been confirmed even ater ten years of service. Hindi Stenographers have been appointed by the Ministries on ad-hoc basis and their confirmation is subject to passing a qualifying test to be held by the Commisson. Some of the Hindi Stenographers are still temporary because of their not having passed the U.P.S.C. test or due to non-availability of permanent vacancies.

Government Publications in Hindi and English

6645. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Brij Bhushan Lal:**
Shri Bharat Singh Chauhan : **Shri S. S. Kothari :**
Shri Atal Bihari Vajpayee : **Shri Ranjit Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry has issued an order that all Government of India publications should be published both in Hindi and English ;

(b) if so, the names of the publications brought out by the different Ministries ;

(c) the names of those publications out of them which are brought out in Hndi as well ; and

(d) the time by which the Hindi versions of the remainng publications would be brought out ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla):

(a) No, Sir.

(b) and (c): The collection of this data for the past many years will involve time and labour which will not be commensurate with the results to be achieved.

(d) Instructoins have now been issued that all Government publications referred to in Section 3 (3) of the Official Languages Act, as amended, must be both in Hindi and Engliih .

Mao Posters in Kerala

6646. **Shri Jagannath Rao Joshi :** **Shri Ram Singh Ayarwal:**
Shri J. B. Singh : **Shri Hardayal Devgun :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that posters have been displayed in Cannanore District of Kerala eulogising Mao and the Peoples' Liberation Front ;

(b) whether it is also a fact that it has become a common feature that some communists openly extol Mao and pay him tributes publicsy in that District ; and

(c) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to information fiurnished by the State Government, wall posters praising Mao and Naxalbari have been noticed in some places in Cannanore district.

(b) The State Government have no such information.

(c) No action has been taken by the State Government.

Gang Engaged in Sale of Indian Girls in West Asian Countries

6647. **Shri Jagannath Rao Joshi** :
Shri Ranjit Singh :
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri S. S. Kothari :
Shri Mahant Digvijay Nath :
Shri Ram Singh Ayarwal :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item published in National Herald of the 13th July, 1968 to the effect that three thousand Indian girls are being sent to Arab countries and other parts of West Asia from Bombay from immoral purposes for the last three years ;

(b) if so, whether Government have conduced an enquiry into the matter ; and

(c) if so, he outcome thereof and the action taken by Government in the connection?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes, Sir

(b) and (c) The Government of Maharashtra have reported that they have no information about Indian girls being sent to West Asian countries for immoral purposes However, an instance came to the notice of the Government of Maharashtra of the sale of a girl for being married to an Arab in Bombay. They have registered a case under section 364/365/366A/368/372/373/327/419 and 120-B of IPC against 9 persons. The case is under investigation.

Industrial Undertakings Functioning in U. P.

6648. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8648 on the 26th April, 1968, regarding Industrial Undertakings functioning under the control of Transport Department in U.P. and state :

(a) whether the required information has since been collected from the Uttar Pradesh Government ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the causes of delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bharat Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement giving the required information is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT—1983/68]**

(c) Does not arise.

Revival of Armed Struggle in Telangana

6649. **Shri S. R. Damani :** **Shri R. K. Sinha:**
Shri Yashwat Singh Kushwah :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether Government have taken note of the recent pronouncements of the Communist leader, Shri Nagi Reddi, hinting at the revival of armed struggle in Telangana in Andhra Pradesh ;

(b) whether similar plans exist in other States also ; and

(c) the steps being taken to meet any such move ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Government have seen press reports of the decisions reported to have been taken by the State Co-ordination Committee of the Communist revolutionaries in Andhra Pradesh. The decisions *inter-alia* include a call for the defence of Telangana movement.

(b) The activities of extremists have come to notice in Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal.

(c) A close watch is being kept on the activities of the extremists.

I. C. S. Officers

6650. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of I. C. S. Officers serving in the Central and various State Governments in December, 1967 ;

(b) the names, designations and departments, etc. thereof and the date of retirement of each of them ;

(c) the number of I. C. S. Officers retired from service upto December, 1967 ; and

(d) the names, designations and departments etc. thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 131 (including 14 I.C.S. Officers permanetly seconded to I.F.S.)

(b) The information regarding their designations and departments etc. is available in the Civil list of I. C. S. Officers as on 1-1-1968. Their date of retirement can be calculated by adding 35 years to the dates of their arrival in India shown against their names in Appendix II of the Civil list. In cases where date of arrival is not given 35 years may be added to the dates of their joining service, which are given in the Civil list.

(c) and (d): The Indian Civil Service was formed in 1861. Collection of information regarding all the officers who have retired and the posts that they held covering a period of more than hundred years would involve labour and money which may not be commensurate with the result to be achieved.

Enquiries made by C. B. I.

6651. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the news published in the Navbharat Times (Hindi) of the 2nd July, 1968 the C. B. I. held an open enquiry in May, 1968 against 35 Gazetted Officers and 183 other employees involved in 175 cases

(b) if so, the number of persons awarded punishment and the extent thereof ;

(c) the amount collected as fine as a result of such enquiry ; and

(d) the department-wise names, designations and addresses of the persons referred to in parts (a) and (b) above ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c): So far, prosecution has been launched against 3 public servants and departmental action has been recommended against 19 public servants. None of them has so far been convicted or punished departmentally.

(d) As the cases are still pending investigation or departmental action, it is not desirable to divulge the names and designations.

Securities of Employees of Gorakhpur Area of U.P. Roadways

6652. **Shri Shiv Charan Lal**: Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 40 pages containing details regarding the securities of the employees of Gorakhpur area of the State Roadways have been removed from the Security Register kept in the Office of the General Manager of the Roadways ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) Yes, Sir.

(b) The matter is under investigation by the Police and further action will be taken on receipt of its report.

सलाहकार समिति

6653. **श्री प्रेम चन्द वर्मा**: क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय से सम्बन्धित विभिन्न सलाहकार समितियों, बोर्डों या ऐसे किन्हीं अन्य संगठनों के नाम क्या हैं, उनके सदस्यों के क्या नाम हैं और उनमें से प्रत्येक को क्या-क्या काम सौंपे हैं;

(ख) प्रत्येक समिति या बोर्ड में कितने-कितने सदस्य सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं और कितने सरकारी अधिकारी हैं;

(ग) क्या सदस्यों का नाम निर्देशन केवल एक कालावधि के लिये ही होता है और यदि नहीं, तो एक सदस्य कितनी कालावधियों के लिये पुनः नाम निर्देशित किया जा सकता है और कालावधि कितनी होती है; और

(घ) वर्ष 1967-68 में इन संगठनों पर कुल कितना धन व्यय किया गया?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० बी० के० आर वी० राव) (क) से (ग): संलग्न दो विवरणों में अपेक्षित सूचना दे दी गई है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1984/68]

(घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित शिष्ट मंडलों, मंत्रियों तथा सरकारी कर्मचारियों का विदेशों का दौरा

6654. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय की ओर से कितने शिष्टमंडल, मंत्री, सरकारी कर्मचारी अथवा अन्य विशेषज्ञ 2 अप्रैल, 1964 से 31 जुलाई, 1968 तक सरकारी खर्च पर विदेश गए थे;

(ख) प्रत्येक मामले में किन देशों का दौरा किया गया और दौरे की अवधि कितनी थी;

(ग) प्रत्येक दौरे पर कितनी राशि व्यय की गई और उसमें से विदेशी मुद्रा कितनी थी; और

(घ) प्रत्येक दौरे के परिणाम स्वरूप सरकार को क्या लाभ हुआ और क्या कोई करार किये गए और यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित प्रतिनिधि मंडलों का विदेशों का दौरा

6655. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष इनके मंत्रालय की ओर से कितने शिष्ट मण्डल, मंत्री, सरकारी कर्मचारी अथा अन्य विशेषज्ञ सरकारी व्यय पर विदेश में गए;

(ख) प्रत्येक मामले में किन-किन देशों का दौरा किया गया और दौरे की अवधि कितनी थी;

(ग) प्रत्येक दौरे में कितनी राशि व्यय की गई तथा उसमें कितनी विदेशी मुद्रा थी; और

(घ) प्रत्येक दौरे के परिणाम स्वरूप सरकार को क्या लाभ हुआ है और क्या कोई करार किए गए तथा यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1985/64]**

Roads in Delhi

6656. **Shri Kanwar Lal Gupta** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the names of main roads of Delhi, which were to be constructed or repaired during the last two years and the extent of work done in this respect;

(b) the names of roads of Delhi, which are proposed to be constructed or repaired during the next two years; and

(c) the amount earmarked by Government for this purpose during the last two years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c) : The necessary information is being collected from the road authorities in Delhi and will be laid on the Table of the Sabha as soon as possible.

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

6657. **श्री कंवर लाल गुप्त:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने के लिये पिछले तीन महीनों में क्या कार्यवाही की गई है, अथवा की जानी है,

(ख) गत एक वर्ष में कितने पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई; और

(ग) कितने पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध दाण्डिक अपराध के लिये कार्यवाही की गई और उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) अपराधों की स्थिति के बारे में समय-समय पर विचार किया जा रहा है। और पुलिस का प्रभावशीलता बढ़ाने के लिये आवश्यक निरोधक एवं प्रशासनिक कदम भी उठाये गए हैं। गश्त-कार्य में सुधार और अच्छे किस्म के उपकरणों के प्रयोग जैसे कुछ उपाय इस दिशा में किए जा चुके हैं।

(ख) 16-8-1967 से 15-8-1968 तक की अवधि में 1221 पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

(ग) दाण्डिक अपराधों के लिये 67 पुलिस वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई। इनमें 2 सब इंस्पेक्टर, 6 असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, 7 हैड कांस्टेबल और 52 कॉंस्टेबल हैं।

Introduction of Bills in Hindi

6658. **Shri Prakash Vir Shastri**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the further progress made in the introduction of Bills in Hindi ;

(b) when the introduction of Bills in Hindi would commence ; and

(c) the main reasons for which a decision could not be taken so far in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The mater is still under consideration.

(b) It is not possible at this stage to indicate the date by which introduction of bills in Hindi also will commence.

(c) This is an important matter and various implications of the proposal are being carefully examined.

Police Excesses in Ghazipur

6659. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it s a fact that in July, 1968, the Police beat a person in Mohammedabad, District Ghazipur (Uttar Pradesh) so severely that he died ;

(b) whether Government have received any reports in this regard ; and

(c) if so, the action being takenin the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) ; The Government of Uttar Pradesh have reported that on 17-7-68, a person arrested by the local police of Police Station, Mohammedabad, District Ghazipur, died in police custody. A magisterial inquiry is being held in the matter.

नेफा में सड़कों का विकास

6660. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा क्षेत्र में सड़कों के विकास के प्रयोजन से कोई विस्तृत सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और ये कब तक कराया जायेगा ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना नेफा प्रशासन से एकत्रित की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पर्यटकों से शिकायतें

6661. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों में विदेशी तथा भारतीय पर्यटकों ने सरकार से शिकायतें की हैं कि पर्यटक विभाग के अधिकारियों ने उनके प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख): जी, नहीं। इसके विपरीत, विदेशी तथा भारतीय दोनों ही प्रकार के पर्यटकों ने पर्यटन विभाग एवं इसके कार्यालयों द्वारा दी गयी सहायता की सराहना की है, परन्तु कुछ खेद भी इस बात पर प्रकट किया गया है कि मुख्य केन्द्रों में और अधिक कार्यालय नहीं हैं।

Communists Training in Guerilla Warfare

6662. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the Communist Extremists have decided in their recent meeting held in Ambala to constitute initially a Liberation Front consisting of 500 persons trained in guerilla warefare for bringing revolution in the country ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have no such information.

(b) and (c) : Do not arise.

उड़ीसा के गाँव पर आन्ध्र प्रदेश सरकार का दावा

6663. **श्री श्रद्धाकर सुपकार**: क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार उड़ीसा के कुटिया गाँव के ग्रामीणों से इस समय किराया वसूल कर रही है और उसने वहाँ पर हाल ही में एक पुलिस चौकी भी स्थापित कर ली है; और

(ख) क्या सरकार ने इस दावे पर विचार किया है और इस विवाद को शान्ति-पूर्वक हल करने की कोशिश की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) : कोटिया गाँवों के समूह पर क्षेत्राधिकार के प्रश्न पर आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा की सरकारों में विवाद है, जो उड़ीसा सरकार के अनुसार कोरापुट जिला का भाग है तथा आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुसार श्री काकुलम जिला का भाग है। प्रत्येक पक्ष से शिकायतें मिलती रही हैं कि दूसरा राज्य, भूराजस्व आदि एकत्रित कर उनके क्षेत्र में क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा है। दोनों राज्यों ने सूचित किया है कि उन्होंने कोटिया गाँव में पुलिस चौकी स्थापित की है। विवाद को मैत्रीपूर्ण ढंग से हल करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

Castasia

6664. **Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Yashpal Singh :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a Conference on the Application of Science and Technology for the development of Asia was held in New Delhi recently ;

(b) if so, the names of participating countries ;

(c) the matters discussed therein ; and

(d) the results achieved thereby ?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen) : (a) Yes, Sir. The Conference was held from 9-20th August, 1968 at Vigyan Bhavan, New Delhi.

(b) The following member States of Unesco attended the Conference :

Afghanistan, Australia, Burma, Cambodia, Ceylon Republic of China, France, India, Indonesia, Iran, Japan, Republic of Korea, Laos, Malaysia, Mongolia, Nepal, Netherlands, Pakistan, Philippines, Singapore, Thailand, Union of Soviet Socialist Republics, United Kingdom, United States of America and Republic of Viet Nam.

(c) The matters discussed at the Conference were:

(i) The present status of science and technology in Asia.

(ii) Pre-requisites for the application of science and technology to development.

(iii) The improvement of science education in the countries of Asia.

(iv) Science policy and its relation to national development planning.

(v) Draft Asian plan for scientific and technical manpower and cost of research and development (1965-1980).

(d) An important achievement of Castasia was the emphasis it laid on generating inter-Ansia co-operation in the field of Science and Technology.

Banthala-Chitauri-Rataul Road in U.P.

6665. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) whether it a fact that a proposal for metalling a 64 feet wide and 9 miles long portion of Banthala-Chitauri-Rataul road in Uttar Pradesh has been under consideration for the last 12 years ;

(b) whether it is also a fact that a sum of Rs.90 thousand had been made available to P.W. D. by the Planning Department since 1958 for construction of this raod ;

(c) whether it is further a fact that in 1966, the Zila Parishad had also agreed to give Rs.18,000 on raising the estimated outlay of this road by the P.W.D. ; and

(d) if so, the reasons for not taking up the construction work of this road and the time by which the construction work is likely to be started ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d) ; The required information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Teachers in Aligarh University

6667. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of teaching staff in the various faculties of the Aligarh University at present ;

(b) the rules in regard to the appointment of teaching staff in the said University ;

(c) whether such rules obtain in other Universities also ;

(d) if not , the reasons therefor ;

(e) whether Government propose to consider the question of formulating uniform rules in this regard ; and

(f) if not , the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) Information is being collected and will be laid on the table of the Sabha in due course.

(b) The appointment of teaching staff in the Aligarh University is made by the Executive Council on the recommendation of Selection Committee duly constituted in accordance with Statute 20 of the Statutes of the University.

(c) and (d): Each University in India is an autonomous body in the matter of making appointments to posts under its charge and is competent to make its own rules concerning such appointments subject to the provision of its Act and Statues.

(e) No, Sir.

(f) The framing of rules relating to appointment of staff is entirely within the administrative competence of the Universities concerned.

Backward Classes Leauge

6668. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Home Affairs** be plesaed to state :

(a) whether any Backward Classes League has been formed in Delhi ;

(b) if so, the names of prominent founders thereof and their antecedents ; and

(c) the aims of the League and the details of its activities so far ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affiars : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) and (c) : Do not arise

Short M. B. B. S. Course at Banaras University

6669. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a act that the Banaras Hindu University has wirtten to the University Grants Commission to allocate them the necessary funds for enabling them to start a short M.B.B.S. course for such students who have passed A.B.M.S. Course of the said University; and

(b) if so, the amount asked for, when it is likely to be allocated and the reasons for delay in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) and (b) : The Banaras Hindu University had approached the Government and University Grants Commission for providing an additional sum of Rs.1,50,000 to them for starting a 12 months' Licentiate Course (and not M.B.B.S. course) for those who have passed the A.B.M.S., A.M.S or an equivalent examination. The University was advised to accommodate the proposal within the existing resources.

The other reasons for not starting the course are :—

(i) The Universty proposed a 12 months' condensed D.M.S. course, while the Medical Council of India insisted on a 18 months' course

(ii) The A.M.S. and A.B.M.S. Graduates are not prepared to join the condensed course.

Long Term Schemes on Education

6670. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have asked the State Governments to submit a long term scheme regardig education on the basis of the recommendations of the Education Commission ;

(b) if so. the names of the States which have submitted their schemes in this regard; and

(c) the action being taken by Government thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) Yes, Sir. The State Governments were requested to prepare long term perspective plans for educational development in their respective States spread over the next 15-20 years.

(b) and (c) : Several States such as Andhra Pradesh, Gujarat, Haryana, Maharashtra Mysor and West Bengal have taken up the preparation of such a long-term plan and will be finalising it soon. It is expected that other states will follow suit

Shaulmari Ashram

6671. **Shri Jharkhande Rai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the various misunderstandings prevailing in the country in regard to the Shaulmari Ashram ;

(b) whether Government are also aware of the misunderstanding being created by certain elements and people in an organized manner in the country about the Mahatmaji of Shaulmari Ashram as Netaji Subhash Chandra Bose ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (**Shri Vidya Charan Shukala**) : (a) to (c) : There is no room for any misunderstanding either in regard to the Shaulmari Ashram or the identity of the Sadhu of that Ashram. On both these subjects, detailed information has been furnished in the past to Parliament as also to the press. A copy of the Press Note issued by the Government of West Bengal in this connection on April 25, 1962, is laid on the Table of the House. [**Placed in Library. See No. L.T.—1986/68**].

नई दिल्ली में शहीदी 'गेट' के लिये योजना

6672. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्वतन्त्रता के लिये लड़ने और मरने वाले व्यक्तियों की स्मृति में नई दिल्ली में कोई शहीदी 'गेट' बनाने की सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह योजना कब तक क्रियान्वित हो जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग): प्रश्न नहीं उठता।

गांधी शताब्दी समारोह

6673. **श्री जो० एस० रेड्डी** : क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष होने वाले गाँधी शताब्दी समारोह सम्बन्धी योजनाएं खटाई में पड़ गई हैं क्योंकि अनेक राज्यों में मद्य-निषेध के बारे में अनिच्छापूर्वक तथा ढीले रवैये के कारण मध-निषेध तथा हरिजन उन्नति सम्बन्धी उप-समिति की चेयरमैन श्रीमती सुचेता कृपालानी द्वारा त्यागपत्र दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैथिली भाषा का संविधान की आठवीं अनुसूचि में सम्मिलित किया जाना

6674. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत के किन्हीं सामाजिक संगठनों और विशेष व्यक्तियों से अभ्यावेदन और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं जिनमें मैथिली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची शामिल किये जाने का निवेदन किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस अभ्यावेदनों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख): मैथिली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के बारे में सरकार को समय-समय पर सामाजिक संस्थाओं की ओर से तथा व्यैक्तिक आधार पर अभ्यावेदन और ज्ञापन प्राप्त होते रहे हैं।

(ग) भारत सरकार का यह सुविचारित निर्णय है कि राष्ट्र के व्यापक हित को ध्यान में रखते हु आठवीं अनुसूची का आगे विस्तार न किया जाये।

केन्द्रीय सड़क-परिवहन निगम

6675. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सड़क-परिवहन निगम आरम्भ से ही बहुत घाटे पर कार्य करता रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस संगठन में व्यापक रूप से फैले भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने का विचार है जिसमें, विशे कर कलकत्ता क्षेत्र में, टायरों, पेट्रोल और पुर्जों की चोरी शामिल है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) निगम के जांचे हुए लेखे के अनुसार 7-3-64 से (निगम के शुरु होने की तारीख) 31-3-65 तक 1,43,556 रुपये का लाभ हुआ था और 1965-66 में 67,529 रुपये का। किन्तु निगम को 1966-67 में 16,52,330 रुपये की हानि उठानी पड़ी। निगम के 1967-68 के जांचे हुए लेखे अभी तैयार नहीं हैं।

(ख) निगम को जो हानि हुई उसके मुख्य कारण निम्न हैं :—

(1) ईंधन और टायर की लागत में वृद्धि।

(2) मोटर-गाड़ी कर और परमिट फीस में वृद्धि।

(3) कुछ लम्बे फासलों के मार्ग पर लादे गये भार पर नियंत्रण लगाना, जिन पर इस अवधि में निगम परिचालन कर रहा था जैसे, कलकत्ता-दिल्ली और इस तरह उसकी गाड़ियाँ अपना पूरा अदायगी भार न ले जा सकी।

(4) 1966-67 में आसाम, बिहार, उ० प्र० और कुछ (गुजरात) में बाढ़।

(5) व्यापार में मन्दी जिसके कारण यातायात न मिल सका।

(5) फरक्का घाट पार करने और कुछ अन्तर्राज्यीय मार्गों की चुंगी चेक पोस्टों पर व्यर्थ दीर्घ समय तक रुकना।

(7) हड़ताल और धीरे काम करो पद्धति जिसे कुछ कर्मचारियों विशेषकर ड्राइवरों ने अपनाया।

(ग) निगम ने भ्रष्टाचार के कुछ आरोप लगाये गये हैं जिनकी जाँच की जा रही है। जाँच पूरी हो जाने पर उचित कार्यवाही की जायेगी।

राष्ट्रीय दक्षता दल

6676. **श्री इन्द्रजीत गुप्त**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय दक्षता दल में तृतीय श्रेणी के किन्हीं पदों के वेतन-मान दूसरे वेतन आयोग द्वारा इस श्रेणी के लिए निर्धारित वेतन-मान (न्यूनतम) से कम हैं ;

(ख) क्या राष्ट्रीय दक्षता दल में दफ्तरियों के वेतनमान अन्य कार्यालयों में दफ्तरियों के वेतनमानों से कम हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इन विषमताओं के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक दूर किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए अन्यत्र निम्न वेतनमान हैं।

(ख) जी हाँ।

(ग) दफ्तरी के पद का वेतन-मान आरम्भतः कम था और इसलिए तदनुरूप संशोधित वेतन-मान भी कम है।

राष्ट्रीय दक्षता दल प्रमाणपत्र

6677. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में राज्यों के शिक्षा सचिवों तथा निदेशकों का जो सम्मेलन हुआ था, क्या उसमें यह सिफारिश की गई थी कि राष्ट्रीय दक्षता दल सी० टी० आई० द्वारा प्रदत्त डिप्लोमाओं तथा प्रमाणपत्रों को शिक्षा बोर्डों, विश्वविद्यालयों तथा सरकार द्वारा मान्यता दी जानी चाहिए ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी हाँ। राष्ट्रीय स्वस्थता और निदेशालय के केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा दिये गये शारीरिक शिक्षा के डिप्लोमा तथा प्रमाण पत्र के लिए केन्द्रीय सरकार की मान्यता के बारे में राज्य सरकारों वगैरह को सूचित कर दिया गया है। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि अन्य शारीरिक-शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं से मान्यता प्राप्त डिप्लोमा/प्रमाण पत्र ग्रहण करने वाले व्यक्तियों के बराबर इस डिप्लोमा / प्रमाण-पत्र लेने वाले व्यक्तियों को समझा जाए। छः राज्यों ने—अर्थात् असम, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश और तीन संघ राज्य

क्षेत्र--अर्थात् अण्डमान व निकोबार-द्वीपसमूह, मणिपुर, पांडिचेरी ने सिफारिश की अपनी स्वीकृति भेज दी हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजधानी में चोरी के मामले

6678. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री अंबुचेजियान

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में बड़ी-बड़ी चोरियाँ उत्तर प्रदेश से आये हुए समाज-विरोधी तत्व करते हैं और छोटी-मोटी चोरियाँ बम्बई से निकाले गये लोग करते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राजधानी में अपराधों की बिगड़ती हुई स्थिति का गम्भीर सर्वेक्षण करने के बाद पुलिस के जासूस इन निष्कर्षों पर पहुंचे हैं ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में अधिकारी वर्ग ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा दिया गया रजत जयन्ती पुरस्कार

6679. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
अम्बुचेजियान :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उ कर्मचारियों को रजत जयन्ती सेवा पुरस्कार देने का निर्णय किया है जिन्होंने कि 25 वर्ष सेवा पूरी कर ली है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितने व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया है ;

(ग) पुरस्कार के लिए व्यक्तियों को चुनने का आधार क्या है ; और

(घ) पुरस्कार का प्रयोजन क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) पुरस्कार (अवार्ड) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा दिये गये थे।

(ख) 27।

(ग) और (घ) : पुरस्कार (अवार्ड) उन व्यक्तियों को प्रेरणा स्वरूप दिये गये हैं, जिन्होंने 1-4-1967 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी।

भारत पूर्वी-पाकिस्तान सीमा पर अपराध

6680. **श्री चेंगलराया नायडू :** **श्री अंबुचेजियान।**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सीमा पर अपराधों की रोकथाम करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए 20 अगस्त, 1968 को भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो उसमें क्या निर्णय किये गये थे ; और

(ग) क्या सभी अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सभी प्रकार के अपराधों तथा चोरियों पर, जिनमें पिछले कुछ समय से वृद्धि होती जा रही है, पाकिस्तान से बातचीत करने का भी निर्णय किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पाकिस्तान से इस विषय पर बातचीत करने सम्बन्धी कोई निश्चित प्रस्ताव अभी सरकार के सामने नहीं है। सीमा क्षेत्र सम्बन्धी नियमों में ऐसी बैठकों के लिये व्यवस्था है और दोनों देशों के अधिकारियों में सीमान्त घटनाओं पर विचार करने के लिए उपयुक्त स्तर पर ऐसी बैठकों का आयोजन किया जा सकता है। ऐसी बैठकें समय-समय पर की जाती हैं।

राँची और पटना में लाठी चार्ज

6681. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में राज्य मंत्री ने अगस्त, 1968 को सभा में आश्वासन दिया था कि सरकार इस बात की अग्रतर जाँच करेगी कि क्या बिहार अराजपत्रित कर्मचारी संघ के महामंत्री, श्री जोगेश्वर गोप द्वारा बिहार सरकार के मुख्य मंत्री को लिखे गये पत्र पर कार्यवाही की गई है और क्या कार्यवाही की गई है तथा राँची और पटना में लाठी चार्ज किये जाने के आरोपों की भी जाँच करेगी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बीच जाँच कर ली गई है और यह सिद्ध हो गया है कि लाठी-चार्ज किया गया था, और

(ग) क्या यह झूठी रिपोर्ट देने के लिए, कि लाठी-चार्ज नहीं किया गया था, किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग): बिहार सरकार से आगे पूछताछ की गई है तथा उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विरुद्ध अम्बाला जनसंघ शाखा की शिकायत

6682. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय जनसंघ की अम्बाला छावनी शाखा ने "स्वतंत्र लोकतंत्रात्मक तरीकों की उपेक्षा करने तथा उनमें बाधा डालने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अलोकतंत्रीय तथा मनमानी पर्दे के पीछे की गतिविधियों" के बारे में जाँच करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत सरकार को इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

ऋण से जहाज खरीदना

6683. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने उनके मंत्रालय के इस अनुरोध को, कि आठ वर्ष से कम अवधि के ऋण पर जहाज खरीदने की अनुमति दी जाय ; अस्वीकृत कर दिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विषय में क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति को दृष्टि में रखते हुए जहाज सामान्यतः विदेशों से व्यय स्वयं पूरा करने के आधार पर लिए जाते हैं। इसमें ऐसे जहाजों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा जिससे ऋण के ब्याज और पूंजी का भुगतान किया जाय, का विचार किया जाता है। अतः विदेशी मुद्रा ऋणों के पुनर्भुगतान की स्वीकार्य अवधि लिये जाने वाले विशिष्ट जहाज द्वारा अर्जित की जाने वाली विदेशी मुद्रा पर निर्भर करती है। जब कि मोटी तौर पर नये जहाज विदेशी मुद्रा ऋणों के भुगतान के लिए न्यूनतम अवधि 8 वर्ष समझी जाती है, दूसरी तरफ कुछ मामलों में पुनर्भुगतान के लिए 8 वर्ष से कम अवधियाँ भी स्वीकार की गई हैं। ऐसे मामलों में विशिष्ट रास्तों की तुरन्त आवश्यकताएं विदेशी मुद्रा ऋण की शर्तें उस मामले के दावे के निर्णय के लिए अत्यन्त संगत शर्तें होंगी ।

विदेशी पर्यटन

6684. **डा० रानेन सेन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा नगर विमानन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं; इसके विपरीत, 1967 के पूर्वार्द्ध में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की अपेक्षा 1968 के पूर्वार्द्ध में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगभग 8% की वृद्धि हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय फुटबाल का स्तर

6685. **डा० रानेन सेन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय फुटबाल का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से बहुत नीचा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत वर्ष कई वर्षों से भारतीय फुटबाल का स्तर पहले जैसा ही रहा है ; और

(ग) यदि हाँ, तो देश में इसके स्तर को ऊंचा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) वास्तव में हाल के वर्षों में यह गिरा है।

(ग) देश में फुटबाल के स्तर को सुधारने के लिए कदम उठाना मुख्यत: अखिल भारतीय फुटबाल संघ की जिम्मेदारी है। तथापि, संघ से सरकार को वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त प्रार्थनाओं पर यथोचित ध्यान दिया जाता है। संघ ने अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् द्वारा सभी प्रमुख फुटबाल प्रतियोगिताओं में 90 मिनट का खेल लागू करने सम्बन्धी सलाह को स्वीकार कर लिया है और इसके अच्छे परिणाम निकलने की आशा है।

Hindi Officer in the Ministry of Home Affairs

6686. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the post of Hindi Officer in this Ministry was filled on ad-hoc basis ;

(b) if so, when ;

(c) whether it is also a fact that such posts are required to be filled through the U.P.S.C. ; and

(d) if so, the action taken to do so, and when it is likely to be advertised by the U.P.S.C.?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes. But the appointment was brought to the notice of the Union Public Service Commission in accordance with the regulations relating to consultation with them and it continues with their concurrence.

(b) On 31-12-1966.

(c) According to the recuritment rule, as it stood on the 31st December, 1966, appointment could be made by transfer on deputation of a suitable officer holding an analogous post under the Central or State Government, failing which by direct recruitment. Consultation with the Union Public Service Commission was not necessary for making the appointment by transfer on deputation of an eligible officer. Consultation with the Union Public Service Commission was necessary if appointment had to be made by direct recruitment.

The recruitment rule has since been revised with effect from the 7th August, 1968. It provides for appointment by selection through the U. P. S. C., from amongst suitable officers holding posts created exclusively for Hindi work in the various Ministries /Departments, in the scales carrying a maximum of Rs. 530 and possessing the requisite qualifications and experience, failing which by direct recruitment.

(d) Action is being taken to fill the post in accordance with the revised rule in consultation with the Union Public Service Commission. Unless the post is filled by direct recruitment, it will not be necessary for the Union Public Service Commission to advertise the post.

Commission for Scientific and Technical Terminology and Central Hindi Directorate.

6687. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the technical staff is deputed on administrative work in the commission for Scientific and Technical Terminology and the Central Hindi Directorate;

(b) if so, the names of posts against which they are asked to work ;

(c) whether it is proposed to depute the non-technical staff on the administrative work instead of the technical staff ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b): There is one Senior Research Officer in the Commission who has been entrusted with administrative work. He is working aganst his own post and not against any administrative post. The position is being urgently reviewed.

(c) and (d) : Since recruitment to administrative posts in the Commission normally is already being made according to the prescribed Recruitment Rules, the questions do not arise.

Recruitment in S. T. T. C. and Hindi Directorate

6688. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the posts in Scientific and Technical Terminology Commission and Central Hindi Directorate, which are filled up through the Union Public Service Commission, are filled up in an irregular manner and these two institutions write to the U.P.S.C. to fill up these posts much longer afterwards ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether precautions would be taken in future to ensure that the posts which are to be filled up through the U. P. S. C. direct should be filled through U. P. S. C. alone without making adhoc appointments ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b) : Pending recruitment through the Union Public Service Commission, certain direct recruitment posts hve been filled on an adhoc basis in the exigencies of work as recruitment through the Commission usually takes time. Steps are, however, being taken to fill these posts through the Union Public Service Commission in a regular manner.

(c) Yes, Sir. Every possible precaution is being taken in the matter.

Posts of Technical Assistants

6689. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the posts of Research Assistants in the Scientific and Technical Terminology Commission and the Central Hindi Directorate are at present lying vacant ;

(b) if so, the number of those posts and since when they have been lying vacant ;

(c) whether it is also a fact that appoinments have been made against these posts on adhoc basis ;

(d) if so, the reasons for which appointments were not made against these posts through the U. P. S. C. in a regular manner ; and

(e) the time by which the U. P. S. C. would be asked to fill up these posts ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) and (b) 10 posts of Research Assistants in the Commisson for Scientific and Technical Terminology and 2 posts of Research Assistants in the Central Hindi Directorate are lying vacant since 1-3-1968 and 1-4-1968 respectively.

(c) and (d): Only 2 posts of Research Assistants in the Central Hindi Directorate were filled on an adhoc basis as the posts were sanctioned for a period of 4 months only.

(e) requisiion for recruitment against 10 posts of Research Assistants in the Commission for Scientific and Technical Terminology has already been sent to U.P.S.C. Recruitment against the posts in the Central Hindi Directorate though U. P. S. Crowill be resorted to if and when these posts are sanctioned for a longer period.

Students Admitted to Medical and Engineering Courses in Aligarh

6690. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of students admitted in the M.B. B.S. and Engineering Courses, separately, in Aligarh University during the current academic session ;

(b) the rules in regard to the admission to the said courses ;

(c) whether reports in regard to the violation of the said rules have been received by Government ; and

(d) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b): The information is being collcted and will be laid on the table of the Sabha in due course.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

रीवा विश्वविद्यालय की स्थापना

6691. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी अन्य प्राधिकार के परामर्श अथवा स्वीकृति के बिना नये विश्वविद्यालय का गठन करने में सक्षम हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या मध्य प्रदेश में रीवा विश्वविद्यालय को भारत के अन्य विश्वविद्यालय के समान महत्व तथा विशेषाधिकार प्राप्त होगा; और

(ग) इस विश्वविद्यालय को इतनी शीघ्रता से गठन करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) चूंकि विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह के विरुद्ध की गई है, इस आयोग से विकास अनुदान प्राप्त नहीं होगा।

(ग) यह मुख्यत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

कुछ संघ राज्य क्षेत्रों को पूरे राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग

6692. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रशासित उन संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जो पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने की माँग कर रहे हैं और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ख) हिमाचल प्रदेश, जिसका प्रशासन प्रगतिशील और सक्षम है, को पूर्ण राज्य का दर्जा देने से इन्कार करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) केन्द्र द्वारा प्रशासित छोटे क्षेत्रों का पड़ोसी राज्यों से विलय किये जाने की क्या योजनाएं हैं और यह कार्य कितने समय में हो जाने की संभावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) वर्तमान समय में हिमाचल प्रदेश और मणिपुर सरकार इन दो संघ राज्य क्षेत्रों के दर्जे में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं रखती है।

(ख) हिमाचल प्रदेश अभी काफी हद तक यहाँ तक कि अपने योजनेतर राजस्व व्यय के लिये भी केन्द्रीय सहायता पर निर्भर करता है।

संघ राज्य क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करने के प्रश्न पर तभी विचार किया जायेगा जब वह आर्थिक सक्षमता प्राप्त कर लेगा।

(ग) वर्तमान में सरकार ऐसे किसी प्रस्तावों पर विचार नहीं कर रही है।

पांडिचेरी से भारत में बनी तथा विदेशी मदिरा की तस्करी

6693. **डा० सुशीला नायर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांडिचेरी के संघ राज्य क्षेत्र से भारत में बनी विदेशी मदिरा बड़ी मात्रा में निकटस्थ मद्रास राज्य के मद्य-निषेध वाले क्षेत्रों में चोरी-छिपे लाई जा रही है ;

(ख) वहाँ इसका वार्षिक आयात कितना है, क्या संघ राज्य क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकता से अधिक आयात होता है और इस कारण से चोरी-छिपे बाहर भेजा जा रहा है; और

(ग) यदि हाँ, तो संघ राज्य क्षेत्र सरकार को क्या कदम उठाने का सुझाव दिया गया है क्योंकि वहाँ पर धीरे-धीरे मद्य निषेध लागू किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग): पाँडिचेरी से मद्रास को भारत में बनी विदेशी मदिरा की बड़ी मात्रा में तस्करी की शिकायतें हैं। वित्तीय वर्षों में वार्षिक आयात इस प्रकार था :—

1965–66	82,988 पेटियाँ
1966–67	45,826 पेटियाँ
1967–68	31,658 पेटियाँ

जो राज्य क्षेत्र की सामान्य आवश्यकताओं से अधिक मालूम पड़ता है। जैसा कि आँकड़ों से पता चलता है कि मदिरा का आयात धीरे-धीरे कम किया जा रहा है। थोक व्यापारियों के आयात कोटा पर प्रतिबन्ध लगाने जैसे अन्य कदम भी उठाये गये हैं। पांडिचेरी सरकार तस्करी को रोकने के लिये एक विशेष पुलिस दस्ते के गठन का भी विचार कर रही है।

दिल्ली में अपराधों की स्थिति

6694. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस के राजपत्रित तथा अराजपत्रित कर्मचारियों में सहयोग न होने के कारण दिल्ली में अपराधों की स्थिति खराब हो गयी है ;

(ख) क्या यह 1967 की हड़ताल में भाग लेने के परिणामस्वरूप पुलिस कर्मचारियों को नौकरी से हटाये जाने के कारण हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो कितने व्यक्तियों को नौकरी से हटाया गया था ; और

(घ) पुनः सामान्य स्थिति उत्पन्न करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

जनपथ होटल (नई दिल्ली) के प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति

6695. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनपथ होटल के वर्तमान प्रबन्ध निदेशक का चयन समाचार-पत्र में विज्ञापन द्वारा आवेदन पत्रों के आमंत्रित किये जाने के बाद किया गया था ;

(ख) यदि हाँ, तो विज्ञापन के प्रत्युत्तर में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इस पद के उम्मीदवार आवेदकों की योग्यता और अनुभव क्या थे ;

(ग) कितने अभ्यर्थियों को इन्टरव्यू के लिये बुलाया गया ;

(घ) क्या इस प्रयोजन के लिए किसी चयन समिति की नियुक्ति की गई थी ;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्ति को अनुमोदित नहीं किया और उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की गई ; और

(च) यदि हाँ, तो चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये व्यक्ति को नियुक्त न किये जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) 90।

(ग) 19।

(घ) जी, हाँ।

(ङ) और (च) : चयन समिति (सेलेक्शन कमीटी) ने योग्यता-क्रम से तीन व्यक्तियों की सिफारिश की और कहा कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लेशतः योग्यतर है। लेकिन सरकार ने सिफारिश किये गये दूसरे व्यक्ति को तरजीह दी और उसे उक्त पद पर नियुक्त कर दिया।

अनुभाग अधिकारियों के पदों पर विभागीय पदोन्नतियां

6696. **श्री सूरजभान** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अर्हता प्राप्त सामान्य अभ्यार्थियों के हित की रक्षा करने के लिये, सरकार ने विभागीय परीक्षाओं द्वारा अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नत किये गये अधिकारियों के मामले में तालिका बनाई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यार्थियों ने फरवरी, 1964 में परीक्षा उत्तीर्ण की थी उन्हें उनके वैध अधिकार देने से इन्कार किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख): जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अनुभाग अधिकारियों के रूप में पदोन्नति

6697. **श्री सूरजभान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 में हुई विभागीय परीक्षा के आधार पर कितने परीक्षार्थियों को अनुभाग अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया है ;

(ख) उपलब्ध आरक्षित रिक्त पदों पर 1961 में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के कितने अधिकारियों को (1) आगे ले जाने के नियम के अधीन (2) 1960 की परीक्षा के रिक्त पद पर पदोन्नत किया गया और चयन के न्यूनतम अंक कितने थे ;

(ग) ऐसे आरक्षित पदों की संख्या कितनी है जिनको 1964 में भरा नहीं गया और जो आगे ले जाये गये ;

(घ) क्या यह सच है कि विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हुए 49 उम्मीदवारों में से केवल चार व्यक्ति अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की पदोन्नति 1964 में की गई थी, यद्यपि अन्य अनेक परीक्षार्थियों ने भी 45 प्रतिशत से अधिक अंक ले कर परीक्षा पास की थी ; और

(ङ) यदि हाँ, तो सभी आरक्षित रिक्त पदों पर अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के उत्तीर्ण उम्मीदवारों को पदोन्नत न किये जाने और बाकी बचे हुए ऐसे व्यक्तियों की, अनुसूचित जातियों / अनसूचित आदिम जातियों से भिन्न व्यक्तियों की तालिकाओं के समान तालिका न बनाई जाने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) 121।

(ख) आगे ले जाने के नियम के अन्तर्गत 23 आरक्षित रिक्तियाँ उपलब्ध हैं। 1960 की परीक्षा की रिक्तियों में 4 आरक्षित रिक्तियाँ।

अन्तिम अनसुचित जाति के उम्मीदवार ने जिसे पदोन्नत किया गया था 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किये थे।

(ग) 8-11-1963 से अनुसूचित जाति / अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए वरीयता व उपयुक्तता चयन या विभागीय उम्मीदवारों की प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर श्रेणी 11 या उच्च सेवा पदों पर नियुक्ति के लिए कोई आरक्षण नहीं था। अतः 1964 में भर्ती में आगे ले जाने वाली किसी आरक्षित रिक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ब) अनुभाग अधिकारी सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (फरवरी, 1964 में हुई) के आधार पर 1963 के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल करने के लिए केवल 16 अधिकारी थे, तदनुसार संघ लोक सेवा आयोग ने चार अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों सहित 16 सफल उम्मोदवारों की सिफारिश की थी ।

(स) प्रश्न नहीं उठता ।

Riots in Bihar

6698. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of communal riots that took place in Bihar during the period from January, 1964 to 30th April, 1968 ;

(b) the number of persons killed and injured in the riots separately ;

(c) the details of the property destroyed in riots as also the value thereof ;

(d) whether any action has been taken against any Government officials in connection with the riots ; and

(e) if so, the details thereof and the number of such officers ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) to (e) : Facts are being ascertained from the State Government.

Rules of Conduct for Employees

6699. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that rules of conduct of service have been formulated for the employees of the Central and State Government ;

(b) whether these rules had been formulated during the British Rules ;

(c) if so, whether they reconcile with the democratic set-up of the country ;

(d) if not, whether Government porpose to modify them ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Conduct Rules which were in force, before 15-8-1947 in so far as Central Government employees are concerned, have been revised from time to time and the existing Rules, namely, the Central Civil Services (Conduct) Rules 1964 are based on the recommendations of the Committee on Prevention of Corruption (Santhanam Committee). So far as State Government employees are concerned, the State Governments are exclusively competent to frame Rules of Conduct for their employees and the Central Government are not concerned.

(d) and (e) Do not arise.

Jailors and Assistant Jailors in Bihar

6700. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to State :

(a) the number of Jailors and Assistant Jailors, respectively, in Bihar State :

(b) whether it is a fact that the number of duty hours of jailors is double than that of Sergeant Majors of Police ;

(c) Whether it is a also a fact that in spite of such a strenuos duty, their pay is not equal to that of Sergeant Majors of Police ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) whether Government propose to grant an increase in their pay and declare this post as Gazetted in view of their work load and if so, when, and if not, the resons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The required information is as follows :

(i) No. of Jailors 25

(ii) No. of Assistant Jailors 116

(b) No, Sir.

(c) and (d) Pay scales of Jailors are lower than the pay scales of Sergeant Majors of Police. Their pay scales were fixed on the recommendation of Pay Revision Commtitee in 1964.

(e) Proposal is under consideration of the State Government.

Jail Manuals

6701. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that various Jail Manuals in force in various States were prepared during the British time ;

(b) if so, whether Government propose to make necessary amendments therein in accordance with democratic set-up of the country ;

(c) if so, when and if not, the reasons therefor ;

(d) whether it is also a fact that no common rules exist on an All India basis in regard to amenities to be provided to detenus in Jails under the Defence of India Rules ;

(e) if so, whether Government propose to frame such rules ; and

(f) if so, the broad outlines thereof, and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) Prisons' come exclusively within the purview of the States. State Governments were, however, requested to revise or modify their existing Jail Manuals by accepting the Model Prison Manual prepared by the All India Jail Manual Committee, as a book of guidance. As a result of this, Jail Manuals of Gujarat, Maharashtra, Kerala, Madras, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal have been revised by the State Governments. The question of revision of Jail Manuals in the remaining States is under consideration of the Governments concerned.

(d) to (f) The State Governments were requested to consider the porposals made on behalf of detenus along the guidelines already suggested by this Ministry so that there could be a broad pattern of uniformity in the matter of amenities and facilities provided in jails for the detenus in whichever State they may be. No uniform rules on All-India basis have, however, been framed. Now that the Defence of India Rules are no longer in force, the question

of detention under the D. I. R. and framing of uniform rules governing the amentities to be provided to detenus does not arise.

Police Firing in Bihar

6702. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of police firings in Bihar State during the period from January, 1964 to 31st July, 1968 ;

(b) the number of persons killed and injured as a result of firing ;

(c) the number of times police resorted to tear gas and lathi charge during the said period and the number of persons killed and injured as a result thereof ;

(d) the number of persons injured in the lathi charge on employees of the Mental Hospital in Ranchi in connection with strike of non-gazetted employees on the 21st July, 1968 ;

(e) the reasons for which firing, lathi charge and tear gas was resorted to ; and

(f) the number of persons who were imprisoned under the Preventive Detenion Act in Bihar during the period from January to 31st July, 1968 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (**Shri Vidya Charan Shukla**) : (a) to (e) The required information is being collected and will be laid on the table of the House on receipt.

(f) The number of persons detained under the Preventive Detention Act in Bihar during the period from 1st January to 31st July, 1968 is 16.

Island of Peace

6703. **Shri Atal Bihari Vajpayee** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Nobel Prize winner, Father D. Pyer, is formulating a plan to set up and "Island of Peace" in Tinneveli District in Tamilnad;

(b) if so, the details of this scheme ;

(c) whether, Government have permitted him to implement the same ; and

(d) whether it is a fact that Shri and Srimati Venkenfort, who have come to India in connetion with this scheme, were in East Pakistan before their coming over to India and were expelled from there ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (**Shri Vidya Charan Shukla**) : (a) and (b) Father Dominique Pire submitted a project in 1966 Called 'Island of Peace Project ; for rural devlopmnt on principles of self-help and co-operation. An area in Kalakkad Block in Tirunelveli district has been selected for the project.

(c) The Madras Government have conveyed their broad concurrence to the scheme which is being examined by the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation.

(d) Inquiries are being made.

उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट सेकेन्डरी टैक्नीकल सर्टिफिकेट कोर्स के लिये दाखिला

6704. **श्री रामजी राम** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट सेकेन्ड्री सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिले के लिए छात्रों से 1966-67, 1967-68 और जुलाई, 1968 तक कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ;

(ख) कितने छात्रों को दाखिला मिला, और उनमें से कितने छात्र उत्तीर्ण हुए ;

(ग) उनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य जातियों के विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः कितनी-कितनी थी ; और

(घ) इन संस्थानों के प्रबन्ध, अध्ययन पाठ्यक्रमों, दाखिले के स्थानों, प्रवेश अर्हताओं और उसकी शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ): उत्तर प्रदेश के सेकेन्डरी टैक्नीकल स्कूलों के सम्बन्ध में जो जानकारी उपलब्ध हुई, उसका विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1987/68)**

आवेदन-पत्रों की संख्या, प्रार्थियों की जातिवार संख्या, प्रवेश प्राप्त तथा उन आवेदकों की संख्या, जिन्होंने अपना अध्ययन पूरा कर लिया है, के सम्बन्ध में ब्यौरा उपलब्ध नहीं हुआ है ।

Admission of Scheduled castes and Scheduled Tribes to Technical Institute at Kanpur and Lucknow.

6705. **Shri Ramji Ram** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the number of trainees who applied for admission, number admitted and the number of those who passed the examinations conducted by the Government-aided Multi-purpose Institute, Kanpur and Hewett Multi-purpose Institute, Lucknow which are conducting part-time diploma courses, during the years 1966-67, 1967-68 and upto July, 1968.

(b) the number of those among them belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other castes respectively ; and

(c) the details regarding the courses, seats available, qualifications for admission and terms and conditions of admission in these Institutes ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) to (c) : A statement based on the information available is placed on the table of the House. **[Placed in Library. See no. LT—1988/68].**

Details regarding the number of applicants to the Courses, casteise distribution of the applicants, of those who were admittedand of those candidaes who compleged their studies is not readily available.

कोचीन में दूसरा जहाज निर्माण कारखाना

6707. **श्री वासुदेवन नायर : श्री सीताराम केसरी :**
श्री रा० कृ० सिंह : श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कोचीन में दूसरा जहाज निर्माण कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में जापानी सहयोग की शर्तों के बारे में अधिकारियों के एक दल की सिफारिशों को हाल ही में स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो मंजूर की गई शर्तें क्या हैं ; और

(ग) जहाज निर्माण कारखाने का काम कब आरम्भ होने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) अधिकारियों का जो दल मेसर्स मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड से विचार-विमर्श के लिए टोकियो गया था उसने कोचीन शिपयार्ड के लिए पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के एक औपचारिक ठेके पर इस शिपयार्ड की डिजाइन और निर्माण के लिए एक के द्वारा दी जाने वाली सहायता, तकनीकी सहयोग और परामर्श से संबंधित समझौते की मदों के एक ज्ञापन पर 24-7-68 को हस्ताक्षर किये। ये दोनों भारत सरकार ने मंजूर कर लिये हैं।

(ख) और (ग): ठेके के अनुसार ठेके की प्रभावी तारीख से छह मास के अन्दर पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट के पूरे होने की संभावना है। पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट के मंजूर होने के बाद समझौते की मदों से ज्ञापन के आधार पर इस शिपयार्ड के निर्माण के लिए मेसर्स मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के साथ तकनीकी सहयोग के लिए एक औपचारिक ठेका करने का प्रस्ताव है। इसके अन्तर्गत केवल दो प्रकार की सहायताएं आयेंगी अर्थात् शिपयार्ड के लिए आवश्यक डिजाइन, नक्शे और शिष्ठियों को तैयार करना और शिपयार्ड के निर्माण के दौरान परामर्श। इस आधार पर आशा की जाती है कि भवन डाक और एक को के निर्माण की डिजाइनें और नक्शे प्राप्त हो जायेंगे और निविदा औपचारिकतायें पूरी हो जायेंगी ताकि ठेका होने के एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य शुरू किया जा सके। इस बीच, निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के प्रयोजन के लिए भूमि सर्वेक्ष, भूमि अधिग्रहण, बिजली और जल व्यवस्था, आदि से संबद्ध कार्यवाही पूरी करने का प्रस्ताव है। निर्माण अवस्था से संबद्ध प्रारम्भिक कार्य भी शुरू किया जाएगा।

शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद

6708. **श्री वासुदेवन नायर**: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद के शिक्षा सम्बन्धी कर्मचारियों को पुनर्विलोकन समिति के सामने अपनी शिकायतें और विचार रखने का अवसर नहीं दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उन्हें समिति के सामने अपनी शिकायतें और विचार रखने का अवसर दिया जायेगा?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया गया था कि वे समिति के कार्य के किसी भी पहलू पर अपने विचार प्रकट करने के लिए पुनर्विलोकन समिति के अध्यक्ष से मुलाकात कर सकते हैं। और वास्तव में कुछ कर्मचारियों ने अध्यक्ष से मुलाकात भी की थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया है और इसे सरकार को पेश कर दिया है।

अखिल भारतीय खेलकूद परिषद्

6709. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् ने सरकार से उसका दर्जा संविहित निकाय का कर देने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद)

(क) यह सिफारिश की गई थी कि अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् का स्तर एक स्वायत्त संस्था के रूप में बदल दिया जाए।

(ख) सरकार, अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् को एक स्वायत्त संस्था बनाने के पक्ष में नहीं है। ऐसा महसूस किया जाता है कि एक सलाहकार संस्था के रूप में परिषद् उपयोगी योगदान दे रही है।

नई दिल्ली के एक होटल में फोर्ड प्रतिष्ठान सलाहकार की मृत्यु

6710. **श्री सीता राम केसरी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के एक होटल में जिन रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में फोर्ड प्रतिष्ठान सलाहकार हाल ही में मृत पाये गए थे, क्या उनकी जाँच की गयी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक्टरी सहायता समय पर उनको उपलब्ध नहीं की गयी थी; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग): यद्यपि पुलिस के पास कोई रिपोर्ट नहीं की गई थी, तथापि फोर्ड प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि की 3-8-1968 को अकस्मात हुई मृत्यु के बारे में पुलिस ने जाँच की थी।

मृत व्यक्ति हृदय-रोग से पीड़ित था। उसने नई दिल्ली होटल के जलाशय में तैरते समय 3-8-1968 को अपने वक्ष में दर्द का अनुभव किया। होटल का डाक्टर और उसका परिवार डाक्टर को तत्काल बुलाया गया, परन्तु उनके उसके पास पहुँचने से पहले ही वह चल बसा। जब वह तैरने के लिये गया तो उसकी पत्नी और बच्चे उसके साथ थे।

एयरलाइन्ज के टिकटों में मूल्य कम करने के कारण विदेशी मुद्रा की हानि

6711. **श्री सीता राम केसरी :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री एयर लाइन्स के टिकटों में मूल्य कम करने के कार्य के बारे में 26 जुलाई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 124 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन स्थानों का पता लगाने के लिये कोई जाँच की है जहाँ बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की हानि के समाचार प्राप्त इस बीच हो गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(ग) अनियमितता और हानि के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) : पूछ-ताछ का कार्य अभी चल रहा है। पूछ-ताछ के परिणामस्वरूप यदि विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के उपबन्धों के अतिक्रमण पाये गए तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

जहाँ तक उन स्थानों का संबंध है जहाँ से हानियों की सूचना प्राप्त हुई है, निर्धारित किरायों से कम किराया लेने का धंधा पंजाब और गुजरात से जाने वाले उत्प्रवासी यातायात से संबंध रखता है। क्योंकि इस यातायात के संबंध में टिकट मुख्यतया हवाई कम्पनियों के दिल्ली तथा बम्बई स्थित कार्यालयों से जारी किए जाते हैं, यह कहा जा सकता है कि ये हानियाँ इन स्थानों से हो रही हैं।

दिल्ली विश्वविद्यालय की हिन्दी की एम० लिट्० परीक्षा

6712. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने हिन्दी में एम० लिट् की परीक्षा समाप्त करने की माँग के सम्बन्ध में एक आन्दोलन प्रारम्भ किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इसपर क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) हिन्दी में एम० लिट्० की परीक्षा के विरोध में विद्यार्थियों ने ऐसा कोई आन्दोलन नहीं किया है। तथापि, विश्वविद्यालय के एम० लिट्० कोर्स को समाप्त करने की माँग छात्रों के एक वर्ग की कई माँगों में से एक है, जिसने कुछ सप्ताह पहले प्रदर्शन भी किया था।

(ख) हिन्दी में एम०लिट्० की परीक्षा को शुरू करने का निर्णय विश्वविद्यालय ने किया है जो शिक्षा सम्बन्धी निर्णय है और जो ऐसे निर्णय लेने के लिये सर्वथा स्वतंत्र है। सरकार ऐसे निर्णयों के बारे में हस्तक्षेप नहीं करती।

उच्च शिक्षा सम्बन्धी संस्थाएं

6713. **श्री रवि राय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्च शिक्षा के बहुत से केन्द्र बन्द कर दिए गए हैं और उनकी मान्यता समाप्त कर दी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सीमावर्ती क्षेत्रों की भाषाओं का अध्ययन

6714. **श्री रवि राय** : क्या शिक्षा मंत्री भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की भाषाओं का अध्ययन करने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा बताने की कृपा करेंगे ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : 1961 की जनगणना के आधार पर भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो भाषाएं पायी गयी थीं, उनका अध्ययन गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल द्वारा किया जा रहा है।

इस दिशा में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा संलग्न है।

विवरण

भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय में 1961 में एक भाषा-विभाग स्थापित किया गया था जिसका काम 1961 की जनगणना में बताई गई भाषाओं की वैज्ञानिक आधार पर जाँच करके देश का समग्र भाषा-चित्र प्रस्तुत करना था।

इस भाषा विभाग ने निम्नलिखित सीमान्त क्षेत्रों की वहाँ जाकर जाँच पूरी कर ली है :

(1) हिमाचल प्रदेश और पंजाब का पहाड़ी क्षेत्र ;

(2) हिमालय पर्वत की तलहटी वाले हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र जिनमें हिमालय पर्वतीय भाषा बोली जाती है;

(3) मनिपुर का कुकी भाषा क्षेत्र;

(4) मनीपुर और त्रिपुरा के मैथी भाषा क्षेत्र।

हिमालय भाषायी क्षेत्र के बारे में रिपोर्ट तैयार है जो प्रकाशित की जाने वाली है। मनीपुर के कुकी भाषा क्षेत्र और मनिपुर और त्रिपुरा मैथी भाषा क्षेत्र की रिपोर्टों को अन्तिम रूप देने के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रगति की गई है ।

C. B. I. Inquiry Against Bangalore and Madras firms and Companies

6715. **Shri J. B. Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Central Bureau of Investigation has enquired into the charges levelled against certain firms and companies of Bangalore and Madras for making fictitious documents, keeping double accounts, preparing wrong invoices and violation of foreign exchange regulations and export-import rules ;

(b) if so, the number of firms and companies against which investigations have been made in Bangalore and Madras by the Central Bureau of Investigation during the last three years ; and

(c) the amount involved in the misappropriation cases detected as a result of these investigations and the number of persons against whom action was taken and the nature of action taken ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Yes, Sir.

(b) 47 firms.

(c) Cases against 34 firms involving 90 persons have been put in courts. Cases against 21 firms and 63 persons have been decided and have endeed in conviction. An amount of Rs. 4,79,000 has been imposed as fines by the trying courts on the firms/persons convicted so far.

निकोबार द्वीपसमूह से खोपरे का निर्यात

6716. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या गृह-कार्य मंत्री 26 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8551 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पाँच वर्षों में (1966-67 को छोड़कर) निकोबार द्वीप समूह से खोपरे

तथा सुपारी के निर्यात पर, वर्ष-वार, कितना स्वामित्व निर्धारित किया गया तथा वसूल किया गया तथा (दो) उपरोक्त अवधि में वर्ष-वार कार निकोबार ट्रेडिंग कम्पनी तथा ननकौरी ट्रेडिंग कम्पनी ने कितना स्वामित्व दिया;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मैसर्स आर० अबूजी जदनत एंड कम्पनी ने निकोबारीज कमर्शियल कम्पनी के एजेंटों के नाम पर कार निकोबार द्वीप के व्यापार पर नियंत्रण किया हुआ है अथवा व्यापार उनके हाथ में है; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि निकोबारीज कमर्शियल कम्पनी द्वारा स्वामित्व न देने का लाभ इस आदिवासी व्यापारी के साथी को मिलेगा और से पहले के एकाधिकारी भागीदार कलकत्ता में खोपरा तथा सुपारी बेचने में हेराफेरी तथा कदाचार द्वारा हथिया न लें?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) : निकोबारीज कमर्शियल कम्पनी एक पूर्णतः अदिवासी कम्पनी है और इसलिये उसे इन द्वीपों में व्यापार करन के लिय किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। वे अपने एजेण्ट नियुक्त करने के लिये पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा उन्होंने मैसर्स जाडवेट ट्रेडिंग कम्पनी को अपना एक एजेंट नियुक्त किया है। सरकार आदिवासियों के हित की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में सचेत है और कानून के अन्तर्गत हर सम्भव कार्यवाही करेगी।

विवरण

वर्ष	अन्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा निर्धारित स्वामित्व की कुल राशि	कार निकोबार द्वारा किये गये भुगतान की राशि	मेंकबरी ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा किये गये भुगतान की राशि
		(रुपयों में)	
1963–64	3,23,539.48	1,23,887.10	1,99,662.38
1964–65	2,86,424.85	1,27,003.05	1,59,421.80
1965–66	3,31,934.85	1,77,117.60	1,54,817.25
1967–68	2,47,974.80	68,701.00	1,03,518.40**

C. B. I. Investigation Against Foreign Nationals

6717. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of foreign nationals against whom investigations have been made by the Central Bureau of Investigation during the last two years ;

(b) the number of such foreign nationals out of them who were prosecuted to in courts; and

(c) the number of those foreign nationals who were convicted by courts ?

** मेंकबरी ट्रेडिंग कम्पनी ने 28 अक्टूबर, 1967 से स्वामित्व देना बन्द कर दिया है।

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) 21 during the years 1966 and 1967.

(b) 18.

(c) 4.

Nagas Going to China

6718. **Shri Hukum Chand Kachwai : Shri Onkar Singh : Shri T. P. Shah :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state ;

(a) whether Government's attention has been drawn to the news appearing in the 'Vir Arjun' of the 5th August, 1968 to the effect that the Chief Minister of Manipur has stated that during the last 2 months about 200 Nagas have left for China crossing Manipur border ;

(b) whether Government have looked into the truth of the said report through the Central machinery ; and

(c) if so, the position in that regard and the reaction of Government therto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (**Shri Vidya Charan Shukla**) : (a) to (c) : According to information received from Manipur Administration, the newspaper report in question was slightly inaccurate in mentioning "Nagas" when the Chief Minister had referred to other tribals. The Chief Minister was referring to the incident facts regarding which were furnished in the answer to Starred Question No. 132 on 26th July, 1968.

Scientific and Technical Terminology Commission

6719. **Shri S. M. Joshi** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it a fact that a rule has been enforced in the Scientific and Technical Terminology Commission whereby its members would be compulsorily retired after the age of 65 years ;

(b) whether it is also a fact that in spite of that some Members continue to serve on the Commission ;

(c) if so, the reasons therefor;

(d) whether it is also a fact that the post of Chairman of the Commission remained vacant for two years ;

(e) whether it is further a fact that the age of the present incumbent is more than 65 years ; and

(f) if so, the authority responsible therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) A decision has been taken in this Ministry that the maximum age of the Chairman, Members or the Officials in the Commission for Scientific and Technical Terminology should be 65 years, which may be extended up to 66 years in special cases.

(b) The only member other than the Chairman who continues to serve in the Commission has not yet attained the age of 65 years.

(c) Does not arise.

(d) No, Sir.

(e) Yes, Sir.

(f) The selection was made by a High level Selection Committee with the approval of the Cabinet.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्ध रखने वाले मंत्री

6720. **श्री देवराव पाटलि :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं, जिनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कोई भी मंत्री अथवा उप-मंत्री नहीं है;

(ख) अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को संघ राज्यक्षेत्र के मंत्रिमंडल में उप-मंत्री न बनाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) संघ राज्य-क्षेत्र अधिनियम 1963 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश, मनिपुर, त्रिपुरा, पाँडिचेरी और गोवा दमण तथा दीव प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में मंत्रि-परिषद् है। हिमाचल प्रदेश में तीन उप मंत्री अनुसूचति जाति के हैं और त्रिपुरा में एक मंत्री अनुसूचित जाति का है और एक मंत्री अनुसूचित आदिम जाति का मनीपुर में दो मंत्री अनुसूचित जाति के हैं केवल पाँडिचेरी और गोवा, दमण तथा दीव ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जहाँ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति का एक भी मंत्री या उप-मंत्री नहीं है। मंत्रियों का चयन मुख्य मंत्री अपनी इच्छानुसार करना है जैसा कि संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम की धारा 45 (1) के अन्तर्गत व्यवस्था है। मुख्य मंत्री के परामर्श के आधार पर मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

दिल्ली–मद्रास विमान सेवा

6721. **श्री देवराज पाटिल :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और मद्रास के बीच की हवाई यात्रा में नागपुर से यात्रियों को उप-लब्ध होने वाली सुविधाओं के बारे में कोई विचार किया गया है;

(ख) क्या दिल्ली-मद्रास सीधी विमान सेवा में नागपुर से चढ़ने वाले यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन अथवा शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) से (ग) : दिल्ली और मद्रास के बीच की कारवेल सेवा नागपुर में नहीं रुकती क्योंकि ऐसा करना वाणिज्यिक दृष्टि से अलाभ-प्रद होगा। हमारे चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बीच के सीधे मुख्य मार्गों पर बीच में न रुकने वाली सेवाओं की आवश्यकता है। फिर भी, नागपुर से होकर इंडियन एयरलाइन्स की अन्य सेवायें परिचालित होती हैं।

आंध्रप्रदेश में पर्यटक केन्द्र

6722. **श्री नरसिम्हा राव :** क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आंध्र प्रदेश में पर्यटक केन्द्र स्थापित करने का कोई कार्यक्रम है ;

(ख) क्या विशाखापटनम के "डोलफिज नोज" के स्थान पर पर्यटक केन्द्र स्थापित किए जाने के उद्देश्य से अध्ययन के लिए कोई विशेषज्ञ इंजीनियर वहाँ गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सरकार का चौथी योजना में नागार्जुन सागर/नागार्जुन कोंडा तथा हैदराबाद में पर्यटन सुविधाओं का विकास करने का प्रस्ताव है।

(ख) जी, नहीं। इस उद्देश्य के लिये भारत सरकार द्वारा कोई इंजीनियर विशाखापटनम् नहीं भेजा गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय अनुसाशन योजना के प्रशिक्षक

6723. **श्री राम चन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों को अखिल भारतीय संवर्ग संदर्भ में रखने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो सका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं, उन अनुदेशकों को अखिल भारतीय काडर में रखने का कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत के तटवर्ती समुद्र में तेल के लिए अनुसन्धान

6724. **श्री राम चन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत के तटवर्ती समुद्र में तेल के लिए जोरदार अनुसंधान आरम्भ करने के लिए भारतीय समुद्र विज्ञान संस्था द्वारा बनाई योजना को इस बीच क्रियान्वित किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, अभी तक नहीं। यह योजना उस समय लागू की जाएगी जब राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा इस कार्य के लिए अपेक्षित उपयुक्त अनुसंधानवृत्ति प्राप्त होगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश में कला और तकनीकी कालेज

6725. **श्री रामचन्द्र उलाका : श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कला और तकनीकी कालिजों की संख्या क्या है;

(ख) उन कालिजों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की संख्या क्या है; और

(ग) गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे कालिजों की संख्या क्या है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : 31 मार्च, 1965 के लिए आद्यतन शैक्षिक आँकड़े संकलित किए गए हैं। इनके अनुसार अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है:—

(क) आर्टस / विज्ञान के कालेजों की संख्या 1397 थी और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिक कालेज की संख्या 96 थी।

(ख) आर्टस् / विज्ञान के कालेजों में पत्राचार दाखिला 9,42,645 और इंजीनियरी टेक्नालौजी कालेज में 65,178 था।

(ग) गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा आर्टस् / विज्ञान के 1,043 कालेजों तथा इंजीनियरी टेक्नालौजी के 39 कालेजों को व्यवस्था की गयी थी।

चौथी योजना में शिक्षा पर धन का नियतन

6726. **श्री रामचन्द्र उलाका :** **श्री धुलेश्वर मीना :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद् ने चौथी योजना के अन्तर्गत शिक्षा पर धन राशि के नियत किए जाने के बारे में विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित छात्रों के लिए विदेशों में अध्ययन के लिये छात्र वृत्तियां

6727. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1952-53 में शिक्षा मंत्रालय के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बोर्ड ने एक संकल्प पारित किया था, जिसके द्वारा भारत सरकार से सिफारिश की गई थी, कि सरकार की किसी भी सामान्य योजना के अन्तर्गत विदेशों में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ देने में, अन्य बातें समान होते हुए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्ध रखने वाले छात्रों को अधिकार दिया जाना चाहिए;

(ख) यदि हाँ, तो उस संकल्प का पूरा पाठ क्या है;

(ग) क्या बोर्ड के इस संकल्प की सूचना भारत सरकार के सब मंत्रालयों को उनके मार्ग दर्शन के निमित्त दी गई थी;

(घ) यदि हाँ, तो भेजे गये परिपत्र का पाठ क्या है; और

(ङ) क्या इस सिफारिश के प्रभाव के बारे में समय-समय पर कोई अनुमान लगाया गया था और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) (क) जी, हाँ।

(ख) संकल्प का मूल पाठ सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) पत्र का मूल पाठ सभा-पटल पर रख दिया है।

(ङ) मंत्रालय द्वारा की गयी कार्रवाई का अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष पुनरीक्षण किया गया था। जैसा कि 1954–55 से 1964–65 वर्षों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के आयुक्त की वार्षिक रिपोर्ट में प्रकट था। 32 उम्मीदवारों को (अनुसूचित जाति—8 अनुसूचित कबीले—1 तथा अन्य पिछड़े वर्ग—23) भारत सरकार की अन्य विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विदेश भेजा गया है।

विवरण

शिक्षा मंत्रालय के अनुसूचित जातियों, अनुसचित आदिम-जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति बोर्ड ने अपनी 27 नवम्बर, 1952 को हुई बैठक में निम्नलिखित संकल्प पारित किया था:—

"(क) देश में प्रत्येक प्रकार की उच्च शिक्षा के लिए अधिकाधिक सुविधाएं जुटाई जा रही हैं; और (ख) समुद्रपारीय देशों में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियों ऐसे विषयों के लिये जिनके अध्ययन की पर्याप्त सुविधायें यहाँ उपलब्ध नहीं हैं, केवल विश्वविद्यालयों तथा उनके समकक्ष अन्य संस्थाओं के अध्यापकों को दी जाती हैं, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने यह संकल्प पारित किया कि नियत राशि का सदुपयोग देश के अन्दर ही उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियों के रूप में किया जाना चाहिये। बोर्ड ने सरकार से यह सिफारिश की थी कि समुद्रपारीय देशों में अध्ययन हेतु किसी योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली छात्रवृत्तियों को देते समय, अन्य बातों के समान होने पर भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्राथमिकता दी जाये।"

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को इस सिफारश से 6 जनवरी, 1953 को सूचनार्थ तथा अपेक्षित कार्यवाही के लिये अवगत करा दिया था। इस मंत्रालयों से यह भी अनुरोध किया गया था कि इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के बारे में वे शिक्षा मंत्रालय को सूचित करें।

मंत्रालय द्वारा की गई तत्सम्बन्धी कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति, अनुसूचित आदिम जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति बोर्ड द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति आयुक्त के 1954–55 तथा 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदनों से यह पता चला है कि 42 छात्रों (अनुसूचित जातियों के 8, अनुसूचित आदिम जातियों का 1, और अन्य पिछड़े वर्गों के 23) को भारत सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत विदेशों को भेजा गया है।

जनरल सेंट्रल सर्विस

6728. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनरल सेंट्रल सर्विस के प्रारम्भिक विधान अथवा वर्गीकरण की तिथि क्या है, और उसके लिये क्या विशिष्ट नियम बनाये गए हैं;

(ख) प्रारम्भिक विधान बनाये जाने के समय स सर्विस में कितने कर्मचारी थे और अब तक वार्षिक भर्ती कितनी हुई है; और

(ग) प्रारम्भिक विधान के समय अनुसूचित जातिय तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी नियुक्त थे और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के आधार पर अथवा किसी अन्य माध्यम से अब तक वार्षिक भर्ती कितनी की गयी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) (क) "जनरल सेंट्रल सर्विस नाम की कोई सेवा अभी तक संगठित नहीं की गई है। किसी श्रेणी के ऐसे असैनिक पद जो किसी भी संगठित केन्द्रीय सिविल सेवा के अन्तर्गत नहीं आते उन्हें उसी श्रेणी के अन्तर्गत जनरल सेंट्रल सर्विस में मान लिया जाता है। जो सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे पद पर नियुक्त किया जाता है उसे जनरल सेंट्रल सर्विस का सदस्य समझा जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक प्रबन्ध पूल सेवा

6729. **श्री प्र० रं० ठाकुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक प्रबन्ध पूल सेवा का प्रारम्भिक विधान किस तारीख को बनाया गया था तथा उसके लिये कौन से विशिष्ट नियम बनाये गए थे ;

(ख) इस सेवा के अन्तर्गत प्रारम्भिक विधान के समय कितने कर्मचारी थे और अब कितने हैं; और

(ग) प्रारम्भिक विधान के समय इस सेवा में अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी थे और इस समय उनकी संख्या कितनी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 12 नवम्बर, 1957। औद्योगिक प्रबन्ध पूल के निर्माण की योजना सरकारी संकल्प में दिनांक 12 नवम्बर, 1957 को प्रकाशित कर दी गई है।

(ख) आरम्भिक संख्या : 130

वर्तमान संख्या 105

(ग)

	आरम्भ में नियुक्त किए गए।	वर्तमान संख्या
अनुसूचित जाति	6	4
अनुसूचित आदिम जाति	1	1

सीमा सुरक्षा बल में अनुसूचित जातियों / अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों की भर्ती

6730. **श्री प्र० रं० ठाकुर:** क्या गृह-कार्य मंत्री 2 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2523 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सुरक्षा बल में अनसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों से भर्ती किए गए 38 सदस्यों में से किने सदस्य मूल सुझाव / प्रस्ताव में उल्लिखित चार विशिष्ट समुदायों अर्थात् सन्थाल, गारो, चकवा और नामशुद्र, के हैं जो युद्ध कला के लिये प्रसिद्ध हैं ; और

(ख) उनकी पर्याप्त संख्या में भर्ती के लिये विशिष्ट विचार अथवा उपाय का क्या ब्यौरा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इन 38 व्यक्तियों में से 20 नाम क्षुद्र (अनुसूचित जाति) तथा 18 सन्थाल (अनुसूचित आदिम जाति) हैं।

(ख) इन दलों से उपयुक्त आदमी भर्ती करने के सतत प्रयास किए जाते हैं।

फौजदारी मामलों की जांच-पड़ताल

6731. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अपराध खोज सम्बन्धी प्रयोगशालाओं और क्षेपण परिक्षणों की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण फौजदारी के मामलों की जाँच-पड़ताल में अत्यधिक विलम्ब होता है ;

(ख) यदि हाँ, तो देश में ये प्रयोगशालायें और क्षेपण परीक्षणों की व्यवस्था कहाँ पर है और इनकी संख्या कितनी है ;

(ग) सरकार ने फौजदारी के मामलों की जाँच शीघ्रता से कराने के लिए स्थित में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक हो तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं । पर्याप्त सुविधाए हैं ।

(ख), (ग) और (घ) इस समय अपराध खोज सम्बन्धी प्रयोगशालाओं तथा क्षेपण परीक्षणों की व्यवस्था की सुविधाएं निम्नलिखित स्थानों में उपलब्ध हैं —

स्थान का नाम	उपलब्ध सुविधा
हैदराबाद	यहाँ राज्य पुलिस विभाग में एक वैज्ञानिक अनुभाग है। एक केन्द्रीय अपराध खोज विज्ञान प्रयोगशाला भी वहाँ स्थापित है।
पटना	यहाँ एक सम्पूर्ण साधनों से युक्त अपराध खोज विज्ञान प्रयोगशाला है जिसमें क्षेपण परीक्षणों की व्यवस्था है।

चण्डीगढ़	"	वही "
बम्बई	"	वही "
नागपुर	"	वही "
लखन	राज्य पुलिस विभाग में ज्ञान अनुभाग अपराध-खोज सम्बन्धी परीक्षण तथा क्षेपण परीक्षण करता है ।	
सागर	यहाँ अपराध-खोज सम्बन्धी एक प्रयोगशाला है जिसमें क्षेपण परीक्षण करने के लिए व्यवस्था है ।	
कलकत्ता	यहाँ अपराध-खोज सम्बन्धी एक प्रयोगशाला है तथा एक केन्द्रीय अपराध खोज प्रयोगशाला भी है । राज्य पुलिस में एक विभाग भी है जिसमें क्षेपण परीक्षण की व्यवस्था है ।	
दिल्ली	एक केन्द्रीय अपराध-खोज विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है ।	

आसाम, जम्मू तथा काश्मीर, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षत्र से जानकारी सुनिश्चित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अपराध जाँच के वैज्ञानिक साधनों की जानकारी से इन प्रयोगशालाओं में काम बढ़ता जा रहा है और बढ़ते हुए कार्य का सामना करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तथा गुजरात राज्य सरकारों ने बताया है कि सम्पूर्ण साधनों से सम्पन्न अपराध-खोज-विज्ञान-प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन हैं । राज्य सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दो और अपराध खोज विज्ञान प्रयोगशालाओं के स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार के विचाराधीन हैं । अपराध-खोज सम्बन्धी एक प्रयोगशाला स्थापित करने के बारे में अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के विचाराधीन भी एक प्रस्ताव है ।

फतेहनगर की रिहायशी बस्ती के लिये सुविधायें

6732. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि फतेहनगर (एक स्वीकृत रिहायशी बस्ती) के निवासियों से विकास शुल्क / मकान कर वसूल कर लिया गया है फिर भी वहाँ पर कोई पक्की सड़कें / लेनें / उपलेनें नहीं हैं और न ही जल की कोई व्यवस्था है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं तथा ये सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराई जायेंगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कच्ची सड़कों / लेनों । उपलेनों का स्तर नीचा होने के परिणामस्वरूप वर्षा ऋतु में उनमें पानी जमा हो जाता है, जिससे उस बस्ती के निवासियों को कठिनाई होती है ; और

(घ) यदि हाँ, तो सड़कों / लेनों / उपलेनों का स्तर अपेक्षित स्तर तक करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (घ) दिल्ली नगर निगम से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि जो प्लाटों के मालिक अपने मकानों के नक्शों की स्वीकृति के लिए आते हैं उनसे विकास-खर्च का थोड़ा अंश लिया जाता है। विकास-खर्च के लिए जितना वसूल किया गया है उसमें से कालोनी के स्वीकृत क्षेत्र में सड़क आदि के निर्माण पर काफी खर्च किया जा चुका है। कालोनी में कुछ गहरे खड्डे भी हैं जिनमें वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाता है। इसका कारण है बिना योजना के अनधिकृत रूप से मकानों का बनाया जाना। कालोनी का पूर्ण विकास तभी किया जा सकेगा जब कि सब प्लाट-मालिक विकास-खर्च के लिए वसूल की जाने वाली राशि का पूर्ण भुगतान कर दें।

बेरोजगार इंजीनियर

6733. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1968 के प्रथम सप्ताह में नई दिल्ली में एक बैठक में उन्होंने मुख्य मंत्रियों से भारत में बेरोजगार इंजीनियरों के लिये रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त उपाय करने के लिये कहा था ;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त बैठक में इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये थे ; और

(ग) इन निर्णय के परिणामस्वरूप कितने अतिरिक्त रोजगार अवसर उपलब्ध होने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अशोक होटल तथा जनपथ होटल

6734. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अशोक होटल और जनपथ होटल का प्रबन्ध उनके मंत्रालय के पास आ जाने के फलस्वरूप पर्यटकों के लिए इन होटलों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनके प्रबन्ध तथा कार्य-प्रणाली में क्या विशिष्ट परिवर्तन करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : स्थिति में सुधार करने के लिए ऐसे विभिन्न उपाय पर विचार किया जा रहा है, जैसे होटलों का विलयन, विदेशी होटल परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त करना, इत्यादि।

सरकारी उपक्रमों में उच्च प्रबन्धक पद

6735. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अच्छे कार्य संचालन को निश्चित करने के लिए सरकार ने यह निर्णय किया है कि उन सरकारी कर्मचारियों को, जो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उच्च प्रबन्धक पदों पर जाने की इच्छा व्यक्त करते हैं, सरकारी नौकरी छोड़ने के लिये कहा जायेगा ;

(ख) क्या यह नियम उन सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू किया जायेगा जो पहले से ही सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम कर रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क), (ख) और (ग) प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि सरकार क्षेत्र में उच्च पद पर प्रतिनियुक्ति पर आने वाले व्यक्तियों पर सरकार को अपनी निर्भरता को समाप्त करने तथा कम करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाये जाने चाहिए। सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है।

नौवहन कंपनियों द्वारा सुराख करने वाले रिगों की सर्विसिंग

6736. **श्री वेदकीनन्दन पाटोदिया : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ बड़ी विदेशी नौवहन कंपनियों से तट से दूर खुदायी करने के उपयोग में आने वाली बर्मा मशीनों की मरम्मत आदि के लिए कुछ सहायक कंपनियां स्थापित की है ;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय नौवहन निगम के द्वारा भारतीय तट से दूर सेवा आरम्भ करने की सम्भावना पर विचार-विमर्श किया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या स नये काम को करने के लिए निगम के पास पर्याप्त साधन हैं ; और

(घ) यदि नहीं तो कितने कम हैं और उन्हें कैसे पूरा करने का प्रस्ताव है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

विमान भाड़े तथा होटलों के बिलों का स्टर्लिंग तथा पौंडों में भुगतान

6737. **श्री वेदकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा अधिनियम में यह निश्चित करने के लिए कि विदेशी पर्यटक अपने विमान भाड़े तथा होटल के बिलों का स्टर्लिंग और पौंडों में भुगतान करें कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इस बारे में पर्यटन विभाग से भी विचार-विमर्श किया गया है ;

(ग) क्या इस प्रस्तावित कार्यवाही से विदेशी मुद्रा के अवैध विकास को रोका जा सकेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इससे प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की सम्भावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (घ) पर्यटकों के माध्यम से होने वाले विदेशी मुद्रा के क्षरण (लीकेज) को रोकने के लिए किये जाने वाले उपायों के सुझाव देने के लिए हाल ही में पर्यटन तथा नागर निगम विमानन सचिव की अध्यक्षता में एक अन्तर्मंत्रालय समिति का गठन किया गया था। समिति विदेशी पर्यटकों द्वारा अपने होटल बिल तथा विमान किराये अनिवार्य रूप से विदेशी मुद्रा में ही दिये जाने के बारे में एक कानून बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। समिति की अंतिम रिपोर्ट अक्तूबर के अन्त तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है।

न्यायाधीशों का स्थानान्तरण

6738. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान (पन्द्रह संशोधन) अधिनियम, 1963 के लागू होने के पश्चात् एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में कितने न्यायाधीशों का स्थानान्तरण किया गया ;

(ख) उन न्यायाधीशों के नाम क्या हैं और उनका स्थानान्तरण किस उच्च न्यायालय से किस उच्च न्यायालय में किया गया था और उनके स्थानान्तरण किन तारीखों को किये गये थे ; और

(ग) क्या ऐसे न्यायाधीशों को कोई प्रतिकर भत्ता दिया जा रहा और यदि हाँ, तो वह कितना है और वह किस कानून या नियमों के उपबन्ध के अन्तर्गत है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आठ न्यायाधीश।

(ख) जिन न्यायाधीशों का तबादला किया गया है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी हाँ। एक मामले के अतिरिक्त जिसमें कि न्यायाधीश ने स्वयं इसको स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। जिन न्यायाधीशों का तबादला किया गया है उनको संविधान के अनुच्छेद 222 के अन्तर्गत प्रतिकर भत्ता मिलता है। इस समय प्रत्येक मामले में यह संविधान के अनुच्छेद 222 (2) के अन्तर्गत वेतन का 10 प्रतिशत की दर से नियत किया गया है।

विवरण

संख्या	न्यायाधीश का नाम	न्यायालय का नाम		किस तिथि से
		से	तक	
	2	3	4	5
1.	श्री न्यायाधिपति के० एस० हेज	मैसूर	दिल्ली	31-10-1966
2.	" " आई० डी० दुसा	पंजाब	दिल्ली	31-10-1966
3.	" " एच० आर० खन्ना	पंजाब	दिल्ली	31-10-1966
4.	" " एस० के० कपूर	पंजाब	दिल्ली	31-10-1966
5.	" " एस० एस० इस्मायल	दिल्ली	मद्रास	14-11-1967

6.	"	"	आर० एन० नरसिम्हा	उड़ीसा	पटना	24-12-1965
7.	"	"	खलीद अहमद	पटना	उड़ीसा	15-1-1965
8.	"	"	चन्द्र रेड्डी	आंध्र प्रदेश	मद्रास	23-11-1964

दिल्ली और हिमाचल प्रदेश न्यायिक तथा सिविल सेवायें
(न्यायिक शाखा)

6739. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या गृह-कार्य मंत्री जून, 1967, 12 जुलाई, 1967 और 9 अगस्त, 1968 के क्रमश: अतारांकित प्रश्न संख्या 1770, 5452 और 8502 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 234 के उपबन्धों के अनुसार (1) दिल्ली और हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा और (2) दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के नियम बनाये गये हैं और उन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) क्या उक्त सेवाओं के लिये जिन व्यक्तियों ने विकल्प व्यक्त किया है अथवा करेंगे, उनका चयन तथा उपयुक्तता का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 320 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाना है और यदि नहीं तो यह कार्य संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं कराने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भारतीय संघ की सभी न्यायिक सेवाओं के अधिकारियों से इन दोनों सेवाओं के लिये विकल्प माँगा गया है और यदि नहीं, तो सभी राज्यों से विकल्प नहीं माँगने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) (ग) दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायिक सेवा के लिये नियम बना लिये गये हैं और उन्हें 29 जून, 1968 के भारतीय राजपत्र, भाग 2– धारा 3 उपधारा—(एक) में जी० एस० आर० 1191 के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनिमय 1958 की अनुसूची में प्रविष्टि (8) को ध्यान में रखते हुए संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श कर के इस सेवा के नियम बनाना आवश्यक नहीं था।

2. वह सेवा जिसका नाम दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) रखने का विचार था उसका अब दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा नाम रखने का विचार है। इस सेवा के नियम संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके बनाए जा रहे हैं।

3. संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनिमय, 1958 की अनुसूची की प्रविष्टि के अनुसार दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के लिये नियुक्त किये जाने वाले उम्मीदवारों की उपयुक्तता के बारे में संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

4. दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्तियों के लिये उन नियमों के अनुसार चयन किया जायेगा जो इस सेवा के गठन के लिये बनाये जा रहे हैं। इस सेवा के आरम्भिक गठन के लिये नियुक्तियाँ अन्तिम रूप से निर्धारित नियमों के अनुसार की जायेंगी।

5. सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी न्यायिक सेवा के ऐसे अधिकारियों के नाम और सेवा-रिकार्ड गृह-कार्य मंत्रालय को भेजें जो दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा और दिल्ली एवं हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्ति के इच्छुक हैं और जिन्हे राज्य सरकारें भेज सकती हों।

Administrative Control of Surpreme Court over High Courts

6740. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Supreme Court have administrative control over the judicial work done by the High Courts ;

(b) if not, the authority which keeps a watch over the work done by the High Court.

(c) whether there is any provision regarding the transfer of the judges of the High Courts ;

(d) if not, whether Government propose to give administrative power to Supreme Court to attend to the important matters like keeping a watch over the work done by the High Courts and transfers of judges, etc.; and

(e) if not, the reasons therefor ;

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (**Shri Vidya Charan Shukla**) : (a) No, Sir.

(b) The Chief Justice of the High Court.

(c) Yes, Sir. under Article 222 of the Constitution the President may after consultation with the Chief Justice of India transfer a Judge from one High Court to any other High Court.

(d) and (e) The actions of the Government are regulated by the provisions of the Constitution, which, *inter alia*, lay down the powers and jurisdiction of Supreme Court and of the High Courts.

1971 की जनगणना

6741. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971 की जनगणना भारतीय जनगणना के इतिहास में एक महान् कार्य होगा ;

(ख) क्या इसमें इकट्ठे किये गये आँकड़ों का हिसाब रखने के लिये उच्च स्तर पर विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी ;

(ग) 1971 की जनगणना की योजना में उच्च स्तर के सभी विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या सरकार ने 1961 के महापंजीयक को एक सलाहकार के रूप में 1971 की जनगणना कार्य के साथ सम्बद्ध करने की उपयोगिता पर विचार किया है ; और

(ङ) जनगणना सम्बन्धी कार्यों में अनुभव का लाभ उठाते रहने और भावी आयोजन में सफलता प्राप्त करने के लिए सरकार का और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क) और (ख) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ग) रजिस्ट्रार जनरल तथा पदेन जनगणना आयुक्त ने विभिन्न कार्यक्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा योजना आयोग, भारत सरकार के मंत्रालयों, अनुसंधान संस्थाओं के प्रतिनिधियों से परामर्श करके 1971 की जनगणना योजना बनाने की कार्यवाही आरम्भ की है। विशेषज्ञों की एक समिति भी न्यादर्श प्रक्रियाओं पर सलाह देने के लिए स्थापित की गई है ।

(घ) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ङ) 1961 से जनगणना संगठन अब निरन्तरता-आधार पर केन्द्र व राज्यों दोनों में स्थापित हैं जिससे अनुभव की निरन्तरता तथा विशेषता का निर्माण निश्चित हो पाया है ।

भारत में विदेशियों द्वारा भूमि की खरीद

6742. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका तथा रूस के सरकारी संगठन और गैर-सरकारी निकाय भारत में भूमि तथा अचल सम्पत्ति खरीद रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एशिया के थाईलैण्ड आदि अनेक देशों में विदेशियों द्वारा भूमि तथा अचल सम्पत्ति खरीदने पर प्रतिबन्ध है ;

(ग) क्या भारत में भी ऐसा प्रतिबन्ध लगाने का सरकार का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) संयुक्त राज्य अमरीका तथा रूस के सरकारी संगठनों द्वारा कुछ सम्पत्ति अर्जित की गई है ।इन दो देशों के गैर-सरकारी निकाय द्वारा सम्पत्ति अर्जित किये जाने के बारे में जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ख) जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ग) और (घ) पश्चिम बंगाल भूमि संक्रमण (विनियमन) अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत भूमि किसी ऐसे व्यक्ति अथवा निकाय निगम, अथवा फर्म को हस्तान्तरित नहीं की जा सकती जो भारत का नागरिक न हो अथवा जिसमें निदेशक, अंशधारी, भागीदार, जैसा भी मामला हो भारत के नागरिक न हों अथवा जो सरकार की पूर्व अनुमति के बिना भारत के बाहर बनाई गई हो अथवा रजिस्टर्ड की गई हो । इस समय यह अधिनियम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार के जिलों में लागू है । नागालैण्ड में स्थानीय जनसंख्या के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति राज मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना भूमि नहीं ले सकता। जम्मू और काश्मीर राज्य में भी राज्य के स्थायी निवासियों को छोड़कर विदेशियों सहित कोई व्यक्तियों द्वारा सम्पत्ति क्रय किये जाने पर प्रतिबन्ध हैं ।

कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सम्वर्ती सूची (सूची तीन) और कृषि भूमि का हस्तान्तरण राज्य सूची (सूची दो) में शामिल है । केन्द्रीय सरकार को पता नहीं कि विदेशियों द्वारा सम्पत्ति खरीदे जाने पर प्रतिबन्ध लगाने सम्बन्धी

प्रस्ताव अन्य किसी राज्य के विचारार्धीन है। केन्द्रीय सरकार के विचारार्धीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगाये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ है।

मोटर गाड़ियों की चोरियां

6743. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1968 तक की अवधि में संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली में मोटर गाड़ियों की चोरी की कितनी घटनाएं हुई;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से कुछ चोरियों में उच्च परिवारों से सम्बन्धित किशोर अवस्था के लड़के अन्तर्ग्रस्त थे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या छोटी आयु के लड़कों में अपराध की प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल : (क) दिल्ली पुलिस को मोटर गाड़ियों की चोरी के 25 मामले दर्ज कराये गये थे।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) प्रत्येक मामले में कानून की व्यवस्थाओं के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी के वित्तीय सलाहकार द्वारा सोने का तस्कर व्यापार

6744. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी के भूतपूर्व वित्तीय परामर्शदाता के विरुद्ध सोने के तस्कर व्यापार में कथित हाथ होने के बारे में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या यह सच है कि उक्त भूतपूर्व वित्तीय परामर्शदाता को उनके पदावनत किये बिना एक सरकारी उपक्रम में लगा लिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) ऐसे किसी मामले की जाँच नहीं की जा रही है। कुछ आयातित उपभोक्ता वस्तुओं की तस्करी के सम्बन्ध में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा जाँच की गई थी। जाँच प्रतिवेदन केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा गया था जिसने कोई भी कार्यवाही न करने का परामर्श दिया है।

(ख) रेलवे मंत्रालय द्वारा एक भूतपूर्व वित्तीय परामर्शदाता तथा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के सी० ए० ओ० की सेवायें चार वर्ष के लिए भारत एल्युमिनियम को दी गई हैं।

दिल्ली में अपहरण के मामले

6745. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत दो महीनों में कितनी स्त्रियां और बच्चों का अपहरण हुआ ;

(ख) ऐसे कार्यों के करने के आरोप में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ग) राजधानी में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली पुलिस को सूचना मिली है कि 1-6-1968 से 31-7-1968 तक 47 बच्चे तथा 2 स्त्रियों का अपहरण किया गया है ।

(ख) 33 ।

(ग) ऐसी घटनाओं की तुरन्त जाँच करने के लिए 'गुम हुए व्यक्तियों सम्बन्धी स्कवैड' नामक अधिकारियों का एक विशेष दल है । जब कभी भी अपहरण के मामलों की सूचना मिलती है गुम हुए व्यक्ति का ब्यौरा अपराधक गुप्तचर गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है और राज्य तथा पुलिस स्टेशनों को भेज दिया जाता है । उन राज्यों / स्थानों को वायरलेस द्वारा सन्देश भेज दिये जाते हैं जहाँ अपहरण हुए व्यक्तियों / अपराधियों के जाने की सम्भावना होती है ।

सेवाओं में भरती सम्बन्धी प्रतिबंध हटाने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष का वक्तव्य

6746. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** . क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि अनुसूचित जातियों के लिए स्थान सुरक्षित रखने के लिए भरती पर लगे हुए कुछ प्रतिबन्धों को हटा दिया जाना चाहिए और शैक्षिक योग्यता तथा अनुभव की दृष्टि से पात्र सभी कर्मचारियों को भारतीय प्रशासन सेवा आदि की प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) प्रशासनिक सुधार आयोग के चेयरमैन ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हायर सैकेंडरी तथा बी० ए० की परिक्षाएं

6747. **श्री समर गुह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समूचे देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधीन स्कूल फाइनल, हायर सेकेण्डरी प्रि-यूनिवर्सिटी और बी० ए० की परीक्षाएं एक ही अवधि में एक साथ नहीं होतीं ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या समूचे देश में एक साथ परीक्षा नहीं होने के कारण तकनीकी मेडिकल, इंजीनियरिंग तथा अन्य स्पेशल पाठ्यक्रमों में दाखिला पाने वाले विद्यार्थियों को बहुत

नाई होती है और इससे विद्यार्थियों के, देश के एक भाग से दूसरे भाग में, जाने में बाधा पड़ती है ; और

(ग) सरकार का इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है कि समूचे देश में बोर्डों अथवा विश्वविद्यालयों में एक ही अवधि में परीक्षाएं हों तथा उसके परिणाम भी एक साथ प्रकाशित किए जायें ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

(ग) विश्वविद्यालय और परीक्षा बोर्ड स्वायत्त निकाय हैं और परीक्षा की तिथि नियत करने में स्वतंत्र है। अतः सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

बड़े पत्तनों के लिए महा प्रबन्धकों के पद बनाना

6748. **श्री देवेन सेन** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पत्तनों के कार्यसंचालन के बारे में अध्ययन करने के लिये बुलाये गये विदेशी विशेषज्ञों के दल ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) क्या इस दल ने यह सिफारिश की है कि विश्व के बड़े पत्तनों की भांति ही भारत में सभी बड़े पत्तनों में महा प्रबन्धकों के पद बनाये जाने चाहिए तथा उन्हें ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति द्वारा भरा जाये जिनको पत्तनों के काम का बहुत अनुभव है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर ली है और क्या इस सम्बन्ध में पत्तन अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव पेश किये गये हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो प्रत्येक पत्तन प्राधिकारी से ये प्रस्ताव कब प्राप्त हुए थे तथा क्या सरकार ने इन प्रस्तावों को मंजूर कर लिया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डी० वी० के० आर०, वी० राव) : (क) जी हाँ।

(ख) अध्ययन दल ने प्रत्येक विशाल पत्तन में जनरल मैनेजर के पद के रखने की सिफारिश की है। उसने यह भी सिफारिश की है कि इस अधिकारी को नौवहन या परिवहन उद्योग की श्रेणी से लिया जाना चाहिए।

(ग) और (घ) रिपोर्ट में जो बहुतेरी सिफारिशें दी गई हैं अभी मिली हैं और उनकी परीक्षा की जा रही है।

जहाँ तक इस विशेष सिफारिश का प्रश्न है उसके बारे में स्थिति यह है कि बम्बई पोर्ट ट्रस्ट में जनरल मैनेजर का पद पहले ही से है और कलकत्ता पत्तन में उपाध्यक्ष का समान पद। जिस विशेषज्ञ रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है उसकी प्राप्ति के पहले से ही मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में जनरल मैनेजर के पद के रखे जाने का एक प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। प्रस्ताव विचाराधीन है।

Books Carrying Anti-Indian Propaganda

6749. **Shri Mrityunjay Prasad**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the circulation of such books in India wherein false anti-Indian propaganda has been made particularly the book entitled 'Islamic ideology and its impact on our Times' written by Prof. Mahmood Brelvi and published from Karachi ;

(b) if so, the steps being taken to counter the false anti-Indian statements appearing on pages 246-248 of the said book ; and

(c) whether it is proposed to seize and ban this book in India ?

The Minister of the State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (c) Government's attention has been drawn to this book, a copy of which has recently been obtained and is being examined. It has not come to the notice of Government that the book is easily available within the country. The Customs authorities have, however, been instructed not to allow the import of the book into India. Suitable action under law is taken in respect of such books, whenever necessary.

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी की परीक्षा

6750. **श्री एस० मेघचन्द्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तीनों सेनाओं में भरती के लिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में प्रवेश के लिए सारे भारत में दिसम्बर, 1968 में परीक्षा होगी और इस परीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग ने मई, 1968 में नोटिस जारी किया था और 22 जुलाई, 1968 को उम्मीदवारों से दरख्वास्तें प्राप्त करने की अन्तिम तिथि निश्चित की थी ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा मई, 1968 को जारी किया गया यह नोटिस मनीपुर के प्रचार विभाग और समाचार पत्रों को 18 जुलाई, को प्रकाशित करने के लिए दिया गया जब कि दिल्ली से फार्म प्राप्त करके उन्हें दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग, दिल्ली के 22 जुलाई, 1968 तक भेजने के लिये केवल चार दिन शेष थे ;

(ग) यदि हाँ, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार जिम्मेदारियों का पता लगाने और इस परीक्षा से मनीपुर के युवकों को वंचित रखने के लिये जिम्मेदार अधिकारियों को दण्ड से लिए एक जाँच कराने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (घ) जी हाँ ।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 25-5-68 के भारत के गजट में परीक्षा को अधिसूचित किया था । नोटिस के अतिरिक्त उसी तिथि के गजट में परीक्षा में भाग लेने की शर्तें, आवेदनपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तारीख आदि का विज्ञापन भी संक्षिप्त रूप से किया गया था विज्ञापन 25-5-68 को अन्य समाचारपत्रों के अतिरिक्त स्टेट्समैन, कलकत्ता, अमृत बाजार पत्रिका कलकत्ता, आसाम टिब्यून गोहाटी और नाटुन आसमियाँ, गोहाटी जो कि सभी मनीपुर क्षेत्र में जाते हैं, प्रकाशित हुआ था । एक अन्य विज्ञापन प्रकाशन संबंधी

प्रतिरक्षा मंत्रालय की ओर से विज्ञापन तथा दृष्टि प्रचार निदेशालय द्वारा अन्य पत्रों के अतिरिक्त नाउन आसमियाँ, गोहाटी-स्टेट्समैन कलकत्ता, फन्टियर टाइम्स, शिलांग, अमृत बाजार पत्रिका—कलकत्ता, आनन्द बाजार पत्रिका, कलकत्ता, बेटा जगह, कलकत्ता में दिया गया था और विभिन्न तारीखों को यह इन समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था। अतः यह विज्ञापन अन्तिम तिथि से पर्याप्त समय पूर्व मनीपुर के अधिकांश भागों में पहुँच गया था।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मनीपुर के कर्मचारियों का विशेष प्रतिकर भत्ता

6751. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर के उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में कार्य कर रहे मनीपुर सरकार के कर्मचारियों को विशेष प्रतिकर-भत्ता देने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला है;

(ग) भिन्न वेतनमानों पर कितना-कितना भत्ता दिया जायेगा;

(घ) यदि सरकार अभी अन्तिम निर्णय नहीं कर सकी है तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) मामले की परीक्षा की जा रही है।

मनीपुर के लिए राज्य का दर्जा

6752. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के लिये राज्य के दर्जे की माँग करने वाली सर्वदलीय समिति, मनीपुर ने मनीपुर के लिये राज्य के दर्जे की माँग करने के लिये जन आन्दोलन आरम्भ करने के लिये समय निर्धारित करने वाला कोई ज्ञापन भेजा है ?

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) मनीपुर के पड़ोसी राज्य नागालैण्ड को ऊँचा तथा विशेष दर्जा दिए जाने से मनीपुर के लोगों के साथ किए गए भेदभावपूर्ण व्यवहार से मनीपुर के लोगों में फैले भारी असन्तोष को दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार मनीपुर के लोगों की मनीपुर के लिये राज्य का दर्जा दिए जाने तथा राजनीतिक दर्जा बढ़ाए जाने की माँग पर उचित रूप में विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) समिति ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, सरकार आशा रखती है कि मनीपुर के लोग आन्दोलनकारी तरीके अपनाने के स्थान पर क्षेत्र के विकास कार्य में अपनी शक्ति लगायेंगे। राज्य के दर्जे की माँग पर विचार तभी किया जा सकेगा जब कि संघ राज्य क्षेत्र के आर्थिक स्रोत अपने प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त रूप से विकसित हो जायेंगे। इस समय संघ राज्य क्षेत्र, यहाँ तक कि अपने योजनाइतर संबंधी राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए भी काफी

हद तक, केन्द्रीय सरकार पर निर्भर करता है। अतः मनीपुर के वर्तमान दर्जे में इस समय कोई परिवर्तन करने का सुझाव नहीं है।

मनीपुर के स्कूलों के अध्यापकों के वेतनक्रम

6753. **श्री एम० मेघचन्द्र**: क्या शिक्षा मंत्री 26 जुलाई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1297 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मनीपुर के एम० ई० और यू० जे० बी० स्कूलों के स्नातक मुख्य अध्यापकों का पुनरीक्षित वेतनक्रम क्या है,

(ख) उन पर अवर स्नातक हेडमास्टरों का वेतनमान क्या है जो 20 वर्ष के सेवाकाल के बाद मुख्य अध्यापक हो गए हैं; और

(ग) मनीपुर के विभिन्न एम० ई० और यू० जे० बी० स्कूलों में कितने स्नातक हेडमास्टर हैं और उनका वेतनमान क्या है?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) प्रसंगाधीन हेडमास्टरों के लिए फिलहाल अलग से कोई वेतनमान नहीं है। तथापि असम के स्नातक हेडमास्टरों के वेतनमानों को मणिपुर में एम० ई० और जे० बी० स्कूलों के स्नातक हेडमास्टरों के लिए अपनाने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) उन अप्रशिक्षित अवर-स्नातक हेडमास्टरों का वेतनमान 140-275 रु० जमा 20 रु० मासिक विशेष वेतन है जिन्होंने 1-1-1959 को 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी।

(ग) मणिपुर में एम० ई० और जे० बी० स्कूल में 25 स्नातक हेडमास्टर कार्य कर रहे हैं और उनका वेतनमान 140-275 रु० जमा 20 रु० मासिक विशेष वेतन है।

Formation of Four Zones in India

6754. **Shri Onkarlal Bohra**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the nature of steps being taken by Government to rout out regionalism, provincialism and casteism which are no less dangerous to national unity than communalism ;

(b) whether the question of reorganisation of the country afresh and formation of only four zones in the country with a strong Centre would also be considered ; and

(c) whether any new States would be created on the basis of language or caste ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Appropirate administrative and political steps are being taken to remove tensions arising out of regionalism, provincialism and casteism so as to promote a sense of national oneness.

(b) and (c) : No, Sir.

Compaign to Eradicate Corruption and Immorality

6755. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to launch a compaign to eradicate corruption and immorality which is on the increase at the different levels in the country ;

(b) whether Government propose to formulate some scheme for inculcating and developing speedily the spirit of nationalism and patriotism in the people in the country ; and

(c) whether Government porpose to constitute a committee in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government is continuing the drive against corruption in services and in public life.

(b) and (c) One of the terms of reference of the Committee of Experts on Mass Media which is going to be set up shortly pursuant to a recommendation of the Committee on Educational Aspects and Mass Media appointed by the National Integration Council at its meeting held in Srinagar on June 20-22-1968, is to develop in the minds of the people a feeling of national pride and patriotism. Besides, a scheme to put into effect the Declaration of Objectives issued by the Council is also presently under consideration of the Government.

Progress of Hindi in Non-Hindi States

6756. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the progress made so far in giving the Official Language Hindi a place in the regular study courses of the various non-Hindi-speaking States and whether due importance has been attached to the propagation of Hindi in our national education policy ;

(b) the progress made so far in regard to accepting the Indian languages as media of instructions at the higher level ; and

(c) the extent to which Government have succeeded in arresting the increasing effect of English language ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Sher Singh) : (a) The resolution on National policy in education includes the three-language formula which provides for the compulsory teaching of Hindi at the school stage. All States except Madras have accepted the formula.

The resolution also provides for the promotion and development of Hindi as the link language and for the establishment, in non-Hindi States,of Hindi medium colleges and institutions of higher education.

(b) A statement is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT— 1889/68]**.

(c) The regional languages are already the media of instruction at the school stage. The national policy also provides for the use of Indian languages as media of education at the university stage. The only provision the policy makes for the study of English both at the schoool and university stages is that for its study as an important international language. In view of this the question of arresting the increasing influence of English does not arise.

Education in Primary Schools

6757. **Shri Onkarlal Bohra** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) the condition of education in those States where primary schools have been handed over to Panchayats and whether the Ministry would review their educational policy keeping in view the increased discontentment among teachers ;

(b) whether Government have advised the Rajasthan Government regarding 40 thousand primary school teachers whose services have been brought again under the control of Education Department from Panchayats particularly in Rajasthan and regarding the hardships of these teachers ; and

(c) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) These are matters which primarily concern the State Governments. No specific evalua-

tion/study on the condition of education under Panchayats has been made by the Ministry of Education.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Hotels and Motels

6758. **Shri Onkarlal Bohra**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the facilities being provided and the steps being taken by Government for encouraging the establishment of hotels and motels at several places in the country with a view to extending more amenities to tourists ;

(b) whether Government are giving financial assistance for construction of hotels in the private sector in addition to the public sector and if so, the amount of financial assistance likly to be given for the purpose and the location of such hotels ; and

(c) whether Government are aware that tourists are mostly charged exhorbitant prices for various articles and are thus fleeced at various tourist centres and if so, the steps taken in the matter so that foreign tourists coming to India may not carry a bad impression about our country ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The hotel industry has been declared as a priority industry. Certain tax benefits and fiscal reliefs have been announced by the Government to encourage the setting up of hotels. A proposal to construct motels in the Public Sector at selected places during the Fourth Five Year Plan is also under consideration.

(b) A Hotel Development Loan Scheme has been formulated by the Government to provide the hotel industry with financial assistance for the construction, renovation or expansion of existing hotels. For this purpose, a sum of Rs. 75 corres as loans for hotels to be put up at selected tourist centres during the Fourth Five Year Plan is under consideration.

(c) The Government has a system of approving well-known shops dealing in handicrafts and curios at all important tourist centres so that foreign tourists can shop with confidence. Complaints received about over-charging or non-despatch of articles by approved/unapproved shops are investigated and suitable action taken.

Arrest on M. P. Border

6759. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) the number of persons arrested on Madhya Pradesh border in 1966-67 in connection with smuggling, dacoity and spying for Pakistan, separately ; and

(b) the action being taken against them ?

The Minister of State in the Ministery of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b) The information is being collected from the State Governments concerned and will be placed on the Table of the House when received.

Non-Co-operative Attitude of Centre Towards Madhya Pradesh

6760. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's atention has been drawn to a statement made by the Chief Minister of Madhya Pradesh to the effect that the attitude of the Central Government towards the latter is one of non-co-operation ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The Madhya Pradesh Government have intimated that the Chief Minister of Madhya Pradesh has never stated that the attitude of the Government of India was non-co-operative.

(b) Does not arise.

Grant to Madhya Pradesh for Cultural Development

6761. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether Government had given any grants to Madhya Pradesh for cultural development in 1967-68 ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the amount of grant proposed to be given to the State for the purpose in 1968-69 ?

The Minister of State in the Ministry of Education : (Shri Sher Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) Rs. 12,000 was allotted to the State Government of Madhya Pradesh. Another Rs. 1,000 was sanctioned for Museums Educational Programme.

(c) No decision regarding the amount of grant to be sanctioned during the current financial year has so far been taken.

Tourist Facilities in Madhya Pradesh

6762. **Shri G. C. Dixit**: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the details of the schemes regarding the facilities to be given to the tourists in Madhya Pradesh and the total amount likely to be spent next year in this connection ;

(b) the details of the transport and other facilities provided to the tourists at imporant places of historic interest like Mandavgarh, Asirgarh, Sanchi, Udaigiri caves and Bagh caves ;

(c) whether it a fact that there is no arrangement for the lodging of the tourists at important places like Asirgarh nd Udaigiri caves ; and

(d) if so, the steps taken to obviate these difficulties ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The schemes are still under formaulation, ad the amount to be spent in Madhya Pradesh in the next year will be determined after final allocation for the Fourth Five Year Plan on Tourism is made by the Planning Commission.

(b) The following tourist facilities are available at the places indicated against each tourist centre :

I. Transport Facilities

1. Mandu-Bagh Cave Complex	Six luxury tourist cars have been released to two car operators in Indore for serving Mandu-Bagh Caves for which Indore is the nearest rail-head and air-terminal.
ii. Bhopal-Udaigiri-Sacnchi Complex	Eight luxury tourist cars have been provided to the Madhya Pradesh Government for operation in Bhopal and for visits to Sanchi and Udaigiri.

II. Accommodation Facilities

i. Mandavgarh (Mandu)	1. Tourist Bungalow (Class I) constructed by the Department of Tourims. 2. Rest House of the Archaeological Survey of India. 3. Low Income Group Rest House constructed by the State Government with 50 percent Central Subsidy.
ii. Sanchi	1. Tourist Bungalow (Class I) constructed by the Department of Tourism. 2. Circuit House. 3. P. W. D. Dak Bungalow.
iii. Bagh Caves	P.W.D. Dak Bungalow near the Caves.

(c) and (d) Udaigiri Caves are located about 14 Kms. from Sanchi. Since accommodation is available at Sanchi and it is also proposed to augment this accommodation, it is not at this moment feasible to provide accommodation facilities at Udaigiri Caves. Tourists can easily and conveniently reach the caves from Sanchi. At Asirgarh, there is a 2-room Rest House which meets basic needs. Since it is considered of local importance there is no porposal to provide any accommodation at this place in the Central Plan.

हिमाचल प्रदेश को दिये गये अनुदान तथा ऋण

6763. **श्री हेम राज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश को अपना घाटा पूरा करने के लिये 1964-65 से 1967-68 तक कितनी-कितनी राशि का अनुदान तथा ऋण दिए गए तथा 1968-69 में कितनी राशि के अनुदान तथा ऋण देने का विचार है;

(ख) उपरोक्त अवधि में हिमाचल प्रदेश के आय-व्ययक में कितनी राजस्व आय और व्यय की व्यवस्था को गई थी; और

(ग) राजस्व आय में खर्च अधिक होने के कारण घाटे को पूरा करने के लिये तथा विकास कार्यों के लिये हिमाचल प्रदेश को उस अवधि में कितनी-कितनी राशि के ऋण तथा अनुदान दिए गए थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :

(क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या तक 1990/68]

पश्चिमी बंगाल में मध्यावधि चुनाव

6764. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह अनुभव करती है कि पश्चिमी बंगाल के अधिकांश क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ों के बावजूद चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराये जा सकते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस विषय पर विभिन्न जिला मजिस्ट्रेटों के साथ परामर्श करने के लिये चुनाव आयुक्त हाल ही में पश्चिमी बंगाल गए थे;

(ग) यदि हाँ, तो जिला मैजिस्ट्रेटों ने क्या विचार व्यक्त किए हैं; और

(घ) क्या उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार मध्यावधि चुनाव स्थगित करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) चुनाव आयोग की राय पर चुनाव का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

(ख) मुख्य चुनाव आयुक्त ने सरकार को सूचना दी है कि उन्होंने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी से चुनाव चर्चा के लिये पश्चिम बंगाल का दिनांक 8 अगस्त, 1968 तक दौरा किया। किन्तु किसी जिला दण्डाधिकारी से बातचीत नहीं की थी।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

एयर इण्डिया के अधिकारियों का विदेशों को भेजा जाना

6765. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 9 अगस्त, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 420 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इण्डिया के कई अधिकारियों को पिछले छः वर्षों से भी अधिक समय से विदेशों में रखने के संचालन और वाणिज्यिक अथवा प्रशासन संबंधी कारण क्या हैं; और

(ख) निगम के सामान्य नियमों के अनुसार सरकार उन्हें वापस बुलाने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) और (ख) एयर इण्डिया कारपोरेशन एक स्वायत्त संगठन होने के कारण इन मामलों का सीधा संचालन करता है। कारपोरेशन से ज्ञात हुआ है कि जिन कारणों से उसके कुछ कार्यकारी छः वर्ष से अधिक अवधि के लिये विदेशों में तैनात रहे हैं मुख्यतया निम्नलिखित हैं :—

(i) बिक्री की अभिवृत्ति तथा कार्यकुशलता को दृष्टि में रखते हुए, एयर इण्डिया की विदेशों में स्थिति को पुष्ट करना जरूरी समझा गया और इस कारण अफसरों का उन्हीं स्टेशन पर बना रहना आवश्यक हो गया।

(ii) किसी अफसर को स्थानीय भाषा सीखने तथा स्थानीय कानूनों और नियमों का ज्ञान प्राप्त करने एवं व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने में कम से कम एक दो साल तक लग जाते हैं। यदि कोई अफसर अन्यथा अच्छी वं कार्पोरेशन के लिये संतोषजनक प्रगति कर रहा होता है तो उक्त परिस्थितियों में छोटे अन्तरों पर बदली कार्पोरेशन के सर्वोत्तम हित में नहीं होगी।

(iii) क्योंकि यर इण्डिया एक अन्तर्राष्ट्रीय परिचालक है, उसके अधिकांश स्टेशन विदेश में स्थित हैं। सलिये इसके अधिकारियों व कर्मचारियों को भारत और बाहर के स्टेशनों के बीच बदलते रहने के बारे में कोई एक दृढ़ प्रणाली लागू कर सकना व्यवहार्य नहीं है। परन्तु कार्पोरेशन मौजूदा तैनातियों का पुनरीक्षण कर रही है तथा व ऐसे परिवर्तन कर सकती है जिन्हें वह अपने उत्तम हितों के अनुकूल समझे।

गुजरात और बड़ौदा विश्वविद्यालयों को अनुदान

†6766. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात और बड़ौदा विश्वविद्यालय से वित्तीय सहायता और अनुदान के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक विश्वविद्यालय को कितनी-कितनी धनराशि दी गई है; और

(ग) 1967-68 में सूरत स्थित विश्वविद्यालय को कितना अनुदान और कितनी वित्तीय सहायता दी गई?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद):

(क) और (ख) शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1965-66 से 1967-68 के दौरान गुजरात और बड़ौदा विश्वविद्यालयों को निम्नलिखित अनुदान दिए गए।

	रुपये
गुजरात विश्वविद्यालय	42,84,200-19
बड़ौदा स्थित एम० एस० विश्वविद्यालय	65,97,187-99

1962 के आम चुनावों में बिहार तथा पश्चिम बंगाल की विधान सभाओं के लिए ईसाइयों का निर्वाचन

6767. **श्री कार्तिक उरांव:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1962 के आम चुनावों में अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्य के लिये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, राँची जिले में बेरी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से एक भारतीय ईसाई (जो आदिम जाति का नहीं था) बिहार विधान सभा के लिये चुन लिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि 1962 के आम चुनावों में अनुसूचित आदिम जातियों के उस सदस्य के लिये आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जलपाईगुरी जिले में मदासी हाट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से एक आंग्ल भारतीय व्यक्ति पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिये चुना गया था;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या किसी आदिम जातीय निर्वाचन क्षेत्र को गैर-आदिम जातीय निर्वाचन क्षेत्र में बदलने का किसी दल के नेता को अधिकार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ग) 1962 के आम चुनाव में बेरो विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से कत्थर टोली राँची का श्री पाल दयाल बिहार विधान सभा के लिए चुना गया था। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वह धर्म का ईसाई है और ओरान होने के नाते वह अनुसूचित आदिम जाति से सम्बन्धित है।

(ख) और (ग) 1962 के आम चुनाव में श्री ए० एच० बास्टर विच मदारीहट निर्वाचन क्षेत्र से पश्चिमी बंगाल विधान सभा के लिए चुने गए थे, और निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामजदगी पत्र की जाँच-पड़ताल करके यह पाया गया कि वे मुंडा आदिम जाति से सम्बन्धित हैं। श्री महादेव भगत ने चुनाव न्यायाधिकरण, जलपाईगुरी के समक्ष श्री ए० एच० बास्टरविच और तीन अन्य

व्यक्तियों के विरुद्ध चुनाव याचिका दायर की। इस निर्वाचन का यह निर्णय दिया गया कि चुनाव के समय श्री ए० एच० बास्टरविच ऑग्ल भारतीय नहीं थे अपितु मुंडा आदिमजाति का एक सदस्य थे और इसीलिये पश्चिमी बंगाल विधान सभा की सीट के लिये जो अन चिट आदिम जाति के आरक्षित थी, वे आवेदन करने के योग्य थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार सिविल सेवा तथा कनिष्ट सिविल सेवा में आदिम जातियों के व्यक्ति

6768. **श्री कार्तिक उरांव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सिविल सेवा /कनिष्ठ सिविल सेवा में कार्य कर रहे निम्नलिखित व्यक्ति आदिम जातियों में से हैं—

1. कुमारी वेदा डीन—डी० डी० ओ०
2. श्री फ्रांसिस डीन—एम० डी० एम०
3. श्री सीरिल कमन—एस० डी० एम०
4. श्री हैनरी ब्राइट—एस० डी० एम० ;

(ख) यदि हाँ, तो वे किन-किन आदिम जातियों के हैं;

(ग) किन व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित किए जाने पर उन्हें आदिम जातियों के होने का प्रमाण-पत्र दिया गया था; और

(घ) दोषियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) सूचना प्राप्त की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

छिपे नागा विद्रोहियों की केन्द्रीय सेवाओं की प्रथम श्रेणी में भर्ती

6769. **श्री कार्तिक उरांव** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें छिपे नागा विद्रोहियों को फुसला कर केन्द्रीय सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में भर्ती किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी कुल संख्या कितनी है तथा उन्हें किन-किन श्रेणियों में लिया गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि आसाम के पहाड़ी आदिम जातीय के बहुत से लोगों को विभिन्न केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती किया गया है और यदि हाँ, तो उनकी संख्या कितनी है तथा वे किन जिलों के रहने वाले हैं?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई वार्षिक सम्मिलित प्रतियोगी परीक्षा के परिणामों पर केन्द्रीय सेवा की किसी प्रथम श्रेणी में किसी छिपे नागा विद्रोही को भर्ती नहीं किया गया है।

"(ग) 1967 की परीक्षा के परिणामों पर मिजो जिले से दो उम्मीदवारों की केन्द्रीय सेवाओं, प्रथम श्रेणी, में नियुक्ति की जा रही है।

Liquor Poisoning Cases in Delhi

6770. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether it a fact that 25 persons died in Gur Mandi, Delhi after drinking spirit as reported in Hindustan of the 24th April, 1963 ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(c) the number of persons who died in Delhi after drinking wine since January, 1968 to date and the number of persons prosecuted in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) 20 deaths were reported to Delhi Police during the period 1-1-1968 to 15-8-1968, allegedly due to liquor consumption. The cases have been enquired into by the Delhi Police and so far none has been prosecuted as no cognizable offence was made out.

सरकारी कार्यालयों में हिन्दी का अपनाया जाना

6771. **श्री शारदा नन्द** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को दिनांक 6 जुलाई, 1968 का गृह-कार्य मंत्रालय का ज्ञापन-पत्र संख्या 2/29/68-ओ० एल० प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त ज्ञापन-पत्र के पैरा 3,4,5,6 और 7 के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है,

(ग) क्या हिन्दी प्रशिक्षण योजना तथा चपरासियों लीअर डिवीजन क्लर्कों और अपर डिवीजन क्लर्कों के प्रशासनिक काम से सम्बन्धित लेखन तथा टिप्पण के सारे कार्य के लिये हिन्दी का प्रयोग करने का सरकार का विचार है, और

(घ) यदि हाँ तो कब से ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हाँ ।

(ख) उसे परिचालित कर दिया गया है।

(ग) और (घ) मंत्रालय का विचार हिन्दी शिक्षण योजना के बारे में हिन्दी को अपनाने का है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जा रहा है और नोटिंग तथा ड्राफ्टिंग हिन्दी में करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

Anti-Indian Activities of Christian Missionaries

6672. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Christian Missions in Madhya Pradesh and Rajasthan are carrying on anti-Indian activities and are forcing the tribal people to change their religion ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) According to information received from the State Governments Christian Mis-

sionaries have not come to notice for anti-Indian activities in Rajasthan and Madhya Pradesh. No cases of forcible conversion have been noticed in these two States.

(b) Does not arise.

Files regarding unauthorised construction in Delhi

6773. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the progress made in regard to the inquiry into the files regarding the unauthorised construction in Shahdara area, which were recovered some time back ; and

(b) the number of Gazetted and Non-gazetted employees involved in the said cases and the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) It is learnt from the Delhi Municipal Corporation that as a result of the proble into the matter, responsiblity for the lapses of not handing over/taking over charge of the files/papers found in almirahs etc., lying unattended to and for lack of supervision rested with two Zonal Engineers and four officials of the Building Departmnt, Shahdara Zone. Charge sheets to the four officials have already been served and preamble for taking action against the two Zonal Engineers has already been submited to the Corporation through the Standing Committee. A comprehensive departmental inquiry in individual cases may, however, bring to light the involvement of some other officials in this connection as well. Necessary additional staff for the purpose is being provided.

साम्यवादी देशों द्वारा दिया गया धन

6774. **श्री जुगल मंडल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने रूस और अन्य साम्यवादी देशों द्वारा भारत में व्यक्तियों और संगठनों को दिये जाने वाले धन के बारे में कोई जाँच की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : पिछले आम-चुनाव और अन्य कार्यों के लिये प्रयुक्त विदेशी धन के बारे में गुप्तचर विभाग के प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा हे ।

सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति और सेवा में वृद्धि

6775 **श्री लोबो प्रभु** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की पुनर्नियुक्ति और उनकी सेवा वृद्धि के सम्बन्ध में कोई नियम बनाये गये हैं अथवा उसके लिए कोई कसौटी निर्धारित की गयी हे ;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि नियम न बने होने के कारण सैनिक और असैनिक दोनों सेवाओं के कर्मचारी यह महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव रखा जाता है ;

(ग) यदि नियम बनाये जायें तो क्या सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि पुनर्नियुक्ति के लिये प्रयत्न करने वाले अधिकारियों की स्वतंत्रता को ठेस न पहुंचे ; और

(घ) क्या सरकार राज्यों से केन्द्र में स्थानान्तरण करने के नियम भी बनायेगी जिसके बारे में भी असंतोष है, जो सेवाओं के लिए अच्छा नहीं है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी हाँ, वर्त्तमान

अनुदेशों के अन्तर्गत अधिवार्षिकी आयु के बाद साधारणतया सेवा में वृद्धि / पुनर्नियुक्ति के सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जाता, सेवा वृद्धि / पुनर्नियुक्ति केवल विशेष मामलों में ही दी जा सकती है और किसी भी हालत में तकनीकी व वैज्ञानिक पदों से भिन्न पद के लिए 60 वर्ष से अधिक और वैज्ञानिक व तकनीकी कर्मचारियों के मामले में 62 वर्ष से अधिक वृद्धि नहीं दी जा सकती। सेवा वृद्धि / पुनर्नियुक्ति पर विचार तभी किया जाता है जब यह लोक हित में हो। लोक हित के लिए सेवा वृद्धि / पुनर्नियुक्ति को न्यायसंगत सिद्ध करने के लिए निम्न-लिखित शर्तों में से एक को पूरा करना पड़ता है—(1) इस कार्य के लिये अन्य अधिकारी योग्य नहीं हुए हैं, अथवा (2) सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी विशिष्ट योग्यता के हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हमारे अनुदेशों द्वारा अधिवार्षिकी अधिकारिओं की पुनर्नियुक्ति केवल तभी की जा सकती है जब यह लोक हित में हो।

(घ) राज्य सरकार के अधिकारियों का केन्द्र में स्थानान्तरण तभी किया जा सकता है जब कि केन्द्र में पद के लिए भरती नियमों में ऐसा दिया हुआ है तो केन्द्र में नियुक्ति के लिए चुनाव सम्बन्धित सेवा के भरती-नियमों के अनुसार की जाती है।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

6776. **श्री मणिभाई जे पटेल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के ढांचे में कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो किये जाने वाले परिवर्तन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या परिषद् के शासी निकाय ने तकनीकी सूचना संस्था के गठन के प्रस्ताव के बारे में विचार किया है, और

(घ) यदि हाँ, तो संस्था का कार्यक्षेत्र क्या होगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 25 नवम्बर, 1967 को हुई अपनी बैठक में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) की शासीनिकाय ने केन्द्रीय वैज्ञानिक सूचना तथा प्रशासन संस्थान की स्थापना को सिद्धान्त रूप में मान लिया है।

प्रस्तावित संस्थान की उपयुक्त आयोजना बनाने तथा ब्यौरे तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्ति की गई है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

अनुसंधान एवं सामाजिक विज्ञान परिषद

6777. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : **श्री रवि राय** :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसंधान एवं सामाजिक विज्ञान संबंधी स्वायत्तशासी परिषद् स्थापित करने के प्रस्ताव को रूपरेखा क्या है ;

(ख) राव समिति की सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) इस परिषद को स्थापित करने और चलाने पर कितना खर्च आयेगा; और

(घ) विश्वविद्यालय तथा अन्य निकायों का सहयोग कैसे प्राप्त किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) आयोजना आयोग द्वारा डा० वी० के० आर० वी० राव की अध्यक्षता में, नियुक्त समिति ने सिफारिश की है कि भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् की स्थापना एक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में हो। चाहिए। परिषद् में सरकार द्वारा नामजद 25 सदस्य होने चाहिए और इसका अध्यक्ष प्रमुख समाज वैज्ञानिक होना चाहिए, 15 सदस्य विश्वविद्यालय से, सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों से 6, समाज अनुसंधान उपयोक्ता, भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के 5 प्रतिनिधि होने चाहिए। परिषद् के मुख्य कार्य, समाज विज्ञानों में अनुसंधान शुरू करना, संचालन, समर्थन तथा समन्वय करना होना चाहिए।

(ग) समिति ने सिफारिश की है कि परिषद् और उसके कार्यकलापों के लिए एक करोड़ रुपये वार्षिक की व्यवस्था होनी चाहिए।

(घ) जैसा कि समिति ने प्रस्ताव किया है, परिषद् में विश्वविद्यालयों तथा समाज विज्ञान अनुसंधान में लगी अन्य संस्थाओं को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। परिषद् विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं की भी समाज विज्ञानों में अनुसंधान करने के लिए अलग-अलग अथवा एक दूसरे के सहयोग से सहायक अनुदान भी देगी।

उद्योगों में ईंधन व्यवस्था

6778. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों में ईंधन व्यवस्था के अध्ययन को प्रायोजित करने और बायलरों तथा अन्य उपकरणों को रूपभेदित करने का सुझाव देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् में ईंधन व्यवस्था में प्रशिक्षण देने तथा स्वदेशी ईंधनों की उपलब्धता के अनुसार आतशी उपकरणों को रूपभेदित करने के लिए कोई सुझाव दिये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) चूंकि अपेक्षित सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है, यह विभिन्न स्रोतों से एकत्र की जा रही है।

वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग

6779. **श्री ए० श्रीधरन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्दावली आयोग के कार्यालय को रामकृष्णपुरम में एक विशाल इमारत अलाट की गई और इसके सभी अनुभाग इस इमारत में आ गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि आयोग का प्रकाशन अनुभाग रामकृष्णपुरम नहीं गया है और यह कर्जन रोड बैरक्स में चला गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रामकृष्णपुरम के कार्यालय में प्रकाशन अनुभाग के लिए स्थान खाली पड़ा हुआ है और कार्यालय दोनों स्थानों पर किराया दे रहा है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकारी खजाने पर पड़ रहे अतिरिक्त भार को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के लिए आर० के० पुरम, नई दिल्ली में स्थान नियत किया गया है और कर्जन रोड बैरक्स में स्थित प्रकाशन एकक के अलावा इसके सारे अनुभाग पहले ही वहाँ चले गये हैं।

(ग) और (घ) आर० के० पुरम में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के प्रकाशन एकक के लिये नियत स्थान का समुचित उपयोग करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिये त्रिपुरा सरकार का अनुरोध

6780. **श्री किरितविक्रमदेव बर्मन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा सरकार ने तार द्वारा केन्द्रीय सरकार के उस राज्य के बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता तथा पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपये देने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा उनकी प्रार्थना पर राहत के लिये कितना धन मंजूर किया गया है ; और

(ग) त्रिपुरा में बाढ़ पीड़ितों के प्रति परिवार को कितनी राहत दी गई है तथा केन्द्रीय सहायता से उन्हें कितनी और राहत दी जानी है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हाँ।

(ख) भारत सरकार ने निःशुल्क राहत के लिए 3 लाख रुपये और कृषि सम्बन्धी ऋण के लिए 2 लाख रुपय की मंजूरी दी है।

(ग) बाढ़ पीड़ित लोगों को नकदी और वस्तुओं के रूप में आवश्यक राहत इस शर्त पर दी गई है कि इस ओर व्यय प्रति परिवार पर 100 रुपये से अधिक नहीं आयेगा। संघ राज्य क्षेत्र से बाढ़ द्वारा क्षति के बारे में जब ब्यौरे वार प्रतिवेदन प्राप्त हो जायेगा तब उसके गुणों के आधार पर अधिक केन्द्रीय सहायता दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में बर्दवान विश्वविद्यालय का बन्द होना

6781. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : **श्री अधिकारी** :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में बर्दवान विश्वविद्यालय 11 अगस्त, 1968 से बन्द है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्वविद्यालय में तथाकथित कदाचारों को दूर करने की माँग करते हुए विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला था ; और

(ग) यदि हाँ, तो विश्वविद्यालय के उच्च पदाधिकारियों द्वारा किये जाने वाले कदाचारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) विश्वविद्यालय के कार्यालय और कक्षाएं 10-8-68 को बन्द थे । विश्वविद्यालय के कार्यालय 16-8-68 को पुन: खुले । विश्वविद्यालय का विचार कक्षाओं को सोमवार 2 सितम्बर, 1968 से पुन: चालू करने का है ।

(ख) विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन किए गए । उनकी एक माँग विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा परीक्षा से सम्बन्धित अभियोगों से था ।

(ग) यह मामला विश्वविद्यालय के अधिकारियों के समक्ष विचाराधीन है।

दिल्ली के लिये नया विश्वविद्यालय

6782. **श्री अदिचन : श्री चन्द्र शेखर सिंह :**

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपकुलपति ने दिल्ली में एक नया विश्वविद्यालय खोलने के बारे में एक सुझाव दिया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

साक्षरता अभियान

6783. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष प्रयोगात्मक आधार पर आरम्भ किया गया रोजगार दिलाने में सहायक साक्षरता अभियान लोकप्रिय होता जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी यह अभियान आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की भाँति यह काम विश्वविद्यालयों द्वारा करवाया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) और (ख) सरकार ने वयस्कों के लिये काम-धंधा अभिमुखी साक्षरता जैसा कोई कार्यक्रम प्रारम्भ नहीं किया है। किन्तु किसानों की कार्यात्मक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से, अधिक उपज वाले किस्म के क्षेत्रों में किसानों

के प्रशिक्षण हेतु एक संयुक्त प्रायोजना के रूप में किसान साक्षरता योजना (फार्मर्स एजूकेशन एण्ड फंकशनल लिटरेसी) शुरू की गई है, जिसमें खाद्य तथा कृषि, सूचना तथा प्रसारण और शिक्षा मंत्रालय सहयोग कर रहे हैं। यह कार्यक्रम पिछले वर्ष तीन राज्यों में शुरू किया गया था और इस वर्ष सात और राज्यों में शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता का मूल्यांकन करना समय से पहले होगा।

(ग) यह कार्यक्रम, राज्य सरकारों और स्वेच्छित संगठनों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

भारत में विदेशी धर्मप्रचारकों का बसना

6784. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय ऐसा नियम है कि यदि कोई विदेशी धर्म-प्रचारक भारत में किसी विशिष्ट राज्य में आकर बसना चाहता है तो सम्बन्धित राज्य सरकार की अनुमति माँगी जाती है और यदि वह सहमत हो जाती है तो उस विदेशी धर्म प्रचारक को उस राज्य में आ कर बसने की अनुमति दी जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि एक विदेशी धर्म-प्रचारक ने, जिसकी महाराष्ट्र में कार्यवाहियों की बड़ी आलोचना हुई है, गुजरात और आंध्र प्रदेश में बसने के लिए अनुमति माँगी है; और

(ग) क्या सरकार उस नियम और अनुमति को बदलेगी और सम्बन्धित राज्यों की सलाह लिये बिना ही अपनी जिम्मेदारी पर विदेशी धर्म प्रचारकों को भारत में नहीं आने देगी अथवा उनकी भारत आने की प्रार्थना को अस्वीकार करेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ग) विदेशियों द्वारा बीसा के लिए दिए गए आवेदन पत्र पर उस राज्य सरकार से सलाह ली जाती है जहाँ कि वह रहना चाहता है। इस प्रकार के सलाह न केवल निर्णय के लिए आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिये होते हैं अपितु स्थानीय हालातों से सम्बन्धित राज्य सरकार की जानकारी निश्चित करने के लिए भी होता है जिससे कि वे सम्बन्धित हैं।

(ख) जी हां।

Beating-up of Man at Delhi Railway Station

6785. **Shri S. M. Joshi** : **Shri K. P. Singh Deo** : **Shri Yashpal Singh** :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on the 7th August, 1968, Policemen beat up a hancuffed person to an unconscious state at the Delhi Railway Station ;

(b) whether a Magistrate was also present at the station at that time ;

(c) the name and address of that person and when he was handcuffed and for what crime ;

(d) the authority who issued the order to beat him up publicly ;

(e) the place where that person is kept at present and in what state ; and

(f) the action being taken against the Policemen who beat him up ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) to (f) : Do not arise.

कारनिकोबार द्वीपसमूहों के लिये आदिवासी पास

6786. **श्री भगवान दास :** **श्री चक्रपाणि :**

श्री नायनार :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारनिकोबार द्वीप समूह में कार्मिक संघ के पदाधिकारियों को अधिकारियों द्वारा आदिवासी पास नहीं दिये जाते हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को आदिवासी पास देने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मजदूर संघ नेताओं को निकोबार द्वीप समूह में जाने के लिये आदिवासी पास दिये जाते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क परिवहन का राष्ट्रीयकरण

6787. **श्री चक्रपाणि :** **श्री पी० राममूर्ति :**

श्री के० रमानी :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई, 1968 में जमशेदपुर में हुए सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के राज्य परिवहन निगमों के चेयरमैन ने सरकार को सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव दिया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा-समय सभा-पटल पर पेश कर दी जायेगी।

रांची में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में प्रतिवेदन

6788. **श्री उमानाथ :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री 2 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2347 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राँची में हुए साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धी जाँच आयोग ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) साम्प्रदायिक दंगों सम्बन्धित जाँच आयोग ने राँची में हुए साम्प्रदायिक दंगों पर अपने प्रतिवेदन 1 अगस्त, 1968 को सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

(ख), (ग) और (घ) प्रतिवेदन की जाँच की जा रही है।

भारतीय ऐतिहासिक अध्ययन संस्था

6789. **श्री उमानाथ :** **श्री चक्रपाणि :**
श्री प० गोपालन :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय ऐतिहासिक अध्ययन संस्था को एशिया फाउंडेशन के अलावा भिन्न-भिन्न एजेंसियों से कुल कितना धन प्राप्त हुआ है ;

(ख) उन एजेंसियों के नाम क्या हैं ; और

(ग) जिन परियोजनाओं के लिये अनुदान दिये गये हैं उनके नाम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क), (ख) और (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया है । देखिये संख्या नं० एल० टी०1991/68]

बिहार में विश्वविद्यालय शिक्षा के लिये आयोग

6790. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के राज्यपाल और कुलपति ने बिहार में विश्वविद्यालय (स्तर की) शिक्षा में सुधार हेतु एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की स्थापना की है ;

(ख) यदि हाँ, तो आयोग के सदस्यों के नाम और योग्यताएं क्या हैं ; और

(ग) आयोग के निर्देश पद क्या हैं और इसके द्वारा रिपोर्ट दिये जाने की समय-सीमा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) विश्वविद्यालयों और कालेजों के ढांचा, व कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए उचित उपाय सुझाने के लिए बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग ने एक समिति की स्थापना की है ।

(ख) (1) श्री के० एस० वी० रमन, आई० सी० एस० (रिटायर्ड), अध्यक्ष ।

(2) श्री के० के० दत्ता, एम० ए०, पी० एच० डी०, उपकुलपति, पटना विश्वविद्यालय ।

(3) डा० एन० एस० नगेन्द्रनाथ, एम० एस०सी०, पी० एच०डी० (कन्टाब) प्रिंसिपल, विज्ञान कालेज ।

(4) श्री कलुमुद्दीन अहमद, बी० ए० (कन्टाब), अध्यक्ष, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड ।

(5) श्री एम आलम, आई० ए० एस०, बिहार सरकार के शिक्षा सचिव ।

(6) श्री एन० नागमनी, आई ए० एस०, अतिरिक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार ।

(7) डा० टी० बी० मुखर्जी, एम० ए०, पी० एच० डी०, सचिव, बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग ।

(ग) समिति को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है :—

(1) राज्य के विश्वविद्यालय के मध्य, बिहार सरकार और बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग के मध्य और उन सब के बीच वित्तीय और प्रशासनिक परस्पर सम्बन्ध होने चाहिए ।

(2) राज्य के वित्तीय और अध्यापकों की सीमा को देखते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के उचित वितरण को दृष्टि में रखते हुए मानवशास्त्र, सामाजिक व प्रायोगिक विज्ञान प्राद्योगिकी, वाणिज्य और शिक्षा को अध्ययन के पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए ।

(3) दाखिला पर नियंत्रण करने वाले सिद्धान्त , शिक्षा का माध्यम, परीक्षा प्रणाली, अन्य गतिविधियां, छात्रावास में तथा उसके बाहर रहने वाले विद्यार्थियों की स्थिति, कालेजों की सम्बद्धता, ट्यूटोरियल सम्बन्धी पढ़ाई और अनुशासन की समस्या के सम्बन्ध में ।

(4) विश्वविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारियों की भरती , पदोन्नति और सेवा के शर्तों के सम्बन्ध में ।

(5) उच्च पद पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले तथा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अन्य बातों के सम्बन्ध में ।

समिति ने अपना प्रतिवेदन 30 नवम्बर 1968 को प्रस्तुत करना है ।

बिहार में 'ज्ञान डिप्लोमा' के विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल

6791. श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में धनबाद के 200 'खान डिप्लोमा' विद्यार्थी 8 अप्रैल, 1968 से हड़ताल पर हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मुख्य माँगें क्या हैं ; और

(ग) हड़ताल को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना की राज्य सरकार से प्रतीक्षा की जा रही है ।

तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद्

6792. **श्री अदिचन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तकनीकी शिक्षा सम्बन्धी अखिल भारतीय परिषद् की दक्षिण प्रदेशीय समिति ने, जिसकी हाल ही में मद्रास में बैठक हुई थी, दक्षिण में तकनीकी शिक्षा की समस्याओं पर चर्चा की थी ;

(ख) यदि हाँ, तो समिति ने इस सम्बन्ध में कौन-कौन से मुख्य सुझाव दिये हैं; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय दिया है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग) विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया है । देखिये संख्या नं० एल० टी० 1992/68]

इंडियन एयरलाइन और एयर इन्डिया के स्नातक इंजीनियरों के वेतन-मान

6793. **श्री जुगुलमंडल** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया द्वारा स्नातक इंजीनियरों (ग्रौंड ड्यूटी) को क्या वेतन-मान तथा भत्ते दिये जाते हैं ;

(ख) यदि इन दोनों के बीच कोई अन्तर है, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उस अन्तर को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) एयर इंडिया द्वारा स्नातक इंजीनियरों को दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें 400–25–450–50 800 रुपये के वेतन मान में अवर तकनीकी अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है, जब कि आई० ए० सी० द्वारा ऐसे इंजीनियरों को तीन वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है और 750–50–1000–100–1200 रुपये के वेतन मान में तकनीकी अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता है । इन अधिकारियों को निम्नलिखित भत्ते भी दिये जाते हैं :—

	एयर इंडिया	आई० ए० सी०
	रुपये	रुपये
महंगाई भत्ता	157	187

तकनीकी भत्ता	—	100
परिवहन भत्ता	—	50

एयर इंडिया स्नातक इंजीनियरों को अवर तकनीकी अधिकारियों के ग्रेड में इसलिये रख रही है कि कारपोरेशन यह समझती है कि दो वर्ष का एप्रेन्टिसशिप उन्हें स्वतंत्र उत्तरदायित्व सौंपे जाने के लिए पर्याप्त अनुभव प्रदान नहीं करता। यह ग्रेड और आगे अनुभव प्राप्त करने के लिए एक मध्यवर्ती (ट्रेंजीशनल) ग्रेड समझा जाता है। ये अधिकारी दो वर्ष पूरा करने पर, और ऊंचे ग्रेड में पदोन्नति के योग्य हो जाते हैं बशर्ते उनका कार्य सन्तोषजनक हो। कार्य मूल्यांकन समिति, जो कि इस समय एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में कार्य मूल्यांकन कर रही है, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में इंजीनियरों के संवर्ग में विभिन्न स्तरों की तुलनीयता के बारे में सम्भवतया सिफारिशें करेगी।

एयर इण्डिया द्वारा इंजीनियरों की भरती

6794. **श्री जुगुल मंडल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि जनवरी-फरवरी, 1965 में एयर इंडिया द्वारा पहले बैच में भर्ती किये गये स्नातक इंजीनियरों को एयर इंडिया के प्राधिकारियों द्वारा अभी तक न तो नियुक्ति के औपचारिक पत्र जारी किये गये हैं और न ही उनके वेतन तथा भत्ते नियत किये गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दक्षिण में गोवर्धन के निकट खुदाई

6795. **श्री रवि राय** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण में गोवर्धन से आठ मील दूर जर्मनी के एक पुरातत्वज्ञों का दल द्वारा की गयी खुदाई के परिणामस्वरूप 1000 ई० पू० से ले कर 18 वीं शताब्दी तक की कई अनेक कला कृतियाँ पाई गई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेरसिंह) : (क) जी हाँ। प्रसंगाधीन खुदाई जिला मथुरा के सौंख नामक स्थान पर की गई थी, दक्षिण में नहीं।

(ख) खनित्र द्वारा पेश की गई रिपोर्ट के अनुसार खुदाई के परिणामस्वरूप इस स्थान पर सका 1000 ईसा-पूर्व से लगभग वर्तमान समय तक के तेरह सांस्कृतिक खंडों का निर्धारण किया गया है। सबसे पहले खण्ड में एक किस्म के मिट्टी के बर्तनों जो रंगीन चित्रांकित भूरे बर्तन कहलाते थे, और जो सका 1000-600 ईसा-पूर्व के आरोप्य हैं, पाये गये थे। बाद के

खंड में, अवशेष तथा पुरावशेष, जिसमें मौर्य, सुंगा, कुषाण, गुप्त और मध्यकालीन युग के बर्तन, सिक्के और पक्की मिट्टी की मूर्तियाँ धातु की वस्तुएं, आदि प्राप्त हुए थे।

दिल्ली के निकट यमुना नदी में पुश्तों (स्पर) का बह जाना

6796. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री भगवान दास :**
श्री सत्यनारायण :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यमुना नदी द्वारा किये जाने वाले भूमि के कटाव को रोकने के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा जगतपुर और बरारी गाँवों के पास यमुना में बनाये गये 13 पुश्तों में से 10 पुश्ते निर्माण के दो सप्ताह के बाद ही बह गये ;

(ख) यदि हाँ, तो इनके निर्माण पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जाँच की है ;

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ङ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ) ऐसा लगता है यमुना नदी के बहाव के जोर के कारण कुछ पुश्तों की क्षति हो गयी है और 7 लाख रुपये की लागत पर बनाये गये पुश्तों की 3180 फुट लम्बाई में से इस समय केवल 1990 फुट ही दिखाई दे रहा है। पानी में डूबी हुई शेष लम्बाई में हुई क्षति का पता मानसून के पश्चात् लगेगा जब पानी उतर जायेगा।

कार निकोबार में सरकारी भंडार

6797. **श्री पी० पी० एस्थोस :** **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों के लिये कार निकोबार द्वीप समूह में कपोर्टों में सरकारी रसद भंडार बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इसके बन्द हो जाने के फलस्वरूप गैर-सरकारी व्यापारी सरकारी कर्मचारियों से अधिक कीमतें ले रहे हैं ;

(घ) क्या कार निकोबार द्वीप समूह के लोक-निर्माण संघ ने माँग की है कि इस रसद भंडार को पुनः खोल दिया जाये ; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तथा (ख) नानकौरी ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा दायर की गयी लेख याचिकाओं के सम्बन्ध में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा

जारी किये गये आदेश के अनुसरण में नानकौरी द्वीप समूह के प्रशासनिक मुख्य कार्यालय का कपौर्टा में सरकारी रसद भंडार बन्द कर दिया गया है।

(ग) कोई विशिष्ट शिकायत अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के ध्यान में नहीं आई है यद्यपि कुछ विशेष सेवा संस्थाओं से सामान्य शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि नानकौरी ट्रेडिंग कम्पनी ऊंची दरें ले रही थीं।

(घ) तथा (ङ) जी हाँ, श्रीमान्। तथापि, कापौर्टा में सरकारी रसद भंडार फिर से नहीं खोला जा सकता जब तक कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में लम्बित मामला अन्तिम रूप से न निपटा दिया जाता है।

Complaints against District Authorities of Banda

6798. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is fact that District Officials of Banda (U.P.) do not attend to the complaints made by the public there ;

(b) whether it is also a fact that the public of the said District is now addressing its complaints to the officials of the State and the Centre being disappointed there ;

(c) the number of complaints from that District received by the Chief Engineer, Irrigation Department, D. I. G. Police, U. P., Government of U. P., Prime Minister , Union Home Minister, Union Irrigation Minister and the action taken thereon ; and

(d) whether Government propose to direct the officials of the said district to change their attitude so that the grievances of the public are redressed and that such complaints do not accumulate in their office ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(d) Public grievances are required to be attended to promptly and no special directions appear necessary.

सरदार पटेल स्मारक निधि का दुरुपयोग

6799. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अहमदाबाद नगर निगम द्वारा पारित एक संकल्प प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि सरदार पटेल स्मारक निधि से कुछ व्यक्तियों द्वारा 10 लाख रुपये का दुरुपयोग किया गया है और इस मामले की जाँच की जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव का वास्तविक स्वरूप क्या है ;

(ग) सरकार ने प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

कुछ तट पर पाकिस्तानी नौकाओं का पकड़ा जाना

6800. **श्री जार्ज फरनेंडीज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966, 1967 तथा 1968 में कच्छ तट पर उतरते हुए कितनी पाकिस्तानी मोटर-बोट, यात्री नौकाएं तथा अन्य नौकाएं पकड़ी गई थी ;

(ख) उनमें से कितनी नौकाएं आदि जब्त की गई और उन से क्या-क्या सामान जब्त किया गया ;

(ग) क्या सरकार ने कच्छ तट पर नौसेना तथा पुलिस टुकड़ियों द्वारा गश्त लगाने की कड़ी व्यवस्था की है ; और

(घ) यदि हाँ, तो गश्त का स्वरूप क्या है और कितने आदमियों द्वारा गश्त लगाई जाती है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) वर्ष 1966 और 1967 में कच्छ तट पर उतरते हुए कोई भी पाकिस्तानी मोटर-बोट, यात्री नौका तथा अन्य नौका नहीं पकड़ी गई। वर्ष 1968 के दौरान कच्छ तट पर उतरते हुए 3 पाकिस्तानी मोटर-बोट और एक गैर-मोटर बोट पकड़े गये थे। इसके अतिरिक्त, 27 पाकिस्तानी नौकाएं तथा अंजाम (खाड़ी फारस) में पंजीकृत परन्तु एक पाकिस्तानी द्वारा अधिकृत एक नौका कच्छ तट से दूर भारतीय जल क्षेत्र में पहचानी गई। जो सामान उनसे पकड़ा गया उनमें अधिकतर मछली पकड़ने के जालें, राशन तथा कपड़े आदि थे।

(ग) और (घ) भारतीय नौसेना द्वारा कच्छ तट की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है, राज्य सरकार ने कच्छ तट पर राज्य आरक्षित पुलिस की कुछ चौकियाँ स्थापित कर रखी हैं और सागर रक्षक दल तथा ग्राम रक्षक दल को भी सावधान कर दिया है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा प्रचार

6801. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967–68 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों में प्रति वर्ष इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन ने विज्ञापन देने तथा प्रचार करने पर कितना व्यय किया ;

(ख) वर्ष 1967–68 में किन समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं को विज्ञापन दिये गये तथा प्रत्येक पत्र में प्रचार पर कितना धन खर्च किया गया ;

(ग) वर्ष 1967–68 में समय सारिणियों तथा मार्गों में परिवर्तन के प्रचार पर सही सही कितनी राशि खर्च की गई थी और शेष राशि को किस ढंग से खर्च किया गया था ; और

(घ) एक ऐसी एकाधिकारी संस्था को, जो वर्षानुवर्ष घाटे पर चल रही है, प्रतिवर्ष इतना धन खर्च करने की क्या आवश्यकता है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) व्यय की गई राशि निम्न प्रकार है :—

1963–64	6.20	लाख रुपये
1964–65	10.20	" "
1965–66	10.70	" "
1966–67	14.40	" "
1967–68	15.00	" " (संशोधित प्राक्कलन के अनुसार)

(ख) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा दी गयी सूचना को देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1993/68]**

(ग) 1967–68 के दौरान समय-सूचियों और मार्गों में किये गये परिवर्तनों का प्रचार करने में कारपोरेशन द्वारा व्यय की गई राशि 70,000 रुपया थी। इसके अतिरिक्त 1967–68 में शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन समय सारिणियों की शीटों व पुस्तिकाओं के उत्पादन पर उसके द्वारा 1.25 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी।

(घ) इनमें ज्यादातर विज्ञापन इंडियन एयरलाइन्स की समय अनुसूचियों, मार्ग-परिवर्तनों तथा नये मार्गों के प्रचार कार्य और संस्था सम्बन्धी विज्ञापनों से संबंधित है। ये विज्ञापन आम जनता की जानकारी, पर्यटक यातायात को आकृष्ट करने तथा बिक्री को बढ़ाने की दृष्टि से एकाधिकार प्राप्त उद्यम (कन्सर्न) तक के लिए आवश्यक हैं।

राजधानी में स्वतंत्रता दिवस समारोह

6802. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्कूलों में 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को, जो कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) स्कूल अधिकारियों को ऐसे आदेश जारी करने के लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) दिल्ली के कुछ स्कूलों ने पहले की तरह इस वर्ष भी 15 अगस्त की बजाय 14 अगस्त को 'स्वतंत्रता दिवस' मनाया था। इसका पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस से कोई सरोकार नहीं था। इसका मुख्य कारण यह था कि ये स्कूल 'स्वतंत्रता दिवस" को, अपने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के कार्यकलाप उनके माता-पिता तथा जनता के लिये आयोजित करके उपयुक्त ढंग से मनाना चाहते हैं, जो 15 अगस्त को सम्भव नहीं हो सकता क्योंकि उस दिन सार्वजनिक छुट्टी होती है और विद्यार्थियों तथा अध्यापक समेत जनता के उस दिन लाल किले पर होने वाले केन्द्रीय समारोह में शामिल होने की सम्भावना होती है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

एशियाई प्रदेश विज्ञान योजना

6803. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २६ राष्ट्रों के कास्टएशिया सम्मेलन द्वारा एक एशियाई क्षेत्रीय विज्ञान योजना के तैयार किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्भावना से भारत को, विशेषकर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्र में होने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना को कब क्रियान्वित करने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी, नहीं । एशियाई क्षेत्रीय विज्ञान-योजना के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। यूनेस्को द्वारा संयोजित एशिया के लिए कास्टेशिया सम्मेलन, विज्ञान तथा टेकनालोजी का विकास के लिए प्रयोग करने के लिए एशियाई देशों में क्षेत्रीय सहयोग को प्रारम्भ करने तथा उसे मजबूत करने की दिशा में एक कोशिश है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

6804. **श्री रा० बरुआ** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशिष्ट योजनायें बनाई हैं कि अन्तर्देशीय जल परिवहन समूचे क्षेत्र के लिये संयुक्त परिवहन प्रणाली के रूप में एकीकृति होकर काम कर सके ;

(ख) क्या देश के चुने गये क्षेत्रों में इसकी संभावनाओं का अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) देश में मौजूदा अन्तर्देसी जल परिवहन व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए अन्तर्देसी जल परिवहन पर एक समिति स्थापित करने का निश्चय किया गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में परिवहन के इस रूप के विकास के संदर्श के विपरीत विकास के प्रावस्थित कार्यक्रम का सुझाव देगी जिसमें चुने हुए क्षेत्रों में वाणिज्यिक सेवायें चलाना भी शामिल है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

साम्प्रदायिकता फैलाने वाले लेख

6805. **श्री जुल्फिकार अली खान** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामपुर (उत्तर प्रदेश) से प्रकाशित होने वाला एक उर्दू दैनिक समाचार-पत्र "कौमी-जंग" पिछले कुछ समय से साम्प्रदायिकता तथा अन्य प्रकार से राजद्रोह फैलाने वाले लेख लिख रहा है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अनेक पक्षों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् के हाल के निर्णयों के अनुसार उक्त समाचार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ;

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) रामपुर से प्रकाशित होने वाला समाचार-पत्र "कौमी जंग" साम्प्रदायिक पक्षपात के लेखों के प्रकाशन के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के ध्यान में आया है।

(ख) तथा (ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (क) तथा 295 के अधीन समाचार-पत्र पर मुकदमा चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तथा जिला प्राधिकारियों द्वारा भी दैनिक समाचार-पत्र के अंकों की सावधानी से छानबीन की जा रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय में इंजीनियरी पाठ्यक्रम में दाखिले में कमी करना

6806. **श्री मोहसिन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में बी० एस० सी० इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रति वर्ष लिये जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भारी कमी कर दी गई है ;

(ख) क्या इसी आधार पर अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भी दाखिले में कमी किये जाने का आदेश दिया गया है ;

(ग) यदि हाँ, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में तथा अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कमी का अनुपात कितना है ;

(घ) ऐसी कमी के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या दाखिले में कमी करने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान-आयोग अथवा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासन से परामर्श किया गया था ; और

(च) क्या उक्त विश्वविद्यालय के उपकुलपति ने इस बारे में कोई अभ्यावेदन दिये हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) प्राप्त जानकारी के अनुसार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने 1967-68 के 240 विद्यार्थियों की तुलना में इस वर्ष केवल 180 विद्यार्थियों को दाखिला देने का निर्णय किया है।

(ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में केवल बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने दाखिले में कमी की है और उन्होंने यह संख्या 574 से घटाकर 410 कर दी है।

(ग) दोनों मामलों में कमी लगभग 25 प्रतिशत है।

(घ) इंजीनियरों में वर्तमान बेरोजगारी तथा भविष्य में तकनीकी कर्मचारियों की माँग

की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों तथा विश्वविद्यालयों को उपलब्ध अनुदेशात्मक सुविधाओं के अनुसार तकनीकी संस्थान में दाखिले को नियमित करने के लिये तथा स्तर को सुधारने के बारे में सुझाव दिया।

(छ) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों ने दाखिले में कमी करने के बारे में अन्तिम निर्णय लिया। उपलब्ध अनुदेशात्मक सुविधाओं के अनुसार दाखिलों को नियमित करने के बारे में केन्द्रीय सरकार के सुझाव से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अवगत रखा गया।

(च) आरम्भ में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपकुलपति दाखिले में कमी करने के पक्ष में नहीं थे। बाद में, जब इंजीनियरों में बेरोजगारी की सम्पूर्ण स्थिति तथा तकनीकी शिक्षा को संगठित करने की आवश्यकता के बारे में उनको स्थिति स्पष्ट की गई तो विश्वविद्यालय दाखिलों में सुनियोजित कमी करने के बारे में सहमत हो गया।

नया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम

6807. **श्री मोहसिन** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम का विधेयक तैयार हो गया है ;

(ख) इसे संसद में लाने के कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर आधारित किसी अधिनियम के बिना विश्वविद्यालय के कार्य में बाधा पड़ रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) अभी नहीं।

(ख) इसको संसद के सामने इसलिए लाया गया है क्योंकि वर्तमान अधिनियम में संशोधन करने का प्राधिकार संसद को है।

(ग) सरकार नहीं सोचती कि वर्तमान अधिनियम भी विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करता है।

गैर-हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां

6808. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** . क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार 1968-69 में हिन्दी में मैट्रिकोपरान्त अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ देने के हेतु गैर-हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों को अनुदान देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त छात्रवृत्तियों के लिए कुल कितना अनुदान दिया जायेगा ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) और (ख) अहिन्दी भाषी राज्यों क हिन्दी में उत्तर-स्नातक अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियाँ देने के लिए कोई अनुदान देने का विचार नहीं है। किन्तु अहिन्दी भाषी राज्यों को हिन्दी में उत्तर मैट्रिक अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ देने की अपनी योजना के अधीन भारत सरकार द्वारा 1000 छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी और इस योजना के लिए 1968-69 के बजट में 13,27,000 रुपये की व्यवस्था की गई है।

अगरपुरा में बम विस्फोट

6809. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 जून, 1968 को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिला में अगरपुरा में एक बम के फटने से घटनास्थल पर कुछ व्यक्ति मर गये थे और कई घायल हो गए थे ;

(ख) यदि हाँ, तो मृतकों तथा घायलों की संख्या कुल कितनी थी ; और

(ग) इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी): (क), (ख) तथा (ग) राज्य सरकार से तथ्य का ठीक-ठीक पता लगाया जा रहा है ।

मद्रास नगर पुलिस द्वारा चुराई गई वस्तुओं का पकड़ा जाना

6810. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास नगर पुलिस के एक गुप्तचर ने जून, 1968 में दिल्ली में विभिन्न स्थान पर छापा मारा तथा मद्रास में एक सशस्त्र गिरोह द्वारा चुराया गया सोना तथा चाँदी पकड़ी ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) जून, 1968 में दिल्ली पुलिस की सहायता से मद्रास पुलिस के एक अधिकारी ने, डकैती के तीन मामलों से सम्बन्धित, जो दिल्ली में सम्बन्ध रखने वाले एक गिरोह द्वारा मद्रास शहर में डाली गई थी, सोना और चाँदी के जेवरात बरामद किये ।

नई दिल्ली में वैस्टर्न एक्सटेंशन एरिया, करोलबाग में गोली चलाया जाना

6811. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 जून, 1968 को नई दिल्ली में वेस्टर्न एक्सटेंशन, करोल-बाग में आतंक फैल गया था जब इस इलाके में एक मेले में दो सशस्त्र व्यक्तियों ने अपने चारों ओर कई गोलियाँ चलाईं और एक दुकानदार पर घातक हमला किया ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हाँ ।

(ख) पुलिस घटनास्थल पर घटना के घटित होने के बाद मिन्टों के अन्दर पहुंच गई और एक सशस्त्र व्यक्ति को पकड़ने में सफल हुई । बाद में दूसरा सशस्त्र व्यक्ति भी हिरासत में ले लिया गया ।

इस संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307, 411 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज कर दिया गया है और उसकी जाँच हो रही है।

केरल से नारियल जटा से बनी वस्तुओं के लाने ले जाने के लिए जहाजों में स्थान

6812. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा से बनी वस्तुओं के व्यापारियों को अपनी वस्तुओं को केरल से मद्रास, बंबई और कलकत्ता जैसे स्थानों को भेजने के लिए जहाजों में स्थान पाने में अनुभव हुई कठिनाइयों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में नौमहानिदेशक को अभिवेदन मिले हैं और उन्होंने भारतीय तटीय कॉफ्रेंस से जहाजों में अरक्षित स्थान की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है और पोतमालिकों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जाएगी।

लाइबेरिया का जहाज

6813. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के वाणिज्य नौवहन विभाग ने 11 जून, 1968 को ओखा तट से दूर लाइबेरिया के एक जहाज साऊंट आथरिस के रहस्यपूर्ण तरीके से जमीन में धंस जाने के बारे में, जाँच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) जल परिवहन विभाग, जामनगर, के सर्वेक्षण कार्यभारी द्वारा मर्चेन्ट शिपिंग एक्ट 1958 की धारा 359 के अधीन प्रारम्भिक जाँच की गई है और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

General Assistance for Roads in Rajasthan

6814. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the number of roads in Rajasthan in respect of which Central assistance is proposed to be given during the Fourth Plan period ; and

(b) the names of roads in respect of which such assistance has been provided so far as also the amount provided in respect of each of these roads during the last 5 years?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) Grants-in-aid for roads are generally given by this Ministry to States under the Central Aid Programme of State Roads of Inter-State or economic importance and from the Central Road Fund (Ordinary) Reserve. It is not possible to indicate at this stage the schemes for which assistance may be given in the new Fourth Five Year Plan period under

this Programme, because the Fourth Plan allocations have not yet been finalised. Moreover, the proposals of the State Government for works to be financed from the Central Road Fund (Ordinary) Reserve in the new Fourth Plan period have not yet been received.

(b) Necessary information about the works for which assistance was provided during the last five years is being collected from the State Government and will be laid on the table of the Sabha in due course.

पश्चिम बंगाल से प्रतिनियुक्ति पर त्रिपुरा को कर्मचारी

6815. **श्री दे० वि० सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के कितने अधिकारी तथा कर्मचारी त्रिपुरा प्रशासन में पिछले दस वर्ष से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर हैं ;

(ख) त्रिपुरा प्रशासन में उन्हें इतने लम्बे समय से लगातार प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने के क्या कारण हैं जिस कारण उस प्रशासन पर प्रतिनियुक्ति भत्ता आदि के भुगतान के रूप में अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है ;

(ग) क्या इस राज्य क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए त्रिपुरा से प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे कर्मचारियों को वापस बुलाने तथा वापस भेजने का कोई प्रस्ताव हैं ; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क), (ख), (ग) और (घ) पश्चिम बंगाल सरकार तथा केन्द्रीय सरकार का कोई भी अधिकारी त्रिपुरा प्रशासन में पिछले दस वर्ष से अधिक समय से प्रतिनियुक्ति पर नहीं है ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में विमान चालकों की कमी

6816. **श्री बृजराज सिंह** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन में विमान चालकों की कमी है ;

(ख) क्या इसी कारण इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के दो एवरो-748 विमान उड़ानें बन्द कर दिये हैं ;

(ग) क्या इस कमी के कारण कारपोरेशन को हानि हो रही है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लेक्चरर

6817. **श्री राम स्वरूप विद्यार्थी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लेक्चरर, रीडर तथा प्रोफेसर नियुक्त किये गये हैं ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई पद सुरक्षित रखे जाते हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इस सम्बन्ध में उचित हिदायतें दी जायेंगी ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा यथा समय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम विश्वविद्यालय को अध्यापन पदों तथा गैर-अध्यापन पद के लिये अभ्यर्थियों को चुनने के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता देता है । फिर भी, गैर-अध्यापन पदों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पद सुरक्षित हैं बशर्ते कि अभ्यर्थी उन पदों के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताओं की पूर्ति करते हों ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

असैनिक विमान चालकों के सेवा निवृत्ति सम्बन्धी नियम

6818. **श्री वृजराज सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असैनिक विमान चालकों पर सेवा निवृत्ति के बारे में कौन से नियम लागू हैं और उनकी सेवा निवृत्ति की आयु सीमा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : विमान चालकों सहित एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति के नियम दोनों कारपोरेशनों द्वारा एयर कारपोरेशन अधिनियम, 1953, की धारा 45 के अन्तर्गत बनाये गये सेवा विनियमों में सम्मिलित हैं । इन विनियमों से लिये गये संबद्ध उद्धरण संलग्न हैं ।

विवरण

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स के सेवा विनियमों से लिए गए उद्धरण ।

एयर इंडिया :

(१) इसके उपविनिमय (२) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कारपोरेशन का कर्मचारी 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवा से निवृत्त हो जायेगा, सिवाय निम्नलिखित हालतों के जिनमें कि वह (पुरुष/स्त्री) इससे पहले ही सेवा निवृत्त हो जायेगा :—

(क) जब कोई कर्मचारी (पुरुष/स्त्री) अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में मेडिकल (स्वस्थता की) दृष्टि से अयोग्य हो जाये ।

(ख) जब किसी उड़ानकर्मि-वर्ग के सदस्य का लाइसेंस/एंडोर्समेंट रद्द हो जावे अथवा वापिस ले लिया जावे ।

(ii) कारपोरेशन का जनरल मैनेजर किसी भी कर्मचारी के 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उसे 3 महीने का नोटिस देकर बिना कारण बतलाये सेवा निवृत्त कर सकता है। कोई कर्मचारी भी 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर तीन महीने का नोटिस दे कर स्वेच्छा-पूर्वक सेवा निवृत्त हो सकता है।

इंडियन एयरलाइंस :

विमानकर्मियों को कारपोरेशन की सेवा में तभी तक रखा जायेगा जब तक वे मेडिकल (स्वास्थ्य की) दृष्टि से उड़ान सम्बन्धी कर्त्तव्यों के पालन के योग्य रहते हैं, परन्तु 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर वे अनिवार्यतया सेवा निवृत्त हो जायेंगे। इसमें यह शर्त लगायी जाती है कि किसी भी कर्मचारी के 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद सक्षम प्राधिकारी 3 महीने का नोटिस देकर बिना कारण बताये उसे सेवा निवृत्त कर सकता है।

यह भी शर्त लगायी जाती है कि कोई भी पाइलाट, फ्लाइट इंजीनियर, फ्लाइट नेवीगेटर अथवा रेडियो अफसर कारपोरेशन की सेवा में तभी बनाये रखा जायेगा यदि उसका लाइसेंस चालू रहता है। तथा यह भी शर्त लगायी जाती है कि कोई भी कर्मचारी 55 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद सक्षम प्राधिकारी को 3 महीने का नोटिस दे कर स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हो सकता है।

इंडियन एसोसिएशन फार कल्टीवेशन आफ साइंस के कर्मचारियों में असन्तोष

6819. **श्री स० मो० बनर्जी :** **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री गणेश घोष : **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एसोसियेशन फार काल्टीवेशन आफ साइंस के कर्मचारियों में उनके वेतन तथा भत्तों में पुनरीक्षण और उन्हें वैज्ञानिक तथा औद्योगिक परिषद् के कर्मचारियों के बराबर लाये जाने के बारे में सरकार द्वारा निर्णय न किये जाने के कारण भारी असन्तोष है ;

(ख) क्या कुछ प्रतिनिधियों ने 8 अगस्त 1968 को उनके साथ भेंट की थी ;

(ग) यदि हाँ, तो किन-किन माँगों पर विचार-विमर्श किया गया था ; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

1. इंडियन एसोसियेशन फार कल्टीवेशन आफ साइंस समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक गैर-सरकारी निकाय है। इसे केन्द्रीय सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सहायक अनुदान मिलता है। भारत सरकार को इसके मामलों में कोई प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं है और इसके कर्मचारियों की माँगों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित भी नहीं है केवल

उस स्थिति के कि जब उन मांगों का असर केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए जाने वाले सहायक अनुदान पर पड़ता है। कर्मचारियों की मांगों का संबंध, जिनका असर केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायक अनुदान पर पड़ता है, उनके वेतन मानों के पुनरीक्षण से है। फरवरी, 1962 में वेतन-मानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्णय दिये गये थे :—

(i) प्रोफेसर, रीडर, प्रध्यापकों (जिनमें सूक्ष्म-विश्लेषक तथा अनुसंधान अधिकारी भी शामिल हैं) को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पुनरीक्षित वेतन मान दिये जायेंगे जैसे कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अपनाये हुए हैं ;

(ii) अन्य कर्मचारियों के वेतन मानों तथा भत्तों में उस आधार पर संशोधन किया जायेगा जिसके आधार पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में वर्तमान वेतन मानों में पुनरीक्षण किया गया है। पुनरीक्षण करते समय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के पुनरीक्षित वेतन मानों को ध्यान में रखा जायेगा।

उपरोक्त निर्णय के आधार पर वर्ष 1962 में इंडियन एसोसियेशन फार कल्टीवेशन आफ साइंस के कर्मचारियों के अनेक श्रेणियों के पदों के वेतन मानों में पुनरीक्षण किया गया

2. हाल ही में, इस बात के लिए सिद्धान्त रूप से सहमति हो गयी है कि प्रोफैसरों, रीडरों आदि के वेतनमानों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नये वेतन मानों के अनुसार और पुनरीक्षण किया जाय जैसा कि कलकत्ता विश्वविद्यालय ने अपनाया है, बशर्ते कि पश्चिम बंगाल सरकार व्यय के अपने भाग को सहन करने के लिए सहमत हो जाय। गैर शैक्षिक कर्म-चारियों के बारे में वेतनमानों में और अधिक पुनरीक्षण करना सम्भव नहीं है क्योंकि 1962 में किये गये निर्णय के अनुसार एसोसियेशन के कर्मचारियों के वेतनमानों और भत्तों पर पुनरीक्षण किया जायेगा जिस आधार पर उस समय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में वेतन मानों में पुनरीक्षण किया गया था। केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में बचनबद्ध नहीं है कि वह इंडियन एसोसियेशन फार कल्टीवेशन आफ साइंस के गैर-शैक्षिक कर्मचारियों के वेतनमानों को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कर्मचारियों के वेतनमानों के बराबर करे और न ही इन दो संगठनों के कर्मचारियों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को बराबर करना सम्भव है।

3. एसोसियेशन के प्रतिनिधि 8 अगस्त, 1 68 को शिक्षा मंत्री से मिले थे। उनकी प्रधान मांग यह थी कि गैर शिक्षक कर्मचारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण किया जाय और उनको वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के वेतनमानों के बराबर बनाया जाय।

(4) जैसा कि ऊपर अनुच्छेद। और 2 में बताया गया है, 1962 में किये गये निर्णय के अनुसार केन्द्रीय सरकार का कर्मचारियों की एसोसियेशन की मांग को स्वीकार करने का कोई विचार नहीं है।

Complaints Against Principal of Sharma Inter College, Bulandshahar

6820. **Shri Yashpal Singh :** **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Uttar Pradesh Government have received some complaints against the Principal of Sharma Intermediate College, Bulandshahar ;

(b) whether it is also a fact that the State Government had sent the aforesaid complaints to the District Inspector of Schools for investigation ;

(c) if so, whether the investigations have since been completed and Government have received the report thereof ;

(d) if so, the details thereof ; and delay ?

(e) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Education : (Shri Bhagwat Jha Azad) : The required information is being collected from the Government of Uttar Pradesh, and will be laid on the table of the Sabha in due course.

राष्ट्रीय राजपथ

6821. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने के क्या आधार हैं ;

(ख) क्या नरसिंहपुर-हालदा-बरहानपुर से होती हुई शाहपुर, जिला जबलपुर से महाराष्ट्र में आगरा-बम्बई सड़क तक जाने वाली पुरानी मिर्जापुर-बम्बई सड़क को राष्ट्रीय घोषित करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) किन-किन सड़कों को राष्ट्रीय राजपथ घोषित किया जा रहा है या घोषित करने का प्रस्ताव है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के रूप में वर्गीकृत किये जाने के लिए सड़कों को सामान्यत : निम्नलिखित मोटी शर्तों में से एक या अधिक शर्तों को पुरा करना होता है :—

(1) वे देश के एक कोने से दुसरे कोने तक जाने वाले मुख्य मार्ग हों ;

(2) उन्हें विदेशी मुख्य मार्गों को जोड़ना चाहिए ;

(3) उन्हें राज्य की राजधानियों को जोड़ना चाहिए ;

(4) उन्हें बड़े पत्तनों और औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन महत्व के केन्द्रों को जोड़ना चाहिए ;

(5) उन्हें देश की सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए ;

इसके अलावा सड़क को राष्ट्रीय मुख्य मार्गों की श्रेणी में रखते समय आर्थिक विचारों पर बल दिया जाता है । ये केवल मोटी-मोटी शर्तें हैं वास्तविक प्रयोग में धन की उपलब्धि का विचार रखते हुए, कुछ मात्रा में ढील दी जाती है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जब तक चतुर्थ पंचवर्षीय नियतन निर्धारित नहीं किये जाते हैं और मंजूदा राष्ट्रीय

मुख्यमार्ग क्रय में वृद्धि करने के लिये दी जाने वाली राशि का पता नहीं लगता तब तक यह बताना संभव नहीं है कि उक्त योजना में कौन-कौन सड़कें इस क्रम में शामिल की जाएंगी।

सब्जी मंडी, दिल्ली में नया थाना

6823. **श्री जुगल मन्डल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने सब्जी मंडी के पुराने स्थान पर, जहाँ पर हाल में आग लग गई थी नये सब्जी मंडी थाने के निर्माण के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है क्योंकि वर्तमान थाना एक छोटे और भीड़भाड़ वाले स्थान पर है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस स्थान पर थाना और पुलिस कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, वर्तमान स्थान पर पुराने भवन की जगह पर पुलिस थाने के लिए नया भवन, पुलिस कर्मचारियों के लिए क्वार्टर और बैरेक्स बनाने का प्रस्ताव दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है।

इन्द्रा मार्किट, दिल्ली में ट्रकों का खड़ा किया जाना

6824. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा मार्केट, दिल्ली में ट्रक के खड़े किये जाने के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रशासन को अभ्यावेदन प्राप्त हुए है, क्योंकि वहाँ पर दिनांक 11 जून, 1965 संख्या एफ 12(9)165-जो० ए० (ज्युडिशल) और मुख्य आयुक्त, दिल्ली के आदेश से जारी किये गये दिनांक 22 जुलाई, 1963 के नगर निगम के आदेशों द्वारा ट्रक खड़े करना वर्जित है ;

(ख) यदि हाँ, तो 1 जनवरी 1963 से 31 जुलाई, 1968 तक कितने ट्रकों और रेढ़ियों का चालान किया गया है ;

(ग) क्या इस मार्किट में ट्रकों और रेढ़ियों के खड़ा करने के बारे में लोगों को चेतावनी देने के लिये इस क्षेत्र में कोई बोर्ड लगाया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो यह कब तक लगाया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) ट्रक 13
रेढ़ियाँ 48

(ग) जुलाई, 1963 में बोर्ड लगाये गये थे किन्तु जनता द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिये गये और हटा दिये गये।

(घ) उन्हें शीघ्र ही दुबारा लगा दिया जायगा।

Infiltration of Mao's Red Book in the Capital

6825. **Shri Onkar Lal Berwa :** **Shri Yashpal Singh :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it a fact that the copies of Red Book containing Mao's teachings afe pouring into the capital by post from Hong Kong, Berne and Paris on a large scale ; and

(b) if so, the steps taken to stop its circulation in the country ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Government have no such information.

(b) Does not arise.

काश्मीर में आन्तरिक विद्रोह पैदा करने के लिये पाकिस्तानी तैयारियां

6826. **श्री देवेन सेन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान कुछ समय से युद्ध विराम रेखा की अपनी ओर काश्मीर को स्वतंत्र कराने वाले लोग जमा कर रहा है और काश्मीर में आन्तरिक विद्रोह के आह्वान की प्रतीक्षा कर रहा है ; और

(ख) क्या इस समाचार में कोई सचाई है कि काश्मीर में कुछ राजनैतिक दल भारत-विरोधी प्रचार करते समय ऐसे विद्रोह के लिये आन्दोलन कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) पाकिस्तान का उद्देश्य सदा जम्मू तथा काश्मीर राज्य में तोड़-फोड़ की कार्रवाई के लिए अपने एजेंटों को भेजता रहा है। केन्द्रीय सरकार और जम्मू तथा काश्मीर की सरकार इस मामले में सचेत है लेकिन सरकार को प्राप्त जानकारी को प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

यह सच है कि काश्मीर में कुछ दल तथा कुछ लोग भारत-विरोधी प्रचार में लगे हुए हैं और लोगों को तथाकथित आत्म-निर्णय के अधिकार के लिये आन्दोलन को जारी रखने के लिये कह रहे हैं।

अन्दमान प्रशासन द्वारा वस्तुओं का खरीदा जाना

6827. **श्री के० आर० गणेश** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा 1967 में तथा 1 जुलाई 1968 तक वस्तुओं की खरीद के लिए कितने टैण्डर मांगे गये थे;

(ख) ऐसे विभागों, व्यक्तियों तथा सार्थी के नाम क्या हैं जिनके टैन्डर स्वीकार किये गये हैं ;

(क) टैण्डरों में प्रत्येक वस्तुओ की क्या दर दर्ज की गयी थी और उन वस्तुओं का बाजार मूल्य कितना था ; और

(घ) उन सरकारी समितियों के नाम क्या हैं जिन्होंने टैन्डर दिये थे तथा उन समितियों के नाम क्या है जिनके टैन्डर स्वीकार किये गये थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :(क) , (ख) , (ग) और

(घ) ऐसी अनेक एजेन्सियां एवं व्यक्ति हैं जिनसे अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा एक बहुत बड़ी संख्या में वस्तुएं खरीदी गई है। सूचना एकत्रित करने के लिए, जहां तक भी उचित समय में ऐसा करना सम्भव है, हर प्रयत्न किया जा रहा है। उपलब्ध सूचना सदन के सभा-पटल पर रख दी

'स्टेट आफ बाम्बे' द्वारा यात्रियों को उतारने में विलम्ब

6828. **श्री के० आर० गणेश:** क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1968 में मध्य में पोर्ट ब्लेयर जाते हुए वहां उतरने वाले यात्रियों के उतारने में 'स्टेट आफ बाम्बे' ने एक दिन का विलम्ब कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या जहाज पर से मुख्यायुक्त को तार भेजने के यात्रियों के निवेदन को अस्वीकार कर दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां।

(ख) जहाज अपने निर्धारित समय से एक दिन पहले पहुँचा और पोर्ट ब्लेयर पर की अकेली वर्थ एम० वी० 'अंडामन' जहाज ने घेर रखी थी। प्रतिकूल मौसम के कारण यात्रियों को सागर के मध्य में उतारना खतरनाक समझा गया।

(ग) और (घ) कुछ यात्रियों ने जहाज के मास्टर से मुख्य आयुक्त की वायरलेस संदेश भेजने के लिए कहा, परन्तु मास्टर ऐसे संदेश स्वीकार नहीं कर सकता था क्यों कि नियमों के अन्तर्गत पत्तन सीमाओं के अन्दर वायरलेस चालन की अनुमति नहीं है।

अन्दमान के अधिकारियों द्वारा बेची गई कारें

6829. **श्री के० आर० गणेश**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान प्रशासन के उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1962 से अपनी कारें बेची हैं ;

(ख) क्या प्रशासन से अनुमति ली गई थी ;

(ग) किन व्यक्तियों को वह कारें बेची गई थीं, वह क्या व्यवसाय करते हैं ; तथा वे कहाँ पर बेची गई थीं ;

(घ) अन्दमान प्रशासन के लिये नियत कोटे में से खरीदी गई कितनी कारें बेची गई थीं ; और

(ङ) प्रशासन के कोटे से खरीदी गई कितनी कारें, ऐसी कारों के लिये बने नियमों के अधीन निर्धारित अवधि से पहले बेच दी गई थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): (क) 1. श्री टी० अचैया
2. श्री ए० जी० अब्राहम

3. श्री एन० डी० राजन
4. श्री बी० पट्टाभैया
5. (स्व) श्री एम० के० सन्देल
6. श्री के० भास्करन
7. डा० (श्रीमती) एम० वर्गीस
8. श्री गुरबचन सिंह

(ख) ऊपर भाग (क) में बताये गये 8 मामलों में से 4 में सम्बन्धित अधिकारियों ने आचरण नियमों के अन्तर्गत अन्दमान व निकोबार प्रशासन से, अनुमति प्राप्त की थी। शेष 4 मामलों में, सम्बन्धित अधिकारियों ने आचरण नियमों के अन्तर्गत अपने मूल कार्यालयों से ऐसी अनुमति प्राप्त की थी।

(ग) सूचना इस प्रकार है :—

कार जिसके द्वारा बेची गई	कार जिसको बेची गई
1. श्री टी० अचैया	श्री के अरविन्दकशन, एडवोकेट पोर्ट ब्लेयर।
2. श्री ए० जी० अब्राहम	श्री बालकृष्णनन पिल्ले, हाडो।
3. श्री एन० डी० राजन	डा० जे० एन० सरकार, प्रैक्टिशनर, कलकत्ता।
4. श्री बी० पट्टाभैया	श्री के० व्ही० कृष्णराव, ठेकेदार, पोर्ट ब्लेयर।
5. श्री गुरबचन सिंह	मेसर्स कृष्णस्वामी एन्ड संस, व्यापारी, पोर्ट ब्लेयर।
6. (स्व०) श्री एम० के० सन्देल 7. श्री के० भास्करन 8. डा० (श्रीमती) एम० वर्गीस	सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) दो।
(ङ) कुछ नहीं।

अन्दमान द्वीपो में बसे लोगों के लिये अन्यत्र भूमि

6830. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीप समूह में हेवलाक द्वीप में बसे कुछ व्यक्तियों ने उन्हें अन्यत्र भूमि का आवंटन किये जाने की माँग की है ;

(ख) क्या कृषि अधिकारी द्वारा हेवलाक द्वीप में कुछ जमीन की खेती के लिये अनुपयुक्त घोषित किया गया था ; और

(ग) क्या ऐसी भूमि वाले परिवारों को अन्यत्र भूमि का आवंटन करने का विचार है और यदि हाँ, तो कब ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) से (ग) हैवलाक द्वीप में कुछ व्यवस्थापक धान की कृषि के लिए विकल्प भूमि की माँग कर रहे हैं। जाँच से मालूम हुआ है कि हैवलाक द्वीप में लगभग 42 धान के खेत या तो अंशतः अथवा पूर्णतः धान

की कृषि के योग्य नहीं हैं। विकल्प भूमि पहले ही ऐसे 10 व्यवस्थापकों को दे दी गई है। शेष प्रभावित व्यवस्थापकों के आवंटन के लिए कोई अच्छी भूमि जल्दी उपलब्ध नहीं है। तथापि, व्यापारिक लकड़ी आदि से खाली होने के बाद अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के द्वारा आवंटन के योग्य भूमि की खोज के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

भ्रष्ट आचरण के द्वारा निर्वाचित विधायकों का ऊँचे पदों पर होना

6831. **श्री सु० कु० तापड़िया :** **श्री अदिचन :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि कुछ ऐसे व्यक्ति, जिनके विरुद्ध उच्च न्यायालयों ने उनके विधान मंडलों के चुनाव के खिलाफ चुनाव याचिकाओं के बारे में भ्रष्ट आचरण की निन्दा की गई है, तथा उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया है, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत समितियों, निगम की अध्यक्षता जैसे उच्च पदों पर अब भी काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या आसाम विधान सभा के सदस्य श्री डी० के० बरुआ अब भी ऐसे पद पर काम कर रहे हैं यद्यपि उनकी ऐसी निन्दा की गई है और यदि हाँ, तो उन्हें ऐसे पद पर काम करते रहने की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों को , उनके विरुद्ध भ्रष्ट आचरण की कार्यवाही चलाये जाने के पश्चात बाद ही बर्खास्त कर दिया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) तथा (ख) चूंकि विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा चुनाव याचिकाओं की एक बड़ी संख्या निपटा दी गई है, अतः ऐसे व्यक्तियों के विवरण के अभाव में अपेक्षित सूचना देना सम्भव नहीं है ।

(ग) पेट्रोलियम तथा रसायन और समाज कल्याण मंत्रालय के मंत्री द्वारा लोक-सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं० 2704 के दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(घ) प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर निलम्बन तय किया जाता है ।

Industrial Development in Capitals of Former States

6832. **Shri Brij Raj Singh:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any steps for the industrial development and economic progress of the capitals of the former Princely States ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b) There were hundreds of former Princely States which existed in areas falling in India after Independence. All these Princely States have since either merged with States, or Union Territories or are separate State or Union Territories. The information about the steps taken by the various State and Union Territory Governments for the industrial development and economic progress of the capitals of the former States is

not available. The effort and time involved in collecting it for all the States and Union Territories will also not be commensurate with the results to be achieved.

Strike by Delhi Polytechnic Students

6833. **Shri Ram Avtar Sharma:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the number of times students went on strike in each of the Polytechnics run by the Delhi Administration, duration of each such strike and the details of the strikes resorted to during the tenure of the present Director of Technical Education ;

(b) the resons for such a large number of strikes during the tenure of the present Director; and

(c) whether Government propose to improve the situation by changing the present Director ?

The Minister of State in the Ministry of Education : (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The number of student strikes in each Polytechnic and their duration since 1-10-1965 when the present Director of Technical Education was appointed, are as shown below :

Pusa Polytechnic

1966	..	(i) duration 6 days.
		(ii) duration 7 days.
1967	..	(i) duration 4 days.
1968	..	(i) duration 30 days.

KG. Polytechnic, Kashmere Gate

1966	..	(i) duration 4 days.
		(ii) duration 26 days.
1967	..	(i) duration 40 days.
1968	..	(i) duration 32 days.

GB Pant Polytechnic, Okhla

1966	..	(i) duration 22 days.
1967	..	(i) duration 36 days.
1968	..	(i) duration 32 days.

During this period, 1-10-'65 to-date, the present Director went abroad for training from 31st August 1966 to 30th November, 1966 when the charge of this post was held by the then Secretary (Employment and Training) of the Delhi Administration.

(b) The reasons for the student strikes ranged from demand for postponement of examinations till the educational tours ere completed to demand for student amenities like hostels, canteens, transport etc., adequate instructional facilities, holding of supplementary examinations for first-year ad second-year students, condonation of shortage of attendance and facilities for higher education.

(c) The legitimate grievances of the students have been considered carefully and redressed as far as possible. Continuous effort is being made by the Administration to improve instructional facilities and maintain adequte standards. The implication that the present Director is responsible for the strike is not justified.

Delhi Polytechnic

6834. **Shri Ram Avatar Sharma:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether the inadequate number of students in Delhi Polytechnic would effect the teachers there ; and

(b) if so, the measures proposed to be adopted by Government to prevent their retrenchment ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) It is not proposed to reduce the teaching staff.

(b) Does not arise.

Purchase of Steel for Delhi Polytechnic from a Trader in Delhi

6835. **Shri Ram Avtar Sharma:** Will the Minister of **Education** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that steel for experiment purposes in the workshop of Delhi Polytechnic, Kashmere Gate, Delhi was purchased from a trader, who had no connection with steel and that double the price than that of controlled price was paid to him therefor ;

(b) whether it is also a fact that the employee who informed high official of this fact is being harassed ; and

(c) the steps proposed to be taken to check this loss and wastage in the Polytechnic ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhatwat Jha Azad) : (a) In 1966-67, steel was purchased from a firm that had quoted the lowest tender. Later, however, when it was found that the lowest tendered rate was more than the controlled rate, the excess amount paid to the firm was recovered.

(b) No, Sir.

(c) The following steps have been taken :

(i) Purchase Committees consisting of officers of the Directorate of Industries, the head of the institution concerned and senior staff members have been set up for each polytechnic. All stores except petty purchases are made in consultation with these Committees and through D. G. S. & D. or according to D.G. S. & D. rate contract.

(ii) An Internal Audit Cell headed by an Accounts Officer on deputation from the A.G.C.R. has been set up in the Directorate. One of the specifice duties of the Cell is to check whether the purchases made by the institutions are according to rules, regulations and instructions issued from time to to time.

Rusting of Valuable Machines in Delhi Polytechnics

6836. **Shri Ram Avtar Sharma:** Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that many valuable machines, some of which are imported ones, are rusting in certain Polytechnics of Delhi and they have been lying unused for the last many years;

(b) the action proposed to be taken by Government against the Officers concerned ?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) and (b) Of the 16 items of major equipment and machinery purchased for three Polytechnics, seven items have been installed and will be commissioned as soon as arrangments for power and water supply are completed. The rest of the items will be installed as soon as the necessary workshop and laboratory buildings are constructed. None of the items is rusting.

चन्डोगढ़ में अध्यापकों के वेतन क्रमों में पुनरीक्षण

6837. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ के गैर-सरकारी कालेजों के शिक्षकों और प्राध्यापकों को वे वेतनक्रम और भत्ते नहीं दिये गये हैं, जो पंजाब और हरियाणा में उनके समकक्ष अध्यापकों को प्राप्त हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) उनको ये वेतनक्रम तथा भत्ते कब तक दे दिये जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) मामला विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

Posts up-graded in Chandigarh Union Territory Administration

6838. **Shri Shri Chand Goyal** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain posts have been up-graded in the Public Relations Department and the Horticulture Department in the Union Territory of Chandigarh during 1967-68 and 1968-69 without the prior sanction of Government ; and

(b) if so, the qualifications of the incumbents who have been promoted on those up-graded posts ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A post of XEN (Horticulture) Class I in the scale of Rs. 625—1275 and a post of Deputy Director, Public Relations (Class II) in the scale of Rs.500—800 were created under the powers delegated to the Chief Commissioner, Chandigarh.

(b) The present incumbent of the post of XEN (Horticulture) is a Post-Graduate in Horticulture with eight year's practical experience in Landscaping, Gardening, Floriculture and Nursery Production etc. The incumbent of the post of Deputy Director, Public Relations is M.A. (Labour and Social Walfare) with Post Gradudate Diploma in Public Administration and Local Government and several year's experience as Public Relations Officer.

संघ राज्य-क्षेत्रों की भाषा

6839. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की नीति के अनुसार जिनका अनुसरण विधान-मंडल रहित विभिन्न संघ राज्य क्षेत्र में किया जाता है, संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ की भाषा क्या है ; और

(ख) संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में वास्तव में किस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) और (ख) राजभाषा अधिनियम में संघ सरकार की जो राजभाषा नीति है वह उन सभी संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होती है जिनके पास अपना विधान मंडल नहीं है। इस समय उसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है जिसका अनुसरण भूतपूर्व पंजाब राज्य में किया जाता था अर्थात् संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ और केन्द्र सरकार के बीच पत्र व्यवहार अंग्रेजी में होता है। चण्डीगढ़ की विशिष्ट परिस्थितियों में वर्तमान व्यवहारिक व्यवस्था के रूप में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी कर्मचारियों के लिये कल्याण योजनायें

6840. **श्री मंगलाथूमाडोम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों के लिये कल्याण योजनाओं में सुधार करने के सम्बन्ध में दिल्ली में विभिन्न सरकारी बस्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए दिल्ली में और कितने सामुदायिक केन्द्र खोलने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली में आगामी पांच वर्षों में, धनराशि उपलब्ध होने पर 12 और सामुदायिक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

हिन्द महासागर अनुसन्धान संस्था को गोआ ले जाना

6841. **श्री मंगलाथूमाडोम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्थित हिन्द महासागर अनुसंधान संस्था को कब गोआ में ले जाया जायेगा ;

(ख) क्या इस संस्था को गोआ में ले जाने से पहले वहाँ पर इसके कार्यालय और कर्मचारियों के लिए इमारत के लिये पर्याप्त स्थान की व्यवस्था कर ली गई है ; और

(ग) क्या कोचीन स्थित कार्यालय वहीं पर कायम रहेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थान का स्थानान्तरण किया जा रहा है, कुछ कर्मचारियों और प्रयोगशाला के उपकरण पहले ही गोआ भेजे जा चुके हैं ;दिसम्बर, 1968 में बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण किए जायेंगे और इसके बाद शीघ्र ही यह काम पूरा कर दिया जाएगा।

(ख) अस्थायी कार्यालय-आवास किराए पर ले लिया गया है और प्रयोगशालाओं तथा आवास के स्थानों की उपलब्धता के अनुसार स्थानान्तरण किया जा रहा है। संस्थान के भवनों के निर्माण के लिए एक वास्तुविद का चुनाव कर लिया गया है।

(ग) जी, हाँ।

केरल के तटवर्ती क्षेत्र में सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन

6842. **श्री मंगलाथूमडोम** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में कोचीन कल्पी-क्विलोन तटवर्ती नगर के बीच पर्याप्त रेल संचार नहीं है और क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा औद्योगिक दृष्टि से विकासशील उन तटवर्ती नगरों के महत्व को ध्यान में रखते हुए वहाँ सड़क तथा अन्तर्देशीय जल परिवहन संचार को सुधारने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) सूचना केरल सरकार से एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

एयर फ्रांस-द्वारा अन्तर्देशीय उड़ानें

6843. **श्री मंगलाथूमाडोम** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर फ्रांस को भारत में अन्तर्देशीय उड़ाने आरम्भ करने की अनुमति दे दी गयी है ;

(ख) क्या यह इस कारण किया गया है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया को उड़ानें आर्थिक दृष्टि से लाभ-प्रद नहीं हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो एक विदेशी विमान कम्पनी को यह अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं। किसी भी विदेशी एयरलाइन को देश के अन्दर देशीय सेवाओं (डोमेस्टिक सर्विसेज) के परिचालन की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कृत्रिम वर्षा करने का प्रयोग

6844. **श्री लोबो प्रभू** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम अपेक्षित चार विमानों का प्रयोग किये बिना ही भूमि से कृत्रिम वर्षा करने के प्रयोग करने के क्या कारण हैं ;

(ख) उस अमरीकी प्रयोग का क्या परिणाम निकला है, जिसमें विमानों का प्रयोग किया गया था, और उन प्रयोगों को स्थगित करने के क्या कारण हैं ;

(ग) एक समेकित योजना बनाने में जिस पर लगभग 50 लाख रुपये के व्यय का अनुमान था, विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या प्रतिरक्षा और खाद्य तथा कृषि मंत्रालयों से विमान उधार लेने के प्रयास किये गये थे ; और

(ङ) यदि हाँ, तो उनके क्या परिणाम रहे हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) भूमि स्थित जैनरेटरों से बादलों द्वारा कृत्रिम वर्षा कराना सबसे अधिक साधारण तथा मितव्ययी उपाय है, यद्यपि इसकी कई सीमाएं हैं। 1962 में भी कुछ प्रयोगात्मक परीक्षण किये थे जिनमें एक-इंजन वाले विमान का प्रयोग किया गया था। उपयुक्त उपकरण-सज्जित विमानों तथा भूमि स्थित एवं विमान वर्ती राडारों के अत्यधिक मूल्य एवं उपलब्धि को दृष्टि में रखते हुए विमानों के द्वारा कृत्रिम वर्षा प्रयोगों को जारी नहीं रखा जा सका।

(ख) जनवरी-मार्च 1967 में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनावृष्टि ग्रस्त क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमरीका की सहायता से एक आपातिक प्रयोग (एमजेन्सीएक्सपेरिमेंट) किया गया।

था, परन्तु अनावृष्टि-शुष्कता के अत्यधिक एवं कृत्रिम वर्षोपयोगी बादलों के अभाव के कारण प्रयोग सफल नहीं हुए। दोनों पक्षों के बीच तय किये गये प्रयोग कार्यक्रम के अनुसार दो महीने की पूर्व निर्धारित अवधि की समाप्ति पर परीक्षण बन्द कर दिये गये।

(ग) अत्यधिक लागत तथा और बहुत सी उलझनों के शामिल होने के कारण कृत्रिम वर्षा के प्रयोग को प्रारंभ करने से पहले इनके बारे में हर पहलू से ध्यानपूर्वक जाँच और योजना का कार्य कर लेना आवश्यक है। फिलहाल इस प्रयोजन के लिए तैयार की गयी एक स्कीम पर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की वायुमंडलीय विज्ञान एवं वैज्ञानिक जलविज्ञान समिति विचार कर रही है।

(घ) और (ङ) प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए उपयुक्त प्रकार के विमान, रक्षा और खाद्य तथा कृषि मंत्रालयों के पास उपलब्ध नहीं हैं।

दिल्ली के 'विश्व-नेता साप्ताहिक में नेताओं पर लगाये गये आरोप

6845. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री देवेन सेन :
श्री किकर सिंह :
श्री रामचन्द्र जे० अमीन :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री द० रा० परमार :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान उन गम्भीर आरोपों की ओर दिलाया गया है जो दिल्ली की 'विश्व-नेता' नामक एक साप्ताहिक पत्रिका के 11 जुलाई, 1968 के अंक में देश के कुछ बड़े नेताओं पर लगाये गये हैं ;

(ख) क्या उसमें लगाये गये आरोप सच हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उपरोक्त साप्ताहिक पत्रिका के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) विश्व-नेता' नामक साप्ताहिक पत्रिका का 11 जलाई, 1968 का अंक सरकार के सामने आया है, जिसमें साप्ताहिक पत्रिका के सम्पादक द्वारा नई दिल्ली के सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में एक अभियोग चलाये जाने के बारे में समाचार प्रकाशित हुआ है जिसमें अन्य लोगों के अतिरिक्त देश के कुछ नेताओं के विरुद्ध भी आरोप लगाये गये हैं।

(ख) और (ग) मामला न्यायाधीन है।

Dispute Regarding Villages of Vinda Diyara, Monghyr (Bihar)

6846. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the officers of Baghalpur have raised a dispute in regard to a Rajpur and Gangaprasad, two villages of Vinda Diyara (Monghyr) ;

(b) whether the said villages are not in Sakarabadi Pargana according to the "Maujwar and Mahalwar" Register, 1947 ;

(c) whether the said villages alongwith Sakarabadi Pargana were not merged in Monghyr in 1874 ;

(d) whether the land revenue from these villages is not being deposited in Monghyr from the very beginning ; and

(e) if so, whether the Government of Bihar would issue orders, in view of the fact stated above, to the Collector, Baghalpur not to interfere with the orders issued by the Collector, Monghyr in regard to the police arrangements and administrative matters of the said areas ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri K. S. Ramaswamy): (a) to (e) Information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

उड़ीसा में हिन्दी की पुस्तकों का वितरण

6847. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967–68 और 1968–69 में उड़ीसा में स्कूलों, कालेजों तथा सरकारी पुस्तकालयों में बाँटने के लिये उस राज्य को हिन्दी की उपयुक्त पुस्तकें मुफ्त दी गयी हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो उड़ीसा को अब तक दी गई पुस्तकें का रुपयों में कितना मूल्य है ; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हिन्दी के लोकप्रिय बनाने के लिए ये पुस्तकें मफ्त दी गई हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) 4991.25 रुपये ।

(ग) जी हाँ ।

हिन्दी, संस्कृत तथा उड़िया भाषाओं के लिए सहायता

6848. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1967–68 और 1968-69 में हिन्दी संस्कृत तथा उड़िया भाषा के विकास के लिए उड़ीसा सरकार को कोई अनुदान दिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो दिये जाने वाले अनदानों की मदवार और वर्ष-वार राशि क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) उड़ीसा सरकार को निम्नांकित अनुदान दिए गए थे :—

	1967–68	1968–69
हिन्दी	1,55,695	—
संस्कृत	28,100	28,802
उड़ीया भाषा	—	—

मद्रास फ्लाइंग क्लब

6849. **श्री चित्ति बाबू** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा मद्रास फ्लाइंग क्लब को प्रति वर्ष कितनी राशि दी जाती है ;

(ख) क्या यह सच है कि अवैतनिक सचिव तथा कोषाध्यक्ष ने कर्मचारी भविष्य निधि की राशि का दुरुपयोग किया था और बाद में उसका समंजन कर दिया ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) केन्द्रीय सरकार उपदान स्कीम में सम्मिलित फ्लाइंग क्लबों को 1 अप्रैल, 1968 से पुस्तकालय में रखे गये विवरण [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1994/68**] में निर्दिष्ट दरों पर उपदान एवं आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। मद्रास फ्लाइंग क्लब को पिछले तीन वर्षों में उपदान एवं आर्थिक सहायता के रूप में दी गयी राशियाँ निम्न प्रकार से हैं :—

वर्ष	उपदान	आर्थिक सहायता
	रुपये	रुपये
1965-66	40,000	2,06,277
1966-67	40,000	2,46,056
1967-68	40,000	2,59,401

(ख) मद्रास फ्लाइंग क्लब के भविष्य निधि विषयक लेखों का परीक्षण प्रतिवर्ष मेसर्स फ्रेजर एण्ड रास, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, द्वारा किया जाता है, तथा उन्होंने किसी भी समय फंड के किसी भी दुरुपयोग का संकेत नहीं किया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मद्रास फ्लाइंग क्लब

6850. **श्री चित्ति बाबू** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों के मामले में छोड़ कर मद्रास फ्लाइंग क्लब के कर्मचारियों को 1961 से उपदान (ग्रेच्युटी) देना बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) मद्रास फ्लाइंग क्लब ने नागर विमानन के महानिदेशक से परामर्श किये बिना 1948 में एक उपदान योजना (ग्रेच्युटी स्कीम) चालू की थी। क्लब को इस स्कीम को बन्द कर देने के लिये

कहा गया क्योंकि केन्द्रीय सरकार उपदान योजना (सबसिडी स्कीम) के अन्तर्गत ग्रेच्युटी का दिया जाना व्यय की एक स्वीकार्य मद नहीं है। ये हिदायतें मद्रास फ्लाइंग क्लब को नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा 1952 में जारी की गयीं। अन्यथा भी यह स्कीम युक्तिसंगत नहीं थी क्योंकि क्लब कोई लाभ नहीं कमा रहा था। लेकिन, क्लब के तीन कर्मचारियों के मामले में जिनकी कि सेवा के दौरान मृत्य हुई, ग्रेच्युटी के भुगतान की अनुमति अनुकम्पा-मुलक आधार पर दी गयी है। विशेष परिस्थितियों में इस प्रकार की अनुग्रहपूर्वक अदायगी की अनुमति दी जा सकती है। यह उल्लेखनीय है कि इस क्लब के कर्मचारियों को अंशदायी भविष्य निधि (कण्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) का लाभ प्राप्त है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां

6851. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से विदेशी शासकों की पुरानी मूर्तियों के हटाये जाने से रिक्त स्थानों पर राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियाँ लगाने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार मूर्तियाँ लगाने से पहले संसद से सलाह लेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने दिल्ली में ऐसी मूर्तियाँ स्थापित करने के बारे में पहले ही एक समिति स्थापित कर ली है। उस समिति में अन्य लोगों के अतिरिक्त संसद के सदस्य भी शामिल हैं। सरकार का इरादा राजधानी में अनेक राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों के लिये समुचित स्थानों को आरक्षित करने का है जिनमें वे स्थान भी शामिल हैं जहाँ से विदेशियों की मूर्तियाँ हटायी गई हैं। यह गैर-सरकारी संगठनों का कार्य है कि वे स्वीकृत कलात्मक स्तर की मूर्तियों को स्थापित करने के लिए योजनाओं को लेकर सामने आयें जिनके लिए केवल आवश्यक वित्त ही माँगा जाय।

उत्तर प्रदेश क्रिकेट बोर्ड

6852. **श्री चित्ति बाबू** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट बोर्ड के 3 सदस्य केन्द्रीय क्रिकेट बोर्ड के सदस्यों के सामने भूख हड़ताल करेंगे ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार तथा क्रिकेट बोर्ड का विचार इस मामले में जाँच करने का है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) सरकार को भूख हड़ताल के विषय में कोई जानकारी नहीं है किन्तु ऐसा मालूम हुआ है कि भारत के क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड ने झगड़े को तय करने के लिए एक समिति की नियुक्ति की है परन्तु जब तक सभी पार्टी झगड़े की कानूनी कार्रवाई वापिस न लें, कोई प्रगति नहीं की जा सकती।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए विमान

6853. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विमानों की उपयुक्तता के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए ब्रिटेन, अमरीका और रूस का दौरा करने वाले इंडियन एयरलाइन्स के अधिकारियों के क्या नाम हैं, उन्होंने किन तारीखों और कितनी अवधि का दौरा किया और उनके द्वारा किये गये दौरे पर भारतीय और विदेशी मुद्रा की कितनी राशि खर्च हुई ;

(ख) उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि इन समस्त अधिकारियों ने रूस द्वारा प्रस्तावित रुपये में भुगतान किये जाने वाले विमानों को भारतीय स्थितियों के अनुपयुक्त बताया है और इसे एक मत से अस्वीकार किया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो कारपोरेशन ने अन्तिम रूप से किन विमानों को खरीदने का निर्णय किया है और प्रत्येक विमान का मूल्य क्या होगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह): (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1995/68]**

(ख) से (घ) अधिकारियों के दल ने अपनी रिपोर्ट में विमानों का तकनीकी, परिचालन सम्बन्धी तथा अन्य ब्यौरों, प्रोजेक्ट की लागत और उनकी लाभप्रदता का समावेश किया है। उन्होंने इंडियन एयरलाइन्स की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उपयुक्त विमान के रूप में बोइंग 737 विमान की सिफारिश की। इंडियन एयरलाइन्स के निदेशक-मंडल ने अधिकारियों के दल की रिपोर्ट पर विचार किया और मंडल को एक समिति द्वारा, नागर विमानन महानिदेशालय के विशेषज्ञों की सहायता से इसकी आगे जाँच करवाई तथा वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि, माल जैसे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को, जिनको कि तकनीकी दल ने उपेक्षा की थी, और निर्माताओं द्वारा देर से की गई आफरों को दृष्टि में रखते हुए, डी सी-9 विमान खरीद के लिए उपलब्ध अन्य प्रकार के विमान की अपेक्षा वाणिज्यिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद हैं। उन्होंने तदनुसार सरकार को सिफारिश कर दी है। इस सिफारिश पर अब सरकार विचार कर रही है।

औरोविले टाउनशिप

6854. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरविन्द सोसाइटी के औरोविले टाउनशिप के निर्माण के लिये काफी सहायता देने के लिए सरकार से निवेदन किया है और यदि हाँ, तो उन्होंने क्या माँग की है और इस प्रस्ताव का स्वरूप क्या है ;

(ख) इस प्रस्तावित औरोविले टाउनशिप की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा सरकार को प्रस्तुत योजना के अनुसार इसके उद्देश्य क्या हैं तथा इसकी आवश्यकता क्या है ;

(ग) उक्त टाउनशिप के निर्माण के लिये कुल कितने धन की आवश्यकता होगी और यह धन किन संसाधनों से प्राप्त होने की आशा है ; और

(घ) क्या यह सच है कि भारत में अमरीका की सी० आई० ए० के धन का इस टाउनशिप के निर्माण के लिये प्रयोग किया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी हाँ। सोसाइटी ने औरोविले टाउनशिप के प्रशासन ब्लाक की आधी लागत को पूरा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय में यूनेस्को के भारतीय राष्ट्रीय आयोग से 5 लाख रुपये के अनुदान के लिए प्रार्थना की थी। यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) पूरी जानकारी एकत्र की जा रही है और विवरण सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

(घ) जी, नहीं।

Roads in Meerut District (U. P.)

6855. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state :

(a) the names of roads in the District of Meerut, Uttar Pradesh proposed to be constructed during the Fourth Five Year Plan ;

(b) whether any priorities have also been fixed for the construction of roads under this scheme ;

(c) if so, the details thereof ;

(d) whether certain roads which were proposed to be constructed in this district during the Third Five-year Plan have not been constructed ; and

(e) if so, the details thereof and the reasons for not constructing the same ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport and Shipping (Shri Bhakt Darshan): (a) to (e) The required information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

साधन-एवं योग्यता छात्रवृत्तियां

6856. **श्री श्रीधरन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 9 अगस्त, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3439 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ राज्य क्षेत्रों से सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिये चुने गये छात्रों को साधन एवं योग्यता छात्रवृत्तियाँ देने के लिए सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते को आय में शामिल किया जाता है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : महंगाई भत्ते को वेतन पाने वाले वर्ग के मामले में आय के रूप में नहीं माना जायेगा।

स्थानीय निकायों के डाक्टरों को भारतीय डाक्टरी चिकित्सा सेवाओं में शामिल करना

6857. **श्री न० रा० देवधरे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में स्थानीय निकायों के ऐसे सभी डाक्टरों को जिन्हें केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की सूची में दिखाया गया था, भारतीय चिकित्सा सेवा में जिसे स्थापित किया जा रहा है, शामिल करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के सभी डाक्टरों जिनमें दिल्ली के स्थानीय निकायों में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे डाक्टर भी शामिल हैं और जो भारतीय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा में इसके आरम्भिक ठगन के समय नियुक्ति के लिए निर्धारित की गई पात्रता की शर्तों को पूर्ण करते हैं, की नियुक्ति के बारे में विचार किया जायेगा ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कास्टेशिया

6858. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कास्टेशिया सम्मेलन पर सरकार ने कितनी राशि व्यय की ;

(ख) इस प्रकार व्यय की गयी राशि में विदेशी मुद्रा कितनी है ; और

(ग) इस सम्मेलन के लिए संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति सम्बन्धी संगठन ने कितनी विदेशी मुद्रा दी ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) क्योंकि सम्मेलन के हिसाब-किताब को अभी तक बन्द नहीं किया गया है, इसलिए 'कास्टेशिया' पर हुआ वास्तविक खर्च, फिलहाल, उपलब्ध नहीं है । किन्तु सम्मेलन के लिए सामग्री तथा संगठनात्मक प्रबन्ध करने के लिए व्यवस्था करने हेतु 2.625 लाख रुपये की रकम मंजूर की गई है ।

(ख) कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं की गई है ।

(ग) सम्मेलन के लिये यूनेस्को द्वारा कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी गई है ।

चंडीगढ़ में कालिजों के अध्यापक

6859. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन से, चंडीगढ़ के प्राइवेट कालेजों के अध्यापकों के वेतनमान तथा भत्तों के बारे में कोई सिफारिश सरकार को प्राप्त हुई है और क्या वह लम्बे समय से उनके मंत्रालय में निम्नलम्बित पड़ी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर निर्णय कब तक किये जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० त्रिगुण सेन) : (क) और (ख) चंडीगढ़ प्रशासन ने गैर-सरकारी कालेजों के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। वह विचाराधीन है और उस पर शीघ्र ही निर्णय किये जाने की सम्भावना है ।

Hindi Typewriters

6860. **Shri J. B. Singh** : **Shri Jagannath Rao Joshi** :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether his attention has been invited to page 14 of the report of the Hindi Advisory Committee dated the 10th July, 1967 ;

(b) if so, whether Government porpose to issue orders to various Ministeries to the effect that any typewriters that are purchased in future shuld be of Hindi only and for purchasing English typewriters specific sanction should be obtained from his Ministry ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister in the Ministry of Home Affairs : (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) There is no report of the Hindi Advisory Committee dated 10th July, 1967. However Government are aware of para 14 of the report of the Hindi Advisor of the same date.

(b) and (c) As both Hindi and English continue to be used for the official purposes of the Union, Government do not porpose to issue any such ban.

Inequality in Government, Private and Public Schools

6861. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Education** be pleased to state:

(a) the steps proposed to be taken by Government to remove the gross inequality in Government and private schools, particularly Public Schools, in the matter of standard of teaching, financial position and facilities provided to them ;

(b) whether some suggestions were made by the National Integration Council also in this regard ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Education : (Shri Bhagwat Jha Azad) : (a) The National Policy on Education *inter alia* stipulates that strenuous efforts should be made to equalise educational opportunity, correct regional imbalances in the provision of educational facilities, provide good educational facilities in rural and other backward areas and promote the Common School system.

(b) Yes, Sir.

(c) The suggestions of the National Integration Council have been sent to the State Governments for consideration and implementation.

Grievances of Employees Working in Bihar Information Centre and Bihar Bhavan at New Delhi.

6862. **Shri Chandra Shekhar Singh** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the employees working in Bihar Information Centre and Bihar Bhavan at New Delhi, which are being run by the Public Relations Departments of the Bihar Government have been discharged or suspended without assigining any reasons therefor ;

(b) wheher it is also a fact that salaries of such staff have not been paid for the last few months ;

(c) if so, the reasons therefor, and

(d) whether Government porpose to investigate into this matter and take suitable steps to redress the grievances of the staff ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs. (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir. One clerk, one office peon and one orderly peon of Bihar Information Centre were discharged from service on account of abolition of the posts held by them. One stenographer of Bihar Bhavan has been suspended on definite charges and departmental proceedings have been instituted against him.

(b) to (d) It is a fact that duty pay for a few months has not been paid to the clerk, orderly peon and the stenographer. Orders have now been issued for the payment of the dues without any futher delay. Steps have also been taken to fix responsibility for delay in pay of salary to the staff concerned.

अतारांकित प्रश्न संख्या 1036 दिनांक 26–7–68 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION TO ANSWER GIVEN TO U.S.Q. NO 1036 DT 26-7-68

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : 1962–63 से 1968–69 तक के वर्षों में उड़ान-कार्मिकों के प्रशिक्षण पर किये गये खर्च विषयक सूचना के बारे में लिखित प्रश्न संख्या 1036 के, जिसका कि जवाब 26 जुलाई, 1968 को दिया गया, भाग (ग) के उत्तर में इंडियन यरलाइन्स द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर व्यय के निम्नलिखित आँकड़े दिये गये थे :––

1962–63	1310	लाख रुपये
1963–64	1394	लाख रुपये
1964–65	2383	लाख रुपये
1965–66	3047	लाख रुपये
1966–67	2903	लाख रुपये
1967–68	3400	लाख रुपये
1968–69	3500	लाख रुपये

इंडियन एयरलाइन्स ने अब यह सूचित किया है कि टाइप करने में भूल के कारण अंकों के बीच के दशमलव बिंदु बेध्यानी से छूट गये थे । दशमलव बिंदु लगा देने के बाद शुद्ध आँकड़े निम्न प्रकार से हैं :—

1962–63	13.10	लाख रुपये
1963–64	13.94	लाख रुपये
1964–65	23.83	लाख रुपये
1965–66	30.47	लाख रुपये
1966–67	29·03	लाख रुपये
1967–68	34.00	लाख रुपये
1968–69	35.00	लाख रुपये

अतारांकित प्रश्न संख्या 4781 दिनांक 18 दिसम्बर, 1967 के उत्तर में शुद्धि ।

CORRECTION TO ANSWER GIVEN TO UNSTARRED QUESTION NO 4781 DATED 18TH DECEMBER, 1967

प्रतिरक्षा मंत्रालय में (प्रतिरक्षा उत्पादन) राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : 18 दिसम्बर, 1967 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4781 के भाग (ख), (ग) और (घ) के उत्तर में यह बताया गया था कि ऐसेक्स फार्म, दिल्ली द्वारा गर्भवती बकरियों की हत्या के आरोप की जाँच से पता चला था कि सेना का एक पशु चिकित्सा अधिकारी उनके मरने से पूर्व एवं पश्चात् परीक्षा करता था और यह कहना ठीक नहीं कि सेना को बन्द डिब्बों में बकरी का माँस सप्लाई करने के लिये गर्भवती बकरियों की हत्या की जाती है ।

2. बाद की जाँच से पता चला है कि अगस्त 1967 से जनवरी 1968 तक की अवधि में 10,180 पशु हत्या के लिए पेश किये गये थे जिसमें से 1036 को इसलिये अस्वीकृत कर दिया था क्योंकि सैनिक पशुचिकित्सा अधिकारी ने मारने से पहली की परीक्षा के समय उन्हें गर्भवती बताया था । हालाँकि गर्भवती बकरियों की हत्या की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, शव परीक्षा के समय सैनिक पशुचिकित्सा अधिकारी को 5 से 6 सप्ताह की अवधि से कम गर्भ के दो या तीन प्रतिशत मामलों का पता चला था परन्तु उसने उन्हें रद्द नहीं किया था क्योंकि वह माँस मनुष्यों के लिये स्वास्थ्यवर्धक था । मारने से पहले की परीक्षा में गर्भ की आरम्भिक अवस्था के इन मामलों का पता नहीं चला था और शव परीक्षा के समय उन्हें रद्द नहीं किया था क्योंकि उस माँस को स्वास्थ्यवर्धक समझा गया था ।

3. मैंने पहले दिये गये उत्तर को अब विस्तारपूर्वक बताया है।

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

(प्रेस हड़ताल)

श्री हेम बरुआ (मंगलदाय) वर्तमान सत्र के अंतिम दिन मैं सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं । हम जानते हैं सरकार हड़ताल का हल निकालने का प्रयास कर रही है। कल ही संसद भवन के निकट 41 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बारे में सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स० मो० बनर्जी ने इस बारे में मुझे लिखा था और मैंने उन्हें इस प्रश्न को उठाने की अनुमति दे दी है ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं आपकी अनुमति से इस मामले को नियम 377

के अन्तर्गत उठाता हूं। आज समाचार-पत्रों की हड़ताल का चालीसवाँ दिन है। वे भूखे बाजारों में घूम रहे हैं। समाचार-पत्रों में प्रतिदिन भ्रम पैदा करने वाले वक्तव्य प्रकाशित हो रहे हैं।

देश के 14 समाचार-पत्रों ने तालाबन्दी घोषित कर दी है। वे सबसे अधिक व्यक्तियों को नौकरी देने वाले समाचार पत्र हैं। सरकार के लिये इस मामले में हस्तक्षेप करना कठिन है लेकिन न्याय की यह माँग है कि सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। श्रम मंत्री को इस बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए ताकि हम लोग और कर्मचारी इस बात से संतुष्ट हो सकें कि श्रम मंत्रालय की सहानुभूति कर्मचारियों से है मालिकों से नहीं (**अन्तर्बाधाएं**)।

श्री नाथ पाई (राजापुर): लोक-सभा आज स्थगित हो जायेगी और राज्य सभा भी अनिश्चित काल के लिये कल स्थगित हो जायेगी। अतः जनता के अधिकारों की रक्षक संसद छुट्टी पर होगी। जनता के अधिकारों के दूसरे रक्षक समाचार-पत्र हैं और वह भी दुर्भाग्य से हड़ताल पर हैं। मुझे पता है कि सरकार समझौता कराने के लिये पूर्णरूप से प्रयत्नशील है। इन दोनों की अनुपस्थिति में मैं देश का भाग्य सरकार को सौंपने के लिए तैयार नहीं हूं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए प्रेस का कार्य चलाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

Shri Sheo Narain (Basti) : Press is the fourth estate in a democracy. There is a dispute going on between the press employers and the employees. This should be settled. It is the duty to settle the dispute by intervening itself.

Shri Randhir Singh : (Rohatak) : Journalism has an important place in life of the country. The Home Minister should intervene in this matter. The employers are harrasing the employees. The employees have not received their salaries.

It is a serious problem. Their dispute should be settle as earlydas possible. The Government should take immediate steps in this direction.

श्री राममूर्ति (मदुरै) : सभा के सब वर्ग इस बात से सहमत हैं कि इस हड़ताल को समाप्त करने के लिये कुछ न कुछ किया जाना चाहिए। समाचार-पत्रों के कुछ मालिक वेतन बोर्ड की सिफारिश के अनुसार भुगतान करने की स्थिति में हैं। अतः सरकार को पूरी ताकत से इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। कलकत्ते में, जहाँ राष्ट्रपति का शासन है, वहाँ पुलिस की सहायता से हड़ताल को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। इसको रोकने के लिये सरकार को शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए।

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : It is a very serious matter. In case the capitalists do not end the lock-outs, it is the duty of the Government to nationalize the Press.

श्री श्री० अ० डांगे (बंबई—मध्य दक्षिण) : केवल भारत में ही प्रेस पर बड़े गैर-सरकारी पूंजीपतियों का नियंत्रण है अन्यत्र नहीं। संविधान के उद्देश्यों को लागू करने के लिए क्या सरकार उनका राष्ट्रीयकरण करने की सोच रही है ?

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : सभा में जब यह प्रश्न 30 जुलाई को उठाया गया था तो मैंने सुझाव दिया था कि इस मामले में या तो एक मध्यस्थ को नियुक्त किया जाना चाहिए या मंत्री महोदय को मालिकों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर इसका हल निकालना

चाहिए। दुर्भाग्य से इस विषय में कुछ नहीं भी नहीं किया गया है। जब मालिकों और कर्मचारियों के बीच समझौते की बात होती है तो, यही लोग जो प्रेस के राष्ट्रीकरण के बारे में कहते हैं, उसमें रुकावटें डालते हैं। क्या सरकार साम्यवादी संगठनों को हड़ताल से दूर रखेगी ताकि मालिकों और कर्मचारियों के बीच बिना हस्तक्षेप समझौता हो सके ?

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : The present strike has been going on for more than one month. The Government should try to have some settlement between the employers and the employees. In case the press bosses do not accept the Government's recommendation, the press should be nationalized. This dispute should be settled without any further delay.

श्री कन्डप्पन (मैटूर) : सरकार को इस मामले को हल करने में और अधिक देरी नहीं करनी चाहिए। समाचार-पत्रों की हड़ताल का केवल प्रेस कर्मचारियों से ही सम्बन्ध नहीं है बल्कि इससे जनता भी प्रभावित है। जैसा कि श्री नाथ पाई ने भी कहा प्रेस के बिना लोकतंत्र का कोई मूल्य नहीं है। दुर्भाग्य से सरकार इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। प्रेस मालिकों द्वारा स्वीकार की जाने वाले माँगें और प्रेस कर्मचारियों की माँगों में ज्यादा अन्तर नहीं है। इन परिस्थितियों में सरकार मालिकों से यह कहने में क्यों हिचकती है कि या तो उन्हें कर्मचारियों की माँगों को स्वीकार करना चाहिए या उन्हें परिणामों का सामना करना पड़ेगा। सरकार को इस मामले को शीघ्र हल करना चाहिए।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : समाचार-पत्रों की हड़ताल से दो व्यक्तियों को लाभ हुआ है। एक तो सरकार को, क्योंकि अब उसकी आलोचना नहीं की जा सकती और दूसरे 'पेट्रोएट' और 'नशनल हैरल्ड' समाचारपत्रों को। इन दोनों के बीच जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि सरकार मालिकों या कर्मचारियों पर कोई जोर डाले।

हम नहीं चाहते कि प्रेस का राष्ट्रीयकरण किया जाये क्योंकि देश में प्रत्येक सरकार एक या दो या बहुत से राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करती है तो इन दलों के नियंत्रण से भी हम बच नहीं सकेंगे और वह स्थिति बहुत खतरनाक होगी।

वर्तमान परिस्थितियों में सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ बनाकर इस बात का निर्णय करना चाहिए कि मालिकों और कर्मचारियों में कौन सही हैं। दोनों के बीच अधिक मतभेद नहीं है लेकिन हमारे साम्यवादी मित्र न केवल प्रेस मालिकों और सरकार पर जोर डाल रहे हैं बल्कि सामान्य जनता पर भी जोर डाल रहे हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

सरकार को ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए जिससे पूंजीवादियों का हमारे प्रेस पर प्रभाव अधिक बढ़े।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : सरकार और प्रेस के पूंजीपति मालिकों के बीच साँठ-गाँठ है। हमारे साम्यवादी मित्र चाहते हैं कि प्रेस का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिं। क्या उन्हें आकाशवाणी के राष्ट्रीयकरण किये जाने का अनुभव नहीं है। एक तरह से तो प्रेस का राष्ट्रीकरण किया जा चुका है क्योंकि प्रेस पूंजीपतियों के हैं और हमारी सरकार भी पूंजीपतियों की है।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे आपने नियम 377 के अन्तर्गत बोलने की अनुमति दी थी। चूंकि अब श्रम मंत्री यहाँ उपस्थित हैं अतः उन्हें अपना वक्तव्य देना चाहिए।

Shri Tulsidai Jadhav (Baramati) : Lakhs of rupees are spent on the formation of Wage Board . It is improper that the recommendations of the Wage Board are not accepted.

If its recommendations are not implemented, another Wage Board should be appointed. In case of strike the workers suffer most. The Government should take immediate steps in this direction.

Shri Shiv Chandra Jha : (Madhubani) :'

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो भी कहा है उसे सभा की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। वर्तमान स्थिति में जब प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री समझौते का प्रयत्न कर रहे हैं, श्रम मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से कोई सहायता नहीं मिलेगी। यदि माननीय मंत्री वक्तव्य देना चाहें तो वे दे सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय सदस्य सभा को यह आश्वासन देंगे कि एक सप्ताह के अन्दर कोई समझौता नहीं हुआ तो वे अध्यादेश जारी करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बारे में सब पहलुओं से जाँच की जा रही है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : We have been listening for the last forty days that the Labour and Home Ministers have been negotiating, but no result have come out. Recommendations of the Wage Board should be implemented.

सदस्यों तथा मंत्री द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATIONS BY MEMBERS AND MINISTER

डा० रानेन सेन (बारसाट) : 20 अगस्त, 1968 अल्पसूचना प्रश्न संख्या 7 के सम्बन्ध में पूछे गये अनुपूरकों के समय, संसद सदस्य को निवास-स्थान अलाट किये जाने के बारे में संसद कार्य तथा संचार मंत्री डा० रामसुभग सिंह के उत्तर पर मैंने कहा था कि यह निम्नकोटि का भ्रष्टाचार है।"

इसके उत्तर में डा० रामसुभग सिंह ने कहा था कि :—

"यदि यह भ्रष्टाचार है तो आप सबसे अधिक भ्रष्ट व्यक्ति हैं। इससे पहले कि मैं अपना वक्तव्य पूरा करता बाधाएं उत्पन्न हो गयीं। वे गलत समझे कि मेरा अभिप्राय उन पर आक्षेप करने का था। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरा ऐसा कोई अभिप्राय नहीं था।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): 20 अगस्त, 1968 को अल्पसूचना प्रश्न संख्या 7 पर हुई चर्चा के सम्बन्ध में, मैंने व्यक्तिगत स्पष्टीकरण 29 अगस्त, 68 को सभा-पटल पर रख दिया था। उस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करना है कि जब मैंने भाई-भतीजेवाद का उल्लेख किया था तो मेरा इससे आशय डा० रामसुभग सिंह की ओर न था।

****सभा को कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not Recorded.

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : रियायतों आदि जिन शब्दों के बारे में माननीय सदस्य डा० रानेन सेन और श्री ज्योतिर्मय बसु ने आपत्ति की है मैं वह शब्द वापिस लेता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ये कुछ गलतफहमियां थी जिनका स्पष्टीकरण हो गया।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE
लाईटनिंक ट्रंक कॉल

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह) : मैं लाईटनिंक ट्रंक काल व्यवस्था आरम्भ करने के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं

हिन्दुस्तान शिपयार्ड और मुगल लाइन के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं डा० वी० के० आर० वी० राव की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं --

(1) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम, के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुगल लाइन लिमिटेड, बम्बई, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां । **[पुस्तकालय में रक्खे गये देखिये संख्या एल० टी० 1969/68]**

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : सभा में चल रहे कार्य के बारे में मेरा नियम 376 के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न है । लोक लेखा समिति के खाते संसद में उनके तैयार होने के एक वर्ष बाद प्रस्तुत किये जाते हैं । हिन्दुस्तानशिपयार्ड के खाते सितम्बर तक तैयार हो जायेंगे । खाते सितम्बर 1967 और ज्यादा से ज्यादा दिसम्बर, 1967 तक प्रस्तुत कर देने चाहिए थे । लेकिन अब वह अगस्त में प्रस्तुत किये जा रहे हैं। इसका अभिप्राय यह हुआ कि यह खाते 8 महीने बाद प्रस्तुत किये जायेंगे ।

सरकार को यह निदेश दिये जाने चाहिए कि इन खातों को, गैर सरकारी कम्पनियों के खातों की भांति, इनके बन्द होने के 7 महीने या अधिक से अधिक 9 महीने बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

श्री रंगा : ऐसा पहली बार नहीं हुआ है । संसद कार्य मंत्री को सम्बद्ध समस्त मंत्रालयों को निदेश देने चाहिए कि वे अपने लेखापरीक्षित लेखों को उचित समय में प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने यह बात नोट कर ली है ।

ओरियन्टल गैस कम्पनी (संशोधन) अधिनियम

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) पश्चिमी बंगाल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत ओरियन्टल गैस कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 15) की एक प्रति जो दिनांक 7 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(2) ऊपर के अधिनियम को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। **[पुस्कालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1969/68]**

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, बम्बई के प्रमाणित लेखे

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद): मैं प्रौद्योगिकी संस्थाएं अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, बम्बई के वर्ष 1966-67 के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1970/68]**

प्रेस परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): मैं श्री के० के० शाह की ओर से प्रेस परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 18 के अन्तर्गत भारत की प्रेस परिषद् के 1967 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखे गये देखिये संख्या एल० टी० 1971/68)**

आश्वसनों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): चौथी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले आठ विवरण सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) विवरण संख्या 1	पांचवां सत्र, 1968
(2) अनुपूरक विवरण संख्या 7,8,9 और 10	चौथा सत्र, 1968
(3) अनुपूरक विवरण संख्या 7	तीसरा सत्र, 1967
(4) अनुपूरक विवरण संख्या 15	दूसरा सत्र, 1967
(5) अनुपूरक विवरण संख्या 12	प्रथम सत्र, 1967

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1972/68]

स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) नियम, तथा उससे सम्बन्धित विवरण

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1952 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 27 अप्रैल, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 758 में प्रकाशित हुए थे।

(2) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1973/68]**

सेना को बन्द डिब्बों में मांस की सप्लायी किये जाने के बारे में गार्डन रीच वर्कशाप का वार्षिक प्रतिवेदन और शुद्ध करने वाला विवरण

प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) गार्डन रीच वर्कशाप्स लिमिटेड, कलकत्ता, के 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) एसेक्स फार्म, दिल्ली, द्वारा सेना को बन्द डिब्बों में मांस की सप्लाई के बारे में श्री के० रामानी तथा अन्य सदस्य के अतारांकित प्रश्न संख्या 4781 के 18 दिसम्बर, 1967 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण।

[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1974/68]

सीमा शुल्क अधिनियम, उत्तर प्रदेश बिक्री कर संशोधन नियम आदि के बारे में अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1545 की एक प्रति जो दिनांक 19 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(2) उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा, दिनांक 15 अप्रैल, 1968 को उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित, के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित उत्तर प्रदेश विक्रय कर अधिनियम, 1948 की धारा 24 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विक्रय कर (संशोधन) नियम, 1968 (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 11 जुलाई, 1968 के उत्तर प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० टी० 21661/दस-948 (1)-1968 में प्रकाशित हुए थे।

(3) ऊपर की अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1975/68]

राष्ट्रीय बीज निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री म० रं० कृष्ण): मैं श्री अन्नासाहिब शिन्दे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

(2) बिहार स्टेट एग्रो-इन्डस्ट्रीज डवेलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, पटना, के 31 मार्च, 1967 को समाप्त हुई अवधि के लिए प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1976/68]

अन्तर्गत भाषायी अल्पसंख्कों के आयुक्त का प्रतिवेदन

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) संविधान के अनुच्छेद 350 ख (2) के अन्तर्गत भाषायी अल्पसंख्यकों के आयुक्त के 1 जनवरी, 1965 से 30 जून, 1966 तक की अवधि के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी संस्करण) ।

(दो) ऊपर के प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण ।

(2) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1480 की एक प्रति जो दिनांक 10 अगस्त, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनसूची, 111 में कतिपय संशोधन किये गये ।

(3) (एक) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) ऊपर के प्रतिवेदन में उल्लिखित दो मामलों में आयोग का परामर्श सरकार द्वारा स्वीकार न किये जाने के कारण बताने वाला ज्ञापन ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1977/68]

चाय बोर्ड का वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): मैं चाय बोर्ड के 1967-68 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 1978/68]

संसदीय समितियों के कार्यवाही सारांश
PARLIAMENTARY COMMITTEES, MINUTES

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह): मैं नियम समिति की 29 नवम्बर और 6 दिसम्बर, 1967, 29 अप्रैल, 1 अगस्त और 28 अगस्त, 1968 को हुई बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं :—

(गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति)

श्री मालजीभाई परमार (दोहद): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की चालू सत्र के दौरान हुई बत्तीसवीं से सैंतीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखता हूं

तारांकित प्रश्न संख्या 361 के उत्तर में शुद्धि
CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. 361

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण): मैं तारांकित प्रश्न संख्या 361 के बारे में 7 अगस्त को पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में दिये गये वक्तव्य के सम्बन्ध में शुद्धि करना चाहता हूं। चूंकि वक्तव्य लम्बी है अतः यदि आप अनुमति दें तो मैं उसे सभा-पटल पर रख दूं।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

विवरण

श्री यज्ञदत्त शर्मा ने यह सुझाव दिया था कि ऐसी प्रणाली की व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिसके द्वारा यह निश्चित किया जा सके कि विदेशों को भेजे जाने वाले या विदेशों से प्राप्त होने वाले रक्षा उपकरण किसी अवांछनीय हाथों में न पहुंच कर माल पाने वाले के हाथ में पहुंच जायें, के बारे में मैंने यह उल्लेख किया था कि —

"कि गलती पत्तन स्तर पर की गयी थी अतः इस बारे में जाँच की जा रही है। माल को गलत प्रेषिती को भेजे जाने के मामले में जाँच की जा रही है और उपचरात्मक उपाय किये जा रहे हैं।

श्री यज्ञदत्त शर्मा द्वारा पूछे गये एक अन्य प्रश्न कि क्या पत्तन प्राधिकारियों ने माल को भेजे जाने के बारे में प्रतिरक्षा प्राधिकारियों से सम्पर्क किया गया था, के उत्तर में मैंने यह बताया था कि वे कुछ कार्यवाही कर रहे हैं परन्तु वह कार्यवाही उचित नहीं है अतः सब बातों में अब जाँच करना आवश्यक है।

ठीक स्थिति इस प्रकार है: वे मद्रास पत्तन अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही कर रहे हैं। जाँच से यह पता लगा है। पत्तन न्यास प्राधिकारियों को माल को नीलाम करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था क्योंकि माल पर उचित निशान न होने के कारण माल को कोई भी लेने के लिए तैयार न था।

श्री यज्ञदत्त शर्मा और श्री अटलबिहारी द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या बन्द पार्सलों को नीलाम से पूर्व खोला गया था या बन्द डिब्बों का नीलाम कर दिया गया था मैंने निम्नलिखित उत्तर दिया था "

"कि डिब्बे खोले गये थे "

ठीक स्थिति यह है कि डिब्बों को खोला नहीं गया था।

श्री मनुभाई पटेल द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या स्टोरों का निबटारा प्रतिरक्षा स्टोरों या पत्तन प्राधिकारियों द्वारा किया गया था मैंने निम्नलिखित उत्तर दिया था :—

"इसका निबटारा पत्तन प्राधिकारियों द्वारा किया गया था प्रतिरक्षा मंत्रालय को इसकी जानकारी नहीं थी "

ठीक स्थिति इस प्रकार है:—

इसका निबटारा पत्तन प्राधिकारियों द्वारा किया गया था। लेकिन बाद में यह बात वायुसेना की जानकारी में आ गई थी।

इस सम्बन्ध में हुई कोई असुविधा के लिये मुझे दुःख है।

विवरण

दो विमानों के इंजनों, जिनको मरम्मत के लिए बाहर भेजा गया था और जिन्हें जहाज द्वारा मई, 1962 में बम्बई भेजा गया उस बन्दरगाह पर नहीं पहुंचे।

इस बात की भी पुष्टि की गई थी कि यह माल भारत के किसी भी बन्दरगाह पर नहीं उतारा गया

बाद में पता लगा कि जिन दो विमान इंजनों को बम्बई में उतारा जाना था उन्हें वास्तव में मद्रास में उतारा गया। माल पर कोई निशान नहीं थे। अतः मद्रास पत्तन न्यास अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत, पत्तन न्यास ने सब जलपरिवहन एजेन्टों को यह सूचनाएं दे दी थीं कि यदि इस माल पर पत्तनन्यास खर्चे अदा नहीं किये गये और माल को दस दिन के भीतर नहीं उठा लिया गया तो माल को सार्वजनिक नीलाम द्वारा बेच दिया जायेगा

सूचना के प्राप्त होने के पश्चात् पोतारोहण मुख्यालय, मद्रास के कर्मचारियों ने सब बंडलों का निरीक्षण किया। बंडल खुले में पड़े थे और उन पर कोई निशान नहीं थे। वे बड़ी बुरी दशा में हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण कर्मचारीबंडलों को बाहर से निरीक्षण करने के बाद (बिना डिब्बों को खोले) इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये पैकेज प्रतिरक्षा विभाग के नहीं हैं।

चूंकि इन पैकेजों पर किसी ने दावा नहीं किया अतः मद्रास पत्तन न्यास ने इसकी अधिसूचना दी और बाद में इन्हें सार्वजनिक नीलाम द्वारा 29 जलाई, 1964 को बेच दिया गया।

पिछले कुछ वर्षों में यह इस प्रकार का अकेला मामला है जबकि एक पैकेज जिसके बारे में कोई ब्यौरा प्राप्त न था और बाद में उसमें प्रतिरक्षा सामग्री मिली। अब यह आदेश जारी कर दिये गये हैं कि भविष्य में मद्रास पत्तन न्यास अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत

पत्तन न्यास की सांविधिक सूचनाओं पर ध्यान न देते हुए टोटारोहण मुख्यालय के कर्मचारियों द्वारा ऐसे माल को खोल लिया जाना चाहिए

मद्रास राज्य (नाम बदलना) विधेयक

MADRAS STATE (ALTERATION OF NAME) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करता हूं "कि मद्रास राज्य का नाम बदलने सम्बन्धी विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये "

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि मद्रास राज्य का नाम बदलने सम्बन्धी विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

श्री के० एस० रामास्वामी : मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री कंवर लाल गुप्त के प्रस्ताव पर विचार करेंगे ।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : इससे पहले कि आप इस विषय पर चर्चा करें मैं आपका ध्यान एक गम्भीर मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं आज की कार्यसूची में यह उल्लेख होने के बावजूद, कि आज केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की माँगों के अतिरिक्त किसी विषय पर चर्चा नहीं की जायेगी अन्य विषयों जिनमें कम्पनी (संशोधन) विधेयक भी शामिल है को चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया ।

मंत्री महोदय ने सभा को यह आश्वासन दिया था कि इस विधेयक पर इसी सत्र में चर्चा पूरी हो जायेगी और इसे इसी सत्र के दौरान पारित कर दिया जायेगा लेकिन सरकार अपने वचन को पूरा करने में असफल रही है। मैं माननीय मंत्री से कम से कम यह आश्वासन चाहता हूं कि इस विधेयक पर संसद् के आगामी अधिवेशन में यथाशीघ्र चर्चा की जायेगी ।

संसद कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैंने ऐसा कोई वचन नहीं दिया था । समस्त मामले को कार्य मंत्रणा समिति को सौंप दिया गया है और इसके लिए अवधि निर्धारित की जा चुकी है। कुछ अनिश्चित कार्यों पर चर्चा किये जाने के कारण दो दिन अधिक लग गये हैं। अन्यथा हम स्वयं इसको समय देना चाहते थे ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की कल्याण सम्बन्धी समिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: COMMITTE ON WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : इस प्रस्ताव पर चर्चा को पिछले एक सप्ताह से टाला जा रहा है। क्या इस प्रस्ताव पर सभा में चर्चा नहीं की जायेगी।

श्री रा० ढो० भंडारे (बंबई-मध्य) : यह प्रस्ताव कार्यसूची में नहीं था। यह बात समझ में नहीं आती कि इस पर चर्चा क्यों की गई जब कि अनसूचित जातियों तथा अनसुचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी विषय पर पहले चर्चा की जानी थी। यहाँ तक कि अध्यक्ष महोदय ने भी आश्वासन दिया था कि इस विषय पर चर्चा की जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह दुःख की बात है कि इस विषय पर चर्चा नहीं की जा सकी। क्या यह सम्भव है कि इस पर चर्चा किये बिना इसे स्वीकार कर लिया जाये।

श्री रा० ढो० भंडारे : इस बारे में कुछ संशोधन हैं।

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : चूंकि श्री गुप्त इस विषय पर चर्चा करने के बहुत इच्छुक हैं अतः मेरा सुझाव है कि इस विषय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा इस बात से सहमत है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मेरा सुझाव है कि इस प्रस्ताव को बिना चर्चा के स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। लेकिन इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ संशोधन हैं और उसके लिए वह कुछ समय चाहते हैं।

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : हम एक घंटे देरी तक बैठ सकते हैं।

श्री रंगा : दोनों ही विषयों पर चर्चा की जानी चाहिए।

श्री कंवर लाल गुप्त : हम देर तक बैठने के लिये तैयार हैं।

श्री उमानाथ मिश्र (पुदुकोट्टै) : यदि हरिजनों के लिये इतनी सहानभूति है तो हमें उनके लिये एक घंटा देरी से बैठना चाहिए। सरकार हरिजनों का मामला बीच में लाकर केन्द्र सरकार कर्मचारियों की माँगों के विषय पर चर्चा से होने वाली परेशानी से बचना चाहते हैं। सरकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिये गये वचनों से मकरने का प्रयास कर रही है। मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इस सत्र को बढ़ाया जाना चाहिए ताकि हम हरिजनों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा कर सकें।

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं श्री गोविन्द मेनन की ओर से प्रस्ताव करता हूं :—

(1) कि दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति गठित की जाय जो 'अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति' कहलाये, जिसमें 30 सदस्य—20 लोक-सभा के और 10 राज्य सभा के—हों, जो एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व

के सिद्धान्त के अनुसार निर्वाचित किये जायं, और इस प्रकार के निर्वाचन गुप्त बैलट द्वारा किये जायेंगे ;

(2) कि समिति के कृत्य ये होंगे :—

(एक) संविधान के अनुच्छेद 338 (2) के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदनों पर, दोनों सभाओं द्वारा उन पर चर्चा किये जाने से पूर्व, विचार करना और दोनों सभाओं को यह प्रतिवेदन देना कि संघ सरकार के क्षेत्राधीन विषयों के बारे में संघ सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिए ;

(दो) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर संघ सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना ;

(तीन) अनुच्छेद 335 के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए संघ सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं और पद में अनसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए संघ सरकार द्वारा किये गये उपायों की जाँच करना ; और

(चार) संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के कार्यक्रमों के संचालन के बारे में दोनों सभाओं को प्रतिवेदन देना ;

(3) कि समिति के सदस्य समिति की पहली बैठक की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ;

(4) कि समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति दस होगी ;

(5) कि अन्य सभी मामलों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करे ; और

(6) कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा के सदस्यों में से इस समिति के लिए निर्वाचित सदस्यों के नाम, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस सभा को बताये ।"

श्री सूरज भान (अम्बाला) : मैं संशोधन संख्या 1 तथा 2 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : मैं संशोधन संख्या 4 से 6 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नि० ई० लास्कर (करीमगंज) : मैं संशोधन संख्या 9 से 11 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवराव पाटिल : मैं संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सिद्धय्या (चामराजनगर) : मैं संशोधन संख्या 15 से 17 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सूरज भान : मैं संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री देवराव पाटिल : मैं संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सोनावने (पंढरपुर) : मैं संशोधन संख्या 28 प्रस्तुत करता हूं ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं श्री गोविन्द मेनन की ओर से प्रस्ताव करता हूं :—

प्रस्ताव की कंडिका । में,—

(1) "(i) That a Joint Committee of the Houses" [(1) कि दोनों सदनों की संयक्त समिति"] के स्थान पर "(1) (a) That a Committee of both the Houses" [(1) (क) कि (दोनों सदनों की एक समिति"] शब्द रखे जायें।

"(2) अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें :

"(b) That a Minister shall not be eligible for election as a Member of the Committee and that if a Member after his election to the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a Member thereof from the date of such appointment ?"

(ख) कि कोई मंत्री इस समिति का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा और यदि कोई सदस्य समिति में चुने जाने के बाद मंत्री नियुक्त कर दिया जाये तो वह नियुक्ति की उस तिथि से उसका सदस्य नहीं रहेगा") (29)

प्रस्ताव की कंडिका 2 में,—

(1) भाग (1) में

"before they are taken up for discussion by the Houses, and to report to both the Houses as to the measures that should be taken by the Union Government in respect of matters within the purview of the Union Government" ?

["सदनों द्वारा उन पर चर्चा किये जाने से पहले, तथा दोनों सदनों को उन उपायों के बारे में, जो संघ सरकार के क्षेत्राधिकार के मामलों के सम्बन्ध में संघ सरकार को करने चाहिए, प्रतिवेदन दे "]

के स्थान पर

"and to report to both the Houses as to the measures that should be taken by the Union Government in respect of matters within the purview of the Union Government including the Administration of the Union Territories".

["तथा दोनों सदनों को उन उपायों के बारे में, जो संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों सहित संघ सरकार के क्षेत्राधिकार वाले मामलों के सम्बन्ध में संघ सरकार को करने चाहिए, प्रतिवेदन दे"] शब्द रखे जायें।

(2) भाग 2 में,—

"Union Government" ("संघ सरकार") के बाद "and the Administration of the Union Territories ("तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन") शब्द जोड़ दिये जायें।

(3) भाग 3 में,

"under its control" ["उसके नियंत्रणाधीन]" शब्दों के बाद

"(including appointments in the public sector undertakings and in the Union territories"

["सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में नियुक्तियों सहित"] शब्द जोड़ दिये जायें।

(4) भाग (4) के बाद

"(v) to consider generally and to report to both the Houses on all matters concerning

the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes which fall within the purview of the Union Government including the Administrations of the Union territories".

["(5) सामान्य रूप से विचार करने तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों सहित संघ सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी सभी मामलों के बारे में दोनों सदनों को प्रतिवेदन देने"] शब्द जोड़े जायें। (30)

श्री रामस्वरूप विद्यार्थी (करौलबाग) : मैं संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सिद्धय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

कि प्रस्ताव में, —

कंडिका 2 के भाग 3 में,

"Under its Control" ["उसके नियंत्रणाधीन"] शब्दों के बाद

"(including appointments in the public sector undertakings, statutory and semi-Government Bodies and in the Union Territories")

["(सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक तथा अर्द्धसरकारी निकायों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में नियुक्तियों सहित)"] शब्द जोड़े जायें। (34)

कि प्रस्ताव में,—

कंडिका 2 के भाग (4) के बाद,

"(a) to examine such of the matters as may seem fit to the Committee or are specifically referred to it by the House or the Speaker".

["(5) ऐसे मामलों की जाँच करने, जिन्हें समिति उचित समझे अथवा सभी या अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट रूप से उसे सौंपे जायें"] शब्द जोड़े जायें (35)

श्री रा० ढो० भंडारे (बम्बई मध्य) श्रीमान्, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस सभा में यह संकलन पढ़ा गया है और मैं आशा करता हूं कि यह समिति गठित की जायेगी। देश में सभी लोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की आकांक्षाओं के बारे में सभी जानते हैं। सभी जानते हैं कि संविधान निर्माताओं ने उन्हें विशेष स्थान देने के लिए संविधान में कुछ उपबन्ध किये थे। जब संविधान लागू हुआ तो हमारा यह विचार बना कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त उनके हितों की रक्षा करेंगे।

[श्री वासुदेव नायर पीठासीन हुए।
Shri Vasudevan Nair in the Chair]

मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि आयुक्त के पद के महत्व को कम कर दिया गया है। हमारा विचार है कि आयुक्त के प्रतिवेदन पर विचार करने तथा उनकी सिफारिशों को सरकार द्वारा क्रियान्वित करने के उद्देश्य से एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की जानी चाहिए।

इस संकल्प के अधीन यह भी उपबन्ध रखा गया है कि उक्त समिति इन जातियों के

उत्थान सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम के सम्बन्ध में सुझाव देगी। इसके साथ ही सरकार उस नीति तथा उन कार्यक्रमों को क्रियान्वित करेगी।

Shri Suraj Bhan (Ambala) : I am thankful to the Government for having agreed to constitute a Committee for the welfare of Scheduled Castes.I wanted certain amendments to be made. My first amendment is to confer powers to the committee to examine cases wherein grave injustices have been done to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Central Services. This power is necessary for the effective working of the Committee. The record of Scheduled Caste employees are wilfully spoiled in order to create difficulties for them. It is clear from the report of the Commissioner for Scheduled Castes. I would like to quote from page 14 of the report in which it has been stated that it cannot be denied that certain degree of prejudice still operates in the conscious or sub-conscious mind of some, though by no means all, senior castes Hindu Officers.

The Committee should be empowered to look into all the cases of injustice with the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Committee should also examine the question of extent of removal of untouchability. The Committee should also examine the cases of conversion of religions of Harijans by taking undue advantage of their poverty and ignorance. The Committee should also study the condition of Harijans by visiting particular places. It should also have the power to make additional recommendations to the Government for the welfare of Scheduled Castes.

श्री रंगा : सभापति महोदय, हम इस समिति की स्थापना का स्वागत करते हैं। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधि प्रत्येक वर्ष यही शिकायत करते हैं कि इन जातियों के आयुक्त द्वारा की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। यद्यपि हमने छुआछूत पर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं तथापि बहुत कम स्थानों पर हम व्यावहारिक दृष्टि से इस बुराई को दूर करने में सफल हो पाये हैं। शेष संसार यह देख रहा है कि हम अपने हरिजनों तथा अन्य पिछड़े लोगों से किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारी सफलता तो अधिक नहीं परन्तु हमारी असफलता की छाप हमारे सामाजिक जीवन तथा इतिहास पर स्पष्ट दिखाई देती है।

अतः हम इस समिति की स्थापना करने पर विचार कर रहे हैं तथा हमें आशा है कि उसकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप इन अभागे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति शीघ्र सुधारने के लिये सरकारी तंत्र को क्रियाशील बनाने में बड़ी सहायता प्राप्त होगी। वे बेचारे अपनी निर्धनता के कारण समाज में अपना उचित स्थान बनाने में असफल रहे।

हम इस आयोग की पूर्ण सफलता चाहते हैं और मैं इस विचार से सहमत हूं कि सरकार द्वारा उक्त आयोग को यथासम्भव सहायता और अधिकार देने चाहिए तथा उनकी सिफारिशें सहानुभूतिपूर्वक क्रियान्वित की जानी चाहिए।

श्री सिद्धय्या (चामराजनगर) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त प्रत्येक वर्ष सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं परन्तु उनमें की गई सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा समुचित रूप से कार्यवाही नहीं की जाती। हमारा संविधान बनाने वालों ने जब यह कल्पना की थी कि यह प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए

तो उनका उद्देश्य यही था कि इस पर विचार किया जाना चाहिए और संसद द्वारा निर्णय किया जाना चाहिए परन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। हमें प्रसन्नता है कि अब संसदीय समिति गठित की जायेगी।

जैसा कि मूल प्रस्ताव में उपबन्ध है, समिति का कार्य-क्षेत्र केन्द्रीय सरकार के अधीन की जाने वाली नियुक्तियों तक ही सीमित होगा तथा उसमें सरकारी उपक्रम, सांविधिक तथा अर्द्ध सरकारी संस्थायें तथा संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं होंगे। इसलिए, मैंने संशोधन संख्या 34 प्रस्तुत किया है। आशा है, मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे। समिति के कार्य क्षेत्र में यह संस्थाएं भी सम्मिलित की जानी चाहिए और उसे उन मामलों की जाँच करने का भी अधिकार होना चाहिए जिन्हें वह ठीक समझे तथा उसे उन मामलों की जाँच का भी अधिकार होना चाहिए जिन्हें वह उपयुक्त समझे अथवा जो सभा या अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जायें। इस प्रयोजन के लिए मैंने संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत किया है।

इस संसदीय समिति का क्षेत्राधिकार केन्द्रीय सरकार तथा संघ राज्यक्षेत्र सम्बन्धी मामलों पर होगा। कल्याण सम्बन्धी अधिकांश योजनायें राज्य सरकारें कार्यान्वित करती हैं। अतः जब तक राज्यों में भी इसी प्रकार की संसदीय समितियाँ नहीं बनाई जायेंगी तब तक अधिकांश काम नहीं किया जा सकेगा। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को परामर्श देना चाहिए कि वे भी ऐसी समितियाँ गठित करें। आशा है, माननीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री प्र० रं० ठाकुर (नवद्वीप): यह दिन भारत की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। उन जातियों की समस्या बहुत भारी समस्या है। सरकार ने इन समस्याओं के हल के लिये गत 20 वर्षों में कोई सक्रिय कार्यवाही नहीं की है।

आर्थिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। उनमें राजनैतिक सूझ-बूझ की कमी है। अतः वह न तो अपनी समस्याओं के बारे में विचार कर सकते हैं, न ही उसका समाधान कर सकते हैं। इसलिए, उनकी समस्याओं पर विचार करने के लिए संसद सदस्यों की एक समिति बनाई जानी चाहिए। ऐसी समितियाँ राज्य स्तर पर ही बनाई जानी चाहिए। इसके लिए, मैं संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Deorao Patil (Yeotmal) : I support the motion for constituting a Parliamentary Committee regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes. We are glad that our long standing desire in this regard is being fulfilled. The Committee for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes should be constituted in the States for the consideration of matters relating to States because the State Governments implement the schemes formulated in this regard by the Centre. I have also tabled an amendment for this purpose.

श्री मयावन (चिदाम्बरम) : यह सरकार लोकतंत्रात्मक संवैधानिक दायित्व की रट तोते की तरह लगाये रहती है परन्तु वह देश को रीढ़ की हड्डी अर्थात् अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उत्थान के लिये संविधान के अन्तर्गत कर्त्तव्य को निभाने में असफल रही है। सरकार ने उनके कल्याण की देखरेख के लिये एक विभाग खोला है परन्तु उनकी समस्या को

अभी छुआ तक नहीं गया है। इस महान राष्ट्र के लिये यह बड़े शर्म की बात है कि अस्पृश्यता का रोग अभी तक बना हुआ है। सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों की कोई परवाह नहीं करती है।

अब 20 वर्ष के बाद सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए एक समिति नियुक्त कर रही है। मुझे सन्देह है कि एसा इन जातियों में पिछले कुछ वर्षों से बढ़ते हुए असंतोष को शान्त करने तथा उन्हें धोखा देने के लिए ही किया जा रहा है।

इस समिति से तब तक अधिक आशा नहीं की जा सकती जब तक कि इसे केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के साथ होने वाले अन्याय के मामलों की जाँच करने का अधिकार नहीं दिया जाता और उसकी सिफारिशें अमल में नहीं लाई जाती। सरकार को समिति के निर्णयों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस बात की माँग की गई है कि विदेशी पादरियों को हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन करने की अनुमति न दी जाये। यदि उनकी निर्धनता तथा अज्ञानता का गलत लाभ उठाने की समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो इन विदेशी धर्म प्रचारकों द्वारा धर्म परिवर्तन कराने की प्रवृत्ति को नहीं रोक सकते।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस वर्ग के लिये अब बहुत मार्ग नहीं हैं। मैं नहीं समझता कि इन लोगों को शिक्षा तथा अन्य किसी प्रयोजन के लिए विदेशी यात्रा के मामले में वरीयता देने में सरकार को कोई कठिनाई होगी। मकानों के लिये स्थान देने के मामले में भी अनुसूचित जातियों को और विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य सेवा के मामले में भी उनके साथ प्राथमिकता का व्यवहार करना चाहिए। इनके लिए सेवाओं के अतिरिक्त पदोन्नति संवर्ग में भी स्थान सुरक्षित किये जाने चाहिए।

डा० सुशीला नायर (झांसी) : मैं सरकार द्वारा यह समिति नियुक्त करने के प्रस्ताव का स्वागत करती हूं। ऐसी समिति नियुक्त करने का यही ठीक समय है। संविधान बनाते समय हमने राष्ट्र को वचन दिया था कि छुआछुत दस वर्षों में समाप्त कर दिया जायेगा। हम इसे इस अवधि में समाप्त नहीं कर पाये और इस बारे में दस वर्ष का समय और माँगा। यह अवधि भी समाप्त होने को है तथा हम अभी भी अपने उद्देश्य से बहुत दूर हैं। हमारे लिए केवल योजना बनाना ही पर्याप्त नहीं है। हमें इस समूचे मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए तथा यह मालूम करना चाहिए कि देश से छुआछात कैसे दूर की जा सकती है। हम जानते हैं कि अस्पृश्यता से क्या यातनायें होती हैं। मैं माननीय मंत्री को बताना चाहती हूं कि न केवल अछूत तथा तथाकथित स्वर्ण हिन्दुओं के बीच ही नहीं बल्कि अछूतों में भी परस्पर अस्पृश्यता की भावना है। हमें इस समस्या के दोनों पहलुओं पर विचार करना चाहिए तथा जातपात की बुराई के प्रत्येक रूप का सामना करना चाहिए। मैं हिन्दू भाइयों से प्रार्थना करती हूं कि इस समस्या में विशेष रुचि लें। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि समिति में कुछ गैर हरिजन भी शामिल किये जाने चाहिए।

Shri Jageshwar Yadav (Banda) : Mr. Speaker, Sir, it apears that the Committees constituted by the Government for the uplift of Harijans and Scheduled Castes are only for show purpose. The Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been able to do nothing for the welfare of those people. There has been no improvement in their social and economic position. Their political rights could also not be safeguarded. They are also not getting political representation in proportion to their population.

Justice is not being done to them in the matter of reservation of posts. Instead of appointing them to such posts caste Hindus are being appointed. The police atrocities on them are on the increase. Concrete steps should be taken for their uplift. Whatever action is taken, it should be real so that it could be implemented properly.

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडागा) : जहाँ तक अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की स्थिति का सम्बन्ध है, मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि हम बीस वर्ष पीछे चले गये हैं, बीस वर्ष पूर्व हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी। तब ऐसी कोई घटना नहीं होती थी कि किसी लड़के को केवल हरिजन होने के कारण ही जला दिया जाये। अब ऐसी घटनायें हो रही हैं। इसी तरह गत 20 वर्षों में आदिवासियों से सारी भूमि छीन ली गई हैं। छोटा-नागपुर शिकमी अधिनियम तथा अन्य ऐसे अधिनियमों के अन्तर्गत गैर आदिवासियों को भूमि नहीं बेची जा सकती है परन्तु इन अधिनियमों में भी भारी त्रुटियाँ हैं। इसके परिणामस्वरूप जिन आदिवासियों के पास भूमि थी, वे भूमिहीन बना दिए गये हैं। छोटा नागपुर में विमुक्तियों के नाम पर भूमि आदिवासियों से गैर-आदिवासियों के हाथ में चली गई है।

Shri Molahu Prasad (Bansgaon) : The Government had formulated a Committee for Scheduled Castes and Scheduled Tribes . Five meetings of the Committee had been held but no definite result has been achieved.

The Ministry of Home Affairs had issued a memorandum regarding the recruitment and seniority of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Government services, but no details regarding the implementation of the provisions of the Memorandum has been given. The departments of the Government are not following instructions of Ministry of Home Affairs in this connection. We have not been given any information regarding its implementation. The information regarding the expenditure incurred on welfare schemes has not been made available. Not much can be expected of an incompetent Minister and an incompetent government.

Shri B. N. Kareel (Ramsnehighat) : The plight of Harijans and tribals has been pitiable since centuries. They are backward from social, economic and educational point of view. We expected the position to improve after we attained self-rule. Unfortunately it has not been so. If their problem had been tackled the way the problem of refugees from Pakistan had been tackled, it would have been solved by now. Keeping all these things in view the demand for appointing a high level committee had been voiced. I hope this Committee will be able to look into all those things and will be able to work for educational, social and economic uplift of those people.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : प्रस्ताव पर चर्चा के लिये एक घंटा बढ़ा दिया जाना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सभा में प्रस्ताव रखा जाये कि इस चर्चा के लिए समय एक घंटा बढ़ा दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यमंत्रणा समिति ने एक घंटे का समय दिया था। अतः मैं आपसे अपील करता हूं कि अब यह प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए क्यों कि हो सकता है,सायंकाल को गणपूर्ति ही न हो। अन्यथा अब वाद-विवाद स्थगित किया जाना चाहिए और इसे 7 बजे लिया जाना चाहिए।

श्री दिनकर देसाई (कनारा) : समिति के निर्देश-पद में यह कहा गया है कि यह समिति केवल केन्द्रीय सरकारद्वारा किये जाने वाले कार्यों पर विचार कर सकेगी। स्पष्ट है कि यह समिति राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं दे सकेगी। राज्य सरकारें इन लोगों की कल्याण सम्बन्धी योजनाओं पर काफी धन खर्च कर रही है। पिछले वर्ष उन्होंने 1 करोड़ रुपये खर्च किये। अतः इस समिति को राज्य सरकारों द्वारा किये जाने वाले कार्यों पर भी विचार करना चाहिए जैसे राज्य सरकारों के कार्यों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आयक्त द्वारा अपने वार्षिक प्रतिवेदन में विचार किया जाता है।

दुसरी बात यह है कि सरकार समझती है कि समितियों को नियुक्त कर देने मात्र से सभी समस्यायें हल हो जायेंगी। उनके द्वारा की गई सिफारिशों को अवश्य क्रियान्वित किया जाना चाहिए। परन्तु चूंकि सरकार इन लोगों के कल्याण के लिए अधिक खर्च नहीं करना चाहती है इसलिये समितियों की सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया जाता है। इस देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के 10 करोड़ लोग हैं। सरकार ने पिछले वर्ष इन पर केवल 14 करोड़ रुपये खर्च किये। यह राशि बहुत कम है। जब तक इसे बढ़ा कर 100 करोड़ रुपये नहीं कर दिया जाता तब तक ऐसी समितियों को नियुक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री चक्रपाणि (पोन्नाणि) : मैं सरकार द्वारा नियुक्त की जा रही समिति का स्वागत करता हूं। परन्तु प्रश्न यह उठता है कि क्या एक समिति नियुक्त कर देने से हरिजनों की समस्यायें हल हो जायेंगी। जब तक सरकार अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्ध में अपनी प्रतिकूल नीतियों का पुनरीक्षण नहीं करती तब तक इन लोगों की दशा में कोई सुधार नहीं हो सकेगा। हरिजनों के सम्बन्ध में सरकार का जो रवैया है वह बहुत ही निराशापूर्ण है। उदाहरणार्थ श्रीकाकुलम क्षेत्र में आदिम जातियों के लोगों को बेदखल किया जा रहा है और उनकी भूमि पर व्यापारी तथा भूस्वामी अपना कब्जा जमा रहे हैं। परन्तु जब मेरे एक साथी ने इस बारे में एक प्रश्न पूछा तो सरकार ने इस बात से इन्कार कर दिया। जब सरकार का यह रवैया है तो इस स्थिति में कुछ सुधार हो जायेगा इसकी कोई आशा नहीं है।

Shri Ramji Ram (Akbarpur): It is regretted that the Minister who should have moved the motion regarding the constitution of a Parliamentary Committee for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, is absent and this has now been moved by another Minister

on his behalf. This clearly shows the apathy of the Government towards the upliftment of those people. Nothing has been done to improve the lot of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people since' independence.

If the Government are earnest about solving the problems of S. C. and S. T. people, full powers should be given to the proposed Committee and its recommendations implemented.

Shri Shreekant has has been removed from his post because be used to point out the lapses on the part of the Government. Seventeen crores down-trodden people whether they have embraced Islam, Christianity or Budhism are living like animals. If proper steps are not initiated these people will be forced to press the demand for a separate State for themselves.

श्री शंकरानन्द (चिकोडी) : इस देश की कुल जनसंख्या का पाँचवां भाग अनुसूचित जातियों के लोग हैं। हमारे राष्ट्र का हित इस बात में है कि इन लोगों के हितों का ध्यान रखा जाये। परन्तु इन लोगों के प्रति सरकार का जो रवैया रहा है वह अच्छा नहीं रहा है। यही कारण है कि आज तक इन लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस देश में किसी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संस्था ने इन लोगों के नाम से कोई आन्दोलन नहीं चलाया है। यदि कोई आन्दोलन चलाया जाता है तो कोई भी सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर सकेगी। अतः अब समय आ गया है जब सरकार को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। जब तक किये गये विभिन्न उपबन्धों को वास्तव में क्रियान्वित नहीं किया जाता तब तक केवल कागजी कार्यवाही से ये लोग सन्तुष्ट नहीं होने वाले हैं। इसी प्रयोजन के लिए यह समिति नियुक्त की जा रही है। यह समिति इन जातियों के कल्याण के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् कोई हल ढूंढने तथा इसे क्रियान्वित करने के लिए सरकार को अपने सुझाव दे सकेगी। जब तक इस सरकार तथा राज्य सरकार के प्रशासन में हमें हिस्सा नहीं दिया जाता तब तक, मेरे विचार में, हम संतुष्ट नहीं होंगे क्योंकि अनुसूचित जातियों का कल्याण तो केवल अनुसूचित जातियों के लोग ही कर सकते हैं।

श्री ओ० यु० त्यागी (मुरादाबाद) : मैं अपना संशोधन संख्या 32 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह संशोधन अब सभा के समक्ष है।

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : खेद है कि मामूली बातों के लिए तो इतना समय नष्ट कर दिया जाता है। परन्तु उन लाखों लोगों के लिए, जिनकी बहनों को गाँवों में नंगे चलना पड़ता है और जिन्हें जिन्दा जला दिया जाता है, केवल आधा घंटा निश्चित करना भी कठिन मालूम पड़ता है। स्पष्ट है कि सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की समस्याओं की गम्भीरता को नहीं समझती है और इसीलिए इन लोगों के लाभ के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है।

इन पिछड़े हुए लोगों की देखभाल केवल एक ही अधिकारी करता है। उसने बड़े-बड़े प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं परन्तु उन्हें पढ़ता कौन है। उन्हें ऐसे ही फेंक दिया जाता है। यह पहली बार है कि यह मामला इस महान सभा में लाया गया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस समिति के होने से इन लोगों की कल्याण सम्बन्धी समस्या पर नये सिरे से विचार होगा और इसकी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जायेगा। इन शब्दों के साथ, मैं इस प्रस्ताव का

समर्थन करता हूं। आशा है कि इस सभा के सभी पक्ष इस समिति की सफलता के लिए कार्य करेंगे।

Shri Kamble (Latur) : In spite of the implementation of three Five Year Plans, there has not been any appreciable improvement in the lot of Harijans and other backward classes. Some efforts have no doubt been made, but they have not yielded the desired results. The motion, which has been brought forward by the Goverenment is welcome one and I congratulate the Government for it. The proposed committee should go into all aspects—economic, social, educational and religious of the welfare of these people. Such committees should be set up in every State and they should go from village to village to see what is being done and what more can be done.

श्री विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): आशा है कि प्रस्तावित समिति सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों पर विचार करेगी। यह एक संसदीय समिति होगी और यह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कार्यों की देखभाल करेगी।

इस समिति के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाने के लिये दो संशोधन संख्या 29 और 30 सरकार की ओर से प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अलावा श्री सिद्धय्या द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों के साथ-साथ संशोधन संख्या 34 और 35 को भी स्वीकार किया जा रहा है।

संशोधन संख्या 30 के बारे में चूंकि संशोधन संख्या 34 और 35 को स्वीकार किया जा रहा है अतः संशोधन संख्या 30 के भाग (3) को हटाना पड़ेगा।

आशा है इन संशोधनों को स्वीकार कर लेने से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के सम्बन्ध में सरकार के कार्यों पर विचार करने तथा प्रतिवेदन देने के लिए इस समिति को वे सभी शक्तियाँ प्राप्त हो जायेंगी जो प्राक्कलन समिति और अन्य समितियों को प्राप्त हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मंत्री महोदय ने दो और संशोधनों को स्वीकार कर लिया है और इन संशोधनों को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप उन्होंने अपने संशोधन में रूपभेद कर लिया है, मैं सदस्यों से अपील करता हूं कि वे शेष अपने संशोधन वापस ले लें। अन्यथा इन सभी को मतदान के लिए इकट्ठा रखा जायेगा।

श्री सोनावने (पेंढरपुर) : संशोधन संख्या 34 और 35 के अलावा मैं अपने सभी संशोधन वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सदस्य को अपने संशोधन वापस लेने की अनुमति है। संशोधन संख्या 29, 30, 34 और 35 को अलग से मतदान के लिए रखा जायेगा।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये

The amendments were by leave withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब संशोधन संख्या 29, 30, 34 और 35 मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है :

प्रस्ताव की कडिका 1 में, –

"(1) That a joint committee of the Houses ["(i) कि दोनों सदनों की संयुक्त समिति] के स्थान पर "(1)

(a) That a Committeee of both the Houses [(क) "(i) कि दोनों सदनों एक समिति"] शब्द रखे जायें।

(2) अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायें

"(b) That a Minister shall not be eligible for election as a Member of the Committee and that if a Member after his election to the Committee is appointed a Minister, he shall cease to be a Member thereof from the date of such appointment",

(ख) कि कोई मंत्री इस समिति का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा और यदि कोई सदस्य समिति में चुने जाने के बाद मंत्री नियुक्त कर दिया जाये तो वह नियुक्ति की इस तिथि से उसका सदस्य नहीं रहेगा (29)

प्रस्ताव की कंडिका 2 में,

(1) भाग (1) में

"before they are taken up for discussion by the Houses, and to report to both the Houses as to the measures that should be taken by the Union Government in respect of matters within the purview of the Union Government".

[सदनों द्वारा उन पर चर्चा किये जाने से पहले तथा दोनों सदनों को उन उपायों के बारे में जो संघ सरकार के क्षेत्राधिकार के मामलों के संबन्ध में संघ सरकार को करने चाहिए प्रतिवेदन दे]" के स्थान पर

"and to report to both the Houses as to the measures that should be taken by the Union Government in respect of matters within the purview of the Union Government including the Administrations of the Union territories".

["क्या दोनों सदनों को उन उपायों के बारे में, जो सदा राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों सहित संघ सरकार के क्षेत्राधिकार वाले मामलों के सम्बन्ध में संघ सरकार को करने चाहिए, प्रतिवेदन दे"] शब्द रखे जायें।

(2) भाग 2 में,--

"Union Government ["संघ सरकार"] के बाद "and the Administration of the Union Territories ["तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासन"] शब्द जोड़ दिये जायें।

(4) भाग (4) के बाद

"(v) to consider generally and to report to both the Houses on all matters concerning the welfare of the Scheduled Castes and ScheduledTribes which fall within the purview of the Union Government including the Administrations of the Union territories"

["(5) सामान्य रूप से विचार करने तथा संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासनों सहित संघ

सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण सम्बन्धी सभी मामलों के बारे में दो सदनों का प्रतिवेदन देने"]

शब्द जोड़े जायें। (30)

कि प्रस्ताव में—

कंडिका 2 के भाग 3 में—

"under its control" ["उसके नियंत्रणाधीन"] शब्द के बाद ("including appointments in the public sector undertakings, statutory and semi-Government Bodies and in the Union territories)".

["(सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, सांविधिक तथा अर्द्धसरकारी निकायों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में नियुक्तियों सहित)"]

शब्द जोड़े जायें।(34)

कि प्रस्ताव में,—

कंडिका 2 के भाग (4) के बाद,

"(v) to examine such of the matters as may seem fit to the Committee or are specifically referred to it by the House or the Speaker".

((5) ऐसे मामलों की जाँच करने, जिन्हें समिति उचित समझे अथवा सभा, या अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट रूप से उसे सौंपे जायें")

शब्द जोड़ दिये जायें। (35)

संशोधन स्वीकृत हुए

The amendments were adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांगों के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : DEMANDS OF CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

Shri Kanwar Lal Gupta : (Delhi-Sadar) : I beg to move :

कि यह सभा आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन दिये जाने और महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाने की केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की माँगों को मध्यस्थता के लिए सौंपने से सरकार के इन्कार पर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि वह इन माँगों को मध्यस्थता के लिए सौंपे।"

(1) The main demands of the Government employees are:

(2) need-based minimum wage should be given to the employees ; (2) shortfall in the real wages should be fully neutralised; (3) dearness allowance should be merged with pay ; and (4) no change should be made in the present retirement age.

In orderto get these demands accepted by Government, the Government employeecs should either launch an agitation or enter into negotiations with the Government. There is no other course which the employees can adopt.

In 1960, when the Government employees had gone on a strike, the top leaders at the Centre had desired to have some machinery on the basis of Whitle Council in England which could go into the hardships and grievances of the employees and settle all matters by conciliation, negotiation and if necessary by reference to arbitration. This was a new approach which they have adopted at that time. Accordingly a scheme of a joint consultative machinery had been inaugurated in 1966. At that time, the late Prime Minister, Shri Jawahar Lal Nehru, had stated in a message that the Government employees were members of a family of the Government.

प्रधान मंत्री ने कहा था कि सरकारी कर्मचारी सरकार रूपी एक परिवार के सदस्य हैं। उन्हें देश की जनता के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण कार्य करना है। उसी अवसर पर श्री नन्दा ने कहा था कि मध्यस्थ निर्णय की व्यवस्था होने से सीधी कार्यवाही या आन्दोलनात्मक रवैया समाप्त हो जाना चाहिए ।

This scheme was finalised and inaugurated with hope that all differences between employees and Government would be solved in a spirit of goodwill. These views were expressed by Government at that time.

It is very unfortunate that Government has acted against the spirit of the Joint Consultative Machinery.

As there was some difference between the representatives of employees and Government the matter, as provided under J. C. M., should have been referred to arbitration.However the Government backed out on this issue of its promises. According to Section 13 of the constitution of Joint Consultative Machinery the scheme provides for compulsory arbitration.

Now this deadlock was Government's creation. It is the Government which has backed out and has not acted in accordance with the agreement laid down. I hold this Government guilty of breach of trust. It has betrayed the Government employees. Now if under compulison they start some agitation, the entire responsibility would be that of the Government.

The Government has closed the door of reconciliation.

I am pained to say that Government has acted in a very arbitrary manner. On the one hand they say that the employees are the members of one family, on the other they want to add to the difficulties of those members of the family. This will have adverse effect on sheir efficiency.

So far as the demand of need-based minimum wage is concerned, Government had agreed to this demand. It was on 9-8.60 that the then Labour Minister Shri Nanda had made asta tement in this regard in Parliament. Today Shri Morarji Desai is against this. I cannot understand this. It is the same party that was in power in 1960.

Our Constitution provides for joint Government responsibility. If one Minister says something, it is the word of entire Government. Government has not been able to fulfil that promise after such a long time.

In case Government is not in a position, it should agree in principle and give a token relief for the present.

The cost of living is going up. It hits hard the salaried class, Sometime the prices are raised by unscrupulous people without any basis Government shuld neutralise fully the

dearness. A machinery should be set up to determine the cases of rise in prices of essential commodities. It should be seen whether it is genuine or man made-Government has not taken any action on the Report of Monopolies Commission.The procedure of distribution requires reorientation. It is faulty. Dearness Allowance should be merged with pay. It is not going to put any additional burden on Government

I appeal to the hon. Minister to take a realistic view and not adopt a rigid attitude.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन दिये जाने और महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाने की केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की माँग को मध्यस्थता के लिये सौंपने से सरकार के इन्कार पर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि वह इन माँगों को मध्यस्थता के लिये सौंपे ।"

इस पर दो संशोधन हैं ।

श्री श्री० अ० डांगे : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस प्रस्ताव के प्रस्तुतकर्ता के समान ही हमें भी सरकारी कर्मचारियों से सहानुभूति है। संयुक्त सलाहकार मशीनरी के बनाये जाने का उद्देश्य सरकार और कर्मचारियों के बीच सौहाद्र तथा शान्तिपूर्ण वातावरण बनाये रखना था। उनके मतभेदों को समाप्त

[श्री गाडिलिंगन गौड़ पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

करना था। हमें इस प्रकार के विषयों में राजनीति को नहीं घसीटना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। इस प्रकार के मामलों को दलगत भावनाओं से प्रेरित होकर नहीं उठाया जाना चाहिए। हम समूचे राष्ट्र के लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने में लगे हुए हैं। हमारे देश में बहुत से वर्ग हैं।सरकारी कर्मचारी उनमें से एक वर्ग हैं। केवल एक वर्ग की सभी माँगों को कैसे पूरा किया जा सकता है ।

सरकार ने कई वेतन आयोग नियुक्त किये हैं। यह देखा गया है कि जैसे ही सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाती है, छोटे व्यापारी साथ ही साथ वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि कर देते हैं। ससे लोगों की मुश्किलों में वृद्धि हो जाती है। हमें समूचे आर्थिक प्रश्न एक साथ हाथ में लेना होगा ।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि इसे मध्यस्थता को सौंप देना चाहिए। इस रिपोर्ट में उन विषयोंके नाम दर्ज है कि जिनको मध्यस्थ को सौंपा जायेगा । इसका पूरा अध्ययन किया जाना चाहिए। मध्यस्थता के लिए कुछ विषयों जैसे—वेतन, भत्ता आदि—का इसमें उल्लेख है। माननीय सदस्य की माँग इस मशीनरी के क्षेत्राधिकार में नहीं आती। अतः सभी कर्मचारियों के वेतनों के मामले को मध्यस्थ निर्णय के लिये नहीं सौंपा जा सकता ।

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई मध्य-दक्षिण) : हम बहुत अर्से से इस कोशिश में हैं कि पूंजीपतियों और श्रमिकों के बीच के विवादों को शान्तिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सके। सरकार को

भी मैं मालिकों में शामिल करता हूं। मध्यस्थता के प्रश्न पर गाँधी जी ने 1918 में अहमदाबाद के मिल मालिकों के विरुद्ध आन्दोलन चलाया था। इसमें गाँधी जी को सफलता मिली।

सरकार पहले अपने आप को एक विशेष दर्जे का मालिक मानती थी। फिर इसने कर्मचारियों के हड़ताल के अधिकार को स्वीकार नहीं किया। अन्त में यह माना कि मतभेद की स्थिति में मध्यस्थ निर्णय का सहारा लिया जायेगा। परन्तु खेद की बात है कि अब उस पर भी अमल नहीं किया जा रहा। अब सरकार अपने किये हुए समझौते से हट गयी है।

मैं वित्त मंत्री को देश के मजदूरों का दुश्मन नम्बर एक मानता हूं। 1957 में कई सम्मेलन हुए थे और सरकार ने आवश्यकता के अनुसार न्यूनतम मजूरी देने के सिद्धान्त को स्वीकार किया था। कुछ समय पश्चात् श्री मोरारजी देसाई, वित्त मंत्री, ने उस समझौते से इन्कार कर दिया।

दूसरे वेतन आयोग ने विभिन्न ग्रेडों की संख्या में कमी की परन्तु फिर भी उनकी संख्या बहुत अधिक है। हमने माँग की कि अखिल भारतीय मजूरी बोर्ड बनाया जाये जो सभी उद्योगों में लगे कर्मचारियों के वेतनों पर विचार करे और अपनी सिफारिश दे। एक पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था में मजूर के बारे में ऐसी गड़बड़ होना स्वाभाविक ही है। हम चाहते हैं कि इस सम्बन्ध के कोई निश्चित नीति बनायी जानी चाहिए।

अब सरकार बड़े-बड़े उद्योगपतियों के दबाव में आकर सभी समझौतों का उल्लंघन कर रही है। इससे मजदूरों के हितों और अधिकारों का हनन होता है। इसमें राजनीति का कोई प्रश्न नहीं है। सरकार ने एक के बाद उद्योग के मजदूरों के बारे में मजूरी बोर्डों के निर्णयों को अस्वीकार किया है। अब सरकार ने मध्यस्थता के सिद्धान्त को स्वीकार करने के बाद इन्कार कर दिया है। अब हम यदि आम हड़ताल की बात करें तो वह अनुचित नहीं होगा। यदि हड़ताल होती है तो सरकार को हड़ताल करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। सरकार को रेलवे, डाक तथा तार, तथा ऐसे और विभागों के कर्मचारियों को प्रशासनिक वर्ग के कर्मचारी नहीं मानना चाहिए।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि निर्यात के लिए प्रोत्साहन के रूप में 100 करोड़ रुपये की राजसहायता देने का निर्णय किया गया? यहाँ का बजट व्यापारी वर्ग की इच्छा के अनुसार बनाया जाता है। हमारी सरकार व्यापारी वर्ग की इच्छाओं को कार्यरूप देते है। जब हम महंगाई के बराबर महंगाई भत्ते की माँग करते हैं तो हमें यह उत्तर दिया जाता है कि वे मूल्यों को निश्चित नहीं करते। वास्तव में आज कल एकाधिकारी मूल्य निश्चित करते हैं। मूल्यों को गिरने से रोकने के लिए मुद्रास्फीति के यंत्र का उपयोग किया जाता है। यह कहा जाता है कि मजूरी बढ़ाने पर मूल्यों में वृद्धि होती है। यह बात ठीक नहीं है। वास्तव में व्यापारी वर्ग को मजूरी की वृद्धि होने का पहले ही पता चल जाता है और वे पहले ही वस्तुओं के दाम बढ़ा देते हैं। वास्तव में दो या तीन फर्में अपनी इच्छानुसार मूल्य निश्चित करती है क्योंकि उत्पादन पर उनका नियंत्रण है।

आज कर्मचारी वर्ग पहले से कहीं अधिक संगठित हैं। आज औद्योगिक कर्मचारी ही नहीं, बुद्धिजीवी कर्मचारी भी संगठित हैं। देश में वेतन पर निर्वाह करने वाला समस्त वर्ग अब संगठित हो चुका है। इस संगठन का लाभ उठाकर अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में भी सामूहिक सौदेबाजी की अपेक्षा रहती है। मजूरी और सेवा की शर्तों के समायोजन की आवश्यकता है। परन्तु यदि इस प्रकार का वातावरण नहीं बनाया जाता तो देश में अराजकता फैल जायेगी।

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : It may be pointed out that workers are instigated to go on strike and thereafter they are left in lurch. The same thing happened with the policemen who went on strike. I want to say that leaders who instigate them to go on strike should not behave like this. They should not play with the lives of the workers. Now so far the question of demands by Government employees is concerned, they will continue to step up. In fact there are many categories of Central Government employees. They have many types of complaints. It is alleged that many employees who had joined later have been made permanent earlier. The interests of high officials safeguarded by them do not bother about the lower categories of staff. It is nothing but mess in the services. The question of disparity in the pay-scales is there but the reason for discontentment is psychological. If Government employees are taken into confidence and their difficulties are removed then there will be better understanding. Any issue between Government servants and the Government should be settled by negotiations.

I would also like to point out that political institutions try to divide the unions of employees. In my opinion if there is only one union, the number of disputes would be less. Therefore they should not divide the unions.

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस प्रस्ताव में सरकार को अपना वचन पूरा करने के लिये कहा गया है। यह मामला बिल्कुल स्पष्ट है। यदि सरकार यह महसूस करती है कि वे न्याय कर रहे हैं तो उन्हें इस मामले को मध्यस्थ के निर्णय के लिये सौंपने से नहीं डरना चाहिए। किसी भी प्रकार के तर्क देने से कर्मचारियों को उनके प्राप्त अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। यह एक राष्ट्रीय एवं आर्थिक समस्या है। अतः यदि सरकार इस समस्या का समाधान स्वयं कर लेती है तो दूसरे लोगों को इस मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।

यह तर्कसंगत नहीं है कि महंगाई भत्ता दिये जाने से मूल्यों में और वृद्धि हो जाती है। इस प्रश्न पर गजेन्द्र गडकर आयोग ने विचार किया था। इस आयोग के प्रतिवेदन में लिखा है कि इस तर्क से जनता के एक विशाल वर्ग को जीवन-निर्वाह के न्यूनतम स्तर से नीचे रखने की बात का समर्थन नहीं किया जा सकता। मूल्यों की वृद्धि के कारण ही कर्मचारियों ने अपने वेतनमानों और महंगाई भत्ते में वृद्धि की माँग की है।

जहाँ तक मूल वेतन में मंहगाई भत्ते को मिलाने का सम्बन्ध है, संसार में कहीं भी वर्षों तक मंहगाई भत्ता नहीं दिया जाता। गजेन्द्रगडकर आयोग के प्रतिवेदन में भी लिखा है कि पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी अन्य देश में महंगाई भत्ते को वेतन का अनुपूरक अंग नहीं बनाया गया है। यह एक अस्थायी व्यवस्था हो सकती है। अब जब कि मूल्यों में पहले

ही वृद्धि हो चुकी है सरकार को मूल वेतन में महंगाई भत्ते को मिलाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए।

इस वर्ष हम गांधी शताब्दी मनाने जा रहे हैं। उनका कहना था कि दरिद्र वर्ग को राहत देने के लिए हम स्वराज्य प्राप्त करने का संघर्ष कर रहे हैं। परन्तु अब दरिद्र वर्ग महादरिद्र वर्ग बनता चला जा रहा है। आज उनके वचनों का पालन नहीं किया जा रहा है। जब बड़े-बड़े अधिकारी और मंत्री इतना अधिक वेतन ले सकते हैं तो उन्हें सिद्धान्त और तर्क कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के प्रति भी अपनाने चाहिए जो वे अपने विषय में बताते हैं।

वेतन यह महंगाई भत्ते में वृद्धि की मांग का मुख्य कारण मुद्रास्फीति है। मूल्य में वृद्धि और मुद्रास्फीति के कारण व्यापारियों और उद्योगपतियों को असाधारण लाभ हुआ है। परन्तु वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा दरिद्र वर्ग की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अतः सरकार को वेतनों में संशोधन करने और उनमें महंगाई भत्ते को मिलाने पर विचार करना चाहिए।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The question of dearness has not affected only white-collared class, it has affected the entire working class. It is very difficult to meet minimum requirements of a family with Rs.200 or Rs.300 in a city like Delhi. Therefore there is no question of any party interest. Therefore political parties should not exploit this situation to achieve their own interests. This question is not limited to Central Government servants only but it is the problem of entire salaried class. In order to deal with this problem Government should bring an end to the rise in prices. But in spite of their efforts they have failed to achieve any useful result. Government should set up a committee which should go into the entire question.

In fact plight of the poor section of the society is deplorable. Political parties are simply exploiting the situation. I fully sympathise with the entire working class. Government should also keep in view the interests ofour jawans who are guarding our frontiers. I would request the hon'ble Home Minister to withdraw all the cases against the striping police-men as they have already sufficiently been penalised.

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने कुछ मूलभूत मांगें उठाई हैं और इन मांगों को पूरा करवाने के लिए वे 19 सितम्बर को सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। निम्नतम श्रेणी के कर्मचारियों के लिए न्यूनतम जीवन निर्वाह निश्चित किया जाना चाहिए और उसी के आधार पर उसी अनुपात से वेतन-मान निश्चित किये जाने चाहिए, दूसरे जीवन निर्वाह लागत के सूचकांक की शतप्रतिशत प्रतिपूर्ति का हिसाब लगा कर उन्हें उसकी अदायगी की जानी चाहिए और महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया जाना चाहिए। उनकी ये मुख्य मांगे हैं।

यह कहा गया है कि सरकार ने अपने कर्मचारियों को कई बार महंगाई भत्ता दिया है। परन्तु यदि वर्ष 1947 की स्थिति की तुलना आज की स्थिति के साथ की जाये तो हमें सही स्थिति का पता चल सकता है। यदि वर्ष 1947 में जीवन निर्वाह के सूचकांक को 100 मान लिया जाये तो उस समय न्यूनतम वेतन 55 रुपये था। इस हिसाब से वर्ष 1968 के पहले तीन महीनों में जीवन निर्वाह का सूचकांक 370 होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकारी

कर्मचारी जो वस्तुएं 1947 में 55 रुपये में खरीदता था, अब उन्हीं वस्तुओं को खरीदने के लिए 162 रुपये मिलने चाहिए। परन्तु सभी भत्तों के बावजूद भी 1968 के पहले तीन महीनों में उसे 129 रुपये मिल रहे थे। इससे यह स्पष्ट है कि उनका वेतन 20 प्रतिशत कम हो गया है। आज सरकारी कर्मचारी अपने जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं बल्कि वे इस कटौती को पूरा करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जब भी अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं तो देहाती जनता की न्यूनतम आय और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आय में विषमता का प्रश्न उठाया जाता है। परन्तु इसके साथ-साथ मंत्रियों के वेतन पर भी विचार करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाये तो इससे 1 से 100 का अनुपात की विषमता रहेगी। मंत्रियों के वेतन निश्चित करते समय यह तर्क नहीं दिये जाते।

वित्त मंत्री ने कहा था कि यदि महंगाई के बराबर महंगाई भत्ता दिया जाये तो 102 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। उनका कहना है कि इस धनराशि को जुटाने के लिए करदाताओं पर बोझ पड़ेगा। परन्तु इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमेंट, कोयला और चीनी उद्योगों की उनकी मल्यों में वृद्धि करने की मांगें क्यों स्वीकार की गयी हैं? क्या इससे जनता पर बोझ नहीं पड़ेगा? परन्तु सरकार के विचार से केवल सरकारी कर्मचारियों की मांग पूरा करने से करदाता पर बोझ पड़ता है। इससे यह स्पष्ट है कि यह सरकार पूंजीपतियों की समर्थक है।

समझौता करवाने की सभी व्यवस्थाएं इस समस्या को हल करने पर असफल हो गयी हैं। त्रिपक्षीय समिति, वेतन आयोग, संयुक्त सलाहकार परिषद जिसमें मध्यस्थता की बात भी सम्मिलित है और मजूरी बोर्ड सभी असफल हो गये हैं। इसलिए अब वे हड़ताल करने जा रहे हैं। इस हड़ताल में जीवन बीमा निगम, बैंकों तथा राज्य सरकारों के सभी कर्मचारियों को सम्मिलित होना चाहिए।

Shri S. M. Joshi (Poona) : Mr. Chairman, the matter before this House is very important and serious. Mrs. Tarkeshwari Sinha tried to prove that the workers have no right to ask for arbitration. In order to know the history of J. C.M. we will have to go into the history of 1960 strike of Central Government employees. They went on strike because their demand for increase in D. A. was not accepted.

We do not want that strike should take place, it is not in the nations interest. Moreover the strike is the last weapon. First of all some reasonable demands are put by the employees. If they are not accepted then the negotiation stage comes. At this stage labour leaders also try to persuade Government to accept the demands. Then collective bargaining is made. If all efforts fail, then last of all strike is resorted to. The difficuity is that if strikes are not done, the demands are accepted. Strikes are not desirable. Then what is the way out? The Joint consultative Machinery was made as the alternative solution with the purpose of settling the matter of differences. The labour disputes should be referred to arbitration. The matter of need-based wage is also a labour matter and this should be referred to arbitration. If Government do not favour to this Idea, they should try to find out some other method for settling the labour disputes. But Government is doing nothing in this direction. This is not only

a case of Central Government Secretarial staff, but it is the case of Railway and Defence employees also.

Though we are told that J. C. M. is a machinery to tackle with such problems. But now Government is backing out of its commitment. Shri Chavan says that poslitics has entered into this question. But difference on certain matters cannot be said as politics. We are represen-tative of workers. Politcs is not our profession but it is our mission also. We are prepared to sit on round tabe with Shri Chavan to discuss the matter of need-based wages but not on the issue whether this question is arbitrable or not ?

We do no want that strike shoud take place. We do not want to put the workers in danger. We do not favour that Government machinery shoud be paralized and the country as a whole should be put to loss. Yet we want that worker should be given justice. If they are not given fair deal they will not be in a position to render service in a better way. Their proficiency will be jeoparadized. Government should feel itself morally responsible for the well-being of its employees and workers. Government fulfils its commitment given in agreements with foreign countries while violates the commitments given to its own employees. Government have refused to accept the just demands of the Government workers. Now this is the last weapon with the employees i. e. the strike. They propose to go on strike on 19th September, 1968 and the Government will be responsible for its consequences, because the agreement has been violated by Government itself.

Shri A. S. Siagal (Bilaspur) : Mr. Chairman, I agree with the view that Central Government employees should be given assistance. At the same time we have to see whether we can help them within our limited resources. For finding out a way of giving assistance to them negotiations should be held. The people who intend to go on strike on 19th September should imagine the loss the public exchequer will suffer on account of one day's token strike. After all they are also responsible for saving public exchequer from such colossal loss. I am of the opinion that the benefit of the increase should go to the employees of all Departments or Ministries including Defence Organisations etc. But I think that at present our economy is not in a position to bear such a great burden. While favouring the demand of employees for increase in dearness allowance, I would like to emphasize one thing that work-load for every employee should be fixed. Quota-system for getting work from every worker should ba fixed. If he fails to complete his quota in time he should be penalized for that by deducting their salaries proportionately. In the end I again say that in the existing circumstances our Government is not in a position to bear the expenditure involv-ed in acceptance of all the demands of Central Government employees. With these words I conclude.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : सभापति महोदय, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने 1960 में जो हड़ताल की थी उससे हमें तीन सबक सीखने चाहिए। उस हड़ताल से मैं निम्नलिखित तीन निष्कर्ष निकलता हूँ। पहला यह कि सरकार ने कर्मचारियों के लम्बे संघर्ष के पश्चात् सर-कार ने पंच-फैसले के सिद्धान्त को स्वीकार किया।

दूसरा यह था कि इससे कांग्रेस दल की वह झूठी पोल खुल गई जो समाजवादी समाज की स्थापना के नारे के आवरण से ढकी हुई थी। श्री चव्हाण को यह मालूम होना चाहिए कि समाजवाद कानून द्वारा नहीं लाया जा सकता। उसकी पहले नींव तैयार करनी पड़ती है और उस नींव पर समाजवाद का प्रासाद खड़ा किया जाता है। समाजवाद की स्थापना के लिए पहले

समाज-कल्याण की भावना को क्रियान्वित करना होगा और उसके पश्चात् ही वास्तविक समाज का भवन खड़ा होगा। समाजवाद की दिशा की ओर बढ़ते हुए हमें कुछ साथियों के सहयोग की आवश्यकता होगी। यह सहयोग आई० सी० एस० अधिकारियों से प्राप्त नहीं होगा बल्कि अन्य कर्मचारियों से प्राप्त होगा, जिनकी संख्या लगभग 25 लाख है, और जो सरकार की प्रशासकीय मशीनरी को चलाते हैं। यदि ये लोग समाजवाद लाने के लिए कटबद्ध हो जायें तो अवश्य ही समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अतः ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाना चाहिए जिससे ये लोग हतोत्साह हों या उनका मनोबल टूट जाये।

मजदूर नेताओं को तीसरा सबक 1960 की हड़ताल से यह लेना चाहिए कि उन्हें ऐसे समय पर जब कि संसद का सत्र न चल रहा हो हड़ताल की घोषणा से पूर्व भली-भांति सोच लेना चाहिए, क्योंकि संसद के सभावसान सेसरकार लाभ उठाती है, और हड़ताल का दमन करने के लिये वह नृशंस से नृशंस कार्यवाही करती है। पिछली हड़ताल में लगभग 20 लाख कर्मचारियों को हड़ताल के परिणामस्वरूप हानि उठानी पड़ी थी और लगभग 12000 कर्मचारी लम्बे समय तक बेकार रहे।

यह कहना बिल्कुल गलत है कि प्रस्तावित हड़ताल राजनीति की चाल-मात्र है। 1960 की हड़ताल के समय पंडित जवाहरलाल ने एक गोपनीय पत्र में यह स्वीकार किया था कि सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का कारण सरकार की नीति है। श्री गुलजारीलाल नन्दा ने भी आवश्यकता पर आधारित मजूरी का समर्थन किया था। 12 वर्ष के लम्बे संघर्ष और भारत सरकार को तीन वर्ष तक समझाते रहने के पश्चात् अनिवार्य मध्यस्थ-निर्णय का सिद्धान्त स्वीकार किया गया था। सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच जो समझौता हुआ था उसकी प्रस्तावना में लिखा है :—

"भारत सरकार ने अनिर्णीत विवादों के निर्णय के लिए संयुक्त परामर्श तथा मध्यस्थ निर्णय के लिए एक संस्था स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्णय किया है।"

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

सरकार ने यह संयुक्त परामर्श संस्था का गठन 1962 में कर तो दिया परन्तु क्या उसे उचित रूप से काम करने दिया गया है। इसके काम करने के लिए अभी उचित अवसर आया था और अभी सरकार अपने वचन से मुकर रही है। यदि सरकार के सामने कुछ कठिनाइयाँ हैं तो उन्हें बातचीत के माध्यम से दूर किया जाना चाहिए। अब हमारे सामने हड़ताल का मसला है। हम यह अच्छी प्रकार जानते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को इसके लिए भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा। फिर भी ठंडे दिल से सोचने के बाद हमें यह निर्णय करना पड़ा कि यदि हम श्री चव्हाण को राजी करने में असफल रहे तो हड़ताल करना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में जब कि शेष सब मार्ग बन्द हो गये हों तो जिम्मेदारी के साथ हड़ताल करने का अधिकार कर्मचारियों के पास अवश्य रहना चाहिए। यह अधिकार लोकतंत्र के लिए भी आधार स्तम्भ है। वस्तुतः सरकार के सामने अब विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि वह महंगाई भत्ते को मिलाने की बात मानती

है तो उसे आवश्यकता पर आधारित मजूरी की बात को भी मानना होगा जबकि सरकार महंगाई भत्ते को मिलाने की बात को तो स्वीकार करने के लिए तैयार है परन्तु वह आवश्यकता के अनुसार मजूरी की बात मानने के पक्ष में नहीं है, और इसे मध्यस्थ निर्णय के लिए भी सौंपना नहीं चाहती। मेरे विचार से सरकार अब अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक नहीं है। यदि सरकार अपने कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य सुविधाएं देकर प्रसन्न नहीं कर सकती तो वह पूंजीपतियों से किस नैतिकता के आधार पर यह कह सकती है कि वे अपने कर्मचारियों की काम की दशा सुधारें।

अन्त में मेरा यह निवेदन है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं श्री जोशी के रचनात्मक सुझाव का समर्थन करता हूं कि हमें झूठी प्रतिष्ठा की बात छोड़कर बातचीत के माध्यम से कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे हड़ताल टाली जा सके। अन्यथा जो भी कुछ होगा उसके लिए सरकार ही जिम्मेदार होगी।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं संक्षेप में कुछ बातों के उत्तर देना चाहता हूं। समस्या बड़ी न होते हुए भी महत्वपूर्ण है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने रचनात्मक प्रवृत्ति अपनाने की बात कही है। मैं आशा करता हूं कि वे न केवल अपने भाषणों में बल्कि अपने कार्यों में भी रचनात्मक रहेंगे। जो बात उन्होंने कही है उसे मनवाना ही तो रचनात्मकता का द्योतक नहीं है। कुछ सदस्यों ने समाजवाद की बात भी कही है। परन्तु केवल मांगों से ही तो समाजवाद नहीं बन जाता। समाजवाद बनता है अर्थव्यवस्था और सामाजिक मूल्यों से जिनसे राष्ट्रीय आय के वितरण का मार्ग-दर्शन होता है।

इस समय हमारे सामने दो मांगें हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। एक है महंगाई भत्ते का वेतन के साथ समावेश और दूसरी आवश्यकतानुसार न्यूनतम वेतन से सम्बन्धित है। यदि आप संयुक्त परामर्श संस्था और अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय से सम्बन्धित नियमों और उसमें निहित भावना को देखें तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय को स्वीकार तो किया गया था परन्तु उसका क्षेत्र बहुत सीमित कर दिया गया था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अनिवार्य मध्यस्थ निर्णय का सिद्धान्त बिना शर्त के नहीं था अर्थात् वह कुछ बातों में क्रियान्वित किया जाने वाला है तथा कुछ में नहीं। मध्यस्थ-निर्णय को क्रियान्विति के योग्य बनाने के लिए उसका कोई निश्चित स्वरूप तो स्थिर करना ही होगा। आवश्यकतानुसार न्यूनतम मजूरी के प्रश्न को मध्यस्थता के लिए सौंपने का आग्रह किया जा रहा है। परन्तु जब आवश्यकतानुसार न्यूनतम मजूरी की बात कही जाती है वह एक वर्ग विशेष के लिए कही जाती है। यह मांग समाजवाद से भी मेल नहीं खाती क्योंकि इसमें एक वर्ग विशेष को ही जो सुसंगठित है, जो हड़ताल करके सामान्य नागरिक जीवन को अस्त-व्यस्त कर सकता, आवश्यकतानुसार न्यूनतम मजूरी दिये जाने की मांग कही जाती है जबकि यह सिद्धान्त सम्पूर्ण देश में सब वर्गों के श्रमिकों के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। फिलहाल देश की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह सब मजदूरों को आवश्यकतानुसार न्यूनतम मजूरी देने की हामी भर सके। इसके लिए देश

की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना होगा। यह समस्या राष्ट्रीय स्तर की समस्या है जिसके समाधान से पूर्व उससे सम्बन्धित आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सभी पक्षों पर विचार करना होगा।

हमारे विचार से यह विषय ऐसा है जिसे मध्यस्थ निर्णय के लिये नहीं सौंपा जा सकता। फिर भी हम इस बात पर मजदूर नेताओं से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। परन्तु उन्होंने बातचीत करने से इन्कार कर दिया है। क्या यह रचनात्मक प्रवृत्ति है ? मैं पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इन दोनों मांगों पर विचार-विमर्श करने को तैयार हैं। जहां तक महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाने की बात है, इस बात पर मैं मध्यस्थ निर्णय की सम्भावना का भी खंडन नहीं करता। परन्तु आवश्यकतानुसार न्यूनतम मजूरी के प्रश्न को हम मध्यस्थ निर्णय के लिए सौंपने को तैयार नहीं हैं, चूंकि हम उस मांग को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी के विषय पर श्रम आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

Shri Rabi Ray : Refer it also to the National Labour Commission

श्री यशवन्तराव चव्हाण : पहले का काम तो पूरा होने दो। संक्षेप में हमें सरकारी कर्मचारियों के साथ पूरी सहानुभूति है। हम महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाए जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये तैयार हैं और यदि उसका कोई परिणाम नहीं निकलता तो हम इसे मध्यस्थ को सौंपने के लिये तैयार हैं। जरूरत पर आधारित न्यूनतम मजूरी के मामले में मध्यस्थता का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री नाथ पाई : प्रश्न तो महंगाई के निराकरण का था। सरकारी कर्मचारियों को 1968 में भी नहीं कुछ मिल रहा है जो उन्हें 1947 में मिल रहा था। हम तो महंगाई के प्रभाव को दूर करने के बारे में सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहते हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस मामले में तो आपस में बातचीत से ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपना स्थानापन्न प्रस्ताव रखता हूं। वस्तुतः हमें गृह मंत्री से कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियो के नेता इस बारे में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हैं। संयुक्त सलाहकार परिषद के संकल्प को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मामला चाहे यह कर्मचारियों का वेतन, भत्ता या अवकाश आदि हो—मध्यस्थ को सौंपा जा सकता है। प्रश्न यह है कि क्या कर्मचारियों के प्रतिनिधि इस मामले में वर्षों तक विचार-विमर्श करते चले जायें। मंत्रीमंडल की उप-समिति तथा संयुक्त सलाहकार परिषद् के सभापति द्वारा न्यूनतम मजूरी तथा महंगाई भत्ते के विलय की मांग नामंजूर किये जाने के बाद इन दोनों मांगों को मध्यस्थ को सौंपा जाना चाहिये था। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को मंत्रिमंडल की उप-समिति से बातचीत करने के लिए अवश्य कहा गया था परन्तु बातचीत का विषय तो केवल-मात्र यही था कि इस मामले को मध्यस्थ को सौंपा जाना चाहिये अथवा नहीं। मजे की बात यह है कि उप-समिति मध्यस्थता के प्रश्न को ही मध्यस्थ को सौंपना चाहती थी। वे साफ-साफ कह सकते थे कि हम इसे मानने की स्थिति में नहीं हैं। हम उस बात

को समझ सकते थे परन्तु वे तो शब्दों की हेर-फेर से 27 लाख सरकारी कर्मचारियों को मध्यस्थता की उनकी जायज मांग से वंचित रखना चाहते हैं। कर्मचारियों की संयुक्त कार्यवाही परिषद् के प्रतिनिधि के रूप में यहां पर यह कहना चाहता हूं कि हम इस प्रश्न पर तब तक विचार-विमर्श करने के लिए तैयार नहीं हैं जब तक सरकार यहां पर अभी यह फैसला नहीं कर लेती कि इन मामलों को मध्यस्थ को सौंपा जायेगा।

हमें पता है कि सरकार इस मामले को मध्यस्थ को क्यों नहीं सौंपना चाहती। क्योंकि उनका पक्ष कमजोर है। उन्हें पता है कि यदि ऐसा किया गया तो कमचारियों को जरूरत पर आधारित वेतन देना पड़ेगा और महंगाई भत्ता वेतन में जोड़ना पड़ेगा।

श्री चव्हाण को सुनने के बाद हमें आशा थी कि उपप्रधान मंत्री कोई वक्तव्य देंगे परन्तु हमारी यह आशा फलीभूत नहीं हुई है। यदि श्री चव्हाण का उत्तर सरकार का अन्तिम फैसला है तो मैं यह बता देना चाहता हूं कि "इंटक" की जो कि इस सरकार की दास है पृथकवादी प्रयत्नों के बावजूद सभी सरकारी कर्मचारी 19 सितम्बर को हड़ताल करेंगे और सरकार की दमनकारी नीति के सामने नहीं झुकेंगे।

श्री सेवकीरा (मरमागोआ): हमारे देश में लोगों की आय में बड़ी विषमता है। ऐसी स्थिति में सरकार को तो जरूरत पर आधारित न्यूनतम मजूरी सम्बन्धी किसी भी आन्दोलन में सबसे अग्रणी होना चाहिए। श्रमिक विवादों को हल करने में सरकार ने त्रिपक्षीय पद्धति अपनाई है। इस प्रणाली के अन्तर्गत यह सरकार ही समझौता कराने वाले के रूप में कार्य करती है और बहुत से मामलों में मध्यस्थ के रूप में अपना फर्ज अदा करती है। यदि वह अपने कर्मचारियों के साथ ही इस प्रकार का व्यवहार करेगी तो वह समझौता कराने वाले या मध्यस्थ के रूप में कैसे कार्य कर सकती है ?

श्री चव्हाण: अधिकाधिक शक्तियां हथियाने में तथा उनका दुरुपयोग करने में तो बड़े तेज हैं परन्तु जहां अपने उत्तरदायित्व पूरे करने का प्रश्न आ जाता है तो उनकी यह दक्षता शून्य पर पहुंच जाती है। उन्होंने इस मामले को राष्ट्रीय विषय बताया है। इसलिये तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि इसे जल्दी से जल्दी हल किया जाये। उन्होंने कर्मचारियों के निष्ठावान् होने की बात कही है। उनसे तो सरकार निष्ठावान होने की आशा करती है परन्तु उनके प्रति अपना कोई फर्ज नहीं समझती। सरकार को अपना फर्ज पूरा करना चाहिए और इस मामले का ऐसा हल निकालना चाहिए जो दोनों पक्षों को मान्य हो। अपने कर्मचारियों के प्रति न्याय करके ही सरकार अन्य नियोजकों के लिये उदाहरण स्थापित कर सकती है।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली): राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों का उद्देश्य देश में लोगों के कल्याण के लिये एक समाजवादी व्यवस्था स्थापित करना है। उनमें स्पष्ट रूप से सरकार को यह निदेश भी दिया गया है कि वह अपने कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजूरी की व्यवस्था करे। परन्तु आज हमें देखने को यह मिलता है कि देश का एक वर्ग, जो राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना से सबसे अधिक ओतप्रोत है, बड़ी कठिनाई से अपना गुजर कर पा रहा है।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा पीठासीन हुईं
Shrimati Tarkeshwri Sinha in the Chair]

जहां तक सरकारी कर्मचारियों की मांगों का सम्बन्ध है सरकार दमन की नीति अपना रही है। सरकार को इस सम्बन्ध में उचित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। श्री चव्हाण के वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार एक जिद्दी रवैया अपनाए हुए हैं। सरकार को तो एक आदर्श नियोजक का उदाहरण उपस्थित करना चाहिए। इससे अधिक उचित और कोई बात नहीं हो सकती कि इस मामले को मध्यस्थ बोर्ड को सौंप दिया जाये और उससे इस के वित्तीय पहलुओं की जांच करने के लिए कहा जाये।

यह कहना ठीक नहीं है कि इस मामले में जो विषय अन्तर्ग्रस्त हैं वे सामान्य किस्म के हैं और इसीलिए उन्हें मध्यस्थ को नहीं सौंपा जा सकता। ये तो काफी स्पष्ट विषय हैं। कम से कम दिल्ली में सब श्रेणियों में से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का यह अनभव है कि उन्हें किसी भी राष्ट्रीय मजूरी नीति के अन्तर्गत मिलने वाले लाभ से वंचित रखा गया है। उन्हें तंग किया गया है तथा दबाया गया है।

19 सितम्बर को हड़ताल होने जा रही है। जहां तक दिल्ली तथा नई दिल्ली का सम्बन्ध है यह हड़ताल सफल रहेगी। मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं है कि यह सारे देश में सफल रहेगी क्योंकि लोग यह महसूस करते हैं कि सरकार यदि चाहे तो वह इन प्रश्नों का हल निकाल सकती है।

सरकार अपने कर्मचारियों से कुशलता से कार्य करने के लिए कहती है परन्तु उन्हें वह कोई राहत देने के लिये तैयार नहीं है। यदि यह मामला मध्यस्थ को सौंपने का निश्चय कर लिया जाये तो इस प्रश्न के हल के लिये मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। एक समय था जब हमारे नेता क्रान्ति का सामना करने के लिए भी तैयार रहते थे। उनकी विचारधारा भी क्रान्तिकारी थी। परन्तु अब राय में तनिक भी अन्तर होने पर 'विलम्ब' का सहारा लिया जाता है। इस मामले में जब कि यह मान लिया गया है कि मजूरी बहुत ही कम है तो फिर रुकावक डालने वाले रवैये को अपनाने की क्या आवश्यकता है। दमनकारी उपाय सफल नहीं हो सकते। गाँधी जी के अनुसार भी आदमी के सबर की कोई सीमा होती है। इसलिये इस मामले में विलम्ब की नीति अपनाना ठीक नहीं है।

गृह-मंत्री डर उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं परन्तु डर से कभी सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। इस मामले में उन्हें रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। सरकारी कर्मचारी हड़ताल करना नहीं चाहते हैं परन्तु उन्हें सरकार हड़ताल करने के लिए मजबूर कर रही है। गृह मंत्री को इस मामले में फिर से विचार करना चाहिए और यह महसूस करना चाहिए कि शक्ति का अर्थ किसी को दबाना नहीं है। शक्ति का आधुनिक अर्थ नये विचारों का संचार करना और नये युग की जो दृष्टिगोचर होता जा रहा है सहानुभूति प्राप्त करना है।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : हमें गृह-मंत्री के उस भाषण से बड़ा दुःख हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसमें मध्यस्थता का कोई प्रश्न ही नहीं है और उन्होंने अपनी ओर

से यह निर्णय किया है कि इसे मध्यस्थ को नहीं सौंपा जायेगा। उनकी इस राय तथा 19 को होने जा रही हड़ताल में थोड़ा सा अन्तर है और यदि उसे दूर नहीं किया जाता है तो यह 19 की हड़ताल तक ही सीमित नहीं रहेगा। 19 तारीख की हड़ताल तो सरकार का ध्यान इस ओर खींचने के लिये ही है। यदि 19 सितम्बर से पहले कर्मचारियों की इन माँगों को मध्यस्थ को सौंपने का निर्णय नहीं किया जाता है तो 19 को सांकेतिक हड़ताल होगी और बाद में किसी निश्चित तारीख से अनिश्चित काल के लिये हड़ताल शुरू की जायेगी जिसके गम्भीर परिणाम होंगे। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी संगठित हैं और वे इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि स्थिति के बिगड़ने से पहले ही सरकार को इस बारे में फिर से विचार करना चाहिए।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : I am thankful to the hon. Members of this House for supporting this Motion irrespective of their party affiliations. Only Shrimati Tarkeshwari Sinha has branded it a political game. But I had brought this motion before this House in all earnestness.

The Home Minister has said that the demand for a need-based minimum wage can in no case be referred to arbitration. If this demand of 30 lakh Government employees is not referred to arbitration, what other solution is there in the view of Government. If Government's case is strong, they should not hesitate in referring this issue to arbitration. The Home Minister should have plainly said that they are not in a position to give minimum wage to all their employees because of financial stringency and that they would meet this demand by and by. But it is wrong to say that this demand is not arbitrable.

Government should refer this matter to arbitration and not compell the employees to go on strike. If the desision of the arbitrator goes against Government, according to a provision in the constitution of J.C. M., they can come before Parliament for modifiction of the decision of the arbitrator giving reasons for the same.

It has been said that why only the section which resorts to agitation should be given benefit and not all. In this connection my suggestion is that a round-table conference of all economic interests should be called to decide the national income policy, national production policy and national price policy. The prices are going on rising but Government has failed to evolve any scientific basis to tackle the situation created thereby. It has always been argued by Government that if the demand for higher salaries of the Government employees is conceded, others will also ask for higher salaries and this will result in further rise in prices. This is nothing but a slogan.

This is not a party question and the House should consider this matter in a balanced way keeping it aloof from party politics. Dissatisfaction among the Government employees will lead to inefficiency . Keeping this in view, I would plead with the Government that the demands of the Central Government employees regarding a need-based minimum wage and merger of D. A. with pay should be referred to arbitration.

सभापति महोदय द्वारा श्री डांगे का संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा श्री स० मो० बनर्जी का संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय प्रश्न यह है ;

"कि यह सभा आवश्यकता के आधार पर न्यूनतम वेतन दिये जाने और महंगाई भत्ते को वेतन में मिलाने की केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की माँगों को मध्यस्थता के लिए सौंपने से सरकार के इन्कार पर चिन्ता व्यक्त करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि वह इन माँगों को मध्यस्थता के लिये सौंपे।"

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

लोक-सभा में मतविभाजन हुआ :

The Lok Sabha divided :

पक्ष में 78, विपक्ष में 140

Ayes 78, Noes 140

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छत्तीसवें तथा सैंतीसवें प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : THIRTY-SIXTH AND THRITY-SEVENTH REPORTS OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS'S BILLS AND RESOLUTIONS

श्री भालजी भाई परमार (दोहद): मैं प्रस्ताव करता हूँ।

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छत्तीसवें तथा सैंतीसवें प्रतिवेदनों से, जो क्रमशः 21 और 28 अगस्त, 1968 को इस सभा में उपस्थापित किये गये थे सहमत है।"

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छत्तीसवें तथा सैंतीसवें प्रतिवेदनों से, जो क्रमशः 21 और 28 अगस्त, 196 को इस सभा में उपस्थापित किये गये थे, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छत्तीसवें तथा सैंतीसवें प्रतिवेदनों से, जो क्रमशः 21 और 28 अगस्त, 1968 को इस सभा में उपस्थापित किये गये थे, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

चैकोस्लोवाकिया में आन्दोलन के बारे में संकल्प—जारी

RESOLUTION RE : MOVEMENT IN CZECHOSLOVAKIA—Contd.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी द्वारा 14 अगस्त, 1968 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित संकल्प पर संशोधन सहित आगे चर्चा जारी रहेगी :

"यह सभा चेकोस्लोवाकिया की वीर जनता की सराहना करती है कि उसने अपने देश के राजनीतिक जीवन को उदार तथा प्रजातंत्रीय बनाने का प्रयास किया है, किसी देश के आन्तरिक मामलों में न उलझने और हस्तक्षेप न करने की नीति में अपने विश्वास की पुनरुक्ति करती है और स्वतंत्रता प्रेमी सभी देशों तथा लोगों से अपील करती है कि वे चेकोस्लोवाकिया के आन्दोलन को समर्थन तथा सहानुभूति दें।"

श्री अशोक मेहता (भण्डारा) : इस संकल्प को यहाँ पर प्रस्तुत करके श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। चेकोस्लोवाकिया में हुई घटनाओं से हम बहुत अधिक चिन्तित हैं क्योंकि उसके स्वतंत्रता संघर्ष का लम्बा इतिहास है और उसकी संस्कृति बड़ी समृद्ध है और उसकी परम्पराओं पर कोई भी देश गर्व कर सकता है। उस देश की मित्रता हमारे लिए बड़ी मूल्यवान है क्योंकि उसने कठिनाइयों में हमारी तत्परता से मदद की है; हमें सैनिक सामग्री दी है और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद की है।

चेकोस्लोवाकिया के बारे में अधिक चिन्ता हमें इसलिए है क्योंकि वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण संघर्ष चल रहा है। वहाँ लोग मानवीय सिद्धान्तों पर आधारित समाजवाद तथा साम्यवाद लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रों के बीच व्यवहार की एक सभ्य संहिता होनी बहुत आवश्यक है। समाजवादी होने के नाते हमें इसकी गहरी चिन्ता है कि इस संघर्ष का क्या परिणाम निकलता है।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि रूस हमारा मित्र है और इसी मित्रता के नाते यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम उस द्वारा की गई इस दुःखद भूल का विरोध करने और उस पर गहरा खेद व्यक्त करने में संकोच न करें।

हम चेकोस्लोवाकिया के लोगों से कई सबक सीख सकते हैं। जब किसी देश के लोग किसी कार्य को सम्पन्न करने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाते हैं तो उन्हें सैनिक कार्यवाही द्वारा उस रास्ते से हटाया नहीं जा सकता। लेकिन जब हम बहुत बड़े विवादों से सम्बन्धित होते हैं, तो हमारे लिये अन्ततोगत्वा अपने लोगों की एकता तथा विश्वास पर अपनी आशाएं निहित करना जरूरी है और न कि कर्ज के हथियारों पर। उन दो महत्वपूर्ण दिनों में, चेकोस्लोवाकिया के लोगों ने यह दिखा दिया है कि एकता के बल पर वे काफी हद तक अपनी इच्छा के अनुसार चल सकते हैं। यदि वे पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं, तो उसका कारण हम हैं, जिन्होंने उन्हें असफल बनाया है। उन्होंने जो दृढ़ता, शक्ति, दृढ़ निश्चय तथा समर्पण दिखाया है, वह अति सराहनीय है। इस संकटपूर्ण मौके पर, जब कि उनके पास हथियार नहीं थे और वे केवल अपने दिल तथा दिमाग से इस आक्रमण तथा अत्याचार का विरोध करने का प्रयत्न कर रहे थे, हमने उनका साथ नहीं दिया। मेरे लिये यह बड़े दुःख तथा खेद की बात है कि विश्व में केवल हमारी

ही एक ऐसी संसद् थी जिसने यह कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के "चार्टर" का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

28 अगस्त को चैकोस्लोवाकिया की राष्ट्रीय विधान सभा ने एक संकल्प पारित किया जिसमें यह कहा गया कि वारसा संधि के जिन पांच देशों ने चैकोस्लोवाकिया पर कब्जा किया है वह गैर-कानूनी है, अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों के विरुद्ध है और संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का उल्लंघन है, और खुद वारसा संधि का भी उल्लंघन है। इसके अलावा चैकोस्लोवाकिया की राष्ट्रीय विधान सभा के प्रेसीडेन्ट (अध्यक्ष) ने मास्को से लौटने पर जो वक्तव्य दिया है उससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि मास्को के साथ जो समझौता किया गया है वह समझौता नहीं बल्कि एक निर्णय है जो उन्हें अपने छोटे से देश में वारसा संधि वाले देशों के खड़े 18000 टैंक 1000 विमान तथा 6,50,000 तैनात सैनिकों को देख कर लेना पड़ा है। उन्होंने आगे कहा है कि चैकोस्लोवाकिया की ओर से बातचीत करने के लिए व्यक्तियों को करार में किये गये समझौते में व्याप्त जोखिमों का एहसास था क्योंकि इस निर्णय को भविष्य आंक सकता है और कोई गलत बात हो गई, तो उनके इस निर्णय अथवा समझौते को बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं अपितु विश्वासघातक कहा जायेगा। वास्तविकता यह है कि उन्होंने यह समझौता किया नहीं है, बल्कि उन पर वह थोपा गया है और उन्हें उसे मानने के लिए मजबूर किया गया है। उन्हें ऐसे नेता की तलाश करनी है जो बाहर के देशवालों को मान्य हो। यही बात है जो उस देश से करने को कहा जा रहा है।

चैकोस्लोवाकिया ने क्या अपराध किया है? केवल यही कि उसने समाचार-पत्रों की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रदान की है जिसे रूस 'प्रति-क्रान्तिवादी' कहता है। यदि इसे 'प्रति-क्रान्तिवादी' कहा जाये, तो फिर इस सभा के प्रत्येक लोकतंत्री सदस्य को भी प्रति-क्रान्तिवादी कहा जायेगा। यदि क्रान्ति चैकोस्लोवाकिया की स्वतंत्र आवाज पर प्रतिबन्ध लगाती है तो ऐसी क्रान्ति के लिए धिक्कार है। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग करके हमें डराने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। यह सभा उन अधिकारों का जिनके लिये चेक लोग लड़ रहे हैं, पूरी तरह तथा दृढ़ता से समर्थन करती है।

चेकोस्लोवाकिया में जो कुछ हुआ है, उस पर मौन रहना संभव नहीं है। हमें उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। वहां कब्जा करने वाली सेनाओं ने वहां की "राइटर्स बिल्डिंग" (लेखक-भवन) को तहस-नहस करके जमीन में मिला दिया है—क्यों? इसलिए कि रूसियों को उनसे बहुत गुस्सा था। मैं एक विनर्म लेखक की हैसियत से चेक लेखकों से कहूंगा कि वे इमारत को नष्ट-भ्रष्ट कर सकते हैं लेकिन आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते।

हमारे लिये चैकोस्लोवाकिया को सर्वाधिक समर्थन देना जरूरी है। स्वतंत्रता जहां भी खतरे में हो, हम अपनी पूरी ताकत से उसकी रक्षा करेंगे। इसलिये, क्या मैं आपके माध्यम से इस सभा के दोनों ओर के सदस्यों से अनुरोध कर सकता हूं कि सरकार, संसद् तथा लोगों को चैक लोगों का स्पष्ट शब्दों में समर्थन करना जरूरी है क्योंकि केवल ऐसा करने पर ही वे स्वतंत्र हो सकते हैं। यदि हम उनका समर्थन नहीं करते, तो उनका भविष्य भारी जोखिम

से भरा है और वहां कुछ भी हो सकता है। इसलिये हमें इस समय सीमित विचारों से युक्त हो कर स्थिति की वास्तविकता पर विचार करना चाहिए और चैक लोगों को अपना पूरा समर्थन देना चाहिए।

श्री नन्दकुमार सोमानी (नागौर) : रूस के छलपूर्ण विचारों के सम्बन्ध में हममें से कुछ लोगों को जो बहुत कुछ बुरी आशंकाएं नजर आती हैं और इस बारे में भी अशोक मेहता ने उदाहरण देकर जो कुछ कहा, उससे साफ सिद्ध हो जाता है कि रूस आज संभवतः "जिसकी लाठी उसकी भैंस" के आधार पर विश्व पर शासन करने की कोशिश कर रहा है और उसे न तो इन्सानियत की चिन्ता है और न ही मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर की।

मेरा एक प्रश्न है, जिसे मैं पहले भी पूछ चका हूं लेकिन जिसका जवाब अब तक न तो प्रधान मंत्री ने दिया है, और न ही किसी अन्य मंत्री ने। प्रश्न यह है—यदि रूसी सेनाएं भारत में बढ़ आती हैं, सिर्फ इस कारण कि वे समाजवाद को अथवा इस समाजवाद को जिसे कांग्रेस पार्टी अपना रही है, नहीं चाहते, तो उस स्थिति में क्या होगा ? उस स्थिति में क्या होगा जब सुरक्षा परिषद् में हमारे वर्ताव अथवा विश्व के मामलों में हमारे वर्ताव से इस बात की झलक मिलती है कि हम तिरछे ढंग से रूस की विचारधारा आदि का समर्थन कर रहे हैं ? उस हालत में इस देश के भाग्य का क्या फैसला होगा ?

हम यह नहीं कहते अथवा आशा करते हैं कि सरकार चैकोस्लोवाकिया के लिए सैनिक सहायता अथवा अस्त्र-शस्त्र भेजे। हमने, हमारे देशवासियों ने, हमारी संसद ने तथा विश्व केवल इतना ही कहा कि रूस ने जो बर्बरतापूर्ण कार्यवाही की है उस पर हमें न्यायसंगत रोष व्यक्त करना चाहिए था और वही हमने नहीं किया है।

हमारी सरकार कहती कछ है और करती कछ और है। मानव अधिकारों के बारे में वह हमेशा ऊंची आवाज उठाती है, लेकिन ऐसी स्थिति में दोस्ती के तकाजे से कायल होकर "न ब्रूयात् सत्यमप्रियम्" के मार्ग का अनुसरण करने लगती है। विनोबा भावे ने कहा है हमारे जैसे किसी स्वतंत्र देश का मुख्य उद्देश्य 'अभय' होना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा है "मेरे विचार में यदि हम निर्भय समाज का निर्माण नहीं कर सकते, तो राज्य अथवा सरकार के होने से कोई लाभ नहीं है।" हम मानते हैं कि रूस के साथ हमारी गहरी मित्रता है जैसा कि हमारी सरकार आज दावा करती है, लेकिन मित्रता का प्रमाण केवल तभी मिल सकता है जब कि हममें विपत्ति तथा आवश्यकता के समय सत्य कहने का साहस हो।

हमें चैक नेताओं अथवा चैक लोगों के भविष्य के बारे में इतनी चिन्ता व दुःख नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना शौर्य व रोष प्रदर्शन किया है। लेकिन हमें दुःख केवल इस बात का है कि भारत सरकार ने इस मौके पर बहुत हीन रवैया अपनाया और कमजोरी दिखाई और इसके साथ-साथ उसने पाकिस्तान को रूसी हथियारों की सप्लाई के प्रश्न पर भी वही मूर्खता विवेकहीन तथा शक्तिहीन रवैया अपनाया।

चैकोस्लोवाकिया स्थित हमारे राजदूत ने भारत सरकार को तीन तार भेज कर वहां

की वास्तविक स्थिति से उसे अवगत कराया और उसने यह भी बताया कि वहां रूसी सेना तथा रूसी अधिकारियों के प्रति लोगों की अत्यधिक घृणा के भाव हैं और इसलिए हमारा रवैया वास्तविकताओं पर आधारित होना चाहिए। फिर भी सरकार ने इस मामले में उचित व न्यायसंगत रवैया नहीं अपनाया है।

Shri Shashi Bhushan (Khargone) : Sir, the people of Czechoslovakia have shown their valour and indignation in meeting the situation. I myself was in Czechoslovakia a few days back. The brave people of that country are with the people of Vietnam. Those who are talking of Cechoslovakia today and condemning Soviet union, for its action in that country should also condemn America for its action in Vietnam. Because the people of Vietnam are also fighting against American aggression and are demanding the withdrawal of the American soldiers from there. So those who want to show their solidarity towards Czechoslovakia and demand for the withdrawal of Soviet troops from that country , should also show the same solidarity behind the people of Vietnam. It is a matter of uttar surprise that those people speak with double voice. On the one hand, they support America for its action in Vietnam and condemn on the other hand, they condemn the Soviet Union on the question of Czechoslovakia.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : चैकोस्लोवाकिया एक समाजवादी देश है। वह एक स्वतंत्र देश है। उसने श्रमिक वर्ग की तानाशाही के सिद्धान्त के अन्तर्गत खुद अपने समाजवाद का निर्माण किया है। सभा में हमारे दोनों ओर के माननीय मित्रों को यह समझ लेना चाहिए कि श्रमिक वर्ग की तानाशाही इस तथा-कथित लोकतंत्र से, जिसका हम आभास करते हैं , अलग चीज है। श्रमिक वर्ग की तानाशाही का मतलब यह है कि जब श्रमिक वर्ग, किसी देश के करोड़ों श्रमजीवी, शक्ति प्राप्त करता है, तो वह उन थोड़े से अल्पसंख्यकों की, जो शक्ति और धन पर कब्जा किये बैठे हैं, निहित स्वार्थों की ताकत का दमन करेंगे और उन्हें श्रमजीवी वर्ग की ताकत से जबर्दस्ती बाहर निकाल देंगे। जब इस प्रकार की तानाशाही एक बार सत्तारूढ़ हो जाती है, तो वे फिर उस तथा-कथित स्वतंत्रता पर विचार नहीं करेंगे जिसका उन्हें संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली में आभास होता है। तथा-कथित स्वतंत्रता अथवा संसदीय लोकतंत्रात्मक प्रणाली से मेरा मतलब यह है कि वहां सदस्य बनने के लिए लाखों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, सामान्य जनता के पास तना धन कहां से आ सकता है ? इसलिये केवल वही लोग चुनाव लड़ सकते हैं जिनके पास काफी धन है। मैं इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी बात कह रहा हूं। यदि आप अपने तर्कों से इसे अस्वीकार करना चाहें तो कर सकते हैं किन्तु मुझे अपनी बात कहने से मत रोकिये। आप प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं। अमेरिका में भी प्रजातंत्र सरकार है। आप वहां पर देख चुके हैं कि राष्ट्रपति के प्रत्याशी को गोली मार दी गई है। यदि वास्तव में देखा जाये तो कई देशों में जो प्रजातंत्र कहलाते हैं, वास्तव में सामान्य जनता की सरकार नहीं है। रूस में भारत अथवा अमेरिका से भिन्न किस्म की सरकार है। चेकोस्लोवाकिया में पश्चिम जर्मनी का दृष्टिकोण रखने वाले तत्व काम कर रहे हैं। वे वहां की शासन व्यवस्था को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। चेकोस्लोवाकिया का साम्यवादी दल उन्हें दबाने का प्रयत्न कर रहा है। मैं समझता हूं कि 'मुक्ति' शब्द को कुछ सदस्यों ने गलत समझा है। हमें चैकोस्लोवाकिया की घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, अतः हमें इस बारे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। कल को

इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी यदि इसी प्रकार कोई प्रस्ताव यदि चैकोस्लोवाकिया की नेशनल एसेम्बली पास करती है तो हमें कैसा लगेगा ? हमें सुनी-सुनाई अफवाहों पर ध्यान न देकर चैकोस्लोवाकिया के मामले पर वास्तविक स्थिति को ध्यान में रख कर विचार करना चाहिए। चैकोस्लोवाकिया की जनता के साथ हमारी सहानुभूति है। मुझे विश्वास है कि भारत में भी एक दिन समाजवाद पर आधारित साम्यवादी सरकार बनेगी। अतः मेरा अनुरोध है कि विश्व की घटनाओं के बारे में हमारे लिये चुप रहना ही अच्छा है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Speaker, I congratulate the hon. Member Shri Surendra Nath Dwivedi for bringing this Motion before the House. This Motion offers an opportunity to the people of this country to express their support and sympathy for the people of Czechoslovakia who are struggling for their rights.

This House committed a big mistake by rejecting the amendment moved by the hon. lady Member Shrimati Sucheta Kripalani on the previous occasion when the same subject was under discussion of the House. Now that mistake may be corrected by adopting this Resolution.

It is really something very strange that in U. N. O. our Government have supported the stand that military intervention in Czechoslovakia is a violation of the U. N. Charter, but have voted against the amendment to that very effect in this House on the previous occasion. Now it is high time for the Congress to correct its mistake by adopting this Resolution.

As a Member of the Security Council we have certain responsibility. When humanity is in peril and freedom of a country is in danger, we should not remain silent to them. We should have taken initiative and raised the Czech issue in the Security Council. But we did not do this. Not only this; when the issue was raised by other countries our Government did not show courage to vote in favour of the Resolution. They remained neutral. The Government simply play on words. Nothing can be more shameful and distressing for a country, which believes in freedom, world peace and is proud of her great culture.

Our representative in U. N. O. has behaved in such a manner that we cannot raise our heads before the brave people of Czechoslovakia. People of Czechoslovakia are struggling for their freedom. They are facing the challenge of barbarism. They believe in socialism and want to maintain their freiendship with the Soviet Union and other Communist countries, but they are being made the victims of new imperialism. When imperialism and colonialism are disappearing in the West, a more dangerous type of imperialism is appearing on the horizon of the world. We have some duty towards the people of Czechoslovakia and we should fulfil it. We can do it by accepting the Resolution before the House unanimously.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I have read the Resolution again and again and I appreciate the spirit of the Resolution. If the big nations will begin to devour small nations as Russia has done in the case of Czechoslovakia, the small nations will not be able to flourish. We have said and we have to say at the top of our voice that the attack by Russia on Czechoslovakia was unjustified from all points of view. Czechoslovika is passing though a grave situation today and Soviet Union must be condemned for its aggression in that country. We have full sympathy with the people of Czechoslvakia but diplomacy and politics are different things. We should not make any haste in this matter. We have also to be very careful to see that nothing is done which amounts to our interference in other's internal affairs. We should see the interest of our country also. Our country is surrounded on all sides by our great enemies. We have to formulate over policy keping in view all these circumstances and have to proceed very carefully.

Our Prime Minister and the Congress Government have adopted a policy which is in the interest of the country and it simultaneously supports the people of Czechoslovakia as well. I support the Resolution upto this extent and fully support the policy adopted by the Government.

Shri Maharaj Singh Bharati (Meerut) : The crisis in Czechoslovakia is in fact a conflict of ideologies. Such conflicts of ideologies never end.

Today we can see four types of agricultural systems in Communist countries. In Yugoslavia there is individual farming of small farmers, in East Germany there is co-operative farming, in China there are Communes and in Russia there is collective farming. Similarly there are three types of industrial systems also. Therefore, there cannot be a uniform political pattern in all the Communist countries and this cannot be checked also. Capitalism cannot check socialism. Similarly the Communist cannot advance the march of democracy.

The Congressmen also realise this fact within their hearts but there is one difficulty before them. Even after twenty years of independence our country is still dependent on United States of America for her food requirements and on Russia for our development and defence requirements. That is why they do not dare to say anything openly and truely. We have been borrowing and getting aid from the whole world for the last twenty years and we have failed to create a self-generating economy. With these words I support the Resolution.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : There is not much difference in the view of the Government and the opposition parties regarding Czechoslovakia. The difference is only of words. The Prime Minister has used the word 'deplore' while the opposition parties want to use the word ' condemn' with regard to the Soviet action in Czechoslovakia.

As regards the charge of 'selling out' the country this was done long ago when the Prime Minister was advised to devalue the rupee.

So far as the stand of this country on Czechoslovakia is concerned this should be the same as has been of other countries towards our country on such occasions. When Pakistan or China committed aggression on our country no Parliament of any country passed such Resolution in our favour condemning their aggression. These are the ways of politics, we should also behave in the same way. The stand adopted by our Prime Minister is quite reasonable and in fact best. The concern we have expressed in this matter through our Prime Minister's statement is sufficient and we need not go beyond that.

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : क्या किसी सदस्य को ऐसी बातें सभा में कहने का अधिकार है जो उसके दल के बैठकों में हुई हों ? क्या किसी ने प्रधान मंत्री को रुपये का अवमूल्यन करने के लिए प्रेरित किया है अथवा प्रस्ताव का प्रारूप करने में किसी का हाथ था।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में उठकर यह पूछना, कि क्या यह अनुमति देने योग्य है, ठीक नहीं है। उस समय इसकी अनुमति दी गई थी और यह हमारे रिकार्ड में है।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (गोंडा) : जब अशोक मेहता ने अवमूल्यन की वकालत करके अपराध का कार्य किया था तो उस समय क्या कांग्रेसी सो रहे थे ? उन्होंने क्यों नहीं इस बात को उठाया ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह दल पर आरोप लगाना है और दल के अनुशासन का प्रश्न है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : यह बहुत ही आपत्तिजनक है। (**व्यवधान**) कुछ समय पहले आपने कहा था कि यह रिकार्ड में अंकित है। मैं इसकी जाँच करना चाहता हूँ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : हमारा रिकार्ड काँग्रेस से अधिक अच्छा है। हमने श्री अशोक मेहता को अवमूल्यन के प्रश्न पर चुनौती दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : समाचार पत्र में काफी अभियोग लगाये गये हैं और श्री द्विवेदी इस बात को जानते हैं। हर दल में कुछ अनुशासन होता है। अगर सभा में दल के बारे में वाद-विवाद हो तो फिर कैसे काम चलेगा।

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : परन्तु जब तक आप सभापति के आसन पर विराजमान हैं तब तक आपको किसी दल से सम्बन्ध नहीं रखना चाहिए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : आपको दल के बैठक के बारे में जो कुछ कहना हो वह आप अध्यक्ष पद से ऐसा नहीं कह सकते। अगर आप अध्यक्ष पद से ऐसा कहते हैं तो यह उस पद के निष्पक्षता के सिद्धान्त का उल्लंघन होगा। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि आपने इस पद का उल्लंघन किया है। आपकी स्थिति तटस्थता की है। आपको वहाँ होते हुए इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे यह दिखे कि आप किसी दल से सम्बन्धित हैं। यह नितान्त अनुचित है।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : साधारणतया जब सभा स्थगित होने को होती है तब सदस्यों में शाँति होती है। परन्तु इस लम्बे अधिवेशन के स्थगित होने के समय सदस्य काफी उत्तेजित हैं।

श्री समर गुह (कन्टाई) : हमने सभा के रोष को प्रकट किया है।

श्री ब० रा० भगत : हमें भी नाराजी है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर यह इस प्रकार चलता रहा तो अगला प्रस्ताव उठाने के लिए मैं आज्ञा नहीं दूंगा, क्योंकि काफी समय हो गया है।

श्री ब० रा० भगत : सभा को यह मालम होगा कि जब इस प्रस्ताव को वाद-विवाद के लिए लाया गया था तो उस समय परिस्थितियाँ बिल्कुल ही भिन्न थीं। उस समय से हुई घटनाओं ने प्रस्ताव का रूप ही बदल दिया है। सरकार ने इसको व्यक्त कर दिया है। मुझे केवल यही कहना है कि जो नई घटनाएं हुई हैं वे यह बताने जा रही हैं कि सरकार द्वारा लिया गया कदम बिल्कुल ठीक है। वे केवल राष्ट्रीय हित को नहीं बताती है अपितु इस देश की सच्ची भावना को प्रदर्शित करती हैं।

श्री समर गुह : क्या आपने चैकोस्लोवाकिया की जनता से राय ली है?

श्री ब० रा० भगत : हमने सम्बन्धित व्यक्तियों से अपना सम्बन्ध बनाया हुआ है। प्रधान मंत्री के वक्तव्य और सुरक्षा परिषद के हमारे प्रतिनिधि के वक्तव्य ने कुछ आधारभूत मामलों में हमारी नीति को स्पष्ट कर दिया है जैसे अपनी सरकार बनाने का अधिकार, दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप, सशस्त्र सेना का उपयोग आदि।

अगर माननीय सदस्य इस पर ध्यान से सोचें तो वे पायेंगे कि सरकार द्वारा उठाया हुआ कदम उचित है। जैसा कि मैंने कहा है कि घटनाओं ने यह बता दिया है कि सरकार द्वारा उठाया हुआ कदम बुद्धिमत्तापूर्ण है।

मैं श्री अशोक मेहता से स्वतंत्रता व प्रजातंत्र और एक देश का बाहरी हस्तक्षेप के बिना सरकार बनाने के बारे में पूर्णतया सहमत हूं। मैं याद दिला देना चाहता हूं कि एक बड़े नेता, जो यहां बैठा करते थे, ने महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था कि जब स्वतंत्रता खतरे में है तो भारत चुप नहीं बैठ सकता। इसलिये मैं कहता हूं कि अहस्तक्षेप जैसे आधारभूत मामलों में हमने कोई समझौता नहीं किया है। अगर आपको कोई सन्देह है तो आप प्रधानमंत्री के वक्तव्य को पढ़ सकते हैं। हमने वक्तव्य में कहा है कि सेनाओं को वापिस हटा देना चाहिए। हमें इस पर शान्ति के साथ सोचना चाहिए और अधिक उत्तेजित नहीं होना चाहिए।।

श्री नाथ पाई : मैं उत्तेजित नहीं हूं परन्तु मुझ में नाराजी है।

श्री ब० रा० भगत : आपको नाराज होने का अधिकार है परन्तु इन महत्वपूर्ण मामलों में नाराजी के साथ विचार नहीं करना चाहिए। मेरा सभा से यह कहना है कि इस पर शान्ति के साथ विचार करना चाहिए। उन घटनाओं पर धैर्यपूर्वक व शान्ति के साथ विचार करना चाहिए जो इस चेकोस्लोवाकिया में हो रही है। अतएव अपनी राय जाहिर करते समय चाहे वह नाराजी अथवा उत्तेजना में कही गई हों, हमें इस समस्या को अधिक उलझाना नहीं चाहिए। मुझे आशा है कि सभा इस बात पर सहमत होगी कि हमें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए जिससे समस्या और जटिल हो जाये।

श्री नाथ पाई : हमें स्वतंत्रता आन्दोलन को बढ़ावा देना चाहिए (**व्यवधान**)

श्री ब० रा० भगत : चैकोस्लोवाकिया की बहादुर जनता का हम समर्थन करते हैं। इस विषय पर मैं अधिक नहीं कहना चाहता। साम्राज्यवाद का विरोध करने और स्वतंत्रता व प्रजातंत्र के प्रश्न पर हमारे अपने विचार हैं और हम इन सिद्धान्तों पर दृढ़ हैं। यह हमारी परम्परा है। जब कभी स्वतंत्रता खतरे में होती है तो फिर हम तटस्थ नहीं रह सकते।

इस मामले में सरकार ने अपनी नीति स्पष्ट कर दी है। माननीय सदस्य ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है परन्तु अब स्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया है। स्थिति बड़ी विकट है और मैं इस प्रस्ताव का विरोध नहीं करना चाहता। उदाहरण के लिए श्री वाजपेयी जी ने साम्राज्यवाद से लड़ने का एक विशेष तरीका बताया है। परन्तु हमने बार-बार कहा है कि साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए अपने पांव पर खड़ा होना पड़ेगा, लोगों को स्वतंत्रता बनाये रखने के लिए संगठित करना पड़ेगा और उनको मजबूत बनाना पड़ेगा। यही तरीके हैं जिनके द्वारा साम्राज्यवाद का विरोध किया जा सकता है। अगर हम आर्थिक, राजनीति व सामाजिक दृष्टि से मजबूत नहीं हैं तो हम साम्राज्यवाद का विरोध नहीं कर सकते।

हमने स्वतंत्रता एक बड़े त्याग करने के उपरान्त पाई है और हम स्वतंत्रता व परम्पराओं का मूल्य पहचानते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : इस संकल्प में केवल इतना ही कहा गया है कि हम किसी देश

के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने में अपना विश्वास दुहराते हैं। इसमें चैकोस्लोवाकिया के साम्यवादी दल के विरुद्ध कुछ नहीं कहा गया है। हम चैकोस्लोवाकिया की जनता का समर्थन कर रहे हैं तथा उनके साथ सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं।

मास्को से वापिस लौटने पर श्री ड्यूबचेक ने कहा है कि देश में अग्रेतर खून खराबे से हमें जैसे तैसे ही बचना होगा। इससे बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के बीच कोई वास्तविक समझौता नहीं हुआ है। उन्होंने रक्तपात से बचने के लिए यह स्थिति स्वीकार करली है। अतः खतरा अभी बना हुआ है। यदि सभा इस संकल्प को सर्वसम्मति से स्वीकार करे तो मुझे प्रसन्नता होगी। सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ में संकल्प पर मत न देकर घोर गलती की है विचार व्यक्त करने का सरकार को एक अवसर दिया गया है। भारत की संसद को सर्व-सम्मति से यह संकल्प पारित करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं पहले श्री शिकरे का संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं। वह इसे वापिस लेना चाहते हैं। क्या संशोधन वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति है?

संशोधन सभा की अनुमति में वापिस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"यह सभा चैकोस्लोवाकिया की वीर जनता की सराहना करती है कि उसने अपने देश के राजनीतिक जीवन को उदार तथा प्रजातंत्रीय बनाने का प्रयास किया है, किसी देश के आन्तरिक मामलों में न उलझने और हस्तक्षेप न करने की नीति में अपने विश्वास की पुनरुक्ति करती है और स्वतंत्रता प्रेमी सभी देशों तथा लोगों से अपील करती है कि वे चैकोस्लोवाकिया के आन्दोलन को समर्थन तथा सहानुभूति दें।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided

पक्ष में 117; विपक्ष में 9

Ayes 117 ; Noes 9

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

जम्मू तथा काश्मीर की स्थिति के बारे में प्रस्ताव

RSOLUTION RE : STATUS OF JUMMU AND KASHMIR

Shri Atal Bihari Vijpayee (Balrampur) Sir, I leg to move :

"The House is of opinion that the present anomalous status of Jammu and Kashmir State under which even though the State is an integral part of India, it has a separate constitution a seperate Head of State and a seperate flag should be ended and the State should be brought fully at par with the other Indian States, and to this end the House recommends that all necessary steps, such as abrogation of article 370, be initiated forthwith".

श्री उमानाथ (पुदुकोटै) : श्रीमान, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अगली बार जब वह इस पर अपना भाषण देंगे तो आप अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं।

आसाम राज्य के पुनर्गठन के बारे में

RE: REORGANISATION OF ASSAM STATE

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : इस सत्र के आरम्भ में जो सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्य सूची दी गई थी, उसमें आसाम के पुनर्गठन का प्रश्न शामिल था। परन्तु आज तक न तो कोई विधेयक पुरः स्थापित किया गया है, न ही कोई वक्तव्य दिया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में स्थिति स्पष्ट करे और बताये कि वह इस बारे में क्या कर रही है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : सरकार इस बारे में अपना निर्णय देने के लिए उत्सुक थी। दुर्भाग्य से ऐसा सम्भव नहीं हो सका है। सरकार अपना निर्णय 12 सितम्बर तक घोषित करेगी

आधे घन्टे की चर्चा के बारे में

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

उपाध्यक्ष महोदय: एक आधे घंटे की चर्चा तथा नियम 193 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव शेष है। समय अधिक हो गया है। अब मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री को एक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकता हूं। क्या सभा यह चाहती है कि यह मद अगले सत्र में जाये ?

कुछ माननीय सदस्य: जी हाँ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned sine die.

Prined by Tirtharaj Press, Allahabad.

P.L.S. 48. XX. 28.68. (N)
600

© 1967 प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
तीर्थराज प्रेस, इलाहाबाद द्वारा मुद्रित

© 1967 By Lok Sabha Secretariat

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and printed by the Manager, Tirthraj Press, Allahabad.